पंचदश माला, खंड 27, अंक 5

गुरुवार, 16 अगस्त, 2012
25 श्रावण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

(खंड 27 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

16 अगस्त 2012

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

प्रमोद कुमार मिश्र
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

सुशांत पांडेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 27, ग्यारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 5, गुरुवार, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100	2-110
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	111-728
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	729-30
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	729-50
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	751-52
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	751-54

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री, श्री विलासराव देशमुख के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री विलासराव देशमुख राज्य सभा के वर्तमान सदस्य और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री थे।

श्री देशमुख 1980 से 1995 तक और 1999 से 2009 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1982 से 1985 और 1986 से 1995 के दौरान महाराष्ट्र सरकार में अनेक विभागों के मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री देशमुख ने 1999 से 2003 तक और 2004 से 2008 तक दो बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला।

श्री देशमुख एक योग्य सांसद थे। उन्होंने 2009 से 2011 तक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय और वर्ष 2011 के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय में केन्द्रीय कैबिनट मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री विलासराव देशमुख का निधन 67 वर्ष की आयु में 14 अगस्त, 2012 को चेन्नै में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति

*81. **श्री बलीराम जाधव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी कुल उपलब्धता में घरेलू उत्पादन की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कच्चे तेल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है;

(ग) देश में उन तेल क्षेत्रों के नाम क्या हैं; जिनमें अन्वेषण कार्य किया जा रहा है तथा इसके अनुमानित भंडारों, संभावित उत्पादन और इसमें किए गए निवेश का तेल क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अन्वेषण कार्य किन-किन कंपनियों को सौंपा गया है तथा देश में तेल की मांग को पूरा करने हेतु तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल प्राकृतिक गैस निगम सहित, उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत निगरानी तंत्र सहित अन्वेषण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, उत्पादन, और स्वदेशी उत्पादन की प्रतिशतता निम्नानुसार है:—

	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
पेट्रोलियम उत्पादों की खपत (एमएमटी)	137.8	141.0	148.0

1	2	3	4
पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन (एमएमटी)	185	195.79	203.99
पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में स्वदेशी कच्चे तेल का हिस्सा (%)	24.3%	26.7%	25.7%

एमएमटी — मिलियन मीट्रिक टन।

नोट: खपत और उत्पादन के उत्पाद-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) कच्चे त का उत्पादन मुख्यत: राजस्थान राज्य में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू होने से वर्ष 2009-10 में 33.505 एमएमटी से बढ़कर 2011-12 में 38.806 एमएमटी हो गया है। कच्चे तेल के उत्पादन के वर्ष-वार ब्यौरे और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी निम्नानुसार है:—

	2009-10	2010-11	2011-12
कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)	33.505	37.685	38.086
वृद्धि/कमी (%)	-70.01%	12.48%	1.06%

(ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा प्रचालित तेल क्षेत्रों के ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण II, III और IV में दिए गए हैं।

(घ) अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) कार्यकलाप राष्ट्रीय तेल कंपनियों, भारतीय निजी और विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं। कंपनियों के नाम संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं सरकार और ईएंडपी कंपनियों ने देश में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तावित करना-249 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए।

(ii) पुराने क्षेत्रों के लिए ओएनजीसी द्वारा उन्नत तेल निकासी और वर्धित तेल निकासी योजनाओं का कार्यान्वयन।

(iii) हाइड्रोकार्बन्स के कोल बैड मिथेन (सीबीएम) और शेल गैस जैसे गैर-पारंपरिक स्रोतों का विकास।

(ङ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत अन्वेषण ब्लॉक प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रणाली के जरिए प्रदान किए जाते हैं जिसमें भारतीय और विदेशी निजी कंपनियों/परिसंघ द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएलएस) प्राप्त करने के लिए समान स्तर पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) के साथ प्रतिस्पर्धा अपेक्षित है। मुख्य बोली प्राचलन (1) प्रतिबद्ध अन्वेषण कार्य कार्यक्रम और (2) सरकार को लाभ पेट्रोलियम है। अन्वेषण ब्लॉक कार्य कार्यक्रम और सरकार को लाभ पेट्रोलियम के सबसे अधिक बोली देने वाले बोलीदाता को पारदर्शी तरीके से प्रदान किए जाते हैं। गहरे समुद्री ब्लॉकों के मामले में कार्य कार्यक्रम और लाभ पेट्रोलियम के अलावा बोली मूल्यांकन मानदंड में बोलीदाता कंपनियों की तकनीकी क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। एनईएलपी में बोली मूल्यांकन प्राचल निर्धारित किए गए हैं और अन्वेषण ब्लॉकों की बोली से पहले ही ये प्राचल बोलीदाताओं की जानकारी में होते हैं। प्रदत्त कंपनियों को भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) पर हस्ताक्षर करने होते हैं। एनईएलपी के तहत अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार निगरानी रखी जाती है।

विवरण-I

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार खपत

(मिलियन मीट्रिक टन)

उत्पाद	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
एलपीजी	13.1	14.3	15.4
पेट्रोल	12.8	14.2	15.0
नापथा	10.1	10.7	11.1
एटीएफ	4.6	5.1	5.5
केरोसीन	9.3	8.9	8.2

1	2	3	4
डीजल	56.2	60.1	64.7
हल्का डीजल ऑयल	0.5	0.5	0.4
ल्यूब्स	2.5	2.4	2.7
फ्यूल ऑयल	11.6	10.8	9.2
एलएसएचएस	4.9	4.5	4.6
बिटुमिन	6.6	5.0	6.1
पेट कोक	5.4	4.6	4.9
योग	137.8	141.0	148.0

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार उत्पादन

(मिलियन मीट्रिक टन)

उत्पाद	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
एलपीजी	10.34	9.62	9.55
नाफ्था	18.78	19.31	18.71
पेट्रोल	22.55	25.8	27.21
एटीएफ	9.3	9.82	10.06
केरोसीन	8.83	7.9	8.02
डीजल	73.25	77.68	82.93
हल्का डीजल ऑयल	0.47	0.6	0.5
ल्यूब्स	0.95	0.94	1.03
फ्यूल ऑयल	15.26	18.67	17.72
एलएसएचएस	2.63	1.98	1.71
बिटुमिन	4.87	4.45	4.6
पेट कोक	3.92	2.77	4.63
अन्य	12.8	16.25	17.33
योग	185	195.79	203.99

एटीएफ-एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एलएसएचएस-लो सल्फर हैवी स्टॉक।

विवरण-II

ओएनजीसी: तेल और गैस क्षेत्र, शेष निकासी योग्य भंडार, संचयी निवेश और संभावित उत्पादन

राज्य	तेल एवं गैस क्षेत्र	शेष भंडार		संचयी निवेश (करोड़ रु.)	कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)			प्राकृतिक गैस का उत्पादन (बीसीएम)		
		ओआईएल (एमएमटी)	गैस (बीसीएम)		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	55	5.59	42.3	6230.54	0.29	0.261	0.195	1.065	0.855	0.695
असम	41	89.15	38.2	17313.76	1.221	1.311	1.43	0.476	0.532	0.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गुजरात	91	128.67	70.1	26753.94	5.447	5.445	5.36	1.331	1.226	1.205
नागालैंड	2	2.69	0.1	138.98	राज्य सरकार के आदेश के उपरांत 1994 में कोई भी उत्पादन नहीं हुआ					
राजस्थान	8	0	2.4	1020.59	केवल प्राकृतिक गैस उत्पादन			0.015	0.015	0.049
तमिलनाडु	28	8.86	39.3	5668.58	0.213	0.205	0.192	1.443	1.423	1.388
त्रिपुरा	11	0.07	36.0	3061.08	0.005	0.006	0.006	1.049	1.862	1.862
योग जमीनी	236	235.03	228.5	60187.47	7.176	7.228	7.183	5.379	5.913	5.793
पूर्वी तट अपतटीय	36	9.23	84.1	18837.48	0.33	0.146	0.316	0.626	0.622	1.725
पश्चिम अपतटीय	82	318.75	374.6	120242.84	17.54	20.896	20.503	18.871	18.937	19.153
योग अपतटीय	118	327.98	458.8	139080.32	17.87	21.042	20.819	19.497	19.559	20.877
समग्र योग	354	563.01	687.2	199382.27	25.046	28.27	28.002	24.877	25.472	26.669

नोट: राजस्थान और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश गैस क्षेत्र कच्चे तेल से संबद्ध हैं। अपेक्षित राज्य-वार वित्तीय आंकड़े उपलब्ध है।

विवरण-III

ओआईएल: तेल और गैस क्षेत्र, शेष निकासी योग्य भंडार, संचयी निवेश और संभावित उत्पादन

राज्य	तेल एवं गैस क्षेत्र	शेष भंडार		संचयी निवेश (करोड़ रु.)	कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)			प्राकृतिक गैस का उत्पादन (बीसीएम)		
		ओआईएल (एमएमटी)	गैस (बीसीएम)		2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
असम	20	83.036	99.990	12098.190	3.870	3.950	4.020	2.713	3.524	3.724
अरुणाचल प्रदेश	1	1.005	1.090	421.920	0.050	0.050	0.040	0.002	0.002	0.002
राजस्थान	2	0.000	3.433	640.130	—	—	—	0.204	0.204	0.204
समग्र योग	23	84.041	104.513	13160.240	3.920	4.000	4.060	2.919	3.730	3.930

नोट: राजस्थान और त्रिपुरा को छोड़कर अधिकांश गैस क्षेत्र कच्चे तेल से संबद्ध हैं। अपेक्षित राज्य-वार वित्तीय आंकड़े उपलब्ध है।

विवरण-IV

निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां: तेल फील्ड, शेष निकासी योग्य भंडार, संचयी निवेश और संभावित उत्पादन

क्र. सं.	फील्ड/ब्लॉक का नाम	प्रचालक/परिसंघ भागीदार	01.04.2012 को शेष तेल भंडार (मिलियन मीट्रिक टन)	संभावित तेल उत्पादन ('000 टन) (अनुमानित)			31.03.212 तक विकास निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर)
				2012-13	2013-14	2014-15	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पीवाई-1	हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (100)	0.14	11.411	9.280	13.00	306.36
2.	पीवाई-3	हार्डी (18), ओएनजीसी (40), हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (21), टाटा पेट्रोडाइन लि. (21)	2.10	59.263	156.467	367.13	199.30
3.	राव्वा	केर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड (22.5), वीडियोकोन (25), राव्वा ऑयल प्रा.लि. (12.5) एवं ओएनजीसी (40)	5.15	1097.106	850.437	1400.00	629.58
4.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (एमए तेल)	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (60), ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लि. (30), निको (100)	4.91	495.282	410.617	500.00	1738.00
5.	एम एंड एस ताप्ती	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडेक्शन (इंडिया) लि. (30), ओएनजीसी (40) एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (30)	1.11	88.338	71.376	70.00	1279.31
6.	पन्ना एवं मुक्ता	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडेक्शन (इंडिया) लि. (30), ओएनजीसी (40) एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (30)	17.00	1149.737	1184.525	1450.00	2037.24
7.	सीबी-ओएस/2	केर्न एनर्जी इंडिया लि. (40), ओएनजीसी (50), टाटा पेट्रोडाइन लि. (10)	0.89	202.498	256.207	270.00	319.96
8.	खारसंग	जिओ-एन्प्रो (10), जुबिलेन्ट एनर्जी (25), जिओपेट्रोल (25) एवं ओआईएल (40)	2.41	123.486	194.132	110.00	56.56

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	एमगुरी	भारत सरकार द्वारा मैसर्स कनोरो का संविदा रद्द करना	0.36	0.000	0.000	0.00	2.85
10.	अस्जोल	हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (50) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (50)	0.03	0.880	0.804	1.00	1.56
11.	एल्लोरा	हेरामेक लि. यूके (30) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (70)	0.30	0.126	0.446	0.60	5.95
12.	कंवारा	हेरामेक लि. यूके (30) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (70)	0.16	2.805	5.792	5.00	15.76
13.	ढोलसन	हेरामेक लि. यूके (30) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (70)	0.58	0.268	0.246	1.00	2.75
14.	उत्तरी कथाना	हेरामेक लि. यूके (30) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (70)	0.07	0.394	4.134	2.00	6.03
15.	बक्रोल	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक. लि. (100)	1.33	14.600	19.710	15.00	21.57
16.	भंदुट	ऑयलेक्स-एनएल होल्डिंग्स (आई) लि. (40) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (60)	0.26	0.198	0.426	0.30	10.41
17.	खम्बात	आयलेक्स-एनएल (30) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (55) एवं आयलेक्स-एनएल होल्डिंग्स (आई) लि. (15)	1.06	0.619	0.620	1.40	60.58
18.	ढोल्का	जोशी टेक. इंक. (100)	0.32	27.430	31.613	20.00	40.52
19.	हजीरा	निको (33.33) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (66.67)	0.02	17.154	14.040	3.50	337.39
20.	इंदौरा	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक. लि. (100)	0.77	0.480	0.900	0.6	4.31
21.	लोहार	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक. लि. (100)	0.67	7.300	6.570	7.00	3.93

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	सांगनपुर	हाइड्रोकार्बन रिज. डेव. कं. (प्रा.) लि. (50) एवं प्राइज पेट्रोलियम (50)	0.13	0.100	1.440	0.30	2.17
23.	सीबी-ओएन/3	एस्सार ऑयल लिमिटेड (70), ओएनजीसी (30)	0.11	1.767	1.515	50.00	4.62
24.	सीबी-ओएन/7	हिंदुस्ताल ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (35), गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (35) एवं ओएनजीसी (30)	0.05	5.591	4.307	10.00	3.77
25.	साबरमती	ऑयलेक्स-एनएल होल्डिंग्स (आई) लि. (40) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (60)	0.01	0.510	0.439	0.60	0.72
26.	उन्नाव	हेरामेक लि. यूके (30) एवं गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (70)	0.01	1.449	5.044	2.00	2.88
27.	वावेल	जोशी टेक. इंक. (100)	0.18	3.250	2.882	3.00	3.19
28.	सीबी-ओएनएन-2000/1 (इंगोली)	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (50), भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (50)	0.39	49.079	39.352	150.00	13.44
29.	सीबी-ओएन/2	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (56), जिओ ग्लोबल रिर्सोसिज (14) एवं ओएनजीसी (30)	0.29	6.779	8.899	20.00	1.01
30.	आरजे-ओएन-90/1	केर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड (35) एवं केर्न एनर्जी हाइड्रोकार्बन्स लि. (35) एवं ओएनजीसी (30)	68.78	8750.000	8187.200	8100.24	3421.19
31.	आरजे-ओएन/6	फोकस एनर्जी लि. (10), आईसर्विसेज इंवेस्टमेंट लि. (65) एवं न्यूबरी ऑयल कंपनी लि. (25)	0.00	1.214	2.520	3.00	4.34
32.	ओग्नाज	सेलन एक्सप्लो. टेक.लि. (100)	0.27	0.180	0.360 2.50	0.08	
33.	कार्जिसन	सेलन एक्सप्लो. टेक.लि. (100)	0.00	0.180	0.360	0.40	2.12

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	केजी-ओएसएन-2001/3 (दीन दयाल पश्चिम)	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (80), जिओ ग्लोबल रिर्सोर्सिज (10), जुबिलेंट ऑयल एंड गैस प्रा.लि. (10)	2.60	0.00	31.614	125.00	595.18
35.	सीबी-ओएनएन-2002/1 2002/3 (मिरोली#1)	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (55), जुबिलेंट एनर्जी प्रा.लि. (20), प्राइज पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (15), जिओ ग्लोबल रिर्सोर्सिज (10)	0.03	0.00	0	0	0.00
36.	सीबी-ओएनएन- (पश्चिम पाटन#3)	ओएनजीसी (70), केर्न एनर्जी इंडिया लि. (30)	0.02	0.00	2.789	2.789	0.00
37.	सीबी-ओएनएन-2003/2 (अंकलेश्वर#21)	गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (50), भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (20) जुबिलेंट कैप्टिल प्रा.लि. (20), जिओ ग्लोबल रिसोर्सिज (10)	0.01	0.00	0.081	0.081	0.00
	योग		112.50	12119.474	11507.143	12707.44	11134.64

विशेष: प्रचालक को मोटे अक्षरों में अंकित किया गया है।

विवरण-V

प्रचालक के रूप में अन्वेषण और उत्पादन में कार्यरत कंपनियां

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां

1. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)
2. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
3. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी)
4. गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी)
5. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी)
6. गेल (इंडिया) लिमिटेड

निजी कंपनियां

7. अदानी एंटरप्राइजेज
8. एस्सार ऑयल लिमिटेड
9. एस्वीजी स्टील (गुजरात) प्रा.लि.
10. फोकस एनर्जी लि.
11. जिओ-एन्प्रो
12. हरीश चन्द्र (इंडिया) लि.
13. हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लि.
14. हाइड्रोकार्बन रिज. डेव. कं. (प्रा.) लि.
15. इंटरलिंक पेट्रोलियम
16. जय पॉलीकेम (इंडिया) लि.
17. जुबिलेंट ऑयल एंड गैस प्रा.लि.
18. मेर्काटर पेट्रोलियम
19. ओंकार नेचुरल रिर्सोर्सिज
20. पेन इंडिया कंसलटेंट्स एंड फ्रोस्ट इंटरनेशनल लि.
21. प्रतिभा ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रा.लि.
22. प्राइस पेट्रोलियम
23. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
24. क्यूस्ट पेट्रोलियम
25. वसुन्धरा रिर्सोर्सिज

विदेशी कंपनियां

26. बंगलूरु एनर्जी इंटरनेशनल, कनाडा
27. बीएचपी बिलिटन पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया
28. बीपी एक्सप्लोरेशन (एल्फा) यूके
29. ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडेक्शन (इंडिया) लि. यूके
30. केर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि. यूके
31. डीप एनर्जी एलएलसी-यूएसए
32. ईएनआई (इंडिया) लि. इटली
33. जिओग्लोबल रिसोर्सिज इंक. कनाडा/बारबोडस
34. जिओपेट्रोल इंटरनेशनल इंक., फ्रांस
35. हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडेक्शन, लि., यूके
36. हेरामेक, बहमास
37. जोशी टेक्नोलोजिज, यूएसए
38. नैफ्टोगज, रूस
39. नाइको रिसोर्सिज कनाडा
40. आयलेक्स एनएल होल्डिंग्स, आस्ट्रेलिया
41. पेट्रोगैस, ओमान
42. सेन्टोस इंटरनेशनल आपरेशन्स प्रा.लि., आस्ट्रेलिया

उर्वरकों की लागत

*82. श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न उर्वरकों के उर्वरक-वार और राज्य-वार मूल्य क्या हैं;

(ख) क्या देश में किसान अधिक कीमत के कारण उर्वरक प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) वर्तमान में यूरिया सहित विभिन्न फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन मूल्यों में स्थानीय कर शामिल नहीं हैं और देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान हैं।

(ख) और (ग) यह देखा गया है कि अप्रैल से जुलाई 2012 के दौरान पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में पीएंडके उर्वरकों की बिक्री कम रही है। पीएंडके उर्वरकों की बिक्री में कमी के मानसून की कमी और उर्वरकों के प्रचलित मूल्य सहित विभिन्न कारण हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राजसहायता प्राप्त पीएंडके उर्वरकों के सभी ग्रेडों पर वार्षिक आधार पर राजसहायता की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है।

चूंकि देश तैयार उर्वरकों अथवा इनकी कच्ची सामग्री के लिए पीएंडके उर्वरकों के आयात पर निर्भर है इसलिए पीएंडके उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य भी पीएंडके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों और इनकी कच्ची सामग्री तथा अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर पर निर्भर हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, पीएंडके उर्वरकों और इनकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सीमांत वृद्धि हुई और विनिमय दर स्थिर रही इसलिए देश में पीएंडके उर्वरकों के मूल्यों में सीमांत वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान राजसहायता दरों में वृद्धि के बावजूद पीएंडके उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि पीएंडके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और विनिमय दर में वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान, पीएंडके उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण हुई जो मार्च, 2012 में लगभग 50 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर और जून, 2012 में 56 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर से भी अधिक था।

यह देखा गया है कि पीएंडके उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः पीएंडके उर्वरकों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई है जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और यह वृद्धि भारतीय रुपए के अवमूल्यन के कारण भी हुई है।

विवरण

खरीफ मौसम 2012 के दौरान उर्वरक निम्नलिखित एमआरपी पर उपलब्ध है

क्र. सं.	उर्वरक ग्रेड	फरवरी से जुलाई, 2012 के दौरान प्रेषित उर्वरकों की एमआरपी	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4
1.	डीएपी : 18-46-0-0	13819	25316
2.	डीएपी लाइट (16-44-0-0)	13820	23729
3.	डीएपी लाइट समूह-II	18300	24800

1	2	3	4
4	11-52-0-0	11900	24200
5.	एमएपी लाइट	15140	18000
6.	टीएसपी : 0-46-0-0	17000	17000
7.	एमओपी : 0-0-60-0	11000	23100
8.	23-23-0-0	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	20-20-0-0	10100	18700
10.	28-28-0-0	14346	24720
11.	24-24-0-0	14297	16223
12.	10-26-26-0	14100	22209
13.	12-32-16	16000	22300
14.	14-28-14-0	लागू नहीं	लागू नहीं
15.	14-35-14	17429	23300
16.	15-15-15	11500	15600
17.	17-17-17	19470	20427
18.	19-19-19	13826	19470
19.	16-16-16-0	15200	15200
20.	एएस : 20.6-0-0-23	7577	11013
21.	एसएसपी	6000	10420
22.	16-20-0-13	14100	15300
23.	20-20-0-13	14135	19000
24.	एनपीके 13-33-0-6	13729	17400
25.	15-15-15-09	14851	15000
26.	यूरिया	5310	5310

मजदूरी का विलम्ब से भुगतान

***83. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी का भुगतान करने में कथित विलम्ब की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार ऐसे कितने मामलों के बारे में पता चला है तथा इससे कितने कामगार प्रभावित हुए;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। सरकार कई राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों को विलंब से मजदूरी का भुगतान किए जाने के बारे में जानती है और इसे अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौती के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय को देश में मनरेगा के कार्यान्वयन के बारे में बड़ी संख्या में सभी प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। इसके प्रारंभ होने से लेकर 31.3.2012 तक मंत्रालय को मजदूरी का विलंब से भुगतान किए जाने से संबंधित 48 शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विलंब से मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है। चूंकि राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुरूप अधिनियम का क्रियान्वयन करती हैं इसलिए मंत्रालय को मिलने वाली ऐसी सभी शिकायतें/मामले संबंधित राज्य सरकारों को विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाती हैं।

(घ) और (ङ) ऐसे विलंबों को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) मजदूरी के भुगतान में विलंब की समस्या सहित मनरेगा

के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एमजीएनआरईजीए के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए प्रबंधन एवं प्रशासनिक सहायता संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, शिकायत निवारण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के लिए अनुमेय प्रशासनिक व्यय की सीमा को 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया।

(ii) मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iii) आईएपी जिलों में, जहां बैंकों/डाकघरों की मौजूदगी काफी कम है, कतिपय शर्तों के अधीन अंतरिम व्यवस्था के रूप में मजदूरी का नकद भुगतान किए जाने की मंजूरी दी गई है।

(iv) मजदूरी वितरण की संस्थागत पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए यह तय किया गया है कि राज्य सरकारें ग्राम स्तर पर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ बैंकों के जरिए मजदूरी भुगतान करने के लिए बिजनेस कॉरसपोंडेंट मॉडल लागू करें।

(v) महात्मा गांधी नरेगा के लिए निधियों के प्रबंधन में और अधिक लचीलापन लाने के लिए राज्यों को राज्य रोजगार गारंटी निधि बनाने के अनुदेश दिए गए हैं।

(vi) भुगतान में विलंब को रोकने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक एडवाइजरी जारी की गई हैं। प्रशासनिक विलंब से बचने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मजदूरी के भुगतान के लिए एक समय तालिका बनाने का सुझाव दिया गया है।

विवरण

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार मनरेगा रिपोर्ट के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिली शिकायतें

क्र. सं.	राज्य	भुगतान में विलंब
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	4
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखंड	2
12.	कर्नाटक	0
13.	केरल	0
14.	लक्षद्वीप	0
15.	मध्य प्रदेश	6
16.	महाराष्ट्र	1
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	ओडिशा	3
22.	पंजाब	1
23.	पुदुचेरी	0
24.	राजस्थान	5

1	2	3
25.	तमिलनाडु	0
26.	त्रिपुरा	0
27.	उत्तर प्रदेश	13
28.	उत्तराखंड	2
29.	पश्चिम बंगाल	3
30.	सिक्किम	0
	कुल	48

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी

***84. श्री आर. ध्रुवनारायण :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई विशेष छूट प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत सृजित किए गए श्रम दिवसों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की भागीदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अकुशल शारीरिक श्रम कार्य की मांग के आधार पर एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। महात्मा गांधी नरेगा की समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूची-I में विभिन्न प्रकार के कार्यों की सूची दी गई है, जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत बनाई गई योजनाओं में शामिल किया जाएगा। अधिनियम की अनुसूची-I में मनरेगा के तहत् निम्नलिखित क्रियाकलापों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की भूमि या वासभूमि पर शुरू किए जाने का भी प्रावधान है:—

(i) सिंचाई सुविधा, खेतों में खोदे गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, मेंढ़बंधन और भूमि विकास का प्रावधान;

(ii) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, कर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्यार जैसे कृषि संबंधी कार्य;

(iii) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, गोपशुओं के लिए पक्का फर्श, यूरिन टैंक तथा चारे की नांद का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी कार्य;

(iv) तटीय क्षेत्रों में मछली सुखाने के यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे कार्य;

(v) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य;

(vi) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों आदि जैसे ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कार्य।

उपर्युक्त कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जाएंगे:—

(i) परिवारों के पास जॉब कार्ड होगा; और

(ii) लाभार्थी अपनी भूमि या वासभूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य करेंगे।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों की भागीदारी

क्र. सं.	राज्य	अनुसूचित जाति श्रम दिवस (लाख)			अनुसूचित जनजाति श्रम दिवस (लाख)		
		2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (3.8.2012 तक)	2010-11	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (3.8.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	815.03	774.17	440.24	537.08	531.97	258.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.00	28.09	0.53	0.01
3.	असम	51.74	19.62	3.37	128.26	80.09	8.51
4.	बिहार	727.52	161.56	56.87	34.27	11.40	4.20
5.	छत्तीसगढ़	161.76	116.09	48.52	405.43	452.23	148.47
6.	गुजरात	71.53	24.47	8.89	202.51	126.52	39.45
7.	हरियाणा	41.20	54.40	12.47	0.00	0.02	0.01
8.	हिमाचल प्रदेश	71.51	80.04	16.88	17.97	16.31	3.01
9.	जम्मू और कश्मीर	15.19	13.96	0.73	52.85	31.31	1.21
10.	झारखंड	111.71	77.54	24.01	349.65	239.37	78.77
11.	कर्नाटक	177.40	110.21	4.83	102.72	58.10	2.65
12.	केरल	77.90	92.94	19.62	14.89	15.14	3.57
13.	मध्य प्रदेश	425.18	344.87	68.86	955.02	453.23	90.23
14.	महाराष्ट्र	44.01	44.67	7.08	51.12	123.08	19.61
15.	मणिपुर	7.63	1.31	0.08	208.81	156.27	0.58
16.	मेघालय	0.75	1.08	0.03	188.85	155.16	10.83
17.	मिजोरम	0.00	0.17	सू.न.	165.71	124.86	सू.न.

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	नागालैंड	0.00	1.57	0.00	334.34	240.32	14.72
19.	ओडिशा	177.03	79.38	44.34	347.21	173.22	69.28
20.	पंजाब	59.03	49.94	10.39	0.01	0.02	0.00
21.	राजस्थान	771.56	355.75	191.89	704.60	519.14	312.44
22.	सिक्किम	5.79	1.49	0.14	19.21	11.86	0.94
23.	तमिलनाडु	1550.06	871.11	399.31	58.71	38.64	17.87
24.	त्रिपुरा	67.22	88.16	12.42	162.71	205.70	33.67
25.	उत्तर प्रदेश	1807.02	866.87	139.99	70.48	33.24	3.79
26.	उत्तराखंड	60.70	36.41	1.64	9.76	5.70	0.22
27.	पश्चिम बंगाल	573.32	498.07	194.39	208.30	153.02	46.10
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.55	0.30	0.00
29.	दादरा और नगर हवेली	0.00	सू.न.	सू.न.	0.47	सू.न.	सू.न.
30.	दमन और दीव	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
31.	गोवा	0.15	0.10	0.01	0.90	0.66	0.01
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	1.34	1.62	0.10
33.	पुदुचेरी	3.70	3.72	0.83	0.01	0.01	0.00
34.	चंडीगढ़	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.
	कुल जोड़	7875.65	4769.69	1707.83	5361.83	3959.05	1169.02

सू.न. – सूचित नहीं किया गया।

जलाशयों के जल स्तर में गिरावट

*85. **श्री सर्वे सत्यनारायण :**

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमजोर मानसून के कारण जलाशयों में जल के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जलाशयों की अवस्थिति और 2009 के स्तर की तुलना में उनकी भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल समुद्र में छोड़ा जा रहा है तथा बर्बाद हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भंडारण क्षमता में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जलाशयों/जल निकायों में जल स्तर की स्थिति सुधारने के लिए राज्यों के साथ समन्वय पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 84 महत्वपूर्ण जलाशयों, जिनकी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रति सप्ताह निगरानी की जाती है, के संभरण के अनुसार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में जलाशयों का संभरण पूर्ववर्ती दस वर्ष के औसत संभरण से कम है। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में संभरण अधिक है।

(ख) 84 महत्वपूर्ण जलाशयों, जिनकी साप्ताहिक भंडारणों की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निगरानी की जाती है, तथा दिनांक 08.08.2012 तथा 06.08.2009 की स्थिति के अनुसार इनके संबंधित भंडारणों की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मानसून के आने में विलंब होने तथा इसके असमान स्थानिक वितरण होने की भी संभावना जिससे कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने के मद्देनजर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 जुलाई, 2012 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शिका जारी की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जलाशयों में उपलब्ध जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा जहां तक आवश्यक हो स्थिति का सामना करने के लिए भूमि जल का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

दिनांक 08.08.2012 तथा 06.08.2009 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निगरानी किए गए 84 जलाशयों की सक्रिय संभरण क्षमता की स्थिति

क्र. सं.	जलाशय का नाम	राज्य	सक्रिय संभरण क्षमता (मिलियन घन मीटर)		
			पूर्ण जलाशय स्तर पर कुल भंडारण क्षमता	08.08.2012 को	06.08.2009 को
1.	2	3	4	5	6
1.	सिरीसेलम	आंध्र प्रदेश	8.288	1.065	3.669
2.	नागार्जुन सागर		6.841	1.17	0.674
3.	श्रीरामसागर		2.300	0.326	0.000
4.	सोमासिला		1.994	0.586	0.229
5.	निचली मानेर		0.621	0.14	0.076
6.	तेनुघट	झारखंड	0.821	0.229	0.262
7.	मैथन		0.471	0.261	0.122

1	2	3	4	5	6
8.	पंचेट हिल		0.184	0.184	0.110
9.	कोनार		0.176	0.111	0.032
10.	तिलैया		0.142	0.084	0.015
11.	उकई	गुजरात	6.615	3.681	2.219
12.	साबरमती (धरोई)		0.735	0.237	0.185
13.	कदाना		1.472	0.655	0.792
14.	शेतरुंजी		0.300	0.015	0.166
15.	भादर		0.188	0.004	0.049
16.	दमनगंगा		0.502	0.298	0.150
17.	दंतीवाड़ा		0.399	0.065	0.012
18.	पानम		0.697	0.454	0.223
19.	सरदार सरोवर		1.566	1.566	1.002
20.	करजन		0.523	0.137	0.326
21.	गोबिंद सागर (भाखड़ा)	हिमाचल प्रदेश	6.229	2.316	2.028
22.	पोंग बांध		6.157	1.85	0.959
23.	कृष्णाराजा सागर	कर्नाटक	1.163	0.064	1.159
24.	तुंगभद्रा		3.276	1.423	2.915
25.	घाटप्रभा		1.391	0.487	1.295
26.	भदरा		1.785	0.691	1.671
27.	लिंगनमक्की		4.294	1.139	3.365
28.	नारायणपुर		0.863	0.824	0.793
29.	मालप्रभा (रेनुका)		0.972	0.105	0.572
30.	कबिनी		0.275	0.163	0.247

1	2	3	4	5	6
31.	हेमावथी		0.927	0.475	0.912
32.	हरंगी		0.220	0.201	0.217
33.	सुपा		4.120	1.181	1.980
34.	वनिविलास सागर		0.802	0.187	0.028
35.	अलमट्टी		3.105	2.621	2.855
36.	गेरूसोप्पा		0.130	0.106	0.106
37.	कलाडा (परापर)	केरल	0.507	0.103	0.226
38.	इडमल्यार		1.018	0.186	0.561
39.	इदुक्की		1.460	0.248	0.615
40.	कक्की		0.447	0.084	0.310
41.	पेरियार		0.173	0.045	0.088
42.	गांधी सागर	मध्य प्रदेश	6.827	1.938	0.641
43.	तवा		1.944	1.882	1.611
44.	बारगी		3.180	2.436	0.711
45.	बाणसागर		5.166	3.661	0.348
46.	इंदिरा सागर		9.745	7.685	3.581
47.	मिनीमाता बांगो	छत्तीसगढ़	3.046	2.277	1.156
48.	महानदी		0.767	0.562	0.304
49.	जयाक्वादी (पैथन)	महाराष्ट्र	2.171	0	0.329
50.	कोयना		2.652	2.066	2.239
51.	भीमा (उज्जैनी)		1.517	0	0.578
52.	इसापुर		0.965	0.368	0.000
53.	मुला		0.609	0.237	0.234

1	2	3	4	5	6
54.	येलदरी		0.809	0.008	0.000
55.	गिरना		0.524	0.008	0.091
56.	खड़कवासला		0.056	0.056	0.056
57.	उपरी वैतरणा		0.331	0.189	0.185
58.	उपरी तापी		0.255	0.093	0.068
59.	पेंच (टोटलादोह)		1.091	0.487	0.647
60.	उपरी वर्धा		0.564	0.324	0.331
61.	हीराकुड	ओडिशा	5.378	2.559	1.327
62.	बलीमेला		2.676	0.507	0.377
63.	सालंदी		0.558	0.075	0.065
64.	रेंगाली		3.432	1.349	0.980
65.	मैककुंड (जलपुट)		0.893	0.386	0.415
66.	उपरी कोलाब		0.935	0.309	0.202
67.	उपरी इन्द्रावती		1.456	0.812	0.785
68.	थीन	पंजाब	2.344	0.713	0.610
69.	माही बजाब सागर	राजस्थान	1.711	0.914	0.440
70.	झाकम		0.132	0.033	0.033
71.	राणा प्रताप सागर		1.436	0.906	0.564
72.	निचली भवानी	तमिलनाडु	0.792	0.034	0.452
73.	मेतुर (स्टेनले)		2.647	1.023	1.714
74.	वैगई		0.172	0.02	0.042
75.	परांबीकुलम		0.380	0.207	0.286
76.	अलियर		0.095	0.022	0.092

1	2	3	4	5	6
77.	शोलायर		0.143	0.073	0.140
78.	गुमती	त्रिपुरा	0.312	0.102	0.097
79.	माताटिला	उत्तर प्रदेश	0.707	0.536	0.175
80.	रिहंद		5.649	1.261	0.954
81.	रामगंगा	उत्तराखंड	2.196	0.65	0.114
82.	टेहरी		2.615	1.542	0.942
83.	म्यूराक्षी	पश्चिम बंगाल	0.480	0.13	0.089
84.	कंगसाबती		0.914	0.275	0.093
84 जलाशयों का कुल			154.421	64.482	57.313
कुल सक्रिय भंडारण क्षमता की तुलना में भंडारण प्रतिशतता				42	37

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

***86. प्रो. रामशंकर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, नागरिक और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रावधानों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या आगरा कैंट सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ऐसी सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त रेलवे स्टेशनों पर भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां-कहीं भी पानी की कमी होती है, वहां टैंकरों के जरिए सप्लाई पूरी की जाती है।

21.07.2010 में शुरू की गई नई खान-पान नीति, 2010 में एक समावेशी अवधारणा अपनाई गई है, जिसमें निम्न श्रेणी के यात्रियों के साथ-साथ उच्च श्रेणी के यात्रियों को भी खान-पान सुविधाएं सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व के आधार पर मुहैया कराई जाती हैं। इस नीति में किफायती दरों पर गुणवत्तापरक और स्वास्थ्यकर भोजन की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। स्टैंडड भोजन, नाश्ता, चाय/काफी जैसी वस्तुओं और स्टेशनों पर खान-पान इकाइयों के जरिए अन्य अलग-अलग वस्तुओं के लिए एकसमान दूर-सूची और मेन्यू अधिसूचित किया गया है। जनता भोजन की बिक्री और सस्ती दरों पर क्षेत्रीय किफायती भोजन के लिए जन आहार आऊटलेट स्थापित किए गए हैं।

साफ-सफाई के मानदंडों में सुधार लाने के उद्देश्य से रेलों ने प्रौद्योगिकी को अपनाकर, उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करके और मशीनीकृत उपकरण मुहैया कराकर बहुविधि कार्रवाई की है। इन सुविधाओं की उपलब्धता की निगरानी के लिए रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। बहरहाल, विभिन्न स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था, सुधार और संवर्द्धन एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) गाड़ियों और रेल परिसरों में भिखारियों को आने से रोकने के लिए रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से टिकट चैकिंग स्टाफ द्वारा नियमित अभियान चलाए जाते हैं। किसी भी भिखारी के दिखाई देने पर उन्हें स्टेशनों और गाड़ियों से बाहर निकाल दिया जाता है।

एथनॉल को मिलाया जाना

*87. **श्री पी.सी. मोहन :**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिलाए जाने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथनॉल की प्रतिशतता बढ़ाने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) सरकार ने दिनांक 16.8.2010 को निर्णय लिया है कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित मूल्य पर विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई एथनॉल की समग्र मात्रा; एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए 10 प्रतिशत की सीमा तक समाविष्ट कर ली जाएगी।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एथनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ईएमएआई) और संसद सदस्यों (लोक सभा) से ईबीपी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, एथलॉन की आपूर्ति की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान में 13 राज्यों और 3 संघ-शासित क्षेत्रों में केवल 5 प्रतिशत ईबीपी कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन है। 5 प्रतिशत ईबीपी कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल करने के बाद ही पर्याप्त मात्रा में एथनॉल की उपलब्धता की शर्त पर एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

राज्य सरकारों से ईबीपी कार्यक्रम हेतु एथनॉल की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मंजूरियां शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत सुधार

*88. **डॉ. अनूप कुमार साहा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार के किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का मनरेगा के अंतर्गत प्रबंध सूचना प्रणाली को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने का विचार है ताकि धोखाधड़ी वाले लेन-देनों की प्रथा को रोका जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का लाभार्थियों को सीधे लाभ प्रदान में बिचौलियों की भूमिका को किस प्रकार से समाप्त करने का विचार है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत श्रम-बजटिंग हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की समय-समय पर यथा-संशोधित अनुसूची-I में उन कार्यों की श्रेणियों की सूची दी गई है, जिन पर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं में ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल कार्यकलाप की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम के कारगर प्रबंधन और मनरेगा में यथा-अधिदेशित प्रकटीकरण मानकों की पूर्ति करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) लगाई गई *(www.mgnrega.gov.in)* है। इस अधिनियम द्वारा अधिदेशित या इसके तहत कानूनी प्रक्रियाओं की अपेक्षाओं के

अनुसार ही यह प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार की गई है। वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन के सभी आंकड़े सार्वजनिक किए जाने होते हैं। यह प्रावधान मनरेगा के कार्यान्वियन में पारदर्शिता लाता है, कार्यान्वियन की कमियों की निगरानी में मदद करता है और इस प्रणाली में आंकड़े दर्ज करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को गलत काम करने से रोकता है। कामगारों की पात्रता के मानकों जैसे सभी महत्वपूर्ण पैरामीटरों और पंजीकरण, जॉब कार्डों, मास्टर रोलों, अनुमोदित एवं स्वीकृत कार्यों, किए जा रहे कार्यों की सूची, पैमाइश जैसे दस्तावेज, प्रदान किए गए रोजगार, मजदूरी के भुगतान जैसे वित्तीय संसूचक इत्यादि एमआईएस में दर्शाए जाते हैं और दर्ज किए गए आंकड़ों की वैधता जांचने के प्रावधान भी इस प्रणाली में हैं, ताकि इसमें गलत आंकड़े दर्ज न किए जा सकें। एमआईएस में दर्ज आंकड़े आम जनता देख सकती है।

(घ) कदाचारों को कम करने और सीधे लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने के लिए वेब-आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली के उपयोग के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने और मजदूरी के भुगतान में ईमानदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मनरेगा की अनुसूची-II में यह संशोधन किया गया है कि यदि विशेष रूप से छूट न दी गई हो तो बैंकों या डाकघरों में खोतों के जरिए मनरेगा कामगारों को मजदूरी को वितरण को अनिवार्य किया जाए। कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतरिम व्यवस्था के रूप में समेकित कार्य योजना जिलों में नकद मजदूरी के भुगतान की अनुमति दी गई है, जहां बैंकों/डाकघरों की कमी है।

(iii) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से महात्मा गांधी नरेगा योजनाओं की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 अधिसूचित की गई है। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करने के लिए इस नियमावली में यथा-निर्धारित सशक्त सामाजिक लेखा परीक्षा व्यवस्था स्थापित करें।

(ङ) अधिनियम की धारा 14(6) में यह प्रावधान है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक हर वर्ष के दिसम्बर महीने में अगले वित्तीय कार्य का श्रम बजट तैयार करेगा, जिसमें उस जिले में अकुशल शारीरिक कार्य की अनुमानित मांग का ब्यौरा और योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में मजदूरों को लगाने की योजना शामिल होंगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक वह श्रम बजट जिला पंचायत को प्रस्तुत करेगा। मनरेगा की धारा (16)1 में यह प्रावधन है कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्रों में योजना के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का निर्धरण करने के लिए जिम्मेदार होंगी। इन परियोजनाओं का निर्धारण ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। मनरेगा की धारा 13(1) में यह प्रावधान हे कि इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वियन के लिए जिला, मध्यवर्ती अर ग्राम स्तरीय पंचायतें ही प्रमुख प्राधिकरण होंगी।

विवरण

मनरेगा की अनुसूची-I (पैरा-1ख) में शामिल
किए गए क्रियाकलापों की सूची

(i) जल संरक्षण और जल संचयन जिसमें कन्टूर ट्रैंचें, कन्टूर बांध, बोल्डर चैक, गैबियन स्ट्रक्चर्स, अंडरग्राउंड डाइक्स, मिट्टी के बांध, रोधन बांध और स्प्रिंगशेड डेवलपमेंट शामिल हैं;

(ii) सूखा-रोधन जिसके अंतर्गत वनरोपण एवं वृक्षारोपण हैं;

(iii) सिंचाई नहरें, जिनके अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;

(iv) अनुसूची-I के पैरा 1ग में विनिर्दिष्ट परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, खेत में खोदे जाने वाले तालाब, बागवानी, पौधरोपण, खेतों की मेढ़बंदी और भूमि विकास;

(v) परंपरागत जल निकायों का नवीकरण, जिसमें तालाबों का शुद्धिकरण भी है;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य, जिसमें फ्लड चैनलों को गहरा करने और उनकी मरम्मत करने सहित जलभराव वाले क्षेत्रों में जन निकासी, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टार्म वाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल हैं;

(viii) जहां कहीं आवश्यक हो गांव में पुलिया और सड़कों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी संपर्क सड़क उपलब्ध कराना;

(ix) ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण;

(x) एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, लिक्विड बायो-मैन्योर जैसे कृषि संबंधी कार्य;

(xi) मवेशियों से संबंधित कार्य, जैसे कि पोल्ट्री शेल्टर, गोट शेल्टर, मवेशियों के लिए पक्के फर्श, यूरिन टैंक और चारे की मांद का निर्माण, मवेशियों के खाद्य अनुपूरक के रूप में अजोला;

(xii) मत्स्य पालन से संबंधित कार्य, जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्यपालन;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में कार्य, जैसे कि फिश ड्राइंग यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन;

(xiv) ग्रामीण पेयजल संबंधी कार्य, जैसे कि सोख्ते गड्ढे, पुनर्भरण गड्ढे;

(xv) ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य, जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, स्कूलों में शौचालय, आंगनवाड़ियों में शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन;

(xvi) कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु धनराशि का आबंटन/जारी किया जाना

***89. डॉ. संजय जायसवाल : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बिहार में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई तथा इस धनराशि का किन-किन शीर्षों के अंतर्गत उपयोग किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए जिलों में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु कुक्कुट पालन आदि जैसी योजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बिहार में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आबंटित/निर्मुक्त राशि नीचे दी गई है:—

शैक्षिक सशक्तिकरण :

करोड़ रु. (31.07.2012 की स्थिति के अनुसार)

वर्ष	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना		मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना		मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना		मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	
	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि	आबंटित निधि	निर्मुक्त निधि	आबंटित निधि	छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009-10	वित्तीय आबंटन	9.22	वित्तीय आबंटन	3.80	वित्तीय आबंटन	8.68	वित्तीय आबंटन राज्य-वार नहीं	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य-वार नहीं किए जाते		राज्य-वार नहीं किए जाते		राज्य-वार नहीं किए जाते		किए जाते। अध्येतावृत्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से छात्रों के खाते में सीधे अंतरित की जाती हैं।	
2010-11	27.39	34.12	16.83	15.96		9.46		108
2011-12	43.08	29.01	32.15	25.49		9.98		163
2012-13	64.66	0.00*	35.89	0.00*		0.00*		0.00*

*2009-10 और 2010-11 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों का उपयोग कर लिया गया है। चूंकि 2011-12 के दौरान निधियों के उपयोग के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है, इसलिए 2012-13 में निधियां निर्मुक्त नहीं की गई हैं।

निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

बिहार के लिए निर्मुक्त एवं उपयोग की गई निधियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	धनराशि
1	2
2009-10	13,00,750 रु.
2010-11	84,69,500 रु.
2011-12	2,69,90,000 रु.
2012-13	शून्य

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित/निर्मुक्त और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आबंटन	13.08.2012 तक मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त राशि	31.07.2012 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य द्वारा उपयोग
2009-10	523.20 (2009-10 से 2011-12)	105.03	97.21
2010-11		122.50	87.00
2011-12		265.57	39.57
2012-13	—	18.42	0.00

वक्फ अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों की कंप्यूटरीकरण योजना, जो वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की गई थी, के अंतर्गत 2010 के दौरान बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड (बीएसएसयूडब्ल्यूबी) और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड (बीएसएसडब्ल्यूबी) प्रत्येक को 27.10 लाख रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड ने उन्हें जारी की गई धनराशि में से क्रमशः 12.10 लाख रु. और 17.50 लाख रु. राशि का उपयोग कर लिया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत बिहार की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निर्मुक्त की गई निधियां और उनके उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(लाख रुपए)

वर्ष	आवधिक ऋण	
	निर्मुक्त	प्रयुक्त
2009-10	0.00	0.00
2010-11	789.00	789.00
2011-12	438.00	0.00
2012-13 (31.7.2012 तक)	0.00	0.00

प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम:

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा अलग से संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) अल्पसंख्यकों के लिए कुक्कुट पालन को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसे कार्य के लिए आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत बिहार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से एनएमडीएफसी से वित्तीय सहायता ली जा सकती है।

विवरण

11वीं योजना अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल अन्य मंत्रालयों की योजनाओं का निष्पादन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित हैं						
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)						
(i) निर्मित प्राइमरी स्कूल	1417	1217	0	0	0	0
(ii) निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूल	0	0	0	0	0	0
(iii) निर्मित अतिरिक्त कक्ष	1897	1897	3912	3594	17933	13199
(iv) शिक्षकों के स्वीकृत पद	2124	2000	2517	0	13177	1837

1	2	3	4	5	6	7
(v) खोले गए नए प्राइमरी स्कूल	0	0	345	345	823	611
(vi) खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूल	708	708	433	433	209	128
(vii) स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	76	72	राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं		1	0

महिला और बाल विकास मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित हैं						
समन्वित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन	0	0	1706	0	1706	0

ग्रामीण विकास मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित हैं						
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (आजीविका)	35109	16839	41740	20800	37735	10110
इंदिरा आवास योजना	164700	155573	113836	155118	110623	141775
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं						(करोड़ रुपए)
इंदिरा आवास योजना	576.45	456.62	512.26	471.67	500.39	433.14

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित हैं						
छोटे-छोट उद्यम स्थापित करने के स्वर्णजंयती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	155	0	155	160	527	192

1	2	3	4	5	6	7
स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण	1243	0	1243	1864	2101	34
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं						(करोड़ रु.)
स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	1.39	0.00	1.53	0.63	1.54	0.00

उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों को निधियों/लाभों के प्रवाह की निगरानी की जाती हैं (करोड़ रु.)

	2009-10		2010-11		2011-12	
	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत
शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं	709.98	11.57	709.98	11.57	709.98	11.57
समन्वित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	294.2	67.82	431.85	98.37	431.85	98.37

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं						(करोड़ रु.)
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	1790.25	1426.53	2212.9	2387.64	2984.70	2927.39

श्रम और रोजगार मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं						(करोड़ रु.)
आईटीआई संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन	1.8721	0	5.4517	0	5.3343	1.596

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के के परियोजना लागत	2010-11 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के के परियोजना लागत	2011-12 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के के परियोजना लागत
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों को निधियों/लाभों के प्रवाह की निगरानी की जाती हैं			(करोड़ रु.)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5822 आवासों को कवर करते हुए 35.92 करोड़ रु.	3500 आवासों को कवर करते हुए 21.06 करोड़ रु.	2621 आवासों को कवर करते हुए 39.53 करोड़ रु.

शहरी विकास मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2009-10 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के के परियोजना लागत	2010-11 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के के परियोजना लागत	2011-12 अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के के परियोजना लागत
उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों को निधियों/लाभों के प्रवाह की निगरानी की जाती हैं			(करोड़ रु.)
शहरी अवसंरचना एवं शासन	राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं	59.49	36.26

[अनुवाद]

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार

*90. **श्री अम्बिका बनर्जी : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कितनी होती है और इसके अंतर्गत कितने परिवारों को कवर किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पेयजल योजना के अंतर्गत और गांवों को शामिल करने का है; यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा और उनमें सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का स्तर और परिवारों की कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय बसावटों की संख्या के आधार पर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की कवरेज की निगरानी करता है। मौजूदा वर्ष (2012-13) में आंशिक रूप से कवर की गई 75000 और जल की गुणवत्ता की समस्या से प्रभावित 25000 बसावटों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

(ग) और (घ) मौजूदा पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत पाइपों द्वारा जलापूर्ति प्रणालियों के जरिए जलापूर्ति करते हुए, ग्रामीण स्वच्छता के साथ पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के तालमेल को बढ़ावा देते हुए और जापानी इन्सेफेलाइटिस/एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित जिलों में पेयजल स्रोतों में रासायनिक संदूषण विशेष आर्सेनिक फ्लोराइड और जैविक संदूषण से निपटने के लिए 5% निधियां निर्धारित करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा स्तरों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने पर जोर दिया जाएगा।

विवरण

जनगणना 2011 के अनुसार विभिन्न स्रोतों से पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों के प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	नल द्वारा जालपूर्ति	ढके हुए कुंए	हैंड पंप/ नलकूप	अन्य स्रोत
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	63.90	1.90	12.80	21.40
2.	हिमाचल प्रदेश	89.50	1.50	4.20	4.80
3.	पंजाब	51.00	0.20	46.60	2.20
4.	चंडीगढ़	96.70	0.10	2.60	0.60
5.	उत्तराखंड	68.20	0.70	24.00	7.10
6.	हरियाणा	68.80	0.70	25.00	5.50
7.	दिल्ली	81.30	0.10	13.70	4.90
8.	राजस्थान	40.60	1.20	37.50	20.70
9.	उत्तर प्रदेश	27.30	0.60	67.90	4.20
10.	बिहार	4.40	0.70	89.60	5.30
11.	सिक्किम	85.30	0.40	0.10	14.20
12.	अरुणाचल प्रदेश	65.50	1.40	13.10	20.00
13.	नागालैंड	47.20	6.60	6.70	39.50
14.	मणिपुर	38.60	2.80	6.80	51.80
15.	मिजोरम	58.70	2.00	1.70	37.60
16.	त्रिपुरा	33.20	2.90	34.30	29.60
17.	मेघालय	39.30	6.90	5.40	48.40
18.	असम	10.50	1.70	59.40	28.40
19.	पश्चिम बंगाल	25.40	0.70	66.80	7.10

1	2	3	4	5	6
20.	झारखंड	12.90	1.90	47.30	37.90
21.	ओडिशा	13.80	2.20	61.40	22.60
22.	छत्तीसगढ़	20.70	0.80	65.60	12.90
23.	मध्य प्रदेश	23.40	1.10	54.60	20.90
24.	गुजरात	69.00	2.30	21.20	7.50
25.	दमन और दीव	75.20	0.50	23.50	0.80
26.	दादरा और नगर हवेली	46.50	1.40	45.00	7.10
27.	महाराष्ट्र	67.90	2.20	15.50	14.40
28.	आंध्र प्रदेश	69.90	0.50	20.60	9.00
29.	कर्नाटक	66.10	1.00	21.50	11.40
30.	गोवा	85.40	4.00	0.30	10.30
31.	लक्षद्वीप	20.30	6.90	2.50	70.30
32.	केरल	29.30	14.70	4.20	51.80
33.	तमिलनाडु	79.80	1.20	12.80	6.20
34.	पुदुचेरी	95.30	0.10	2.50	2.10
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	85.00	0.70	0.80	13.50
	भारत	43.50	1.60	42.00	12.90

रेल संरक्षा निधि

*91. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने समपारों के उन्नयन तथा सड़क ऊपरी पुलों तथा निचले पुलों (अंडर ब्रिज) के निर्माण के लिए निर्धारित रेलवे संरक्षा निधि का अल्प उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा हाथ में लिए गए उन मामलों की संख्या कितनी है जो अभी भी लंबित है;

(ग) क्या हाल ही में रेल संरक्षा निधि के उपयोग के संबंध में ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनमें गंभीर टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) और (ख) आबंटन की तुलना में सड़क संरक्षा निधि की उपयोगिता निम्नानुसार है:–

वर्ष	निधियों का आबंटन (करोड़ रुपयों)	व्यय (करोड़ रुपयों)	प्रतिशत उपयोगिता
2009-10	1458.36	807.17	55.35
2010-11	1700.00	1101.45	64.79
2011-12	2000.00	1329.05	66.45

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि निधियों की प्रतिशत उपयोगिता में प्रतिवर्ष नियमित रूप से वृद्धि हो रही है और इस समय प्रतिशत उपयोगिता लगभग 67% है। सड़क संरक्षा निधि की उपयोगिता राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग पर भी निर्भर करती है। आरओबी/आरयूबी की प्रगति अधिकतर बाधित हुई है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं:–

- राज्य के बजट में तदनुरूपी कार्य की स्वीकृत में देरी।
- राज्य सरकार द्वारा निधि का अपर्याप्त रूप से आबंटन।
- राज्य सरकार द्वारा सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) और अनुमानों को प्रस्तुत न करना।
- पहुंच मार्गों के सरेखण में बार-बार बदलाव।
- पहुंच मार्गों के कार्यों की निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी।
- पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए विवाद मुक्त भूमि उपलब्ध न होना।
- आरयूबी के लिए भविष्य में सड़क एवं नालों के रखरखाव के लिए वचनबद्धता न देना।
- समपारों को बंद करने की सहमति में देरी।

पिछले तीन वर्षों में सड़क सुरक्षा कार्यों की उपलब्धियों की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार है:–

वर्ष	लागत में हिस्सेदारी (केवल रेलवे का हिस्सा) के आधार पर आरओबी का निर्माण		रेलों द्वारा भूमिगत पैदल पारपथों का निर्माण	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2009-10	70	80	139	102
2010-11	75	67	417	384
2011-12	80	83	677	653

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आरओबी (रेलों का हिस्सा) और आरयूबी के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को विगत में कमोबेश प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) और (घ) रेल संबंधी स्थायी समिति ने सड़क संरक्षा निधि की उपयोगिता के बारे में टिप्पणी की है। समिति के निर्देशों के अनुसार निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए आरओबी/आरयूबी के निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:–

- अनंतिम जीएडी को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार सहित सर्व संबंधितों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण।
- राज्य सरकार को चेक लिस्ट और जीएडी की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश जारी करना ताकि रेलवे को राज्य सरकारों से कोई पुन: पत्र-व्यवहार न करना पड़े।
- डिजाइन में देरी से बचने के लिए विभिन्न स्पैनों के लिए ड्राइंग का मानकीकरण।
- रेलवे की ओर से जीएडी के सिंगल विन्डो क्लियरेंस के लिए नोडल अधिकारी को मनोनीत करना।
- पुल के प्री-कास्ट/प्री-फेब्रिकेटेड उपकरणों का उपयोग।
- पहुंच मार्गों के साथ-साथ रेल पुलों के निर्माण के लिए एक ही एजेंसी की नियुक्ति करना।

मनरेगा का मूल्यांकन

*92. **श्री पी. लिंगम :**
श्री जोस के. मणि :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में धनराशि/संसाधनों के कथित अन्यत्र उपयोग (लीकेज) और दुरुपयोग की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या हाल ही में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा मनरेगा के कार्यान्वयन और इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया था; और

(च) यदि हां, तो मनरेगा के संबंध में किए गए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रभाव पर विगत में कराए गए अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि मांग के आधार पर ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक के मजदूरी रोजगार की गारंटी देने वाले इस मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से जल और मृदा संरक्षण उपाय बेहतर हुए हैं, बंजरभूमि को उपजाऊ बनाकर खेती योग्य जमीन का विस्तार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप कृषि की उत्पादकता बढ़ी है। इससे ग्रामीण मजदूरों की मोलतोल की शक्ति भी बढ़ी है और मुसीबत के समय ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन में कमी आई है। इन अध्ययनों की मुख्य सिफारिशों/सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी के भुगतान में होने वाले विलंब को दूर करना, परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना, सशक्त मांग प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना, जमीनी स्तर पर प्रभावी भागीदारीपूर्ण नियोजन, योजनाओं की समग्र निगरानी में सुधार आदि शामिल हैं। मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए डॉ. मिहिर शाह, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने इन सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मनरेगा के परिचालन दिशा-निर्देशों के मसौदे में उपयुक्त ढंग से शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को मनरेगा के अंतर्गत निधियों के दुर्विनियोजन, भ्रष्टाचार और वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में निर्वाचित प्रतिनिधियों और आम जनता से पत्र/शिकायतें मिलती हैं। मंत्रालय में प्राप्त ऐसी सभी शिकायतें/पत्र कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं क्योंकि मनरेगा की धारा 4 के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। गंभीर किस्म की शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता (एनएलएम) भी तैनात किए जाते हैं। उनकी जांच पड़ताल पूरी होने पर उनकी रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और इसके निष्कर्ष संबंधित राज्य सरकारों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भेज दिए जाते हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से महात्मा गांधी नरेगा योजना लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया गया है। सभी राज्यों से इन नियमों के अनुरूप सुदृढ़ सामाजिक लेखा-परीक्षा व्यवस्था स्थापित करने को कहा गया है।

(ii) समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, पारदर्शिता लाने, मजदूरी भुगतान में ईमानदारी लाने के लिए एमजीएनआईजी अधीनियम की अनुसूची-II को संशोधित किया गया है ताकि बैंक अथवा डाकघर में खोले गए खातों के लिए एमजीएनआरईजीए कामगारों को मजदूरी का वितरण किया जा सके।

(iii) जॉब कार्ड, मास्टर रोल, मांगे गए रोजगार एवं किए गए कार्यदिवस, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां, सामाजिक लेख्खा परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायतों के पंजीकरण आदि सहित सार्वजनिक समीक्षा के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी आधारित एमआईएस लागू की गई है।

(iv) शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।

(v) योजना की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला सतरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीपीआईपी) ने हाल ही में मनरेगा के कार्यान्वियन और प्रभाव पर कोई सरकारी अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, डीपीआईपी में नियुक्त अधिकारी द्वारा "ट्रेडऑफ ऑफ वर्कर्स बिटवीन मनरेगा एंड मैन्यूफैक्चरिंग" पर कराए गए स्वतंत्र अध्ययन में ग्रामीण मजदूरी, मुसीबत के समय पलायन और ग्रामीण परिवेश में बिना कौशल वाली नौकरियों की उपलब्धता पर मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया गया है।

बाढ़ नियंत्रण

*93. **श्री रमेन डेका :**
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के कतिपय बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव कम करने हेतु कोई उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर पूर्वा उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर असम में नहरों की गाद निकालने, क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत करने तथा बाढ़ को रोकने हेतु राज्य सरकारों को दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बाढ़ के जल के भंडारण हेतु बडे पैमाने पर जलाशय बनाने तथा इसे भविष्य में उपयोग करने हेतु इसका विपथन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्य और/अथवा राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा बाढ़ नियंत्रण योजना के क्रियान्वयन में विलंब किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। तद्नुसार, बाढ़ प्रबंधन संबंधी स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण एवं कार्यान्वियन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, सलाहकार, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहक प्रकृति की है। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्यों को गंभीर क्षेत्रों में बेहतर बाढ़ प्रबंधन में सहायता करने हेतु निम्न उपाय किये हैं:—

(i) भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने क्रमश: गंगा बेसिन राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ प्रबंधन की मास्टर योजनाएं तैयार की हैं।

(ii) भारत सरकार ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकास विकास, बाढ़ रोधन कार्यों, क्षतिग्रस्त बाढ़ प्रबंधन कार्यों का पुनरुद्धार और समुद्र कटाव-रोधन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया था।

(ग) XIवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ 420 कार्य अनुमोदित किये गए थे और 31.3.2012 तक 3566 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार और असम सहित राज्यों को जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां। अंतर बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ के अधिक जल के भंडारण एवं अंतरण के लिये बड़े बांधों और नहर प्रणालियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अंतर-बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों के अंतर्गत प्रस्तावित/वर्तमान बांधों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) कभी-कभी विलंब होता है क्योंकि बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विभिन्न चरण होते हैं जैसे सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, परियोजना/स्कीम का अनुमोदन। इसी प्रकार नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विलंब होता है क्योंकि उन्हें साध्यता रिपोर्टें तैयार करना, संबंधित राज्यों के बीच बातचीत करना एवं अति महत्वपूर्ण रूप से उनसे सहमति बनाना जैसे विभिन्न चरणों में गुजरना पड़ता है। यदि क्षेत्र आंशिक रूप से दूसरे देशों

में आता हो तो पड़ोसी देशों के साथ समझौता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति इस सम्बन्धित अन्य पूर्वापेक्षाएं हैं।

विवरण-I

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत XIवीं योजना के दौरान (31.03.2012 तक) जारी की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	एफएमपी के तहत शामिल			XIवीं योजना के दौरान जारी निधि					
		संख्या	कुल लागत	केन्द्रीय हिस्सा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	21	107.33	96.55	—	16.39	12.93	28.52	20.92	78.77
2.	असम	100	996.14	896.49	—	219.87	100.86	188.20	235.98	744.90
3.	बिहार	43	1370.42	1027.79	46.81	117.08	210.94	127.17	178.80	680.79
4.	छत्तीसगढ़	3	31.13	23.34	—	—	—	—	15.57	15.57
5.	गोवा	2	22.73	17.05	—	1.82	2.41	5.76	—	9.98
6.	गुजरात	2	49.79	14.84	—	—	—	2.00	—	2.00
7.	हरियाणा	1	173.75	130.31	—	—	46.91	—	—	46.91
8.	हिमाचल प्रदेश	3	225.32	202.78	—	—	43.20	74.25	47.86	165.31
9.	जम्मू और कश्मीर	28	408.22	367.37	6.75	30.02	41.18	58.09	107.45	243.50
10.	झारखंड	3	39.30	29.47	—	6.00	4.53	—	6.54	17.07
11.	कर्नाटक	3	59.46	44.59	—	—	—	—	20.00	20.00
12.	केरल	4	279.74	209.80	—	—	—	22.43	41.25	63.68
13.	मणिपुर	22	109.34	98.41	—	17.16	7.16	28.34	12.38	65.03
14.	मिजोरम	2	9.13	8.22	—	—	—	2.06	1.35	3.40
15.	नागालैंड	11	49.35	44.38	—	6.95	2.73	1.53	17.75	28.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	ओडिशा	67	168.999	126.74	—	45.90	25.87	22.98	0.90	95.64
17.	पुदुचेरी	1	139.6 7	104.75	—	—	—	7.50	—	7.50
18.	पंजाब	5	153.4	115.04	—	21.51	13.08	—	5.84	40.43
19.	सिक्किम	28	104.924	94.42	—	15.76	29.96	17.85	19.30	82.86
20.	तमिलनाडु	5	635.5 4	476.66	—	—	1.11	58.71	—	59.82
21.	त्रिपुरा	11	26.57	23.92	—	5.00	2.98	8.24	4.70	20.91
22.	उत्तर प्रदेश	26	667.562	500.66	5.25	—	128.94	69.50	87.00	290.69
23.	उत्तराखंड	12	119.819	104.71	3.47	8.22	4.70	10.25	22.99	49.63
24.	पश्चिम बंगाल	17	1822.08	1366.57	1.00	10.08	221.40	358.60	51.79	642.87
	योग	420	7739.73	6124.86	63.28	521.76	900.86	1091.95	898.36	3476.21
Xवीं योजना आगे लाये गए कार्य				89.79	44.54	39.31	1.30	4.64		89.79
	कुल जोड़			6214.65	107.82	561.07	902.16	1096.59	898.36	3566.00

विवरण-II

अंतर-बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों और प्रस्तावित/वर्तमान बांधों का ब्यौरा

क्र.सं.	संपर्क का नाम	बांध का नाम	बांध की स्थिति
1	2	3	4
I.	**हिमालयी घटक**		
1.	कोसी-मेची	केसी	नेपाल
2.	कोसी-घाघरा	—	—
3.	गंडक-गंगा	गंडक	नेपाल
		सेती	-वही-
		मरशयांडी	-वही-

1	2	3	4
		काली गंडकी	-वही-
		बूढ़ी गंडकी	-वही-
4.	घाघरा-यमुना	चिसापानी	-वही-
5.	सारदा-यमुना	पूर्णागिरी	-वही-
6.	यमुना-राजस्थान	—	—
7.	राजस्थान-साबरमती	—	—
8.	चुनार-सोन बैराज	—	—
9.	सोन बांध-गंगा की दक्षिणी वितरिकाएं	कदवान	बिहार
10.	ब्रह्मपुत्र-गंगा (मानस-संकोश-तीस्ता बैराज)	मानस	भूटान
		संकोष	-वही-
11.	ब्रह्मपुत्र-गंगा (जोगीघोपा-तीस्ता फरक्का)	—	—
12.	फरक्का-सुंदरवन	—	—
13.	गंगा (फरक्का)-दामोदर सुबर्णरेखा	—	—
14.	सुबर्णरेखा-महानदी	—	—
	उप-जोड़ (I)	11	
II.	**प्रायद्वीपीय घटक**		
1.	महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दोलेश्वरम)	मणिभद्रा	ओडिशा
2.	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा)	पोलावरम	आंध्र प्रदेश
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर)	इंचमपल्ली	-वही-
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (पुलिचिंताला)	पुलिचिंताला	-वही-
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमसिला)	नागार्जुनसागर	-वही-
6.	कृष्णा (श्रीसैलम)-पेन्नार	श्रीसैलम (मौजूदा)	-वही-
7.	कृष्णा (अलमट्टी)-पेन्नार	अलमट्टी (मौजूदा)	कर्नाटक
8.	पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट)	सोमसिला	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4
9.	कावेरी (कट्टालाई)-वैगर-गुंडार	–	–
10.	पारबती-कालीसिंध-चंबल	पाटनपुर	मध्य प्रदेश
		मोहनपुर	-वही-
		कुंडलिया	-वही-
11.	दमनगंगा-पिंजाल	भुगाड	गुजरात
		खारगीहिल	महाराष्ट्र
		पिंजाल	-वही-
12.	पार-तापी-नर्मदा	झेरी	महाराष्ट्र
		मोहनकवचाली	गुजरात
		पैखेड	-वही-
		चासमंडवा	-वही-
		चिक्कर	-वही-
		डबदार	-वही-
		केलवान	-वही-
13.	केन-बेतवा	दौधान	मध्य प्रदेश
14.	पंबा-अचनकोविल-वैप्पार	पुन्नामेडु	केरल
		अचनकोविल कल अर	-वही-
		अचनकोविल	-वही-
15.	बेदती-वर्धा	पट्टानदाहल्ला	कर्नाटक
		शालमालाहल्ला	-वही-
16.	नेत्रावती-हेमावती	यात्तीन होल	कर्नाटक
		केरी होल	-वही-
		होंगधाल्लाद	-वही-
	उप-जोड़ (II)	30	
	कुल जोड़ (I+II)	41	

[हिन्दी]

तमिलनाडु एक्सप्रेस में आग की घटना

***94. श्रीमती ऊषा वर्मा :**
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में, तमिलनाडु एक्सप्रेस में लगी आग में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ख) मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों के परिवारजनों के लिए रेलवे द्वारा कितनी अनुग्रह राशि और क्षतिपूर्ति की घोषणा की गई;

(ग) क्या रेलवे ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक कदम, विशेषरूप से अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों के रूप में, उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री मुकुल राय) : (क) 30.07.2012 को लगभग 04.19 बजे दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल के विजयवाड़ा-गुडूर सेक्शन पर नेल्लौर के पास गाड़ी संख्या 12622 नई दिल्ली-चेन्नई तमिलनाडु एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी के एक डिब्बे (एस-11) में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। नवीनतम सूचना के अनुसार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 30 यात्रियों ने अपनी जानें गंवा दीं, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और 22 यात्री मामूली रूप से घायल हुए।

(ख) रेल मंत्रालय ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 25,000/- रुपए की बढ़ी हुई अनुग्रह-राशि देने की घोषणा की है। सभी घायल यात्रियों को 11.50 लाख रुपए की कुल अनुग्रह-राशि पूरी तरह से वितरित कर दी गई है। मृत्यु के 30 मामलों में से 28 शवों की शिनाख्त हो गई है और 2 शवों की शिनाख्त नहीं हुई है। शिनाख्त के 28 मामलों में से, 27 मामलों में भुगतान के लिए बढ़ी हुई अनुग्रह राशि को क्लियर कर दिया गया है (मृत्यु के 11 मामलों में मृतक के निकट संबंधी को अनुग्रह-राशि का भुगतान कर दिया गया है और 16 मामलों में तैनात रेल कर्मचारियों द्वारा अनुग्रह राशि वितरित की जा रही है)। शिनाख्त मृतक के एक मामले में वैध उत्तराधिकारी के सत्यापन के बाद अनुग्रह राशि जारी की जाएगी। अतिरिक्त मुआवजा रेल दावा अधिकरण (आरसीटी) में पीड़ितों द्वारा दायर किए गए दावों के आधार पर उन्हें देय होता है और अधिकरण द्वारा डिक्री दी जाती है। अधिकरण में इस संबंध में अभी तक कोई दावा संबंधी आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त घटना की सांविधिक जांच नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे के रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा की जा रही है और इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। राज्य सरकार के फारेन्सिक विशेषज्ञों को भी सुराग/सबूतों के आवश्यक वैज्ञानिक संग्रहण और मूल्यांकन के लिए जले हुए डिब्बे की जांच करने के कार्य में लगाया गया।

(ङ) रेलों ने गाड़ियों में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) डिब्बे के फर्श के लिए कॉम्प्रेग बोर्ड/पीवीसी, छत, सीलिंग वॉल और पार्टिशन पैनल के लिए लेमिनेटेड शीट, सीटों एवं बर्थों के लिए रेक्सीन और कुशन वाली सामग्री, फाइबर रिइन्फोर्सड प्लास्टिक (एफआरपी) खिड़कियां और अंतर्राष्ट्रीय रेल यूनियन (यूआईसी) वेस्टीब्यूल आदि जैसी अधिक ढंग से आग प्रतिरोधी साज-सज्जा सामग्री का उपयोग करके डिब्बों की आग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भारतीय रेल का सदैव प्रयास रहा है। यूआईसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप आग प्रतिरोधक पैरामीटरों के समावेश के लिए इन साज-सज्जा सामग्रियों की विशिष्टियों को आवधिक रूप से अपग्रेड किया गया है। साज-सज्जा सामग्रियों की आग प्रतिरोधक विशिष्टयों के साथ सभी नवनिर्मित डिब्बों/मौजूदा डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग की जा रही है।

(ii) रेलों ने डिब्बों में बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की रोकथाम के भी उपाय किए हैं जिनमें शामिल है (क) शार्ट-सर्किट होने की दशा में नान-एसी डिब्बों की सुरक्षा के तीन स्तर, (ख) धनात्मक (पोजेटिव) एवं ऋणात्मक (नेगेटिव) तारों को अलग-अलग करना, (ग) बिजली की सभी मदों में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग।

(iii) चलती गाड़ियों में आग संरक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से उत्तर रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस के एक रेक में व्यापक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसी प्रकार की स्वचालित आग चेतावनी प्रणाली 20 अन्य रेकों में भी विस्तारित फील्ड परीक्षणों के लिए लगाने का विनिश्चय किया गया है। यह प्रणाली चलती गाड़ियों में किसी भी प्रकार की आग के खतरे के मामले में चेतावनी की सूचना पहले ही दे देगी और इस प्रकार यह आग से यात्रियों को बचाएगी।

(iv) आग लगने की दुर्घटनाओं के कारण आपातस्थितियों में सहायता के लिए सभी गाड़ियों के गार्ड-सह-ब्रेक वैन और ऐसी डिब्बों में पोर्टेबल फायर एक्सटिंगविशर मुहैया कराए गए हैं।

(v) पैन्ट्री कारों की समुचित सम्हलाई में सुरक्षित पद्धतियों के अनुपालन के लिए और पैन्ट्री कारों में बिजली तथा एलपीजी फिटिंगों का आवधिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलों को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

(vi) यात्रियों से ज्वलनशील वस्तुओं को लाने-ले-जाने से रोकने के लिए व्यापक प्रचार अभियान नियमित रूप से चलाए जाते हैं!

(vii) चुनिंदा स्टेशनों, कोचिंग डिपो और कारखानों आदि में संरक्षा ऑडिट योजना के लिए हाल ही में दो पृथक फायर सेफ्टी ऑडिट टीमें गठित की गई हैं।

उर्वरकों की कमी

*95. **श्री के.डी. देशमुख :**
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में उर्वरक-वार और राज्य-वार उर्वरकों का उत्पादन, मांग और आपूर्ति कितनी रही;

(ख) राज्यों द्वारा राज्य-वार मांग किए गए उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की जमाखोरी, काला-बाजारी और कृत्रिम कमी के कितने मामले प्रकाश में आए तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या देश में उर्वरकों की कमी और आपूर्ति में विलम्ब के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) देश में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 और मौजूदा वर्ष 2012-13 (अप्रैल, 12 से जुलाई, 12) के दौरान देश में यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दर्शाया गया है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के दौरान देश में प्रमुख उर्वरकों नामतः डीएपी, एमओपी, और एनपीके उर्वरकों की राज्य-वार मांग (आवश्यकता) और आपूर्ति (उपलब्धता) का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में और मौजूदा वर्ष 2012-13 (अप्रैल, 12 से जुलाई, 12) के दौरान यूरिया, एमओपी और फास्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी+एनपीके) की राज्य-वार मांग (आवश्यकता) और आपूर्ति (उपलब्धता) का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

जैसा कि संलग्न विवरण-V से देखा जा सकता है, खरीफ 2012 के दौरान यूरिया की उपलब्धता सहज थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा आदि में मौसम के शुरू में कम वर्षा होने के फलस्वरूप कम उठान किए जाने के कारण यूरिया की कमी के कुछ दृष्टांत सामने आए थे। तथापि, यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति में अब तेजी आई है। फास्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी+एनपीके) की उपलब्धता भी पूर्व में रखे गए स्टॉक सहित पर्याप्त थी। पोटाशयुक्त (एमओपी) उर्वरकों की उपलब्धता भी पर्याप्त है।

कृषि और सहकारिता विभाग, उर्वरक विभाग, रेल मंत्रालय और पोत परिवहन विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक विडियो कांफ्रेंस आयोजित की जा रही है

और राज्य सरकारों के बताए गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के खंड 21 के अंतर्गत सभी प्रकार के उर्वरकों के कंटेनरों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया जाना अनिवार्य है, चाहे ये सांविधिक मूल्य नियंत्रण में हो अथवा सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों। कोई भी व्यक्ति बैग पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा। एफसीओ के इस अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफसीओ और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रशासनिक/दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों को प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि वे जमाखोरी/कालाबाजारी आदि सहित किसी भी प्रकार के कदाचार में संलिप्त दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकें। उर्वरक विभाग द्वारा समय-समय पर सभी राज्य सरकारों को सचेत किया जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रवर्तन एजेंसियों को दोषियों, यदि कोई हों, के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में लगाएं। विवरण में दी गई स्थिति के अनुसार देखा जा सकता है कि देश में किसी भी उर्वरक की कोई बड़ी कमी नहीं है।

विवरण-I

2009-10 से 2011-12 और खरीफ 2012 (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012) से यूरिया का राज्य-वार उत्पादन

('000' मी.टन.)

राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन			
		2009-10	2010-11	2011-12	खरीफ 2012 (जुलाई, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1194.6	1480.1	1655.6	1561.6	509.7
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	380.0	379.5	379.4	379.4	113.3
तमिलनाडु	1106.8	435.9	778.8	1108.4	325.5
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	2681.4	2295.5	2813.8	3049.4	948.5
पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	399.3	387.5	396.8	365.4	127.8
मध्य प्रदेश	1729.2	1828.1	1878.1	1913.8	418.2
महाराष्ट्र	2036.8	2089.1	2124.5	2108.5	717.7

1	2	3	4	5	6
गुजरात	3280.3	3264.0	3329.1	3020.8	1219.4
राजस्थान	2108.2	2413.0	2503.6	2531.9	746.1
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	9553.8	9981.7	10232.1	9940.4	3229.2
पूर्वी क्षेत्र					
ओडिशा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
असम	555.0	309.6	285.0	278.8	127.1
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	555.0	309.6	285.0	278.8	127.1
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	511.5	512.9	470.0	500.3	187.4
पंजाब	990.0	988.7	1031.5	986.3	304.7
उत्तर प्रदेश	5738.7	7023.9	7048.1	7229.2	2123.5
कुल (उत्तरी क्षेत्र)	7240.2	8525.5	8549.6	8715.8	2615.6
सकल योग	20030.4	21112.3	21880.5	21984.4	6920.4

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2011-12 और खरीफ 2012 (अप्रैल से जुलाई, 2012) के दौरान डीएपी का राज्य-वार संस्थापित क्षमता और उत्पादन

('000' मी.टन.)

राज्य का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	2009-10	2010-11	2011-12	खरीफ 2012 (जुलाई, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी-क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	670.0	520.6	434.3	366.6	55.0

1	2	3	4	5	6
केरल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	180.0	198.1	177.8	128.2	48.3
तमिलनाडु	475.0	0.0	30.4	180.5	66.4
कुल (दक्षिणी-क्षेत्र)	1325.0	718.7	642.5	675.3	169.7
पश्चिमी-क्षेत्र					
गोवा	330.0	351.8	151.6	180.2	49.9
गुजरात	2749.0	1826.3	980.4	1240.4	380.6
कुल (पश्चिमी-क्षेत्र)	3079.0	2178.1	1132.0	1420.6	430.5
पूर्वी-क्षेत्र					
ओडिशा	2220.0	1166.0	1572.1	1597.4	362.2
पश्चिम बंगाल	675.0	183.7	190.3	269.3	10.0
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	2895.0	1349.7	1762.4	1866.7	372.2
सकल योग	7299.0	4246.5	3536.9	3962.6	972.4

विवरण-III

वर्ष 2009-10 से 2011-12 और खरीफ 2012 (अप्रैल से जुलाई, 2012) के लिए मिश्रित उर्वरकों का राज्य/क्षेत्र-वार संस्थापित क्षमता और उत्पादन

('000' मी.टन.)

राज्य का नाम	वार्षिक संस्थापित क्षमता	2009-10	2010-11	2011-12	खरीफ 2012 (जुलाई, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
दक्षिणी-क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	600.0	1789.0	1817.6	1719.8	485.1

1	2	3	4	5	6
केरल	633.5	758.1	643.8	616.4	175.5
कर्नाटक	0.0	84.1	45.7	44.0	12.8
तमिलनाडु	1080.0	387.0	436.2	500.1	195.9
कुल (दक्षिणी-क्षेत्र)	2313.5	3018.2	2943.3	2880.3	869.3
पश्चिमी-क्षेत्र					
गोवा	240.0	366.2	509.5	370.6	24.9
महाराष्ट्र	891.0	603.9	727.4	825.0	274.9
गुजरात	1357.9	2111.1	2902.8	2110.5	509.3
कुल (पश्चिमी-क्षेत्र)	2488.9	3081.2	4139.7	3306.1	809.1
पूर्वी-क्षेत्र					
ओडिशा	420.0	1544.9	1282.8	1271.9	274.7
पश्चिम बंगाल	0.0	394.0	361.2	311.9	10.1
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	420.0	1938.9	1644.0	1583.8	284.8
सकल योग	5222.4	8038.3	8727.0	7770.2	1963.2

विवरण-IV

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े लाख मी.टन.)

राज्य का नाम	वर्ष	यूरिया		डीएपी		एमओपी		मिश्रित उर्वरक	
		मांग (आवश्यकता)	आपूर्ति (उपलब्धता)	मांग (आवश्यकता)	आपूर्ति (उपलब्धता)	मांग (आवश्यकता)	आपूर्ति (उपलब्धता)	मांग (आवश्यकता)	आपूर्ति (उपलब्धता)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2009-10	27.50	26.16	9.75	8.89	6.60	6.07	20.50	18.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2010-11	28.50	31.73	11.00	10.40	6.60	6.09	20.50	22.12
	2011-12	31.00	29.87	12.30	10.93	6.60	4.44	22.30	25.71
कर्नाटक	2009-10	13.75	13.77	8.20	8.46	5.15	6.12	11.20	10.95
	2010-11	14.00	14.28	8.60	8.46	5.65	4.24	11.20	13.78
	2011-12	14.60	14.53	8.75	9.40	5.65	3.82	13.10	17.33
केरल	2009-10	1.63	1.53	0.35	0.30	1.54	1.57	1.90	2.12
	2010-11	1.90	1.44	0.35	0.42	1.55	1.58	2.50	2.28
	2011-12	1.90	1.50	0.47	0.44	1.80	1.51	2.55	2.20
तमिलनाडु	2009-10	11.50	9.98	4.25	2.94	5.84	5.14	4.00	6.18
	2010-11	11.50	10.23	4.25	3.20	5.84	4.74	4.25	6.91
	2011-12	11.50	10.47	4.30	3.84	5.31	4.26	6.61	8.75
गुजरात	2009-10	18.75	18.21	8.00	7.64	2.30	2.86	4.72	4.20
	2010-11	19.50	21.26	8.40	8.11	2.30	2.02	4.83	6.62
	2011-12	22.75	21.26	8.80	6.99	2.30	1.75	5.10	7.32
मध्य प्रदेश	2009-10	15.25	16.00	8.50	9.52	1.20	1.67	3.55	2.4
	2010-11	16.75	17.05	10.00	10.94	1.45	1.36	3.69	3.55
	2011-12	17.50	18.16	10.95	11.89	1.65	0.93	4.05	5.32
छत्तीसगढ़	2009-10	5.48	5.27	1.77	2.65	0.84	0.96	1.42	1.04
	2010-11	5.70	5.56	2.84	2.41	1.06	0.96	1.40	1.32
	2011-12	6.25	6.30	2.90	2.71	1.15	0.85	1.54	2.21
महाराष्ट्र	2009-10	24.75	22.87	12.50	13.83	5.60	7.07	14.00	11.25
	2010-11	25.25	25.52	16.70	14.35	6.75	6.52	14.80	17.98
	2011-12	27.50	25.67	17.25	12.69	6.40	4.26	18.30	20.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्थान	2009-10	15.10	13.37	6.50	5.86	0.35	0.55	1.37	0.78
	2010-11	15.60	15.73	7.00	7.20	0.55	0.35	1.18	1.40
	2011-12	16.25	17.58	7.30	7.33	0.50	0.25	1.76	1.54
हरियाणा	2009-10	19.65	18.05	7.00	6.66	0.52	0.90	0.45	0.48
	2010-11	19.65	18.75	7.20	7.40	0.70	0.66	0.55	0.69
	2011-12	19.75	19.45	7.20	8.45	0.75	0.48	0.85	0.79
पंजाब	2009-10	25.50	24.65	8.50	8.08	0.91	1.00	0.55	0.57
	2010-11	26.00	27.61	9.25	9.04	1.06	1.06	0.70	1.05
	2011-12	26.00	28.50	10.15	10.08	1.06	0.73	1.00	1.30
उत्तर प्रदेश	2009-10	55.00	53.64	17.00	16.51	2.85	3.47	8.50	9.47
	2010-11	57.60	55.08	19.60	17.71	3.70	2.17	9.45	10.61
	2011-12	58.00	59.12	19.65	18.76	4.00	1.82	11.25	12.85
उत्तराखंड	2009-10	2.15	2.33	0.40	0.38	0.13	0.04	0.45	0.41
	2010-11	2.20	2.24	0.40	0.28	0.09	0.05	0.50	0.57
	2011-12	2.40	2.51	0.33	0.39	0.09	0.04	0.71	0.52
जम्मू और कश्मीर	2009-10	1.40	1.22	0.78	0.48	0.26	0.18	0.00	0.00
	2010-11	1.50	1.28	0.85	0.81	0.36	0.19	0.00	0.00
	2011-12	1.45	1.20	0.85	0.67	0.35	0.09	0.00	0.00
बिहार	2009-10	19.00	17.04	4.50	3.98	2.10	2.26	3.10	2.68
	2010-11	19.50	16.96	4.75	4.60	2.30	2.00	3.35	3.14
	2011-12	20.75	18.16	5.00	4.72	2.45	1.29	3.75	4.02
झारखंड	2009-10	2.05	1.50	1.15	0.82	0.15	0.17	0.50	0.69
	2010-11	2.10	1.36	1.10	0.66	0.15	0.08	0.85	0.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2011-12	2.60	2.19	1.25	0.71	0.34	0.06	1.08	0.52
ओडिशा	2009-10	5.75	4.61	2.25	2.24	1.70	1.31	3.00	2.28
	2010-11	5.75	4.74	2.50	2.20	1.90	1.36	3.00	2.33
	2011-12	6.40	5.28	2.60	1.90	2.05	0.92	3.14	3.46
पश्चिम बंगाल	2009-10	13.00	11.71	4.80	4.56	4.15	4.97	7.50	8.39
	2010-11	13.00	11.26	5.10	4.64	4.00	3.29	8.25	8.95
	2011-12	13.25	12.76	5.10	5.05	4.00	3.04	9.00	8.96
असम	2009-10	2.60	2.56	0.35	0.22	1.26	0.97	0.06	0.06
	2010-11	2.60	2.50	0.60	0.29	1.30	0.96	0.05	0.11
	2011-12	3.00	2.68	0.60	0.37	1.40	0.94	0.27	0.07
अखिल भारत	2009-10	281.90	265.97	106.98	104.09	43.85	47.60	87.73	83.38
	2010-11	290.79	284.62	120.92	113.09	47.80	39.83	92.00	104.39
	2011-12	305.16	298.65	126.16	117.44	48.27	31.64	107.36	124.27

विवरण-V

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान यूरिया, एमओपी और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की संचयी मांग और आपूर्ति

2012-13 मात्रा ('000) मी.टन.

राज्य	यूरिया		एमओपी		डीएपी+एनपीके	
	मांग (आवश्यकता)	(आपूर्ति) उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	पूर्व-स्टॉक के साथ उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	850.00	783.15	155.00	103.19	1255.00	1300.17

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	450.00	419.57	155.00	135.44	883.00	908.19
केरल	72.00	53.31	65.00	37.21	112.00	104.79
तमिलनाडु	275.00	233.93	127.00	61.72	292.60	401.64
गुजरात	750.00	695.31	68.00	23.45	563.00	557.71
मध्य प्रदेश	390.47	543.61	79.56	62.04	489.99	748.20
छत्तीसगढ़	305.00	357.58	56.00	41.44	233.00	281.51
महाराष्ट्र	1040.00	950.48	210.00	165.67	1292.00	1407.83
राजस्थान	375.00	400.87	19.50	3.73	253.80	271.83
हरियाणा	620.00	630.99	25.00	9.29	235.00	277.84
पंजाब	1125.00	1127.94	36.00	14.30	310.00	295.79
हिमाचल प्रदेश	32.50	30.60	0.30	0.00	7.50	6.94
जम्मू और कश्मीर	54.50	85.43	9.00	3.75	35.00	22.83
उत्तर प्रदेश	1750.00	2012.98	60.00	46.87	815.00	1210.54
उत्तराखंड	105.00	117.20	5.00	0.00	41.50	31.20
बिहार	565.00	485.14	50.00	17.95	320.00	261.10
झारखंड	94.00	72.12	15.00	2.27	86.70	43.02
ओडिशा	201.70	163.86	62.81	48.30	243.42	205.87
पश्चिम बंगाल	308.80	441.79	97.05	79.97	436.45	431.06
असम	95.70	91.30	39.60	11.30	21.45	15.20
अखिल भारत	9536.71	9697.15	1352.26	867.89	7945.98	8783.28

*आपूर्ति में फरवरी, 2012 और मार्च, 2012 के दौरान का पूर्व स्टॉक शामिल है।

[अनुवाद]

पेयजल संदूषण

***96. श्री प्रबोध पांडा :**
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और बीएआरसी द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि पंजाब में पेयजल/भू-जल में यूरेनियम और अन्य रेडियोधर्मी, भारी धातुएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुरूनानक देव विश्वविद्यालय ने वर्ष 2009 में पंजाब के भटिंडा जिले में 22 गांवों में लगभग 100 भूमिगत जल नमूनों में यूरेनियम का विश्लेषण किया और उनमें अल्प मात्रा में यूरेनियम होने का पता चला। बाद में, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, पंजाब सरकार ने गहरे सार्वजनिक ट्यूबवेलों ओर हैंडपंपों से अब पेयजल के 2000 नमूने बार्क, मुंबई को यूरेनियम के विश्लेषण के लिए भेजे हैं। इनमें से, 1686 जल नमूनों की रिपोर्टें मिल चुकी हैं, जिनमें से 261 नमूनों में यूरेनियम की अधिकता का पता चला जो कि एटॉमिक एनर्जी रेग्यूलेटरी बोर्ड (एईआरबी) की अनुमेय सीमा से अधिक है। यूरेनियम परीक्षण के लिए बार्क को भेजे गए जल नमूनों का जिला-वार ब्यौरा और उनके परिणाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजाब बायो-टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर (पीबीटीआई), मोहाली को भारी धातुओं के परीक्षण के लिए भेजे गए 981 जल नमूनों में से, 976 जल नमूनों की रिपोर्टें मिल चुकी हैं, जिनमें से 188 जल नमूनों में अनुमेय सीमा से अधिक भारी धातु होने का पता चला है। भारी धातुओं के परीक्षण के लिए पीबीटीआई को भेजे गए जल नमूनों का जिला-वार ब्यौरा और उनके परिणाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) राज्य के प्रभावित जिलों में पेयजल स्रोतों में यूरेनियम और भारी धातुओं के परीक्षण के लिए पंजाब को 3.80 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि रिलीज की गई।

(ii) पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए एक विशेषज्ञ दल, जिसमें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, ने 24 जुलाई, 2012 को विस्तृत चर्चा की और क्षेत्रीय परीक्षण/अनुसंधान एवं विकास के लिए उचित प्रौद्योगिकियों का चयन किया।

(iii) गहन निगरानी हेतु एसएएस नगर, मोहाली में यूरेनियम और भारी धातुओं के लिए उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए पंजाब सरकार को सहायता प्रदान करना।

विवरण-I

बार्क, मुम्बई को भेजे गए जल नमूनों का जिला-वार ब्यौरा और 13.8.2012 की स्थिति के अनुसार पंजाब में पेयजल स्रोतों में यूरेनियम के स्तर पर उपलब्ध रिपोर्टें

क्र. सं.	जिला	प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	ऐसे नमूनों की संख्या जिसमें यूरेनियम 60 μग्राम/लीटर के एईआरबी मानक से अधिक था
1	2	3	4
1.	अमृतसर	45	0
2.	बरनाला	106	71
3.	भटिंडा	49	14
4.	फरीदकोट	11	3
5.	फतेहगढ़ साहिब	26	0
6.	फिरोजपुर	342	61
7.	गुरूदासपुर	56	0

1	2	3	4
8.	होशियारपुर	51	0
9.	जालंधर	50	0
10.	कपूरथला	25	0
11.	लुधियाना	280	16
12.	मनसा	26	1
13.	मोगा	232	77
14.	एसएएस नगर	22	0
15.	मुक्तसर	8	0
16.	एसबीएस नगर	25	0
17.	पठानकोट	24	0
18.	पटियाला	88	1
19.	रोपड़	24	0
20.	संगरूर	140	14
21.	तरनतारन	56	3
	कुल	1,686	261

विवरण-II

पीबीटीआई, मोहाली को भेजे गए जल नमूनों का जिला-वार ब्यौरा और 13.8.2012 की स्थिति के अनुसार पंजाब में पेयजल स्रोतों में भारी धातुओं के स्तर पर उपलब्ध रिपोर्टें

क्र. सं.	जिला	विश्लेषण के लिए पीबीटीआई को भेजे गए नमूनों की संख्या	प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	संदूषित पाए गए नमूनों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अमृतसर	5	5	0
2.	बरनाला	30	30	11
3.	भटिंडा	21	21	7
4.	फरीदकोट	2	2	0
5.	फतेहगढ़ साहिब	26	26	0
6.	फिरोजपुर	196	196	14
7.	गुरूदासपुर	50	49	11
8.	होशियारपुर	53	53	24
9.	जालंधर	0	0	0
10.	कपूरथला	0	0	0
11.	लुधियाना	173	172	19
12.	मनसा	18	18	8
13.	मोगा	69	69	8
14.	एसएएस नगर	28	25	14
15.	मुक्तसर	21	21	13
16.	एसबीएस नगर	46	46	9
17.	पठानकोट	20	20	1
18.	पटियाला	83	83	14
19.	रोपड़	26	26	1
20.	संगरूर	97	97	28
21.	तरनतारन	17	17	6
	कुल	981	976	188

सामाजिक, आर्थिक, और जाति आधारित जनगणना

*97. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जनगणना कराने के लिए अब तक आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों/जानकारी का उपयोग विभिन्न ग्रामीण विकास/कल्याणकारी योजनाओं के लिए किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी, 2011) 29 जून, 2011 को शुरू की गई थी, जो देश भर में श्रेणीक्रम के अनुसार परिवारों के संबंध में बड़ी संख्या में सामाजिक एवं आर्थिक संसूचक तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की वित्तीय और तकनीकी सहायता से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जा रही है। यह जनगणना अभी चल रही है और दिनांक 78.2012 तक एसईसीसी, 2011 की मौजूदा स्थिति-I में दर्शाई गई है।

(ख) यह जनगणना कराने के लिए राज्यों को आबंटित और रिलीज की नई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) एसईसीसी, 2011 से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका श्रेणी क्रम निर्धारित किया जा सकेगा, जो उन परिवारों की पहचान का आधार होगा, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है।

विवरण-I

7 अगस्त, 2012 तक एसईसीसी, 2011 की सामान्य स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल गणना	जिन गणना ब्लॉकों में गणना की जा चुकी है, वे गणना ब्लॉक	जिन गणना ब्लॉकों में गणना पूरी हो चुकी है, उन गणना ब्लॉकों का प्रतिशत	गणना शुरू करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	पुदुचेरी	2,310	2,310	100.0%	15-जुलाई-11
2.	दमन और दीव	439	439	100.00%	18-जुलाई-11
3.	दादरा और नगर हवेली	690	690	100.00%	18-जुलाई-11
4.	चंडीगढ़	2,067	2,067	100.00%	18-जुलाई-11
5.	त्रिपुरा	7,316	7,316	100.00%	29-जून-11
6.	हरियाणा	49,261	49,261	100.00%	2-नवम्बर-11
7.	पंजाब	52,243	50,712	97.07%	1-अक्तूबर-11
8.	हिमाचल प्रदेश	25,036	25,036	100.00%	12-अक्तूबर-11

1	2	3	4	5	6
9.	नागालैंड	4,078	4,078	100.00%	16-जनवरी-12
10.	लक्षद्वीप	117	117	100.00%	25-फरवरी-12
11.	कर्नाटक	126,925	126,925	100.00%	23-नवम्बर-11
12.	राजस्थान	138,064	137,292	99.44%	16-नवम्बर-11
13.	गुजरात	113,507	112,569	99.17%	21-जनवरी-12
14.	अरुणाचल प्रदेश	6,791	6,791	100.00%	16-नवम्बर-11
15.	छत्तीसगढ़	49,222	49,169	99.89%	26-सितम्बर-11
16.	सिक्किम	1,415	1,415	100.00%	2-नवम्बर-11
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,198	1,159	96.74%	7-फरवरी-12
18.	आंध्र प्रदेश	192,143	187,738	97.71%	18-अक्तूबर-11
19.	उत्तराखंड	27,878	27,797	99.71%	1-दिसम्बर-11
20.	जम्मू और कश्मीर	25,200	25,146	99.79%	23-नवम्बर-11
21.	मध्य प्रदेश	156,436	155,545	99.43%	20-दिसम्बर-11
22.	गोवा	3,166	3,099	97.88%	31-अक्तूबर-11
23.	मेघालय	9,116	9,052	99.30%	16-नवम्बर-11
24.	केरल	68,324	68,309	99.98%	10-अप्रैल-12
25.	तमिलनाडु	138,848	135,981	97.94%	24-अप्रैल-12
26.	दिल्ली	33,324	33,171	99.54%	16-जनवरी-12
27.	असम	64,421	62,375	96.82%	20-दिसम्बर-11
28.	मिजोरम	2,125	2,125	100.00%	16-जनवरी-12
29.	महाराष्ट्र	223,583	195,355	87.37%	3-नवम्बर-11
30.	पश्चिम बंगाल	178,293	117,028	65.64%	27-जनवरी-12

1	2	3	4	5	6
31.	ओडिशा	96,808	83,459	86.21%	14-नवम्बर-11
32.	झारखंड	71,719	41,861	58.37%	20-अप्रैल-12
33.	मणिपुर	6,006	2,623	43.67%	10-अप्रैल-12
34.	बिहार	205,859	34,503	16.76%	1-फरवरी-12
35.	उत्तर प्रदेश	394,253	43,169	10.95%	1-जून-12
	कुल	2,478,181	1,805,682	72.86%	

विवरण-II

आबंटित और रिलीज की गई निधियों का राज्य-वार विवरण

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित की गई राशि	कुल रिलीज निधि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	85.37	82.57
2.	आंध्र प्रदेश	13107.13	11899.93
3.	अरुणाचल प्रदेश	506.43	459.32
4.	असम	4465.88	4661.98
5.	बिहार	14298.94	13013.23
6.	चंडीगढ़	145.61	171.17
7.	छत्तीसगढ़	3431.08	33700.95
8.	दादरा और नगर हवेली	47.86	42.47
9.	दमन और दीव	33.00	32.48
10.	दिल्ली	2315.05	2083.55
11.	गोवा	223.00	201.91
12.	गुजरात	7878.62	7149.13
13.	हरियाणा	3428.08	3113.23
14.	हिमाचल प्रदेश	1740.96	1581.89
15.	जम्मू और कश्मीर	1828.08	1666.56
16.	झारखंड	4768.97	5431.93
17.	कर्नाटक	8795.61	7978.11
18.	केरल	4748.28	4316.14
19.	लक्षद्वीप	8.13	9.24
20.	मध्य प्रदेश	10888.92	10680.78
21.	महाराष्ट्र	15597.95	14138.72
22.	मणिपुर	432.44	396.65
23.	मेघालय	642.17	586.49
24.	मिजोरम	150.05	135.99
25.	नागालैंड	295.52	275.33

1	2	3	4
26.	ओडिशा	6730.29	6113.58
27.	पुदुचेरी	160.26	167.08
28.	पंजाब	3640.87	3305.1
29.	राजस्थान	9568.18	8696.33
30.	सिक्किम	111.99	102.96
31.	तमिलनाडु	9455.15	8561.84
32.	त्रिपुरा	473.36	438.06
33.	उत्तर प्रदेश	27458.87	24970.76
34.	उत्तराखंड	1938.81	1762.60
35.	पश्चिम बंगाल	12414.52	11541.74

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गैस की खोज

***98. श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पता लगाए गए ब्लॉकों/क्षेत्रों, खोज किए गए और वाणिज्यिक रूप से दोहन किए गए गैस कुंओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने खोज की गई गैस का वाणिज्यिक रूप से दोहन न करने के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम/गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का विचार उन जिलों/क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यमों को गैस बेचने/आपूर्ति करने का है जहां गैस प्राप्त हुई है और उसका वाणिज्यिक दोहन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे उद्यमों को छोटे/अलग-थलग क्षेत्रों/कम दबाव वाले कुंओं से गैस की आपूर्ति करने का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) व्यवस्था के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा प्रचालित ब्लॉकों की संख्या तथा नामांकन क्षेत्रों और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केजी बेसिन में ओएनजीसी द्वारा की गई गैस खोजों की संख्या निम्नवत् है:—

ब्लॉक/क्षेत्रों की संख्या			ओएनजीसी द्वारा की गई गैस खोजों की संख्या				
			2009-10 से 2011-12				चालू वर्ष के दौरान
एनजईएलपी	नामांकन क्षेत्र		जमीनी	उथला समुद्री अपतट	गहरा समुद्री अपतट	कुल	
14 अपतटीय	जमीनी 38	अपतटीय 14	5	3	1	9	3

ओएनजीसी द्वारा जमीनी 8 खोजों में से, 3 जमीनी खोजों का वाणिज्यिक दृष्टि से दोहन किया गया है। उथले समुद्री 3 खोजों के संबंध में, उथले अपतट में 1 गैस खोज जीएस-केवी-I को कलस्टर विकास के तहत विकसित किए जाने की योजना है और 2 उथले अपतट गैस खोजें (चन्द्रिका दक्षिण-I तथा अंलकारी-I) एनईएलपी ब्लॉक के तहत हैं जिसे पीएससी प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक दृष्टि

से मूल्यांकित किया जाएगा। ओएनजीसी-I गहरे समुद्री गैस खोज नामत: जीडी-7-1 का आगे और आकलन कर रही है।

(ग) से (ङ) ओएनजीसी द्वारा केजी बेसिन से उत्पादित अधिकांश गैस गेल को बेची गई [3.618 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी)] जिसमें आगे आंध्र प्रदेश राज्य में लघु और मध्यम उद्योगों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के पास पहुंचाया और वितरित किया गया। इस मंत्रालय द्वारा 1997 में बनाए गए विधान के अनुसार की अलग-थलग क्षेत्रों से ओएनजीसी द्वारा गैस का सीधा विपणन किया जा सकता है, ओएनजीसी द्वारा केजी बेसिन के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिलों में लघु और मध्यम उद्योगों को भी अलग-थलग क्षेत्रों से सीधे ही गैस की कुछ मात्रा बेची गई। ग्राहकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिन्हें गैस उपलब्ध कराई गई:—

केजी बेसिन-राजामुंद्री परिसम्पत्ति में डीएम उपभोक्ताओं को ओएनजीसी गैस की बिक्रियां (आंकड़े एमएमएससीएमडी में)

क्र.सं.	उपभोक्ता/स्थल	2011-12
1.	कुसालावा पावर प्रा.लि., केसानापल्ली से	0.006
2.	प्रियदर्शनी स्पिलिंग मिल्स् लि. एनुगुपल्ली से	0.002
3.	श्रीबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लिंगाला से	0.035
4.	वेंकटाराया पावर लिमिटेड, मोरी से	0.005
5.	विजय भावनी पावरटेक प्रा.लि., केसानापल्ली से	0.003
	कुल डीएम उपभोक्ता राजामुन्द्री परिसम्पत्ति, ओएनजसी	0.052

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाना

*99. **श्री सी. शिवासामी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान असामान्य मानसून और देश भर में वर्षा की भारी कमी के कारण सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं के कार्य की गति बढ़ाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। संघ सरकार, राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चालू परियोजनाओं को चार वित्तीय वर्षों की अवधि में पूरा करने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य में खराब मानसून और वर्षा की अत्यधिक कमी की स्थिति में राज्य सरकारों को एआईबीपी के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी होती है।

(ग) और (घ) एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नियमित निगरानी की जाती है जहां परियोजना को समय पर पूरा करने के लिये प्रत्येक घटक की प्रगति की समीक्षा की जाती है। जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) भी परियोजनाओं को समय पर पूरा किये जाने की आवश्यकता पर जोर देने हेतु राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।

भू-जल ढांचे संबंधी कानून

*100. **श्री वरुण गांधी :**

श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बर्बाद हुए/दुरुपयोग किए गए जल की मात्रा के संबंध में किसी एजेंसी द्वारा कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भू-जल का दुरुपयोग रोकने के लिए भू-जल औ जलीय ढांचे संबंधी नए कानून बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) किसी सरकारी अभिकरण द्वारा देश में जल बर्बादी/दुरुपयोग की मात्रा का ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय कतिपय बुनियादी/सिद्धांतों की सहायता से एक नई राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार कर रहा है ताकि भूमि जल संसाधनों सहित जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन में एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य रहे। प्रारुप राष्ट्रीय जल नीति (2012) में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित सिफारिश है:—

2.1 यह मानते हुए भी कि राज्यों को जल के विषय में समुचित नीतियां, कानून और विनियम बनाने का अधिकार है, यह महसूस किया जाता है कि जल के विषय में सामान्य नियमों का एक समग्र राष्ट्रीय कानूनी ढांचा बनाने की आवश्यकता है जिससे देश के प्रत्येक राज्य में जल संचालन हेतु अनिवार्य विधान का मार्ग प्रशस्त होगा और स्थानीय जल दशाओं के विषय में कार्य करने के लिए आवश्यक प्राधिकार सरकार के निचले स्तर पर अंतरित होगा।

2.2 ऐसे कानूनी ढांचे में जल को केवल एक दुर्लभ संसाधन के रूप में ही नहीं बल्कि जीवन एवं पारिस्थितिकी के जीवनदायक के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए। इसलिए, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा जीविका और समान तथा स्थायी विकास प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के तहत राज्य द्वारा जल का एक सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रबंधन करने की आवश्यकता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882, सिंचाई अधिनियम आदि जैसे मौजूदा अधिनियमों में तद्नुसार संशोधन करना पड़ सकता है जिससे यह लगे कि भू-स्वामी का उसके अधीन भूमि के भूमि-जल पर मालिकाना हक है।

जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूमि जल के अतिदोहन को रोकने के लिए निम्नलिखित विनियामक उपाय किए हैं:—

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूमि जल विकास और प्रबंधन के विनियमन हेतु देश में 82 क्षेत्रों को अधिसूचित करना।

- सीजीडब्ल्यूए द्वारा देश के अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों (जल जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर) में भूमि जल का उपयोग करने वाले बड़े और मझोले उद्योगों को भूमि जल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन तथा अपने परिसरों में अपशिष्ट जल के परिशोधन, पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग की पद्धतियों को अपनाने समेत जल संरक्षण उपाय करने हेतु निर्देश जारी करना।

- देश में अतिदोहित, गंभीर और अर्द्ध-गंभीर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योगों/परियोजनाओं हेतु भूमि जल आहरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्थल विशिष्ट तकनीकी अध्ययन एवं केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों पर आधारित प्रस्तावों का मूल्यांकन।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि जल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए मॉडल विधेयक परिचालित किया था। अब तक चौदह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भूमि जल विधान अधिनियमित कर लिया है। मामले को अन्य राज्यों के साथ सक्रियता से उठाया जा रहा है।

किशोर न्याय संबंधी मुद्दे

921. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किशोर न्याय से संबंधित मुद्दों के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश, में अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी, हां। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) पुलिस के लिए साथ ही किशोर न्याय प्रणाली प्रबंध करने वाले मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक आंध्र प्रदेश राज्य का संबंध है, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) ने 17 नवंबर, 2008 से 19 नवंबर, 2008 तक पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।

विवरण

वर्ष — 2009-10

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारीख
1	2	3
1.	नई दिल्ली	14-18 दिसम्बर, 2009
2.	ओडिशा	10-12 मार्च, 2010
3.	नागालैंड	22-24 मार्च, 2010
	वर्ष — 2010-11	
1.	नई दिल्ली	8-10 जून, 2010
2.	नई दिल्ली	14-15 जून, 2010
3.	नई दिल्ली	28 जून — 2 जुलाई, 2010
4.	नई दिल्ली	22-23 जुलाई, 2010
5.	असम	23-27 अगस्त, 2010
6.	असम	21-23 सितम्बर, 2010
7.	नई दिल्ली	25-29 अक्तूबर, 2010
8.	पंजाब	7-9 दिसम्बर, 2010
9.	उत्तर प्रदेश	20-24 दिसम्बर, 2010
10.	असम	21-23 सितम्बर, 2010
	वर्ष — 2011-12	
1.	नई दिल्ली	21-22 जुलाई, 2011
2.	हरियाणा	21-23 जुलाई, 2011
3.	उत्तर प्रदेश	14-15 फरवरी, 2012
4.	उत्तर प्रदेश	19-21 मार्च, 2012
5.	उत्तर प्रदेश	26-28 मार्च, 2012
6.	नई दिल्ली	28-29 मार्च, 2012

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का पुनर्गठन

922. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एनएमडीएफसी की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार तथा इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अल्पसंख्यक योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने के लिये कोई उत्साह नहीं दिखा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं तथा अल्पसंख्यकों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम हेतु क्या प्रस्ताव, यदि कोई है, क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 26 मार्च, 2012 को "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन" को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय) के परामर्श से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड सदस्य शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) एनएमडीएफसी की योजनाओं और कार्यक्रमों को एनएमडीएफसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा एनएमडीएफसी के योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पार जागरुकता कैंप लगाए जाते हैं।

(ग) ऐसे किसी तथ्य की सूचना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एनएमडीएफसी संवर्धनात्मक योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण पहले से प्रदान कर रहा है। 11वीं योजना के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा 6282 अल्पसंख्यक लाभार्थियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 2.59 करोड़ रु. खर्च किए गए थे। व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 2012-13 के लिए 4139 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3.73 करोड़ रु. खर्च करने का लक्ष्य है।

अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार

923. श्री अनंत वेंकटरामी रेड्डी : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति रजिन्दर सच्चर और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए गए अधिक बजटीय आबंटन के साथ आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकार को अतिरिक्त धनाशि जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) चूंकि यह मामाल राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए उनसे सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त निधियां निर्मुक्त करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

मतदाता पहचान पत्र

924. श्री देवजी एम. पटेल : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन जमा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) निर्वाचकों को रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को जारी करने हेतु किसी सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां

एक आधार है। सामान्यतः निर्वाचक नामावली को अर्हक तारीख के रूप में वर्ष की 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित किया जाता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जो उस तारीख को 18 वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है, निर्वाचक नामावली में समावेशन का पात्र है और वह उसी के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार जब वह नामावली में दर्ज हो जाता है तो वह एक निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। अतः निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी होने की स्कीम लगातार और सतत् प्रक्रिया है जिसके पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है क्योंकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मताधिकार के लिए अधिक संख्या में व्यक्तियों के पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण एक लगातार और सतत प्रक्रिया (नामनिर्देशन फाइल करने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने के बीच की अवधि को छोड़कर) है, चालू कार्यक्रम, कार्यक्रम का हमेशा अवशिष्ट भाग का निर्माण करेगा। वे निर्वाचक, जो पिछले अभियानों में छोड़ दिए गए हैं साथ ही नए निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयास कर रहा है। निर्वाचन आयोग जिसके पास निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्रों को जारी करने की स्कीम के क्रियान्वयन का संपूर्ण प्रभार है, नियमित आधार पर इसकी प्रगति की मानीटरी करता रहा है।

जिला न्यायालयों में लम्बित मामले

925. **श्री गोपीनाथ मुंडे : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने जिला न्यायालय हैं और इनमें कितने मामले लंबित हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त लम्बित मामलों में तत्काल न्याय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई नई योजना तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) देश में लगभग 15000 जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। लंबित मामलों की संख्या का आंकड़ा माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा रखा जाता है। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर 31.12.2011 को अधीनस्थ न्यायालयों में 26986307 मामले लंबित थे।

(ख) से (घ) विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका की कार्यक्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए न्यायपालिका की सहायता की दृष्टि से केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की है। मिशन के, प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने तथा संरचनात्मक परिवर्तनों तथा निष्पादक मानकों की स्थापना करके जवाबदेही और क्षमताओं में अभिवृद्धि करने के माध्यम से, दो मुख्य लक्ष्य हैं। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिनिर्धारण के लिए समन्यवयकारी पहुंच का पालन करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए ऐसी बेहतर अवसंरचना सम्मिलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायालयों की पदसंख्या में अभिवृद्धि, अत्यधिक मुकदमों में प्रवृत क्षेत्र में नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण करना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना है। राष्ट्रीय मिशन के पास उनका पालन करने के लिए पांच वर्ष (2011-16) की समय-सीमा है।

इसके अस्तित्व की लघु समय-सीमा में, मिशन ने उसके उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में अनुकूल क्षेत्रों में अनेक उपाय किए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक संसद के समक्ष है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है जो सचिवों की समिति के समक्ष है। चैक बाउंस के मामलों से संबंधित मुकदमें में वृद्धि की जांच करने के लिए अन्य नीति तथा प्रशासनिक उपायों के साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के सुझाव के लिए एक अंतर-मंत्रालीय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

न्यायिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रियाएं तथा न्यायालय के प्रक्रमों के निर्माण से संबंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश में न्यायालयों के निष्पादन के लिए मामला प्रबंधन, न्यायालय प्रबंधन, मापन योग्य मानकों के निर्धारण और राष्ट्रीय न्यायिक सांख्यिकी के मुद्दों से निपटने के

लिए एक राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को हाल ही में अधिसूचित किया गया है। बेहतर दांडिक न्याय प्रणाली के लिए न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय के प्रक्रमों में सुधार के लिए एक उप-समूह को, इस संबंध में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए अध्यक्ष, विधि आयोग के अधीन गठित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास, राष्ट्रीय मिशन के लिए मुख्य क्षेत्र है। राज्य सरकारों के स्रोतों में अभिवृद्धि करने के दृष्टिकोण से, सरकार ने वर्ष 2011-12 से आरंभ करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए रूपांतरित केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन (पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए) निधिकरण पद्धति में केंद्रीय अंश को पुनरीक्षित करते हुए 50:50 से बढ़ाकर 75:25 किया है। 2010-11 से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधिकरण पद्धति को 90:10 रखा गया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान अधीनस्थ न्यायपालिक के अवसंरचना विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 595 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष (2012-2013) के दौरान इस स्कीम के लिए 660 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। 31 जुलाई, 2012 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 206 करोड़ रुपए की रकम पहले ही जारी कर दी गई है।

तेरहवें वित्त आयोग ने, 2010 से 2015 के बीच पांच वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पहलों के लिए, जैसे कि प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली न्यायालयों के आयोजन द्वारा विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय के कार्यघंटों की संख्या में वृद्धि करना; नियमित न्यायालयों में दबाव कम करने के लिए लोक अदालतों के सहयोग में वृद्धि करना; राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने और न्याय के लिए उनकी पहुंच को सशक्त करने में समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराना; न्यायालय की प्रणाली से बाहर विवादों के भाग रूप में समाधान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र का संवर्धन करना; राज्यों के लिए 5000 करोड़ रु. के अनुदान का आबंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने जुलाई, 2011 से दिसंबर, 2011 तक लंबित मामलों की संख्या को कम करने का अभियान आरंभ किया है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से दीर्घकाल से लंबित मामले तथा समाज के निर्धन समूह से संबंधित मामलों के निपटान संबंधी अभियान मोड पहुंच का आरंभ करने का अनुरोध किया था। विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार कुल लंबित मामलों में से 6 लाख मामलों से अधिक मामलों की कमी की गई थी जिनसे लगभग 1.36 लाख मामले लक्ष्यित समूहों से संबंधित हैं जैसे कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों, अल्पवयों तथा उपेक्षित समूहों से हैं।

जुलाई, 2012 से दिसंबर, 2012 तक के साथ-साथ इस वर्ष में एकसमान प्रयास किया गया है। इस वर्ष लंबित मामलों को कम करने के प्रयास का मुख्य केंद्र अपनी न्यायिक प्रणाली को 'पांच प्लस' से मुक्त करना है। इसी प्रकार, विद्यमान रिक्तियों को भरकर तथा अतिरिक्त पदों को सृजित करके अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या में अभिवृद्धि पर जोर दिया जा रहा है, जिससे मामलों का निपटान शीघ्रतापूर्वक किया जाए तथा संपूर्ण लंबित मामलों की संख्या में कमी हो सके।

[अनुवाद]

पेट्रोल बिक्री केन्द्रों को रद्द करना

926. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन करने वाली विभिन्न कंपनियों द्वारा खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप रद्द की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा कुल 598 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप समाप्त/रद्द की गई हैं। राज्य/संघशासित प्रदेश-वार ब्यौरा उनके कारणों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा समाप्त/रद्द किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या का उनके कारणों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य	विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत	बेनामी	खराब निष्पादन	अन्य कारण	योग
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	18	2	16	9	45
अरुणाचल प्रदेश					0
असम	5		4	2	11
बिहार	13	1	21	4	39
छत्तीसगढ़	3		1	3	7
दिल्ली	2	1		2	5
गोवा	3				3
गुजरात	17	3	8	14	42
हरियाणा	5	3	6	10	24
हिमाचल प्रदेश			1	1	2
जम्मू और कश्मीर	2	2	1	1	6
झारखंड	5	1	6	1	13
कर्नाटक	3	3	16	13	35
केरल	4	5	1	9	19
मध्य प्रदेश	13	1	10	4	28
महाराष्ट्र	22		22	8	52
मणिपुर					0
मेघालय	2			0	2
मिजोरम					0
नागालैंड					0

1	2	3	4	5	6
ओडिशा	8	3	3	2	16
पंजाब	21	19	8	9	57
राजस्थान	25	1	10	0	36
सिक्किम					0
तमिलनाडु	7	6	19	14	46
त्रिपुरा				1	1
उत्तराखंड	2	3			5
उत्तर प्रदेश	50	6	9	9	74
पश्चिम बंगाल	10		13	4	27
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					0
चंडीगढ़					0
दादरा और नगर हवेली			1		1
दमन और दीव			1		1
लक्षद्वीप					0
पुदुचेरी		1			1
कुल योग	240	61	177	120	598

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

927. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र के बुलढाना क्षेत्र से रसोई गैस कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची कितनी लम्बी है;

(ख) इस राज्य में कार्यरत रसोई गैस एजेन्सियों की संख्या की तुलना में रसोई गैस के कितने उपभोक्ता हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रसोई गैस के और अधिक केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) यद्यपि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में शून्य प्रतीक्षा सूची की रिपोर्ट दी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने रिपोर्ट दी है कि 01.07.2012 की स्थिति के अनुसार बुलढाना जिले में उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नए कनेक्शनों को जारी करने के लिए 352 की प्रतीक्षा सूची है।

(ख) 01.07.2012 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः आईओसी, बीपीसीएल तथा

एचपीसीएल 18 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थीं, जिनमें महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में प्रचालित 2 राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवीज) शामिल हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से, ओएमसीज लगभग 2.19 लाख एलपीजी ग्राहकों की सेवा कर रही हैं।

(ग) महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में दो नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में आईओसी द्वारा 3 आरजीजीएलवीज की स्थापना के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे और मौजूदा नीति के अनुसार चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।

तथापि, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसमें विज्ञापन, आवेदन-पत्रों की प्राप्ति/जांच, उम्मीदवारों का चयन, क्षेत्र सत्यापन, बुनियादी सुविधा की स्थापना, विभिन्न अनिवार्य लाइसेंसों का प्रापण तथा अनुमोदन और उसके बाद उन्हें चालू किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

एलएनजी सौदे

928. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ दीर्घावधि का तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीद सौदा करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या रूपरेखा तैयार की गई है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल) ने बताया है कि वे इंडोनेशिया की विभिन्न मौजूदा और भावी एलएनजी परियोजनाओं से अल्पकालिक/दीर्घकालिक आधार पर एलएनजी प्राप्त करने के अवसर तलाश कर रहे हैं और जापान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों से एलएनजी की विपथित मात्राओं को प्राप्त करने के अवसर भी तलाश कर रहे हैं।

भेषज उद्योग का विकास

929. **श्री रामसिंह राठवा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आने वाले वर्षों में भारतीय भेषज उद्योग की वार्षिक औसत विकास दर 1/2.3% रहने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और वर्ष 2008, 2011 और 2015 में इस उद्योग में अनुमानतः कितने मूल्य का व्यापार होने का अनुमान है; और

(ग) इस उद्योग की विकास दर में पेटेंट औषधियों और गैर-पेटेंट औषधियों का अनुमानतः कितना हिस्सा है और वर्ष 2010 तथा 2015 के बीच घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस उद्योग की विकास दर क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए "औषध तथा भेषज उद्योग" संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय औषध उद्योग के लिए दर्शा गई विषय दर के बारे में यह कल्पना की गई है कि यह वर्ष 2016-17 तक 18% हो जाएगी।

(ख) वर्ष 2008 में औषध उद्योग का अनुमानित कारोबार 80,300 करोड़ रुपए का था जो मार्च, 2010 में 1,04,209 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वर्ष 2011 और 2015 के लिए कारोबार के अनुमानित मूल्य के आंकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए "औषध तथा भेषज उद्योग" संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 तक स्वदेशी बाजार में उद्योग की दर्शाई गई विकास दर 21% होने की परिकल्पना की गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दर्शाई गई विकास दर 16% होने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2010 और 2015 के बीच औषध उद्योग की विकास दर में पेटेंट और गेर-पेटेंट औषधियों के योगदान के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

आरजीजीएलवीवाई के अंतर्गत लाभार्थी

930. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009 के बाद से आज की तारीख तक राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के अंतर्गत राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लाभार्थी हैं;

(ख) उक्त योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के उपयोग में कितनी कमी आई है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के बाद राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में की गई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) वर्ष 2009 से जुलाई, 2012 तक की अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने देश में अपनी राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा 15,81,114 ग्राहकों को नामांकित किया है। राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि अप्रैल, 2009 से जून, 2009 की अवधि के दौरान 29,26,576 कि.ली. की तुलना में उन्होंने अप्रैल, 2012 से जून, 2012 की अवधि के दौरान देश में 24,13,306 किलो लीटर (कि.ली.) की आपूर्ति की है, जो खपत में 17.5% की कमी दर्शाता है, जो एलपीजी विस्तार और आबंटन में कमी का संयुक्त प्रभाव है। प्रत्येक वर्ष के लिए एसकेओ कोटे का निर्धारण विगत वर्ष के लिए घटकों के कारण आबंटन को कम करने के साथ-साथ, घरेलू एलपीजी कवरेज में वृद्धि, पीडीएस मिट्टी तेल कोटे का समाप्त होना तथा अछूती एलपीजी आबादी के प्रति व्यक्ति आधार पर आबंटन नियंत्रित करके किया जाता है। वर्ष 2009-10 से विभिन्न राज्यों के लिए मिट्टी तेल का कोटा (मी.ट. में) संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

(घ) एलपीजी क्षेत्र के लिए अपनाए गए "विजन 2015" के अनुसार, यह प्रस्तावित है कि देश के सभी ब्लॉकों में कम से कम एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी जिलों के लिए 50% एलपीजी कवरेज, सभी राज्यों के लिए न्यूनतम 60% एलपीजी कवरेज तथा अखिल भारतीय आधार पर 75% एलपीजी कवरेज हो।

विवरण-I

आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से जारी एलपीजी कनेक्शनों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009 से जुलाई, 2012 की अवधि के दौरान जारी एलपीजी कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	147850
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	228681
5.	छत्तीसगढ़	24663
6.	दिल्ली	0
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	17833
9.	हरियाणा	76
10.	हिमाचल प्रदेश	10694
11.	जम्मू और कश्मीर	0
12.	झारखंड	53228
13.	कर्नाटक	45274
14.	केरल	127
15.	मध्य प्रदेश	79514
16.	महाराष्ट्र	211397
17.	मणिपुर	400
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	1500
20.	नागालैंड	0
21.	ओडिशा	70604
22.	पंजाब	3129
23.	राजस्थान	194670
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	141659
26.	त्रिपुरा	200
27.	उत्तर प्रदेश	246356
28.	उत्तराखंड	155

1	2	3
29.	पश्चिम बंगाल	100554
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
31.	चंडीगढ़	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	0
	योग	15,81,114

विवरण-II

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल कोटा, मी.टन में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5659	5640	5640
2.	आंध्र प्रदेश	517102	463658	413080
3.	अरुणाचल प्रदेश	9170	9133	9049
4.	असम	257893	257725	257360
5.	बिहार	643786	641837	638381
6.	चंडीगढ़	7181	7135	5706
7.	छत्तीसगढ़	145822	145504	145214
8.	दादरा और नगर हवेली	2785	2363	1933
9.	दमन और दीव	2073	1812	1569
10.	दिल्ली	135235	108093	47767
11.	गोवा	19209	17650	15390
12.	गुजरात	742668	716386	524190
13.	हरियाणा	144830	134344	122381
14.	हिमाचल प्रदेश	45466	31331	25270
15.	जम्मू और कश्मीर	75326	73994	73994
16.	झारखंड	210964	210780	210332
17.	कर्नाटक	461340	437986	419879
18.	केरल	216310	175172	15340
19.	लक्षद्वीप	795	794	794
20.	मध्य प्रदेश	487845	487480	487480
21.	महाराष्ट्र	1276588	1217258	979620
22.	मणिपुर	19743	19723	19723
23.	मेघालय	20359	20339	20283
24.	मिजोरम	6181	6163	6098
25.	नागालैंड	13318	13307	13307
26.	ओडिशा	314334	313728	312019
27.	पुदुचेरी	12249	12243	8125
28.	पंजाब	234700	222098	212106
29.	राजस्थान	398431	398167	397980
30.	सिक्किम	5566	5136	5127
31.	तमिलनाडु	558428	493111	429068
32.	त्रिपुरा	30740	30584	30556
33.	उत्तर प्रदेश	1240789	1240286	1239455
34.	उत्तराखंड	89845	86428	83673
35.	पश्चिम बंगाल	751536	751275	750761
	योग	9104266	8758660	8066713

नोट: इन आंकड़ों में लद्दाख क्षेत्र के लिए 4626 कि.ली. सहित जम्मू और कश्मीर के लिए आबंटन तथा अतिरिक्त आबंटन शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण

931. **श्री उदय सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली को विभिन्न सरकारी संगठनों तथा निजी संगठनों से प्राप्त प्रत्येक अनुसंधान परियोजना के वित्तपोषण का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी प्रतिशत परियोजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है तथा क्या इस मामले में कोई लेखापरीक्षा/समीक्षा कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ओएनजीसी द्वारा विद्युत संयंत्रों की स्थापना

932. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के पास देश में सौर, उर्वरक, पवन और परमाणु संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनकी अनुमानित क्षमता का ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) उपर्युक्त संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की देश में सौर, उर्वरक, पवन, परमाणु संयंत्र स्थापित करने की योजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

सौर: ओएनजीसी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर पर कैनाल टाप सोलर फोटो – वोल्टाइक प्लांट [5 मेगावाट (एमडब्ल्यू) तक] स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर रही हैं। अध्ययन के सफलतापूर्ण परिणाम के आधार पर निश्चित क्षमता, मात्रा और निवेश के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया जाएगा।

उर्वरक: त्रिपुरा में खुबाल से नई गैस खोज के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस आधारित यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस परियोजना को उर्वरक डोमेन कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में शुरू करने का इरादा है जिसके लिए नीतिपरक गठजोड़ हेतु इच्छुक पार्टियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी। ओएनसीजी की लगभग 1.3 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता के यूरिया आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए व्यवहार्यता, लगने वाले वास्तविक समय, निवेश आवश्यकता, संबद्ध जोखिमों और उन्हें कम करने के उपायों का पता लगाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने की योजना है।

पवन: ओएनजीसी गुजरात में 51 मेगावाट का विंड फार्म पहले ही स्थापित कर चुकी है जिसका वर्ष 2008 से प्रचालन किया जा रहा है। ओएनजीसी बोर्ड ने राजस्थान में 102 मेगावाट का एक और विंड फार्म स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जो निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के अंतिम चरण में है। निविदा शर्तों के अनुसार परियोजना को प्रदान किए जाने की तारीख से 14 माह के भीतर चालू किया जाना है।

परमाणु: ओएनजीसी देश में परमाणु संयंत्रों की स्थापना हेतु संयुक्त उद्यम बनाने की संभावना तलाश करने के लिए न्यूक्लीयर पावर कॉर्पोरेशन लि. (एनपीसीआईएल) के साथ प्रारंभिक विचार-विमर्श कर रही है। सफलतापूर्ण परिणाम के अनुसार क्षमता, परियोजना स्थलों आदि की पहचान करने के लिए निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजसहायता हानि

933. **श्री राजू शेट्टी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा ट्रिपल सुपर फास्फेट का उपयोग नहीं किए जाने के कारण लगभग 400 करोड़ रुपए की राजसहायता की हानि होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ट्रिपल सुपर फास्फेट की बिक्री की समय-सीमा का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) किसानों द्वारा ट्रिपल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल न करने के कारण राजसहायता की कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) टीएसपी की बिक्री के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

[अनुवाद]

ट्रेनों का ठहराव और हॉल्ट

934. **श्री प्रवीण सिंह ऐरन :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भितौरा रेलवे स्टेशन (उत्तर प्रदेश) पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव प्रदान करने और इस स्टेशन पर सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) बाराबंकी-गोंडा रेल लाइन पर रानी बाजार स्टेशन पर हॉल्ट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) भितौरा स्टेशन पर महत्वपूर्ण गाडियों का ठहराव देने की जांच की गई है परन्तु फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है। भितौरा स्टेशन एक छोटा स्टेशन है जहां पैसेंजर गाड़ियां ही ठहरती हैं। उपर्युक्त स्टेशन के लिए रेल सुरक्षा बल की कोई स्वीकृत संख्या नहीं है। बहरहाल, आवश्यकता के आधार पर अपेक्षित सुरक्षा उपकरणों के साथ रेल सुरक्षा बल कर्मियों की तैनाती की जाती है।

(ख) बाराबंकी-गोंडा रेल लाइन पर रानी बाजार में हॉल्ट स्टेशन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की गई और फिलहाल इसे परिचालनिक और वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

संपर्क सड़क का निर्माण

935. **श्री हरिभाऊ जावले :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य में फील्ड संपर्क सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली (2001 की जनगणना के अनुसार) तथा पहाड़ी राज्यों; मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित); जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत यथानिर्धारित चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली (2001 की जनगणना के अनुसार) सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है।

महाराष्ट्र ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं और इनकी स्थिति नीचे दी गई है।

चरण	कार्यों की संख्या	सड़क की लम्बाई	मूल्य (करोड़ रु.)	स्थिति
10वां चरण	452 पुल और 9 सड़कें	18,514 मी. (एलएसबी) 92.13 कि.मी. (सड़कें)	450.32 (ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा (358.10 है)	स्वीकृति पत्र जारी किया गया।
11वां चरण	359 सड़क कार्य	723.11 कि.मी.	634.12 (ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा 577.56 है)	अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गईं। राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह अधिकार प्राप्त समिति की टिप्पणियों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजे और इस आधार पर औपचारिक स्वीकृति मांगे।

[हिन्दी]

जल प्रशुल्क निकाय

936. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र निकायों का गठन करने पर विचार कर रही है जो पेयजल के प्रशुल्क का निर्णय लेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत पेयजल परियोजनाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत राज्य सरकारें एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में दी गई सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति सहित पेयजल परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन तथा परिचालन करने में सक्षम हैं।

(ङ) और (च) जल राज्य का विषय है। जैसा कि ऊपर बताया गया है एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्य सरकारें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, डिजाइन, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन करने में सक्षम हैं और इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

937. **श्री एल. राजगोपाल : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्ष-वार तथा जिला-वार क्या स्थिति है;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित व्यवहारिक और प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में कोई खामी देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में इस कार्यक्रम के शुरूआत (2006-07) से इसके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस कार्यक्रम की जिला-वार मॉनीटरिंग की जाती है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित योजनाओं की उपलब्धि लक्ष्य की तुलना में 90 प्रतिशत से कम हुई है:—

(i) सर्व शिक्षा अभियान — निर्मित प्राइमरी स्कूल
निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूल
निर्मित अतिरिक्त कक्षा — कक्ष और स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(ii) सीडी ब्लॉकों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

(iii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (वित्तीय आबंटन)

(iv) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण; और

(v) आईटीआई संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन

इसमें गिरावट आने के मुख्य कारणों में भूमि से संबंधित संस्थाएं, कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरण को राज्य सरकार से निधियों के अंतरण में विलम्ब और राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब शामिल हैं।

(ङ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, सचिवों की समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाती है और इसके पश्चात् इसकी रिपोर्ट मंत्रिमंडल को भेजी जाती है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थिति

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से अभिप्रेत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाएं

योजना	2006-07			2007-08			2008-09		
	वास्तविक			वास्तविक			वास्तविक		
	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त धनराशि	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त धनराशि	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त धनराशि
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	योजना शुरू नहीं हुई			योजना शुरू नहीं हुई			27353	25923	5.37
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	योजना शुरू नहीं हुई			3251	0	0.00	10837	9248	6.23
मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	योजना शुरू नहीं हुई			867	889	2.23	867	1411**	3.61
मौलाना-आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	योजना शुरू नहीं हुई			योजना शुरू नहीं हुई			योजना शुरू नहीं हुई		
अल्पसंख्यक बालिका छात्रों के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	130	111	0.01	260	223	0.27	522	828	0.99
नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना	राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।			–	185	0.32	–	650	0.49
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की सावधि एवं लघु वित्त ऋण	–	5117	7.57	–	2631	8.89	–	637	0.47

*2009-10 के रिफ्ल ओवर के मामले शामिल करते हुए।

**इसमें नवीकरण शामिल हैं।

(करोड़ रु.)

2009-10			2010-11			2011-12			योग		
वास्तविक			वास्तविक			वास्तविक			वास्तविक		
लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त धनराशि	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त धनराशि	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त धनराशि	लक्ष्य	उपलब्धि	निर्मुक्त
65032	86248	13.90	86709	225462*	2.85	147406	191973	26.88	326500	529606	162.21
13006	26692	19.96	17342	42972*	35.24	22761	20550	17.28	67197	99462	148.02
867	1319**	2.36	867	1319*	3.39	867	1126**	3.09	4335	6064**	139.88
31	32	धनराशि राज्यों को निर्मुक्त नहीं की जाती है बल्कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी) को की जाती है।	31	69**	धनराशि राज्यों को निर्मुक्त नहीं की जाती है बल्कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी) को की जाती है।	31	103**	धनराशि राज्यों को निर्मुक्त नहीं की जाती है बल्कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी) को की जाती है।	93	204**	219.35
652	1072	1.29	782	924	1.11	868	903	1.08	3214	4061	126.353
—	100	0.17	—	50	0.37	—	200	0.27	—	1185	—
—	704	0.45	—	0	0.00	—	0	0.00	—	3972	—

अन्य मंत्रालयों की योजनाएं

उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक लक्ष्य निर्धारित हैं

योजना	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं सहायता विभाग															
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)															
(i) निर्मित प्राइमरी स्कूल	50	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	33	66
(ii) निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूल	50	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	26	52
(iii) निर्मित अतिरिक्त कक्ष	0	0	0	0	0	0	100	74	362	316	425	200	887	590	66.5163
(iv) शिक्षकों के स्वीकृत पद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	143	0	0
(v) स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	0	0	5	5	7	0	12	12	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं		0	0	24	17	70.8333
महिला और बाल विकास मंत्रालय															
समन्वित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन	72	41	482	619	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं		185	0	185	106	79	52	1003	818	81.56
ग्रामीण विकास मंत्रालय															
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (आजीविका)	1342	14365	10709	8684	14040	19708	14759	8947	17546	10838	15862	967	60218	63509	105.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
इंदिरा आवास योजना	1887	0	28822	6347	28820	34989	55797	49822	38566	38208	37352	36139	162424	165505	101.90
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय															
छोटे-छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	1613	0	1613	1557	1613	2151	336	1176	336	1597	663	1093	6174	7574	122.68
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण	2016	0	2016	4104	2016	4815	2688	3167	2688	4211	2637	7349	14061	23646	168.17
योजनाएं जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित हैं															
ग्रामीण विकास मंत्रालय															
इंदिरा आवास योजना	4.77	0.00	72.06	17.23	100.87	129.01	195.29	141.99	173.55	167.45	169.52	122.61	615.181	578.2923	94.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय															
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	3.77	0	4.52	3.31	3.07	0.16	3.00	3.17	3.31	3.46	3.33	7.34	21.0031	17.4398	83.03
वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग															
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	4461.68	4105.26	4461.68	4105.26	6072.51	6470.41	11115.95	9149.47	14776.50	10679.90	15571.84	12402.56	56460.16	46912.86	83.09
श्रम और रोजगार मंत्रालय															
आईटीआई संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नयन	—	—	2.05	2.05	0.24	0	0.13	0	0	0.32	0.25	0	2.67	2.37	88.62

उन योजनाओं जिनमें अल्पसंख्यकों को निधियों/लाभों के प्रवाह की निगरानी की जाती है

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		योग	
	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	कुल परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत
शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं	—	—	राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं		3010.18	0.00	3010.18	0.00	3393.65	0.00	3393.59	0.00	12807.60	791.27
समन्वित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	—	—	राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं		1139.13	202.02	1139.1	202.02	1139.1	202.02	1139.10	185.21	4556.43	791.27

शहरी विकास मंत्रालय

योजना (मंत्रालय/विभाग)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत	अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत
शहरी अवसंरचना एवं शासन	योजना को वर्ष 2009-10 में शामिल किया गया।			राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं	552.37	552.37	1104.74
लघु एवं मध्य नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास की योजना	योजना को वर्ष 2009-10 में शामिल किया गया।			राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं	474.96	385.01	859.97

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्य पहलें

(करोड़ रुपए)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना	योजना नवम्बर, 2008 में शुरू हुई।			228 शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए 40 मदरसों को कवर करते हुए 2.60 करोड़ रु. निर्मुक्त	0	0	228 शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए 40 मदरसों को कवर करते हुए 2.60 करोड़ रु. निर्मुक्त

ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग

938. श्री ओ.एस. मणियन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम की तटीय/अपतटीय ड्रिलिंग क्रियाकलापों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणाम/उपलब्धियां क्या रहीं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) पिछले वित्त वर्ष (2011-12) के दौरान, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा कुल 135 अन्वेषी कूपों का वेधन किया गया था। राज्य-वार वेधित कूपों की संख्या निम्नवत् है:—

राज्य	अन्वेषी कूप	विकास कूप
1	2	3
आंध्र प्रदेश	10	10
असम	18	24
गुजरात	47	185
हिमाचल प्रदेश	1	0
मध्य प्रदेश	2	0
मिजोरम	1	0
राजस्थान	2	0
तमिलनाडु	8	11
त्रिपुरा	9	3
पश्चिम बंगाल	1	0
जमीनी कार्य	**99**	**233**
कुल पश्चिमी अपतट उथला समुद्र (एसडब्ल्यू)	19	42
कुल पश्चिमी अपतट उथला समुद्र + गहरा समुद्र (एसडब्ल्यू+डीडब्ल्यू)	19	42
कुल पूर्वी अपतट (एसडब्ल्यू)	3	0
कुल पूर्वी अपतट (डीडब्ल्यू)	14	0
कुल पूर्वी अपतट (एसडब्ल्यू + डीडब्ल्यू)	17	0
अपतटीय कार्य	36	42
कुल ओएनजीसी	135	275

(ख) अन्वेषी प्रयासों द्वारा 44 कूप हाइड्रोकार्बन युक्त पाए गए हैं और इनमें 21 खोजें की गई हैं। इसके अलावा, विकास कूपों से दो खोजें की गई थीं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान ओएनजीसी ने तत्स्थान 242.53 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) (ओ+ओईजी) की वृद्धि की हैं तथा 84.13 एमएमटी (ओ+ओईजी) के अंतिम भंडार प्राप्त किए गए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान ओएनजीसी द्वारा वेधित विकास कूपों से वर्ष 2011-12 के लिए संचयी उत्पादन (ओ+ओईजी) 0.778 एमएमटी है।

नए उपभोक्ताओं को रसोई गैस के सिलेन्डर

939. श्री के. सुगुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल विपणन करने वाली सभी कंपनियों से अनेक राज्यों में भीषण सूखे की स्थिति के कारण सभी नए उपभोक्ताओं को तत्काल आधार पर रसोई गैस के सिलेन्डर प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार और विभिन्न तेल विपणन करने वाली कंपनियों द्वारा ऐसे राज्यों में तत्काल रसोई गैस सिलेन्डर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) नामत:, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) निरंतर नए एलपीजी ग्राहकों का नामांकन करती हैं तथा नया एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को पूरा करने के बाद और इसकी अपयुक्त जांच के पश्चात् डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के क्षेत्र में रहने वाले आवेदक को मांग के आधार पर नए एलपीजी कनेक्शन जारी करती हैं।

एलपीजी डिस्ट्रब्यूटर्स सामान्य परिस्थितियों के तहत अल्प संभव समय में रीफिल एलपीजी सिलिंडरों की सुपुर्दगी करते हैं। अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए भरण संयंत्रों का प्रचालन आवश्यकता के आधार पर रविवार को तथा छुट्टी के दिनों में एवं नियमित कार्य दिवसों में बढ़े हुए घंटों के दौरान किया जाता है।

[हिन्दी]

वडसा-गढ़चिरौली लाइन

940. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वडसा-गढ़चिरौली खंड पर नई रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू/पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) इस परियोजना के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ख) 2012-13 के लिए 1.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) परियोजना संबंधी प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं। कार्य पूरा करने की समयावधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि इन परियोजनाओं की प्रगति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा व्यापार का विविधीकरण

941. **डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने अपने व्यापार क्षेत्र का विविधीकरण करने और नए एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में जाने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम के लिए तरलीकृत ईंधन व्यापार में होने वाली हानि को पूरा करने तथा तेल एवं गैस बाजार में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए गैस बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखने की भी जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आईओसी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की हाइड्रोकार्बन और संबद्ध कारोबार के नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए योजनाओं और उपायों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(i) ओएनजीसी ने उच्च दबाव उच्च ताप (एचपीएचटी) कूप, बेसमेंट ड्रिलिंग, शेल और कठोर गैस, कोल बैड मीथेन (सीबीएम), गहरे समुद्री ब्लॉक आदि जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को गठजोड़ और भागीदारी के जरिए अपने भावी विकास के लिए अभिज्ञात किया है।

(ii) **ओएनजीसी क्रमश:** मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल लि. (एमआरपीएल) और पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल) के जरिए कारोबार के रिफाइनरी और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) क्षेत्र में पहले ही मौजूद है।

एकीकरण परियोजना के रूप में ओएनजीसी त्रिपुरा, दाहेज और मंगलौर में संयुक्त उद्यम के जरिए विद्युत, पेट्रोरसायन में परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(iii) ओएनजीसी ने हरित ऊर्जा विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में परमाणु विद्युत उत्पादन सहित पवन और सौर जैसे वैकल्पिक ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की पहचान की है जिससे कारोबारी अनिश्चितताओं से प्रभवी बचाव के साथ इसके तुलन पत्र में स्थाई और दीर्घकालिक नकदी प्रवाह बने रहने की संभावना है।

(iv) ध्यान देने योग्य और विचाराधीन अन्य क्षेत्र निम्नानुसार हैं:—

- एलएनजी पुनर्गैसीकरण और नगर गैस वितरण।
- उर्वरक संयंत्र के जरिए मोनेटाइज स्ट्रैंडेड गैस।
- भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना।
- अपतटीय पवन क्षमता के वाणिज्यिक संदोहन पर जोर देना।
- जियोथर्मल, टाइडल, रन ऑफ रिवर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन्स, ऊर्जा दक्ष लाइटिंग जैसे उभर रहे ऊर्जा संबद्ध कारोबार पर जोर देना और उसमें अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) निवेश की जांच करना।

उपर्युक्त निवेश योजनाएं परियोजनाएं विशेष की व्यवहार्यता और हाइड्रोकार्बन शृंखला में परिकल्पित अभिग्रहण मूल्य और साथ ही हरित ऊर्जा फुट प्रिंट में वृद्धि की शर्त पर हैं। तथापि, ओएनजीसी का मुख्य जोर महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम कारोबार पर है।

(ग) और (घ) जी, हां। तरल ईंधन के कारोबार में हुई हानि को पूरा करने और गैस बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओओसीएल) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(i) पीएलएल का प्रवर्तन होने के नाते आईओसीएल एक क्रेता के रूप में पीएलएल द्वारा आयात किए जा रहे लंबी अवधि के एलएनजी के एक तिहाई भाग का विपणन करने के लिए अधिकृत है।

(ii) आईओसीएल उन ग्राहकों को, जो प्राकृतिक गैर-पाइपलाइनों से नहीं जुड़े हैं अथवा जो ग्राहक अपने प्रचालनों के लिए केवल एलएनजी की मांग करते हैं, सड़क के माध्यम से एलएनजी की आपूर्ति करने का रास्ता सुझाया है।

(iii) गेल (इंडिया लिमिटेड) के साथ भागीदारी में आईओसी दो नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों अर्थात् आगरा और लखनऊ के लिए एक संयुक्त उद्यम (जेवी) प्रचालित करती रही है।

(iv) प्राकृतिक गैस की मांग विभिन्न ग्राहकों को उपलब्धता, बुनियादी सुविधा और खर्च करने की सामर्थ्य से प्रेरित होती है। आईओसीएल चेन्नई के निकट इन्नोर में 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता का एलएनजी भंडारण और पुन:गैसीकरण टर्मिनल को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत औषधियां

942. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य (नियंत्रण आदेश), 1995 के अंतर्गत शामिल नहीं की गई औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें डीपीसीओ के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गैर-अनुसूचित संपाकों के अंतर्गत मूल्य निगरानी का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित संपाकों के अंतर्गत मूल्यों की निगरानी के बाद कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार द्वारा अनुदेश दिए जाने के बावजूद भी कंपनियों ने स्वेच्छा से मूल्य कम नहीं किए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों के मूल्य तथा इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक तूल्य पर नहीं बेच सकता है। जो औषधियों, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अंतर्गत नहीं आती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माता सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन लिए बना स्वयं मूल्यों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। 74 अनुसूचित बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के सिवाय सभी अन्य औषधियां और फार्मूलेशन गैर-अनुसूचित औषधियां/फार्मूलेशन हैं।

सरकार द्वारा सितम्बर, 1994 में घोषित 'औषधि नीति, 1986 में संशोधन' के पैरा 22.7.2 में नियंत्रण अवधि में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर 76 ब्लक औषधियों, जिन्हें बाद में कम करके 74 ब्लक औषधियां कर दिया गया था, को मूल्य नियंत्रण के प्रयोजन के डीपीसीओ, 1995 की प्रथम अनुसूचित में शामिल कर लिया गया था। गैर-अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के रूप में नामक शेष औषधियां और फार्मूलेशन सरकार के प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण के अधीन शामिल नहीं हैं।

(ग) से (च) एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्ट और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य की मॉनीटरिंग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। जहां कहीं 10% वार्षिक से अधिक मूल्यवृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारण करने हेतु डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है। इन दवाइयों के जांच मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है।

आईएमएस स्वास्थ्य द्वारा प्रस्तुत स्टॉक गौण लेखापरीक्षा रिपोर्टों के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान विपणित फार्मूलेशन पैकों की संख्या 55,864 से लेकर 61,325 रही है।

विगत पांच वित्त वर्षों में आईएमएस स्वास्थ्य की खुदरा लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संदर्भ में प्रतिशत के रूप में मासिक आधार पर जिन पैकों के मूल्यों में वृद्धि हुई, कमी हुई तथा जिनके मूल्य स्थिर रहे, उनकी प्रतिशत संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1. जिन पैकों के मूल्यों में वृद्धि हुई उनकी प्रतिशत संख्या:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2008-09	0.07	0.12	0.30	0.05	0.11	15.89	1.73	2.44	0.10	0.07	0.02	8.74
2009-10	1.99	0.62	4.75	0.01	0.07	3.21	0.14	0.003	2.92	0.03	0.02	2.66
2010-11	0.09	0.02	1.98	0.22	0.09	2.28	0.08	0.03	2.46	0.30	0.01	1.89
2011-12	0.07	0.02	1.49	0.01	0.004	1.77	0.19	0.03	5.00	0.007	0.03	0.10

2. जिन पैकों के मूल्यों में कमी हुई उनकी प्रतिशत संख्या

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2008-09	0.01	0.03	0.08	0.02	0.09	10.85	1.32	2.41	0.29	0.02	0.03	6.67
2009-10	1.32	0.48	5.15	0.02	0.02	2.96	0.02	0.01	1.31	0.02	0.03	0.87
2010-11	0.06	0.01	1.45	0.14	0.03	1.15	0.01	0.02	0.88	0.15	0.01	0.62
2011-12	0.01	0.04	0.89	0.03	0.008	0.67	0.12	0.02	3.74	0.003	0.02	0.03

3. जिन पैकों के मूल्यों में स्थिर रहे उनकी प्रतिशत संख्या:

वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
2008-09	99.93	99.85	99.62	99.92	99.80	73.26	96.95	95.15	99.61	99.91	99.95	84.59
2009-10	96.69	98.90	90.10	99.96	99.92	93.83	99.84	99.99	95.76	99.95	99.96	96.47
2010-11	99.85	99.97	96.57	99.65	99.88	96.57	99.91	99.95	96.66	99.55	99.98	97.49
2011-12	99.92	99.94	97.62	99.96	99.99	97.56	99.69	99.95	91.26	99.99	99.95	99.87

स्रोत: आईएमएस — स्वास्थ्य

जैसाकि उपर्युक्त सारणियों से देखा जा सकता है पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछेक पैकों के मूल्यों में ही वृद्धि हुई है जबकि अधिकतर पैकों के मूल्य स्थिर रहे हैं। जैसाकि ऊपर बताया गया है एनपीपीए ने जनहित को देखते हुए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किए हैं।

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक के अनुसार आंके गए मूल्य परिवर्तन

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांकों के अनुसार जो स्थिति उभरकर सामने आई है, वह इस प्रकार है:—

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05)

वर्ष	सभी वस्तुएं	% वृद्धि	औषधि और दवाइयां	% वृद्धि
2008-09	126.02	8.05	111.41	3.05
2009-10	130.81	3.80	112.72	1.17
2010-11	143.32	9.56	115.40	2.38

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

यह देखा जा सकता है कि औषधियों तथा दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान सभी वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में आमतौर पर कम रही है।

गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के आधार पर एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अधीन 30 फार्मूलेशन पैकों के मामले में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 65 फार्मूलेशन पैकों के मामले में स्वेच्छा से मूल्य कम किए हैं। इस प्रकार एनपीपीए के हस्तक्षेप के परिणामत: गैर-अनुसूचित औषधियों के कुल 95 पैकों के मूल्य कम हुए हैं।

औषधियों का उत्पादन

943. **श्री सी. राजेन्द्रन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषधियों के विनिर्माण में शामिल भारतीय तथा विदेशी दोनों में पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी औषधियों का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार के पास औषध विनिर्माण कंपनियों द्वारा औषधियों के विनिर्माण तथा विपणन की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में कोई अपंजीकृत कंपनियां भी औषधियां बना रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अनुसार भारत में औषध निर्माण एकक डायरेक्टरी, 2007 के मुताबिक देशभर में 10,563 औषध निर्माण एकक हैं। इनमें 8,174 फार्मूलेशन निर्माण एकक तथा 2,389 बल्क औषधि निर्माण एकक शामिल हैं।

(ख) औषधियों का उत्पादन विभिन्न रूपों जैसे लिक्विड, टेबलेटों, केप्सूलों आदि के रूप में किया जाता है। इसलिए उत्पादित औषधियों की मात्रा के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) औषधि महानियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ने यह सूचित किया है कि औषधियों का निर्माण और विपणन लाइसेंसशुदा कार्य है और इसका विनियमन लाइसेंसिंग और निरीक्षण तंत्र के जरिए औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया जाता है।

(ङ) औषध महानियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि गैर-लाइसेंसशुदा निर्माताओं द्वारा औषधियों के निर्माण की अनुमति उक्त अधिनियम के अधीन नहीं दी जाती है।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पीएनजी आपूर्ति में अनियमितताएं

944. **श्री ओम प्रकाश यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विशेषकर गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आवासीय क्षेत्रों में पाइप से प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति करने का कार्य करने वाली कंपनियां विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त हैं तथा उपभोक्ताओं से इसकी बुकिंग के लिए प्रतिभूति-राशि प्राप्त करने के एक वर्ष बाद भी उन्हें पीएनजी कनेक्शन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) एक वाणिज्यिक कंपनी है जिसे दिल्ली गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में विभिन्न उपभोक्ताओं को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आईजीएल ने रिपोर्ट दी है कि गाजियाबाद सहित एनसीआर में किसी उपभोक्ता को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में कोई अनियमितताएं नहीं हुई हैं। दिनांक 31 जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार, आईजीएल के पास गाजियाबाद में 877 पंजीकरण थे जो एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। उनमें से 650 एक निजी बिल्डर

(एबीए बिल्डर्स) के हैं जिसने इन आवासीय इकाइयों के निर्माण से पहले ही अग्रिम में पंजीकरण कराया था। उनमें अन्य 46 मामले विभिन्न कारणों से वापसी योग्य है। शेष 181 मामलों में जिनकी जमानत राशि एक वर्ष से पहले प्राप्त हो गयी थी, को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में विलम्ब कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु भू-स्वामी एजेंसियों से अनुमति मिलने में विलम्ब होने, तृतीय पक्षकार से आपत्तियां मिलने, निर्माणाधीन आवासीय इकाइयां होने, ग्राहकों की अनुपस्थिति के कारण ग्राहकों के परिसरों तक नहीं पहुंच पाने आदि जैसे कारणों से हुआ है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

न्यायालय-शुल्क

945. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायालय-शुल्क में वृद्धि के संबंध में कानून में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शुल्क में कितनी वृद्धि की गयी है तथा इसके किन-किन मामलों में लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का न्यायालय-शुल्क से संबंधित मानदंडों में व्यापक एकरूपता लाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) केंद्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय में और संघ राज्यक्षेत्रों (सं.रा.क्षे.) के न्यायालयों में संदेय फीस से संबद्ध है। तदनुसार, संसद, सूची-1 की प्रविष्टि 77 के साथ पठित अनुच्छेद 246(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय में संदेय फीस की बाबत विधि बना सकती है। तथापि, ऐसी कोई विधि नहीं बनायी गई है और उच्चतम न्यायालय में संदेय फीस का संविधान के अनुच्छेद 145(1) के अधीन उच्चतम न्यायालय द्वारा विरचित उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 द्वारा शासित होना जारी है। उच्चतम न्यायालय में संदेय फीस के पुनरीक्षण की सिफारिश करने वाली विधि आयोग की 236वीं रिपोर्ट को 1966 के नियमों का संशोधन करने की आवश्यक कार्यवाही के लिए मार्च, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय को अग्रेषित किया गया था।

जहां तक संघ राज्यक्षेत्र संबद्ध हैं, दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में संदेय फीस दस गुना करके पुनरीक्षण करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को इसके लागू करने में न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का और संशोधन करने के लिए न्यायालय फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2012 को हाल ही में अधिनियमित किया है। पुदुचेरी के पास एक पृथक अधिनियम अर्थात् "पुदुचेरी न्यायालय फीस और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1972" है। पुदुचेरी की विधान सभा ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों में संदेय फीस का पुनरीक्षण करने के लिए 1972 के अधिनियम को संशोधित नहीं किया है। शेष संघ राज्यक्षेत्रों के न्यायालयों में संदेय फीस आस-पास के राज्यों के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित होती है।

"उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस" एक राज्य विषय (राज्य सूची की प्रविष्टि 3) है और अत: संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार यह राज्य विधान मंडल के लिए है कि वह उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में संदेय फीस के पुनरीक्षण की बाबत विधियां बनाए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना

946. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से सरकारी वित्त पर निर्भर होने की बजाय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो कर धनराशि उगाहने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई पीएसयूज ने स्टॉक एक्सचेंज में स्वयं को सूचीबद्ध कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार की विनिवेश नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उन सभी सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों जिनका निवल मूल्य पॉजिटिव है, संचित घाटा नहीं है और जिन्होंने पिछले निरंतर 03 वर्षों के दौरान निवल लाभ अर्जित किया है, को सरकार की हिस्सेदारी में से सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफरिंग) या कम्पनी द्वारा नई इक्विटी जारी करके या दोनों के मिश्रण के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाना होता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त विनिवेश नीति के अनुसरण में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए कार्रवाई शुरू की होगी। तथापि, सरकार ने अब तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की हिस्सेदारी में से कम्पनी की 10 प्रतिशत भुगतान की गई इक्विटी की बिक्री के द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) के सूचीकरण को अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

सिंचाई के स्रोतों का विकास

947. श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो दशकों के दौरान देश में सिंचाई के स्रोतों का विकास किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह नोट किया है कि सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए निर्मित नहरों की मरम्मत नहीं की जाती है तथा उनमें समय पर गाद की सफाई नहीं की जाती है तथा, यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;

(ग) सिंचाई के विकास हेतु विश्व के अन्य देशों में उपलब्ध तकनीकी जानकारी को प्रयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उसके लिए राज्यों को आवंटित बजट कितना है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरंभ किया जाता है। तथापि, भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम) के तहत स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, इन स्कीमों द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I एवं II में दिया गया है।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं का अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। आमतौर पर मरम्मत और अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराई गई निधियां अपर्याप्त होती हैं। एआईबीपी के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार भारत सरकार एआईबीपी के तहत सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) और (घ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अधिकरणों से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करके विभिन्न जल क्षेत्र सुधारों तथा प्रबंधन परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। सरकार ने नदी जल विज्ञान, बांध ब्रेक सिमुलेशन, दूरस्थ संवेदी, कंप्यूटर माडल तैयार करने तथा डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड इत्यादि जैसे विकसित देशों से संसाधन आकलन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने संबंधी कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है। जल क्षेत्र की आठ परियोजनाओं नामत: (i) मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, (ii) महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना, (iii) राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, (iv) उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना, (v) आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना, (vi) आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना, (vii) रेंगाली सिंचाई उप परियोजना एलबीसी-II एवं (viii) उड़ीसा समेकित सिंचाई, कृषि एवं जल प्रबंधन निवेश परियोजना (ट्रेंच-II) में निवेश किया गया है तथा इन्हें बाह्य सहायता से चलाया जा रहा है। तकनीकी जानकारी का आदान प्रदान करना परियोजना कार्यान्वयन का हिस्सा है। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

एआईपीजी : सृजित सिंचाई क्षमता

(क्षमता हजार हैक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य	निम्न वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत सृजित क्षमता															3/2011 तक
		96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	एआईबीपी के तहत सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	18.660	40.665	16.921	8.839	35.764	56.127	17.688	22.080	10.589	48.983	68.205	111.996	20.171	99.232	575.920
2.	असम	1.130	4.446	4.725	7.900	7.206	7.999	3.450	20.653	7.207	3.685	9.000	4.411	9.853	7.162	26.711	125.538
3.	बिहार	1.180	0.000	8.000	7.791	13.525	43.299	47.950	44.785	60.377	86.097	92.752	40.560	8.000	133.469	0.000	587.603
4.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000	3.500	2.696	36.192	19.207	11.908	15.969	2.845	13.548	2.820	19.370	22.397	2.833	153.285
5.	गोवा	0.000	0.000	1.479	0.539	0.147	0.893	1.716	2.026	0.000	0.090	0.414	5.700	1.500	0.000	0.800	15.304
6.	गुजरात	14.967	21.536	36.529	28.438	40.616	15.355	1.630	33.760	66.946	50.520	133.166	70.000	22.110	11.785	28.892	576.250
7.	हरियाणा	12.090	12.400	14.970	21.120	11.230	12.320	3.266	2.956	7.885	0.000	10.860	0.000	0.000	0.000	0.000	109.097
8.	हिमाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.243	0.243	0.332	0.165	0.324	0.486	0.486	0.000	0.000	8.521	2.685	3.375	0.000	16.859
9.	जम्मू और कश्मीर	0.000	0.000	0.000	0.622	0.878	2.428	5.587	3.130	1.076	5.545	14.129	15.953	3.200	1.519	1.244	56.255
10.	झारखंड	0.000	0.000	1.800	1.400	1.800	3.600	2.020	0.000	0.000	0.500	0.950	0.000	0.000	1.007	0.000	13.077
11.	कर्नाटक	0.770	3.105	7.190	8.481	4.816	66.920	54.970	139.112	68.468	31.048	46.832	27.130	3.193	108.518	0.000	570.051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	केरल	0.426	1.578	0.000	0.802	1.646	5.924	4.800	9.219	4.995	0.646	2.574	0.000	0.000	0.924	7.554	41.088
13.	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.000	5.000	9.473	9.318	16.680	11.161	45.657	8.840	43.694	84.444	31.581	82.094	74.796	422.738
14.	महाराष्ट्र	0.460	26.938	24.124	11.981	21.548	10.490	12.802	27.584	35.867	36.513	59.802	74.326	87.895	60.194	22.662	515.334
15.	मणिपुर	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	7.000	4.140	1.800	4.000	20.940
16.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.	ओडिशा	1.312	20.081	14.541	8.725	14.039	4.699	4.064	38.188	13.212	3.650	21.030	17.030	10.731	29.443	40.106	240.850
18.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000	14.160	79.750	2.090	0.000	4.990	0.000	0.000	0.000	27.442	12.890	32.024	173.346
19.	राजस्थान	0.825	51.620	58.987	34.774	12.700	29.095	37.363	57.783	57.029	20.957	134.359	39.600	50.500	46.010	30.785	634.386
20.	त्रिपुरा	0.620	0.210	0.100	0.670	0.750	0.890	0.000	0.415	2.119	0.000	0.000	1.044	4.028	4.273	0.511	15.630
21.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड	29.020	21.126	36.647	52.947	346.150	66.879	108.569	23.609	93.549	257.373	231.311	40.000	104.848	199.796	127.000	1786.701
23.	पश्चिम बंगाल	11.700	0.300	9.000	11.346	16.249	10.135	5.428	2.545	2.474	6.794	8.893	14.454	4.850	5.550	15.270	124.988
	कुल	74.500	182.000	259.000	223.200	528.800	442.115	388.043	447.008	510.386	529.692	872.297	521.198	507.921	752.377	514.419	6775.239
	लघु सिंचाई स्कीमों का अंश				0.782	18.438	25.721	23.654	23.351	27.884	33.137	80.951	118.249	184.861	156.325	153.866	847.219
	कुल जोड़			259.000	223.982	547.238	467.836	411.697	470.359	538.270	562.829	953.248	639.447	692.782	908.702	666.285	7622.458

स्कीम 1996 से प्रारंभ।

विवरण-II

सीएडी कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड चैनलों की राज्य-वार वास्तविक उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	1991-92	कुल आठवीं योजना		कुल नवीं योजना	
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2.38	87.98	5.72	74.52	15.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.03	1.02
3.	असम	4.76	18.30	4.93	6.57	1.95
4.	बिहार	12.26	95.24	41.15	25.68	14.84
5.	छत्तीसगढ़		0.00	0.00	1.50	1.47
6.	गोवा	1.16	5.61	2.94	22.27	0.04
7.	गुजरात	2.94	182.12	72.79	88.84	37.91
8.	हरियाणा	18.59	160.27	168.35	129.22	116.71
9.	हिमाचल प्रदेश	1.10	3.10	2.38	4.27	4.99
10.	जम्मू और कश्मीर	4.20	26.29	21.96	23.26	22.45
11.	झारखंड		0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	29.25	242.09	90.91	110.66	73.21
13.	केरल	6.59	101.56	86.91	26.58	20.46
14.	मध्य प्रदेश	63.80	165.23	35.62	47.09	35.39
15.	महाराष्ट्र	27.97	273.14	135.42	205.37	110.78
16.	मणिपुर	2.99	20.73	8.64	28.55	13.84
17.	मेघालय	0.00	1.80	0.00	0.38	0.13
18.	मिजोरम		0.00	0.00	0.12	0.12

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	3.67	1.96
20.	ओडिशा	13.89	135.12	61.59	55.20	49.95
21.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	220.00	222.71
22.	राजस्थान	43.11	250.01	217.04	303.30	251.73
23.	सिक्किम		0.00	0.00	0.10	0.09
24.	तमिलनाडु	47.57	225.95	223.84	216.12	221.26
25.	त्रिपुरा	0.00	0.37	0.20	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	213.02	790.53	557.96	503.46	561.05
27.	उत्तराखंड		0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	4.08	34.99	23.92	44.79	22.33
	कुल	499.66	2820.43	1762.27	2142.54	1801.99

31.03.2012 तक किये गए फील्ड चैनल/ओएफडी कार्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल Xवीं योजना		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	131.87	57.84	38.188	30.881	18.431	4.293	6.460	3.99	3.00	0.00	15.00	0.254
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.04	7.93	2.349	9.117	2.675	0.000	1.642	1.22	0.00	0.29	0.20	0.824
3.	असम	5.44	0.55	0.700	0	7.337	0.000	0.958	1.99	3.67	1.44	2.00	1.460
4.	बिहार	76.30	46.76	0.000	0	30.000	31.552	12.167	18.96	17.00	36.967	18.00	38.950
5.	छत्तीसगढ़	46.14	49.87	0.000	40.704	0.000	27.674	14.400	29.00	14.40	28.957	25.00	27.937
6.	गोवा	0.18	0.00	0.163	1.023	0.991	0.000	0.194	0.88	0.88	0.601	0.50	0.502
7.	गुजरात	480.00	217.70	175.000	21.04	0.000	6.980	0.000	0.24	5.73	1.618	13.00	13.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हरियाणा	183.41	167.92	42.600	17.867	33.334	85.887	34.035	54.04	44.00	53.830	40.00	43.990
9.	हिमाचल प्रदेश	6.60	6.59	0.000	0	0.000	0.005	6.302	0.12	2.97	0.488	0.20	0.000
10.	जम्मू और कश्मीर	21.45	20.36	6.974	5.968	10.876	10.238	6.320	9.69	15.06	14.806	13.00	16.726
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.70	0.000	0.30	0.000
12.	कर्नाटक	445.79	369.29	82.184	36.844	38.395	26.487	37.478	12.09	15.06	21.907	23.00	17.436
13.	केरल	38.44	8.17	5.300	0.421	2.620	0.494	1.895	0.11	1.07	0.153	0.30	0.205
14.	मध्य प्रदेश	56.93	41.95	11.212	9.517	0.000	9.516	10.361	10.26	8.00	10.235	35.00	22.430
15.	महाराष्ट्र	91.54	24.21	28.296	33.965	36.000	11.524	2.000	20.70	18.50	12.443	15.00	10.273
16.	मणिपुर	17.75	13.26	7.590	0	6.986	3.400	6.266	5.43	6.29	6.039	10.00	7.140
17.	मेघालय	1.61	1.05	0.023	0	15.000	0.000	0.866	0.00	0.24	0.120	0.10	0.251
18.	मिजोरम	0.75	0.74	0.000	0	0.000	0.000	0.205	0.00	0.00	0.000	0.00	0.053
19.	नागालैंड	3.21	1.78	0.000	0	0.000	0.000	1.400	0.00	0.00	0.000	0.00	
20.	ओडिशा	62.01	41.02	19.651	11.031	28.991	13.993	11.643	18.47	15.56	27.356	20.00	33.000
21.	पंजाब	202.50	128.81	50.000	38.25	62.400	59.756	55.773	56.17	50.00	54.722	46.60	42.543
22.	राजस्थान	262.10	249.90	59.300	17.472	59.000	12.274	10.600	40.84	35.00	46.222	18.00	14.446
23.	सिक्किम	0.08	0.09	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000
24.	तमिलनाडु	191.35	190.91	20.915	20.448	17.836	20.800	3.900	18.56	18.58	23.807	13.00	26.412
25.	त्रिपुरा	0.31	0.09	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000
26.	उत्तर प्रदेश	721.50	639.29	114.000	98.617	114.000	85.789	114.000	67.00	0.00	69.000	40.00	79.130
27.	उत्तराखंड	12.93	4.88	4.780	0	3.520	0.461	0.000	6.58	66.15	0.000	0.00	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	44.74	23.13	6.600	1.572	0.000	18.582	11.600	8.21	8.14	1.851	1.80	60.640
	कुल	3111.99	2314.09	675.825	394.737	488.392	429.705	350.465	384.53	350.00	412.854	350.00	457.602

*अनंतिम 1 मार्च, 2012 तक असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, और नागालैंड की प्रगति। आंकड़े तिमाही प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं।

विवरण-III

बाहरी सहायता प्राप्त चालू जल क्षेत्र परियोजनाएं (जून, 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण/ बैंक	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिला	लाभ (हजार हैक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	समझौते की तारीख/समाप्ति की तारीख	मिलियन दाता मुद्रा में सहायता राशि	मिलियन दाता मुद्रा में प्रतिपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	विश्व बैंक	चंबल, बेतवा, सिंध, केन एवं टोन्स	कई जिलों में विस्तार	495.00	1919.00	30.11.2004 30.06.2015	अमरीकी डॉलर 387.40	अमेरिकी डॉलर 193.82
2.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	विश्व बैंक	गोदावरी कृष्णा, तापी एवं नर्मदा	पुणे जलगांव, नांदेड़, नागपुर इत्यादि	668.85	2351.50	19.08.2005 28.03.2014	अमरीकी डॉलर 325.00	अमेरिकी डॉलर 242.74
3.	(क) राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	विश्व बैंक	—	23 जिलें लाभान्वित	400.433	792.00	15.03.2002 31.03.2013	एक्सडीआर 93.45	एक्सडीआर 77.04
	(ख) आरडब्ल्यूएसआरपी हेतु अतिरिक्त वित्त						21.05.2010 31.03.2013	एक्सडीआर 12.40	एक्सडीआर 2.75
4.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	विश्व बैंक	गंगा	प्रतापगढ़, सुलतानपुर, रायबरेली, जौनपुर, आदि	295.00	663.41	08.03.2002 31.10.2011	एक्सडीआर 87.27	बंद
5.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना (नागार्जुन सागर)	विश्व बैंक	कृष्णा/ कृष्णा	नलगोंडा, खंमाम, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम आदि	895.00	4444.44	14.08.2010 31.07.2016	अमेरिकी डॉलर 450.60	अमेरिकी डॉलर 61.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण	कृष्णा, गोदावरी, सेगि लेरू, पिलापेरू आदि	खम्माम, आदिलाबाद, वारंगल, नलगोंडा आदि	114.878	1131.14	30.03.2007 11.07.2016	जेपीवाई 23974.00	जेपीवाई 5618.98
7.	रेंगाली सिंचाई उप परियोजना एलबीसी-II (संशोधित अनुमान)	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता अभिकरण	ब्राह्मणि, वैतरणि	अंगुल, धेनकनाल, जाजपुर, क्योंझार, और कटक	93.501	1958.38	31.03.2010 24.11.2015	जेपीवाई 3052	जेपीवाई 2492.59
8.	ओडिशा समेकित सिंचाई, कृषि एवं जल प्रबंधन निवेश परियोजना (ट्रैंच-II)	एशियाई विकास बैंक	सुवर्णरेखा बुरहा, बालंगा, वैतरणी ब्राहमणि	कटक, जयपुर, केंद्रपाड़ा, क्योंझार आदि	115.26	471.43	25.02.2009 30.09.2013	अमेरिकी डॉलर 16.50	अमेरिकी डॉलर 6.43

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी में पेटेंट

948. श्री एस. सेम्मलई : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दर्ज किए गए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक पेटेंट संबंधी आवेदनों तथा प्रदत्त पेटेंटों का ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पूरे देश में वैज्ञानिक समुचित प्रशिक्षण तथा जागरुकता के माध्यम से बौद्धिक पेटेंट रजिस्ट्रेशन के सूक्ष्म अर्थान्तरों से भली-भांति अवगत हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेललाइन

949. श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में निर्माणाधीन/लंबित नयी रेललाइनों का ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रारंभ की गयी नयी रेललाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके लिए आवंटित/व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य के पूरे होने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) राजस्थान में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली चालू नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बजट में शामिल करने का वर्ष	31.03.2012 को व्यय	परिव्यय 2012-13	कार्य की स्थिति और पूरा करने का लक्ष्य, यदि निर्धारित हो
1.	बांगूरग्राम-रास (27.8 किमी.)	2008-09	13.38	5.00	मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। समग्र वास्तविक प्रगति-10%।
2.	दौसा-गंगापुर सिटी (92.67 किमी.)	1996-97	196.89	35.00	दौसा-दीडवाना (20 किमी.) खंड को 2012-13 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। समग्र वास्तविक प्रगति-40%।
3.	रामगंजमंडी-भोपाल (262 किमी.)	2000-01	223.17	15.00	रामगंजमंडी-झालावाड़ कार्य पूरा कर लिया गया है।
4.	रतलाम-डूंगरपुर बरास्ता बांसवाड़ा (176.47 किमी.)	2011-12	0	30.00	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यों की प्रगति हो रही है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

जनगणना नगर

950. श्री नवीन जिन्दल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना 2011 के अनुसार, कई ग्रामीण बसावटों को जनगणना नगरों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में जनगणना नगरों की कुल संख्या क्या है तथा जनगणना 2011 के परिणामों के बाद पुनर्वर्गीकृत इन नगरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन नगरों के लिए परंपरागत नीतियों तथा योजनाओं की जरूरत के प्रति जागरुक है क्योंकि वे न तो ग्रामीण क्षेत्रों और न ही शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) (क) से (ङ) वर्ष 2011 की जनगणना में, निर्धारित जनसांख्यिकीय मानदंडों के अनुसार, अनेक ग्रामीण बसावटों को जनगणना नगरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणनाओं में जनगणना नगरों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जनगणना, 2011 ऐसे किसी पुनर्निधारण का ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जनगणना नगरों का वर्गीकरण केवल जनगणना के पहले और जनगणना के उद्देश्य में ही किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि हर दशक में की जाने वाली जनगणना के आरंभ में कुछ जनसांख्यिकीय मानदंडों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी इकाइयों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्ष 1961 की जनगणना से, जनगणना नगरों के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए बुनियादी जनसांख्यिकीय मानदंड इस प्रकार हैं:—

(i) कम से कम 5000 की आबादी;

(ii) कम से कम 75 प्रतिशत मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी गैर-कृषि कार्यों में लगी हो; और

(iii) जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर हो।

वर्ष 2011 की जनगणना में जनगणना नगरों का वर्गीकरण वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2001 और 2011 की जनगणनाओं में जनगणना नगरों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष 2011 में जनगणना नगर	वर्ष 2011 में जनगणना नगर
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार समूह	2	4
2.	आंध्र प्रदेश	93	228
3.	अरुणाचल प्रदेश	17	1
4.	असम	45	126
5.	बिहार	5	60
6.	चंडीगढ़	0	5
7.	छत्तीसगढ़	22	14
8.	दादरा और नगर हवेली	2	5
9.	दमन और दीव	—	6
10.	दिल्ली	59	110
11.	गोवा	30	56
12.	गुजरात	74	153
13.	हरियाणा	22	74
14.	हिमाचल प्रदेश	1	3
15.	जम्मू और कश्मीर	3	36
16.	झारखंड	108	188

1	2	3	4
17.	कर्नाटक	44	127
18.	केरल	99	461
19.	लक्षद्वीप	3	6
20.	मध्य प्रदेश	55	112
21.	महाराष्ट्र	127	278
22.	मणिपुर	5	23
23.	मेघालय	6	12
24.	मिजोरम	—	0
25.	नागालैंड	1	7
26.	ओडिशा	31	116
27.	पुदुचेरी	—	4
28.	पंजाब	18	74
29.	राजस्थान	38	112
30.	सिक्किम	1	1
31.	तमिलनाडु	111	376
32.	त्रिपुरा	10	26
33.	उत्तर प्रदेश	66	267
34.	उत्तराखंड	12	41
35.	पश्चिम बंगाल	252	780
	कुल	1362	3892

कंपनी कानून बोर्ड

951. **श्री अशोक तंवर** : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में स्थापित कंपनी कानून बोर्डों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निरंतर बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कंपनी कानून बोर्ड पर्याप्त संख्या में स्थापित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) की प्रधान पीठ नई दिल्ली में है और इसके चार क्षेत्रीय पीठ नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कंपनी विधि बोर्ड को वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 13236, 12090 और 13352 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2011-12 में मामलों की संख्या में वृद्धि 2009-10 से 1% से भी कम है।

(घ) पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी विधि बोर्ड हेतु कुल बजटीय आबंटन निम्नवत् है:—

2009-10	:	3,32,41,000/- रुपए
2010-11	:	3,81,39,000/- रुपए
2011-12	:	3,59,70,000/- रुपए

[हिन्दी]

नई खानपान नीति

952. **श्री यशवंत लागुरी :**
श्री अंजन कुमार एम. यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई खानपान नीति, 2010 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त नीति के अंतर्गत जिन रेल गाड़ियों में एजेंसियां कार्यरत हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई एजेंसियां लोगों की सेवा सहित सामाजिक दायित्व की बजाय लाभ अधिकतम करने पर स्वयं को केन्द्रित कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी खानपान नीति को लोकहित उन्मुखी बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) 21.07.2010 को जारी नई खानपान नीति, 2010 आईआरसीटीसी से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी के कार्य को क्षेत्रीय रेलों को अंतरित कर सुधार करना चाहती है और गहन पर्यवेक्षण और खानपान गतिविधियों पर नियंत्रण के संबंध में रेलवे के विस्तृत और अखिल भारतीय नेटवर्क का प्रयोग करना चाहती है। नीति, गुणवत्तापरक, किफायती दरों पर स्वास्थ्यकर भोजन आदि के साथ एक यात्री सेवा के रूप पर जोर देती है। रेल कर्मचारियों को तैनात करके क्षेत्रीय रेलों द्वारा एक संस्थागत तंत्र के जरिए पर्यवेक्षण और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है, जो गुणवत्ता और स्वास्थ्यप्रदता की जांच करते हैं और एक समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक कदम उठाते हैं। रिफ्रेशमेंट रूम, स्टैंड अलोन आउटलेटों और वेंडिंग स्टालों के माध्यम से जनता आहार और जनाहार (इकोनॉमी कॉम्बो-भोजन) को मुहैया कराकर यात्रियों की सभी श्रेणियों के लिए किफायती दर पर गुणवत्तापरक भोजन मुहैया कराने के प्रयास किए गए हैं। अधिक खानपान इकाइयां रखने के लिए अधिकतम सीमा को पुनः निर्धारित किया गया है और एकाधिकार को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। लाइसेंस फीस को निश्चित करने की प्रणाली का यौक्तिकरण किया गया है। छोटी सामान्य खानपान इकाइयों की अवधि और नवीनीकरण को सरल और कारगर बनाया गया है।

(ख) उन गाड़ियों का ब्यौरा जहां उपरोक्त नीति के अंतर्गत एजेंसियों को नियुक्त किया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गाड़ियों की संख्या जहां एजेंसियों को तैनात किया गया है

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलें	एजेंसियों की संख्या	एजेंसियों/लाइसेंसियों का नाम	बड़ी/छोटी ईकाइयों का नाम
1	2	3	4	5
1.	उत्तर रेलवे	2	मैसर्स सत्यम कैटरर्स	मोबाइल यूनिट, गाड़ी संख्या 12039-40 (आनंद विहार-काठगोदाम) शताब्दी एक्सप्रेस
			मैसर्स सत्यम कैटरर्स	मोबाइल यूनिट गाड़ी संख्या 12037-38 (नई दिल्ली-लुधियाना) शताब्दी एक्सप्रेस
2.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1	मैसर्स सत्यम कैटरर्स	मोबाइल यूनिट गाड़ी संख्या 12041-42 (न्यू जलपाईगुड़ी-हावड़ा) शताब्दी एक्सप्रेस
3.	दक्षिण मध्य रेलवे	8	मैसर्स ओरस आरिया भवन, तिरूपुर	मोबाइल यूनिट गाड़ी संख्या 17017-18 (राजकोट-सिकंदराबाद एक्सप्रेस)
			मैसर्स केएमए कैटरर्स	मोबाइल यूनिट गाड़ी संख्या 12707-08 (ए.पी. संपर्क क्रांति)

1	2	3	4	5
			मैसर्स अरेंको कैटरिंग	सेक्शन-वार ट्रेन साइड वेंडिंग गाड़ी संख्या 17488 (तिरूमला एक्सप्रेस)
			मैसर्स अरेंको कैटरिंग	सेक्शन-वार गाड़ी संख्या 12861-62 (लिंक दक्षिण एक्सप्रेस)
			मैसर्स अरेंको कैटरिंग	सेक्शन-वार ट्रेन साइड वेंडिंग गाड़ी संख्या 12659-60 (गुरूदेव एक्सप्रेस)
			मैसर्स अरेंको कैटरिंग	सेक्शन-वार ट्रेन साइड वेंडिंग गाड़ी संख्या 12749-50 (विशाखापट्टनम-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस)
			मैसर्स अरेंको कैटरिंग	सेक्शन-वार ट्रेन साइड वेंडिंग गाड़ी संख्या 12889 (टाटा-यशवंतपुर एक्सप्रेस)
			मैसर्स अरेंको कैटरिंग	सेक्शन-वार ट्रेन साइड वेंडिंग गाड़ी संख्या 17487 (तिरूमला एक्सप्रेस)

वैज्ञानिक अनुसंधान

953. **श्री महाबली सिंह :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों की संख्या निरंतर कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व में किए जा रहे अनुसंधान में भारत का योगदान पूर्व में नौ प्रतिशत था तथा अब वह घटकर महज 2.3 प्रतिशत रह गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भागीदारी तथा योगदान को बढ़ाने तथा देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) जी, नहीं। थॉमसन रायटर्स डाटाबेस के आधार पर वर्ष 1981 में भारत 3% की हिस्सेदारी रखता था। वर्ष 1981-2001 के दौरान वैज्ञानिक प्रकाशनों की भारतीय हिस्सेदारी में धीरे-धीरे गिरावट आई, यद्यपि प्रकाशनों की संख्या में कुल बढ़ोत्तरी हुई थी। वर्ष 2001 में यह 1.83+0.01% के मान तक पहुंच गई जैसा कि दो स्वतंत्र डाटाबेसों द्वारा आकलित किया गया था। वर्ष 2001 से देश में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या और वैश्विक हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि दर्ज हुई। विश्व प्रकाशन निर्गत में भारतीय योगदान स्कोपस डाटाबेस के अनुसार वर्ष 2001 में 1.83% से बढ़कर वर्ष 2010 में 3.17% और थॉमसन रायटर्स डाटाबेस के अनुसार वर्ष 2010 में 3.6% हो गया।

(ङ) सरकार ने भारत के वैज्ञानिक योगदान को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) सहयोग और प्रौद्योगिकियों का संयुक्त विकास शामिल है। इनमें से कुछ कदमों में, भारत-यूएस अक्षय निधि बोर्ड, स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास हेतु भारत-यूएस संयुक्त केन्द्र, ईयू-भारत संयुक्त अनुसंधान निधि, भारत-आस्ट्रेलियाई कार्यनीति अनुसंधान निधि, भारत-यूके

विज्ञान और नवोन्मेष परिषद्, भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना, भारत-रूसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारत-स्विस संयुक्त अनुसंधान निधि, नवोन्मेष और उद्यमिता पर द्विपक्षीय कार्यक्रमों का विकास करना, युवा अनुसंधान अध्येतावृत्तियां एवं विदेशों के दौरे आदि शामिल हैं। विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के अंतर्गत, भारत ने प्रत्येक पक्ष के 780 अमेरिकी डॉलर से अधिक के कुल निधि आबंटन के साथ, 9 देशों और यूरोपीय संघ के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भागीदारी हेतु पारस्परिकता और समानता की कार्यनीति विकसित की है। इसके अतिरिक्त, देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रोन्नयन एवं संवृद्धि के लिए भी बहुत से कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में लगभग 18-20% प्रति वर्ष की दर पर वैज्ञानिक विभागों के लिए बजट आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान हेतु नए संस्थानों की स्थापना, अकादमिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों और सुविधाओं का सृजन, राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना, इंस्पायर जैसी नई और आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान और विकास भागीदारियों को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान और विकास इकाईयों को मान्यता प्रदान करना तथा उद्योगों के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आदि शामिल हैं।

डेमू/ईएमयू/मेमू की खरीद

954. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान डीईएमयू, ईएमयू तथा एमईएमयू की खरीद/उत्पादन हेतु रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा हासिल की गयी सफलता वर्ष-वार कितनी हैं; और

(ख) उक्त इकाइयों के लिए लक्ष्यों/जरूरत को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में भारतीय रेलों की उत्पादन इकाईयों द्वारा डेमू, ईएमयू और मेमू के उत्पादन और लक्ष्य को वर्ष-वार नीचे दिया गया है:-

कोच का प्रकार	डेमू		ईएमयू		मेमू	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2009-10	64	64	657	494	64	64
2010-11	92	93	600	571	64	40
2011-12	160	141	480	405	112	112
2012-13	136	8*	268	67*	112	22*

*जुलाई 2012 तक।

उपरोक्त के अलावा, उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित तरीके से सार्वजनिक/निजी सेक्टर के उद्योगों से 260 ईएमयू कारों को खरीदा गया है।

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12
कुल खरीद	108	116	36

(ख) (i) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उद्योगों से पहली बार डेमू और मेमू की खरीद के लिए ठेकों को दे दिया गया है। ईएमयू के निर्माण के लिए नए स्रोतों को भी विकसित किया गया है।

(ii) क्रमशः ईएमयू और डेमू के निर्माण के लिए कांचरापाड़ा और हल्दिया में नई रेल कोच विनिर्माण सुविधाओं को स्वीकृत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

955. श्री पी. बलराम : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए लगभग एक लाख घरों के लिए इंदिरा आवास योजना को मंजूरी देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) पिछले वर्ष अर्थात् 2011-12 में बाढ़ की वजह से तबाह हुए एक लाख मकानों का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से राज्य के कुछ जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ की वजह से तबाह हुए अतिरिक्त एक लाख मकानों की मंजूरी के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 5 प्रतिशत घटक के तहत आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव की जांच की गई थी, उस समय यह व्यवस्था थी कि आईएवाई के अंतर्गत जिले के वार्षिक आबंटन के 10% तक की राशि या 70.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित), जो भी अधिक हो, कुछ हद तक प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए 5% आईएवाई निधियों में से रिलीज किए जा सकते हैं। तद्नुसार, राज्य के चार जिलों अर्थात् कर्नूल, मेहबूबनगर, गुंटूर तथा कृष्णा जिलों को 719.94 लाख रु. की पहली किस्त 48406 मकानों के निर्माण के लिए रिलीज की गई थी। वर्ष 2011-12 के दौरान इन जिलों के लिए 719.94 लाख रु. की दूसरी किस्त रिलीज की गई थी।

एलपीजी सिलेंडरों की अधिकतम सीमा

956. डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवर्ष छह लाख रुपये से अधिक की आय वाले जनसंख्या के समृद्ध वर्ग को रियायती दर पर दिये जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या की अधिकतम सीमा निश्चित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर सरकार द्वारा कितनी राशि की राजसहायता दी जा रही है; और

(घ) एलपीजी सिलेंडरों पर अधिकतम संख्या लागू होने के बाद प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली संभावित अतिरिक्त राशि क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार "घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002" के तहत ओएमसीज़ को राजकोषीय बजट से घरेलू एलपीजी पर 22.58 रुपए प्रति सिलिंडर की राजसहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा, दिनांक 01.08.2012 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य के अनुसार ओएमसीज़ को 231 रुपए प्रति सिलिंडर की अल्प-वसूली हो रही है।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाएं

957. श्री नित्यानंद प्रधान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नक्सल प्रभावित जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ऐसी अन्य केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए पंचायतों को अधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा क्षेत्र के किन जिलों में उपर्युक्त परियोजनाएं अब तक लागू की जा चुकी हैं;

(घ) देश की मुख्य धारा में नक्सल क्षेत्रों के युवाओं को लाने के लिए उन्हें रोजगार प्रदान करने की कार्य-योजना क्या है; और

(ङ) सरांदा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाकर

ग्रामीण अवसंरचना के सृजन के लिए एकबारगी पहल है, इसे राज्यों में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के कार्यान्वयन में नक्सल प्रभावित जिलों सहित देश में पंचायतों को अहम भूमिका सौंपी गई है।

(ग) पीएमजीएसवाई सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण विकासात्मक योजनाएं ओडिशा राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एससीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजन से जुड़ी कौशल विकास विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एलडब्ल्यूई जिले/एनई क्षेत्र तथा बुंदेलखंड क्षेत्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

(ङ) सारंडा विकास योजना के तहत पीएमजीएसवाई के लिए 68 करोड़ रु. की कुल लागत से 9 सड़क कार्यों तथा 1 पुल जिसकी लम्बाई क्रमशः 103.48 कि.मी. तथा 59.16 मी. हे, के परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

त्वरित न्यायालय

958. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में त्वरित न्यायालयों को धनराशि जारी करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अभी अधीनस्थ न्यायालयों को त्वरित न्यायालयों में परिवर्तित करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2000-01 से 2010-11 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। स्कीम का तारीख 31.03.2011 से आगे विस्तार नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार इंजनों का उन्नयन

959. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वाहन संबंधी प्रदूषण सीमित करने के एिल सभी कारों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उनके मॉडलों के इंजनों को उन्नयन करने के लिए विभिन्न कार निर्माता कंपनियों को निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत सरकार ने सभी कारों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उनकी सभी मॉडलों के इंजनों का उन्नयन करने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। हालांकि उद्योग के लिए सेन्ट्रल मोटर वेहिकल्स नियम (सीएमवीआर), 1989 के तहत वाहनों का विनिर्माण निर्धारित मानदंडों के अनुसार करना अनिवार्य है। तद्नुसार, ऑटो ईंधन नीति के अनुसार, ऑटोमोटिव उद्योग ने मेट्रो शहरों में बीएस-IV मानक के अनुरूप वाहनों का पहले ही आरंभ कर दिया है जो अत्यधिक सख्त हैं तथा इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषणको प्रर्याप्त रूप से कम करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली और हरियाणा के बीच जल की हिस्सेदारी

960. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने हाल में जल की हिस्सेदारी पर बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बैठकों का नतीजा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) हरियाणा और दिल्ली सहित ऊपरी बेसिन राज्यों में यमुना के जल का बंटवारे के संध में निर्णय वर्ष 1994 में हस्ताक्षर किए गए मसझौता ज्ञापन के अनुसार किया गया था। तथापि, हरियाणा में मुनाक से दिल्ली में हैदरपुर तक कंक्रीट रेखीय चैनल से जल के बंटवारे संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के संबंध में 18.06.2012 को जल संसाधन मंत्री की उपस्थिति में हरियाणा और दिल्ली के मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी।

(ग) अभिज्ञात स्थानों पर प्रवाहों का मापन करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के एक दल को तैनात किया गया था।

पेटेंटकृत एवं जेनरिक दवाओं के मूल्यों का निर्धारण

961. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन निर्धारित करने हेतु मानदंड निर्धारित करने सहित पेटेंटकृत एवं जेनरिक दवाओं के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए एक सूत्र तैयार किया है ताकि वे अधिक वहनीय हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दवाओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अपनाये जाने वाले संभावित उपाय क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा थोक विक्रेता के लिए 8% और खुदरा विक्रेता के लिए 16% के लाभांश को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित दवाइयों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही है तो डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

जो औषधियां, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बिना ही निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के भाग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) उनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरपी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है जहां ऐसे विशिष्ट निर्माताओं से कहा जाता है कि वे स्वेच्छा से मूल्य घटाएं, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

962. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों पर राज्य-वार कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) यह राजसहायता किसानों विशेषकर सीमांत एवं छोटे किसानों तक किस प्रकार पहुंचती है;

(ग) क्या उर्वरक राजसहायता यूरिया तक ही सीमित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पीएंडके उर्वरकों तथा स्वदेशी यूरिया पर उपलब्ध कराई गई राजसहायता राज्य-वार नहीं दी जाती है। उर्वरकों का संचलन का ट्रैक राज्य-वार रखा जाता है। आयातित यूरिया के मामले में हालांकि आयातित

यूरिया की लागत की प्रतिपूर्ति राज्य व्यापार उद्यम को की जाती है, फिर भी किसानों को यूरिया हैंडलिंग एजेंसियों के जरिए उर्वरक विभाग द्वारा नियत एमआरपी पर बेचा जाता है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान यूरिया और पीएंडके उर्वरकों पर दी गई राजसहायता तथा यूरिया के आयात पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:-

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	आयातित पीएंडके	स्वदेशी पीएंडके	स्वदेशी यूरिया	आयातित यूरिया (लागत)	योग
2009-10	23452.06	16000.00	17580.25	6999.63	64031.94
2010-11	20850.00	20650.00	15080.73	9255.95	65836.68
2011-12	16571.92	20237.49	20285.44	17475.00	74569.85
2012-13 (आज की तारीख तक)	11201.86	8003.12	11200.53	4996.71	35402.22

(ख) सीमांत और छोटे किसानों सहित सभी किसान खुदरा व्यापारियों से एमआरपी पर उर्वरक खरीदते हैं जिस पर राजसहायता प्राप्त होती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यूरिया तथा एसएसपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 25 विभिन्न ग्रेडों पर भी राजसहायता उपलब्ध है।

[अनुवाद]

बीपीएल परिवारों के लिए योजनाएं

963. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बीपीएल व्यक्तियों/परिवारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित तथा राज्यों के साथ अंश आधार पर लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए कुल आबंटित तथा व्यय की गई राशि सहित अनुमानित लाभार्थियों का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वांछित लक्ष्य हासिल किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को प्रशासनों के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं को योजना आयोग के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार भारत सरकार को राज्य सरकारों के बीच अंश आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से बीपीएल लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भी कार्यान्वित किया जाता है। विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12) तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई, 2012 तक) के दौरान एसजीएसवाई तथा आईएवाई के अंतर्गत राज्य-वार केन्द्रीय आबंटन और राज्यों द्वारा किए गए उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार विगत तीन वर्षों (अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12) तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई, 1012 तक) के दौरान अधिकांश राज्यों ने एसजीएसवाई तथा आईएवाई के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। एसजीएसवाई तथा आईएवाई की वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई तक) के दौरान आईएवाई के अंतर्गत आबंटित तथा उपयोग की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	75900.82	130796.29	86772.58	113480.85	84762.05	111300.65	93916.18	30285.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	2935.66	2401.38	3372.56	3821.79	3294.85	580.45	3640.22	0.00
3.	असम	64914.87	86355.23	74575.72	93331.94	72857.40	91573.69	80494.43	13931.27
4.	बिहार	224039.39	299594.41	256130.00	332483.78	250195.44	273858.07	277216.04	20316.75
5.	छत्तीसगढ़	11737.44	32204.97	13418.67	19630.74	13107.75	34623.57	14523.36	716.98
6.	गोवा	467.49	543.14	534.46	803.90	522.07	1183.64	578.46	120.25
7.	गुजरात	37223.48	56795.96	42555.24	69276.70	41569.23	57884.60	46058.62	11215.77
8.	हरियाणा	5226.21	8453.32	5974.79	8226.32	5836.35	8163.20	6466.67	227.50
9.	हिमाचल प्रदेश	1843.31	3055.84	2107.33	2925.48	2058.51	2765.31	2280.82	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	5725.42	5968.31	6545.51	5375.77	6393.85	2325.45	7084.38	171.82
11.	झारखंड	19983.33	35997.79	56595.67	69357.02	22316.33	51599.18	24726.46	3399.87
12.	कर्नाटक	29242.52	53634.35	33431.11	48249.34	32656.50	30267.46	36183.34	11984.34
13.	केरल	16261.55	21256.92	18590.80	23758.63	18160.05	26418.42	20121.29	3673.53
14.	मध्य प्रदेश	23343.61	33954.03	26687.27	32418.00	26068.92	68247.66	28884.31	4010.15
15.	महाराष्ट्र	45773.50	128589.14	52329.94	105934.60	51117.44	90493.58	56638.03	3192.60
16.	मणिपुर	2548.30	1684.17	2927.55	1450.05	2860.10	1558.99	3159.90	0.00
17.	मेघालय	4438.24	3854.48	5098.75	5404.88	4981.27	7072.81	5503.42	1410.13
18.	मिजोरम	945.84	1422.31	1086.60	1340.29	1061.56	1261.26	1172.84	42.20
19.	नागालैंड	2936.92	3038.92	3374.01	5081.19	3296.27	4740.04	3641.79	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ओडिशा	44016.50	76884.11	50321.27	69101.95	49155.32	62887.58	54464.00	2409.11
21.	पंजाब	6463.27	7782.73	7389.05	7641.13	7217.84	6274.38	7997.36	129.46
22.	राजस्थान	18705.35	29866.62	21384.64	37643.04	20889.15	60449.37	23145.13	8455.95
23.	सिक्किम	561.69	781.01	645.29	1328.40	630.42	1024.14	696.50	0.00
24.	तमिलनाडु	30388.96	44487.29	34741.77	44072.40	33936.80	34942.10	37601.90	3235.64
25.	त्रिपुरा	5718.48	3818.96	6569.52	8621.91	6418.13	14927.33	7090.90	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	100629.31	158769.94	115043.10	147833.00	112377.53	142435.34	124514.06	1059.67
27.	उत्तराखंड	5044.94	7828.18	5767.56	8062.20	5633.93	7444.27	6242.38	511.32
28.	पश्चिम बंगाल	60717.10	89164.28	69414.01	79682.63	67805.68	84937.98	75128.55	19829.18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	962.66	167.30	1100.55	234.83	1075.04	247.09	1191.15	11.56
30.	दादरा और नगर हवेली	160.40	0.00	183.37	0.00	179.12	0.00	198.46	0.00
31.	दमन और दीव	71.75	0.00	82.03	0.00	80.17	0.00	88.79	0.00
32.	लक्षद्वीप	62.21	56.72	71.12	0.00	69.47	0.00	76.98	0.00
33.	पुदुचेरी	479.48	38.30	548.16	0.00	535.46	0.00	593.28	0.00
	कुल	849470.00	1329246.40	1005370.00	1346572.75	949120.00	1281487.61	1051320.00	140340.91

अथशेष + केन्द + राज्य रिलीज + विविध प्राप्तियां सहित कुल उपलब्ध निधियों में से उपयोग।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई, 2012 तक) के दौरान आईएवाई के अंतर्गत आबंटित तथा उपयोग की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10887.00	16221.54	12557.00	18460.59	11472.00	8928.52	11623.00	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	568.00	247.83	692.00	135.87	678.00	86.09	623.00	एनआर
3.	असम	14750.00	22522.07	17988.00	21924.00	17628.00	21527.37	16194.00	एनआर
4.	बिहार	25899.00	30504.10	29872.00	27334.28	27291.00	14639.25	27649.00	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	5752.00	7979.52	6635.00	7736.15	6062.00	7001.18	6141.00	एनआर
6.	गोवा	150.00	84.71	200.00	77.89	176.00	61.59	175.00	एनआर
7.	गुजरात	4098.00	6216.22	4727.00	6949.44	4318.00	5316.70	4375.00	एनआर
8.	हरियाणा	2411.00	3609.80	2781.00	3907.13	2541.00	3494.49	2574.00	55.40
9.	हिमाचल प्रदेश	1015.00	1466.90	1171.00	1460.85	1070.00	1419.78	1084.00	46.07
10.	जम्मू और कश्मीर	1257.00	698.59	1449.00	734.12	1324.00	525.25	1342.00	एनआर
11.	झारखंड	9766.00	12882.67	11264.00	12369.65	10290.00	9041.79	10425.00	एनआर
12.	कर्नाटक	8221.00	12027.24	9482.00	12646.39	8663.00	11798.34	8777.00	एनआर
13.	केरल	3689.00	5087.97	4255.00	5851.54	3887.00	5232.60	3938.00	एनआर
14.	मध्य प्रदेश	12325.00	15690.17	14214.00	17926.16	12986.00	14810.33	13156.00	एनआर
15.	महाराष्ट्र	16251.00	22659.18	18744.00	22067.39	17125.00	23080.34	17349.00	52.62
16.	मणिपुर	989.00	252.17	1206.00	360.69	1182.00	364.46	1086.00	एनआर
17.	मेघालय	1108.00	678.88	1351.00	818.23	1324.00	787.53	1216.00	एनआर
18.	मिजोरम	256.00	411.09	313.00	493.21	306.00	347.45	281.00	एनआर
19.	नागालैंड	760.00	405.40	927.00	399.91	908.00	518.92	834.00	एनआर
20.	ओडिशा	12453.00	18184.11	14363.00	17282.97	13122.00	17134.89	13294.00	एनआर
21.	पंजाब	1172.00	1589.76	1351.00	1748.22	1235.00	1200.86	1251.00	एनआर
22.	राजस्थान	6243.00	9209.61	7200.00	9954.67	6578.00	10108.88	6664.00	एनआर
23.	सिक्किम	284.00	291.30	346.00	373.35	340.00	451.46	313.00	एनआर
24.	तमिलनाडु	9627.00	13889.17	11103.00	14835.21	10144.00	9366.49	10277.00	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	त्रिपुरा	1785.00	1981.05	2177.00	3080.41	2134.00	1743.98	1960.00	एनआर
26.	उत्तर प्रदेश	37286.00	48871.72	43006.00	49220.95	39290.00	42832.96	39827.00	810.54
27.	उत्तराखंड	1963.00	2735.58	2264.00	3182.68	2069.00	2646.01	2096.00	53.74
28.	पश्चिम बंगाल	13839.00	21228.62	15962.00	18897.82	14582.00	17000.05	14773.00	8.26
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	20.74	25.00	25.64	25.00	20.06	25.00	एनआर
30.	दादरा और नगर हवेली	25.00		25.00		25.00		25.00	एनआर
31.	दमन और दीव	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	एनआर
32.	लक्षद्वीप	25.00	2.30	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	एनआर
33.	पुदुचेरी	250.00	269.09	300.00	148.52	275.00	228.88	275.00	एनआर
	कुल	205154.00	277919.08	238000.00	280403.93	219100.00	231816.51	219672.00	1026.63

अथशेष + केन्द + राज्य रिलीज + विविध प्राप्तियां सहित कुल उपलब्ध निधियों में से उपयोग।

एनआर : प्राप्त नहीं।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई तक) के दौरान आईएवाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

(इकाई-निर्मित मकानों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	371982	434733	257104	257104	249013	249013	270399	65305
2.	अरुणाचल प्रदेश	10873	6026	7726	9915	7548	1400	8339	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	240446	181162	170849	156911	166913	143770	184408	18470
4.	बिहार	1098001	653214	758904	566148	737486	469885	816305	118426
5.	छत्तीसगढ़	57520	58449	39759	58419	37466	77485	41511	2442
6.	गोवा	2291	1864	1584	667	1547	1087	1714	40
7.	गुजरात	182429	166760	126090	167313	123168	111999	136470	15376
8.	हरियाणा	25611	24138	17703	18055	17293	17282	19163	580
9.	हिमाचल प्रदेश	8212	9295	5793	5834	5659	6019	6271	0
10.	जम्मू और कश्मीर	25508	18594	17995	19666	17578	8305	19476	770
11.	झारखंड	97926	87524	167691	167254	63477	117343	69503	10357
12.	कर्नाटक	143311	158417	99055	95567	96760	26965	107210	16721
13.	केरल	79695	51590	55084	54853	53808	54499	59620	9650
14.	मध्य प्रदेश	114396	96877	79073	79097	76135	98447	84358	27885
15.	महाराष्ट्र	224323	207695	155052	156575	151063	141479	167379	5366
16.	मणिपुर	9439	3296	6707	4682	6552	2956	7238	0
17.	मेघालय	16440	9875	11681	11439	11412	13147	12608	246
18.	मिजोरम	3504	4851	2489	3517	2432	3227	2687	50
19.	नागालैंड	10878	11645	7730	15514	7552	13362	8343	0
20.	ओडिशा	215715	170766	149100	171223	142082	141398	155363	4126
21.	पंजाब	31674	27108	21893	20483	21386	16622	23696	428
22.	राजस्थान	91670	86992	63362	63464	61894	125642	68578	15441
23.	सिक्किम	2080	1819	1478	2739	1444	1805	1596	0
24.	तमिलनाडु	148929	169753	102939	96256	100553	88579	111410	226
25.	त्रिपुरा	21182	8322	15050	12310	14704	26529	16245	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	उत्तर प्रदेश	493156	483949	340868	305376	332804	307012	368322	3838
27.	उत्तराखंड	22476	20373	15856	15924	15488	15573	17162	355
28.	पश्चिम बंगाल	297564	230155	205671	178832	199176	184425	219553	66810
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2750	242	2446	316	2389	578	2646	21
30.	दादरा और नगर हवेली	458	0	407	0	398	0	441	0
31.	दमन और दीव	205	0	182	0	178	0	197	0
32.	लक्षद्वीप	229	88	158	0	154	0	171	0
33.	पुदुचेरी	1370	47	1218	0	1190	0	1318	0
	कुल	4052243	3385619	2908697	2715453	2726702	2465833	3009700	382929

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 तथा चालू वर्ष 2012-13 (जुलाई तक) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि

(इकाई-सहातया प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	98391	295568	116974	165205	105746	108814	101653	एनआर
2.	अरुणाचल प्रदेश	4277	1496	5375	1036	5211	308	4536	एनआर
3.	असम	111087	164752	139636	143941	135418	143883	118024	एनआर
4.	बिहार	234063	157801	278264	162009	251565	135426	241808	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	51982	50311	61814	53564	55885	44885	53711	एनआर
6.	गोवा	1426	1489	1880	768	1632	184	1432	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	37036	46131	44034	46820	39799	30267	38259	एनआर
8.	हरियाणा	21792	24392	25902	30199	23427	24435	22510	154
9.	हिमाचल प्रदेश	9171	12284	10903	11615	9863	10828	9483	203
10.	*जम्मू और कश्मीर	11360	5644	13497	4271	12204	5236	11740	एनआर
11.	झारखंड	88258	116670	104932	113903	94850	57019	91179	एनआर
12.	कर्नाटक	74295	96470	88326	107283	79861	80754	76760	एनआर
13.	केरल	33342	47426	39634	47046	35832	40311	34440	एनआर
14.	मध्य प्रदेश	111385	106481	132406	97761	119712	88860	115060	एनआर
15.	महाराष्ट्र	146869	159026	174609	159855	157855	152429	151726	195
16.	मणिपुर	7449	3362	9366	603	9082	363	7911	एनआर
17.	मेघालय	8344	5211	10491	40552	10169	5182	8861	एनआर
18.	मिजोरम	1932	8159	2429	3565	2352	3010	2046	एनआर
19.	नागालैंड	5721	3884	7194	4993	6973	5519	6076	एनआर
20.	ओडिशा	112544	131334	133803	138595	120957	129363	116263	एनआर
21.	पंजाब	10594	14504	12580	15657	11382	10287	10939	एनआर
22.	राजस्थान	56421	62094	67072	74853	60642	76149	58279	एनआर
23.	सिक्किम	2135	1463	2688	1294	2616	1337	2279	एनआर
24.	तमिलनाडु	87004	107486	103431	138916	93510	72095	89882	एनआर
25.	त्रिपुरा	13448	30959	16900	63890	16392	13456	14282	एनआर
26.	उत्तर प्रदेश	336975	345408	400612	391700	362184	341935	348314	6029
27.	उत्तराखंड	17738	18590	21091	20789	19071	17673	18333	एनआर
28.	पश्चिम बंगाल	125070	63092	148696	66942	134417	74494	129205	एनआर
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	170	587	176	448	169	359	169	एनआर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	दादरा और नगर हवेली	170	0	176	0	169	0	169	एनआर
31.	दमन और दीव	170	0	176	0	169	0	169	एनआर
32.	लक्षद्वीप	170	0	176	0	169	0	169	एनआर
33.	पुदुचेरी	1695	3103	2100	1913	1899	2256	1804	एनआर
	कुल	1822482	2082078	2175248	2108079	1979290	1674869	1887471	6591

*अन्य राज्यों से वास्तवित प्रगति अभी प्राप्त नहीं की गई है।

एनआर : प्राप्त नहीं।

बहुराष्ट्रीय लेखा कंपनियों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

964. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गौर किया है कि कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय लेखा कंपनियों ने देश में सेवा प्रदान करने में मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लेखा, लेखापरीक्षा तथा बुक कीपिंग सेवाओं, कराधान तथा विधिक सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या बहुराष्ट्रीय लेखा कंपनियों को देश में घरेलू सह कंपनियों के साथ कार्य करने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) अगस्त, 2011 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के उन 171 फर्मों जिनके बारे में माना जाता है कि उनका विदेशी फर्मों एवं निकायों के साथ संबंध या समझौता है, से प्राप्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात् 'भारत में बहुराष्ट्रीय नेटवर्क लेखांकन फर्मों का संचालन' पर एक प्रतिवेदन मंत्रालय को भेजा। प्रतिवेदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियमन, 1988, आईसीएआई की परिषद् द्वारा जारी मार्गनिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के उदाहरण दिए गए थे। आईसीएआई की परिषद् ने कुछ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट फर्मों और बहुराष्ट्रीय लेखांकन फर्मों के मध्य संचालन समझौतों पर प्रतिवेदन में शामिल अनुशंसाओं पर भावी कार्यवाही तय नहीं की है। आईसीएआई द्वारा अब तक कोई विशिष्ट शिकायत मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है। यदि कंपनी अधिनियम, 1956 और चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के उल्लंघन की कोई शिकायत मंत्रालय के संज्ञान में लायी जाती है तो मामले में उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

(ग) भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ स्तर पर 2005 में लेखांकन, लेखाबही रख-रखाव सेवाओं और विधिक परामर्श सेवाओं के संबंध में अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में वाणिज्यिक उपस्थिति को मोड-3 में रखा है अर्थात् भारत में विदेशी निकाय द्वारा कार्यालय की स्थापना पूर्णत: क्षेत्राधिकार के परे है। वही स्थिति वर्तमान में भी जारी है। तथापि, लागू विधियों/क्षेत्रीय नियमों एवं विनियमों के अधीन इन क्षेत्रों में स्वत: अनुमोदित माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

965. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए उम्र सीमा कम करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्रत्येक राज्य के विचार क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित 40-59 वर्ष आयु वर्ग की विधवाओं के लिए लागू हैं। वर्तमान में, आईजीएनडब्ल्यूपीएस के अंतर्गत विधवाओं के लिए आयु सीमा कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

966. श्री जोसेफ टोप्पो : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित की गयी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों (पीएसयूज़) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां समुचित ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वित्त वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन पीएसयूज़ के पुनरुद्धार हेतु कोई वित्तीय सहायता दी गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11 जिसे दिनांक 22.3.2012 को संसद में प्रस्तुत किया गया, के अनुसार दिनांक 31.3.2011 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 11 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम थे जिनके नाम हैं, डोनयी पोलो अशोक होटल लि., आसाम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि., ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि., ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि., नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि., नूमालिगढ़ रिफाइनरी लि., ऑयल इंडिया लि., लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लि., नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्टस एंड हैण्डलूमस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., नार्थ ईस्र्थन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि., एवं नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लि.।

(ख) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2006-07 में अनुमोदित किया गया था। रुग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के पुनरुद्धार पैकेज के प्रस्ताव, प्राप्त होने पर तथा इन उद्यमों की संभाव्यता के आधार पर सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित सीपीएसई का कार्य-निष्पादन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम	के दौरान लाभ/हानि		
		2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5
1.	डोनयी पोलो अशोक होटल लि.	19	7	26
2.	आसाम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लि.	-59	-118	40

1	2	3	4	5
3.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.	-8509	-2786	-21504
4.	नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लि.	147	112	14
5.	नूमालिगढ़ रिफाइनरी लि.	27926	23208	23564
6.	ऑयल इंडिया लि.	288773	261044	216168
7.	नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्टस एण्ड हैण्डलूमस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	-174	-182	-201
8.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लि.	26357	28938	29697
9.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लि.	-1344	-1438	-1810
10.	ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलीमर लि.		निर्माणाधीन	
11.	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलेक्ट्रीक कॉर्पोरेशन लि.		निर्माणाधीन	

स्रोत: लोक उद्यम सर्वेक्षण 2010-11।

गैस की आवश्यकता

967. **श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैस आधारित उर्वरक उत्पादन संयंत्रों की औसत क्षमता क्या है;

(ख) पूर्ण क्षमता पर इन संयंत्रों को कितनी गैस की आवश्यकता होती है;

(ग) इन उत्पादन संयंत्रों के लिए कितनी स्वदेशी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है;

(घ) इन संयंत्रों के लिए कितनी दीर्घकालिक अनुबंधित पुनर्सृजित तरलीकृत प्राकृतिक गैस उपलब्ध है;

(ङ) क्या दीर्घकालिक आधार पर गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के चलते देश में गैस आधारित उर्वरक विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है;

(च) यदि हां, तो गैस आधारित संयंत्र की अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार उत्पादन संयंत्रों के लिए और प्राकृतिक गैस आवंटित करने वर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि देश में यूरिया उर्वरक का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैस पर आधारित औसत वार्षिक क्षमता 18 मिलियन मी. टन है।

(ख) संयंत्रों द्वारा 18 'मिलियन मी. टन यूरिया का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैस की लगभग 46.5 एमएमएससीएमडी (मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन) की मात्रा की आवश्यकता है।

(ग) केजी बेसिन की गैस सहित स्वदेशी रूप से उपलब्ध गैस की मात्रा 35.4 एमएमएससीएमडी है।

(घ) पुनरुत्पादित (पुनःगैसीकृत) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की दीर्घावधि आपूर्ति के लिए की गई संविदा लगभग 10 एमएमएससीएमडी है। गैस आधारित उत्पादन संयंत्रों में लगभग 1.2 एमएमएससीएमडी गैस की कमी है। इस कमी को तत्स्थान मार्किट में एलएनजी की खरीद द्वारा या नेफ्था के प्रयोग द्वारा पूरा किया जाता है।

(ङ) वर्तमान में गैस पर आधारित यूरिया का उत्पादन करने वाली कोई भी इकाई बेकार नहीं पड़ी है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि घरेलू गैस के आबंटन में उर्वरक क्षेत्र को पहली प्राथमिकता दी गई है और वर्ष 2011-12 के दौरान घरेलू स्तर पर प्राप्त 114.68 एमएमएससीएमडी गैस में से 30.85 एमएमसीसीएमडी की आपूर्ति की गई थी।

[हिन्दी]

तेल विपणन कंपनियों के खुदरा विक्रय केन्द्र

968. **श्री रमेश बैस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के कुछ खुदरा विक्रय केन्द्र एक दूसरे के समीप स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दो खुदरा विक्रय केन्द्रों के बीच एक न्यूनतम दूरी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या दो खुदरा विक्रय केन्द्रों के बीच कम दूरी होने के कारण डीलरों को होने वाले नुकसान के मद्देनजर भूमि पट्टे का निरसन करके उनकी डीलरशिप रद्द करने के संबंध में कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर पहचाने गए स्थलों पर खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) स्थापित करती हैं। उन स्थलों को आरओज स्थापित करने के लिए विपणन योजनाओं में रोस्टरबद्ध किया जाता है जिनमें बिक्री की पर्याप्त संभावना होती है और जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर जिनमें उनके द्वारा इसे निर्धारित कर दिया गया है, आरओज के बीच दूरी संबंधी कोई मानक निर्धारित नहीं है। आरओज की स्थापना उपयुक्त स्थल की अधिप्राप्ति और विस्फोटक विभाग से उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा दूरी मानकों के अनुरूप अनुमोदन/लाइसेंस, जिला मजिस्ट्रेट से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग/सड़क और परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय जैसे स्थानीय/सरकारी प्राधिकरणों से विभिन्न अन्य अनुमोदन प्राप्त करने के बाद की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आरओज की स्थापना ऊपर बताए गए सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही की जाती है और डीलर द्वारा निष्पादन न करना/उसे हानि होना, दो आरओज के बीच दूरी का कारण नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

न्यायाधिकरणों में एकरूपता

969. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :**
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न न्यायाधिकरणों के कार्यकरण में एकरूपता लाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा 62 अधिकरण स्थापित किए गए हैं जो कि 24 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित होते हैं। एल. चन्द्रकुमार के मामले (एआईआर 1997 एस.सी. 1997 एस.सी. 1125 से 1155) और सिविल अपील संख्या 3067/2004 — भारत संघ बनाम आर. गांधी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए सभी अधिकरणों को एक मंत्रालय के अधीन रखने के लिए अंतर-मंत्रालीय परामर्श आयोजित किए गए हैं। परंतु सहमति नहीं हो पा रही है।

जन औषधि विक्रय केंद्र खोलना

970. **चौधरी लाल सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए जन औषधि विक्रय केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार देश भर में ऐसे विक्रय केंद्र खोलने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे विक्रय केंद्रों की स्थापना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) देशभर में विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राज्य-वार खोले गए जन औषधि बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। जन औषधि अभियान को प्रोत्साहित करने एवं जन औषधि बिक्री केन्द्रों को खोलने वाली प्रचालन एजेंसियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने और आवश्यक प्रारंभिक लागत पर होने वाले व्यय को पूरा करने के निमित प्रति जन औषधि बिक्री केन्द्र के लिए 2.50 लाख रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) जन औषधि अभियान के अंतर्गत प्रारंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि बिक्री केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। चूंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जन औषधि बिक्री केन्द्रों को खोलने के लिए सरकारी अस्पतालों में स्थान आबंटित करने और इन जन औषधि बिक्री केन्द्रों को चलाने के लिए एजेंसियों की सिफारिश करने में सहयोग और समर्थन देने के अतिरिक्त जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलना मुख्य रूप से उनकी स्वास्थ्य नीतियों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण-I

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान खोले गए जन औषधि बिक्री केन्द्रों की सूची

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	पंजाब (17)	लुधियाना
2.		जालंधर
3.		पटियाला
4.		मोगा
5.		फरीदकोट
6.		फिरोजपुर
7.		मनसा
8.		संगरूर
9.		बरनाला
10.		फतेहगढ़ साहिब
11.		रूपनगर (रोपड़)
12.		नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर)
13.		होशियारपुर
14.		तरणतारण
15.		मुक्तसर
16.		गुरदासपुर
17.		कपूरथला
18.	दिल्ली (2)	गुरू तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा
19.		दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर
20.	हरियाणा (2)	फरीदाबाद
21.		यमुना नगर
22.	उत्तराखंड (2)	देहरादून
23.		रूड़की
24.	चंडीगढ़ (1)	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
25.	आंध्र प्रदेश (2)	विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल
26.		निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस, (एनआईएमएस) हैदराबाद

1	2	3
27.	ओडिशा (4)	केपीटल अस्पताल, भुवनेश्वर
28.		रेड क्रॉस भवन, यूनिट-XI, भुवनेश्वर
29.		जिला मुख्यालय अस्पताल, खोरधा
30.		जिला मुख्यालय अस्पातल, धेनकनाल
31.	राजस्थान (6)	जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
32.		सरकारी अस्पताल, अलवर
33.		सरकारी अस्पताल, सवाई माधोपुर
34.		सरकारी अस्पताल, श्रीगंगा नगर 1
35.		सरकारी अस्पताल, श्रीगंगा नगर 2
36.		सरकारी अस्पताल, उदयपुर

विवरण-II

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान खोले गए जन औषधि बिक्री केन्द्रों की सूची

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	चंडीगढ़ (2)	सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सेक्टर-32
2.		मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, सेक्टर-6
3.	आंध्र प्रदेश (1)	उप्पल इंडस्ट्रियल एम्पलॉइज हैल्थकेयर सेंटर, उप्पल
4.	ओडिशा (5)	जिला मुख्यालय अस्पताल, कोरापुट
5.		जिला मुख्यालय अस्पताल, आंगुल
6.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नवरंगपुर
7.		जिला मुख्यालय अस्पताल, बाड़ागढ़
8.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नयागढ़
9.	पश्चिम बंगाल (2)	ए.आर. बांगर अस्पताल, कोलकाता
10.		ए.आर.एम. मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, कोलकाता
11.	राजस्थान (44)	बंसवाडा
12.		झालावाड़
13.		केशवराव पत्तन
14.		बुन्दी
15.		भवानी मंडी
16.		जालौर
17.		खानपुर (झालावाड़)
18.		चुरू
19.		झुनझुनु
20.		राजगढ़ (अलवर)
21.		ब्यावर
22.		हनुमानगढ़
23.		सुनेल (झालावाड़)
24.		रामपुरा (कोट-1)
25.		एमबीएम अस्पताल (कोटा-2)
26.		राजसमंद
27.		भीलवाड़ा
28.		पाली
29.		ओंसिया (जोधपुर)
30.		डूंगरपुर

1	2	3
31.		मंडोर, जोधपुर
32.		सागवाडा
33.		टोंक-1
34.		निवाही (टोंक-2)
35.		बीकानेर
36.		प्रतापगढ़
37.		विजय नगर
38.		बाड़मेर (अजमेर)
39.		दौसा
40.		हनुमानगढ़
41.		भरतपुर
42.		मालपुरा (टोंक)
43.		लालसूत
44.		सीरोही
45.		सीकर-1
46.		सीकर-2
47.		बंदी कुई
48.		मेडिकल कॉलेज, कोटा-3
49.		नीम का थाना
50.		जेसलमेर
51.		सुजात सिटी-1
52.		सुजात सिटी-2
53.		अजमेर
54.		भिंडर

विवरण-III

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान खोले गए जन औषधि बिक्री केन्द्रों की सूची

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	पंजाब (2)	सिविल अस्पताल, पठानकोट
2.		सिविल अस्पताल, अबोहर
3.	राजस्थान (2)	धोलपुर
4.		बारन
5.	ओडिशा (5)	जिला मुख्यालय अस्पताल, बैरमपुर
6.		जिला मुख्यालय अस्पताल, जजपुर
7.		जिला मुख्यालय अस्पताल, पुरी
8.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नवपड़ा
9.		जिला मुख्यालय अस्पताल, बरीपड़ा मयुरभंज
10.	पश्चिम बंगाल (1)	हावडा जिला अस्पताल हावडा
11.	जम्मू और कश्मीर (2)	रेड क्रास बिल्डिंग, एक्सचेंस रोड, श्रीनगर
12.		जिला अस्पताल, लेह
13.	हिमाचल प्रदेश (8)	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला
14.		रिजनल अस्पताल, मंडी
15.		रिजनल अस्पताल, उना
16.		रिजनल अस्पताल, टांडा
17.		रिजनल अस्पताल, धर्मशाला
18.		रिजनल अस्पताल, सोलन

1	2	3
19.		रिजीनल अस्पताल, चम्बा
20.		दीन दयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पीटल, शिमला

[हिन्दी]

बोतलबंद जल उद्योग द्वारा जल दोहन

971. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोतलबंद जल उत्पादन में लगी कंपनियों से जल कर वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बोतल बंद जल उत्पादन के लिए भू-जल के दोहन के संबंध में कोई विनियमन तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) ने जल के व्यावसायिक प्रयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो भू-जल के दोहन की रोकथाम और बोतल बंद जल की अत्यधिक कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें बोतलबंद पानी के उत्पादन में लगी हुई कंपनियों से जलकर वसूल कर सकती है।

(ख) और (ग) केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा बोतलबंद पानी के उत्पादन के लिए भूमि जल के आहरण के लिए कोई विशिष्ट विनियम नहीं है।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने "सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, पेय पदार्थों/शराब के उत्पादन के दौरान होने वाली जल की आवश्यकता के मूल्यांकन एवं बेंचमार्किंग" संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को औद्योगिक जल के साफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, पेय पदार्थों और शराब की प्रति उत्पादन इकाई को समझाने तथा जल के उपयोग में कमी करने की दृष्टि से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुम्बई को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने भूमि जल विकास के विनियमन हेतु 82 क्षेत्रों (जिलों, ब्लॉकों, मंडलों, ताल्लुकों, नगर निगमों) को अधिसूचित किया है। इन क्षेत्रों में प्राधिकरण/प्राधिकारी अधिकारियों के बिना पूर्व अनुमोदन के नई भूमि जल निकासी संरचनाओं को संस्थापित करने की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा राज्य प्रदूषण बोर्डों तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बोतलबंद जल की उत्पादन इकाइयों सहित भूमि जल पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने/प्रसार करने संबंधी प्रस्तावों को भूमि जल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए सीजीडब्ल्यूए को अग्रेषित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित बोतलबंद जल उत्पादन इकाईयों सहित ऐसे उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा पूरी की जाने वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाने, भूमि जल निकासी की निगरानी तथा भूमि जल स्तर तथा गुणवत्ता इत्यादि की निगरानी करने संबंधी अनिवार्य पूर्व शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत विनियामक निदेशों को लागू करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में सीजीडब्ल्यूए के निदेशों का उल्लंघन करने के मामले में संबंधित उपायुक्त/जिला कलेक्टरों को आवश्यक कारवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

कापार्ट के अंतर्गत अनुदान

972. **श्री जगदीश ठाकोर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद् (कापार्ट) के माध्यम से गुजरात के पाटन-साबरकांठा-कच्छ जिलों में गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के पाटन, साबरकंठा तथा कच्छ जिलों में कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्वीकृत तथा रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात के पाटन, साबरकांठा और कच्छ जिलों के गैर-सरकारी संगठनों को उनके प्रारंभ की तारीख से कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

I. गुजरात के पाटन जिले में गैर-सरकारी संगठनों को कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

(राशि रुपये)

वित्त वर्ष	क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	पता	जिला	स्वीकृत राशि	स्वीकृत दिनांक	कुल जारी राशि	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000-2001	1.	श्री वधियार निकेतन बापसा	गांव व पो. बासपा, तालुक सामी, जिला-पाटन	पाटन	149000	19-मार्च-01	149000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2000-2001	2.	श्री सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट	गांव दौदपुर, तालुक सामी, जिला-पाटन	पाटन	393450	23-मार्च-01	339141	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2000-2001	3.	श्री वधियार निकेतन बापसा	गांव व पो. बासपा, तालुक सामी, जिला - पाटन	पाटन	430855	23-मार्च-01	357846	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2001-2002	4.	श्री लालन सरस्वती धाम	गांव सिद्धपुर, अभिवन हाई स्कूल के पीछे, सिद्धपुर	पाटन	294604	27-जून-01		परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2005-2006	5.	श्री सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट	गांव दौदपुर, तालुक सामी, जिला-पाटन	पाटन	831911	30-जून-05	831911	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2007-2008	6.	दीपमाला युवा वेल्फेयर ट्रस्ट	गांव व पो. भद्रादा, तालुक सामी जिला-पाटन	पाटन	302600	10-मार्च-08	302600	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
2008-2009	7.	ओम सेवा महिला ट्रस्ट	मार्फत मनोज कुमार एम. ठक्कर, अमबाराम जदियानी खदाकी, सोनीवाडो, पाटन	पाटन	280324	5-नवंबर-08	168195	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-2009	8.	श्री जन सेवा ट्रस्ट	गांव व पो. मसाली तालुक रधनपुर, जिला-पाटन	पाटन	355090	5-फरवरी-09	294639	अंतिम अनुदान जारी किया गया
II. गुजरात के साबरकांठा स्थिति गैर-सरकारी संगठनों को कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं								
1986-1987	1.	सेवा मंडल मेघराज	गांव व पो. कसाना, तालुक मेघराज, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	30000	5-फरवरी-87	30000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1986-1987	2.	विश्व मंगलम	गांव व पो. अनेरा, तालुक हिम्मतनगर, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	30000	11-फरवरी-87	30000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1986-1987	3.	रचना प्रतिष्ठान	रचना फाउंडेशन, पो.ऑ. विश्वमंगलम वाया हिम्मतनगर, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	30000	20-जनवरी-87	30000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	4.	ग्राम मंगलम	गांव व पो. भुदासन, वाया अकारेंड, तालुक वायाड, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	60000	30-मार्च-89	40257	अंतिम अनुदान जारी किया गया
1988-1989	5.	दिशा	पहला तल, संघवी भुवन स्टेशन रोड, वैभव लॉज हिम्मतनगर के पास	साबरकांठा	60000	29-मार्च-89	60000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	6.	श्रमजीवी समाज	गांव व पो. शिलेदा, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	65000	28-फरवरी-89	65000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	7.	रचना प्रतिष्ठान	रचना फाउंडेशन, पो.ऑ. विश्वमंगलम वाया हिम्मतनगर, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	37000	24-जनवरी-89	37000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	8.	जन कल्याण युवक मंडल	दचाका, पो.ऑ. बेलयोल मोघराज जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	19000	15-फरवरी-89	19000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988-1989	9.	कल्याणी ट्रस्ट	तालुक मोदासा, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	3800	8-फरवरी-89	3800	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	10.	न्यू प्रगति युवक मंडल	गांव व पो. पोशीना, तालुक खेदब्रहमा, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	26500	14-अक्तूबर-88	26500	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	11.	कृषि विकास योजना	नाना कंथारिया, पो.ऑ. लुसदिया, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	20800	26-सितंबर-88	20800	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1990-1991	12.	ग्राम मंगलम	गांव व पो. भुदासन, वाया अकरुंड, तालुक बयाद, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	13500	24-अप्रैल-90	13500	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	13.	मानव कल्याण ट्रस्ट	गांव व पो. खेरोज, नार्थ गुजरात	साबरकांठा	899400	9-जून-93	899395	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई है
1994-1995	14.	काशीनाथ गोस्वामी युवक मंडल	पोसीना तालुक, खेदाब्रहमा, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	27500	11-अक्तूबर-94	27500	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	15.	सेवा मंडल मेघराज	गांव व पो. कसाना, तालुक मेघराज जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	18-अक्तूबर-95	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	16.	गुजरात जन जागरण संघ खेरोज	खेरोज, तालुक खेदब्रहमा, जिला-साबरकांठा	साबरकांठा	335340	19-अक्तूबर-95	169740	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	17.	सदविचार परिवार मार्फत साबरकांठा आरएसी	धुलेता दरवाजा, हनुमान मंदिर के पास, इदार, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	24-अगस्त-95	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	18.	नव जागृति युवक केन्द्र संगठन	गांव व पो. गाबत, तालुक बयाड, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	18-अक्तूबर-95	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	19.	श्री अरबुदा खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल	गांव व पो. मलासा जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	2-फरवरी-96	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995-1996	20.	ग्राम विकास सेवा ट्रस्ट	न्यू पोस्ट आफिस के सामने, हाईवे रोड श्रीनगर, ईदर, साबरकांठा	साबरकांठा	207000	28-फरवरी-96	109250	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1995-1996	21.	कल्याणी ट्रस्ट	तालुक मोदासा, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	19-अक्तूबर-95	207000	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1995-1996	22.	सदविचार परिवार मार्फत साबरकांठा आरएसी	धुलेता दरवाजा, हनुमान मंदिर के पास, इदार, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	28-फरवरी-96	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	23.	शांति निकेतन	गांव गोविंदपुर कम्पा, पो.ऑ. पिपराना, तालुक मालपुर, जिला-साबरकांठा गुजरात	साबरकांठा	448306	8-मई-95	448306	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	24.	श्री गायत्री खादी महिला ग्रामोद्योग संघ	गांव व पो. मलासा, तालुक भिलोदा जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	6-मई-96	0	अनुदान ज़ारी होने के लिए लंबित
1996-1997	25.	सदविचार परिवार मार्फत साबरकांठा आरएसी	धुलेता दरवाजा, हनुमान मंदिर के पास, ईदार, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	327500	10-सितंबर-96	315797	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	26.	श्री अरबुदा ग्रामोद्योग विकास मंडल	गांव व पो. मलासा जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	445400	6-नवंबर-96	422700	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	27.	सदविचार परिवार मार्फत साबरकांठा आरएसी	धुलेता दरवाजा, हनुमान मंदिर के पास, ईदार, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	445410	22-जुलाई-96	445410	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	28.	विनय केलवाली ट्रस्ट	गांव व पो. भिलोदा, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	82800	6-मई-96	0	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	29.	मानव कल्याण ट्रस्ट	गांव व पो. खेरोज नार्थ गुजरात	साबरकांठा	414000	6-मई-96	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1996-1997	30.	नवजाग्रति युवक केन्द्र संगठन	गांव व पो. गाबत, तालुक बयाड जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	318150	15-नवंबर-96	318150	अंतिम अनुदान जारी किया गया
1996-1997	31.	रचना प्रतिष्ठान	रचना फाउंडेशन, पो.ऑ. विश्वमंगलम वाया हिम्मतनगर, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	418462	1-मार्च-97	213260	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	32.	सदविचार परिवार मार्फत साबरकांठा आरएसी	धुलेता दरवाजा, हनुमान मंदिर के पास, ईदार, जिलर-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	404420	28-फरवरी-97	404420	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	33.	भावेश ग्राम विकास मंडल	डालपुर, तालुक प्रांतीज जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	424913	6-नवंबर-96	127405	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	34.	श्री गायत्री खादी महिला ग्रामोद्योग संघ	गांव व पो. सलासा, तालुक भिलोदा जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	414000	6-मई-96	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	35.	नव चेतन युवा मंडल	गांव व पो. धमनिया, तालुक बयाद, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	238451	10-सितंबर-96	238451	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	36.	लोक जागृति युवक मंडल	एम.पी. कोटदा, खेदब्रहमा साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	133875	11-जून-96	133875	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1997-1998	37.	सर्वांगीण ग्राम विकास संस्था परंतिज	मार्फत ग्राहक हिट सुरक्षा मंडल, सुमराना के पास, चोरा, परंतिज	साबरकांठा	110687	12-नवंबर-97	110308	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1997-1998	38.	सदविचार परिवार मार्फत साबरकांठा आरएसी	धुलेता दरवाजा, हनुमान मंदिर के पास, ईदार, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	399865	5-सितबंर-97	399865	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1997-1998	39.	श्री जालाराम सर्वोदय कल्याण संघ	गांव व पो. लंबादिया, तालुक खेदब्रहमा, साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	220000	2-मार्च-98	220000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997-1998	40.	लोक जागृति युवक मंडल	एम.पी. कोटदा, खेदब्रहमा साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	198450	2-मार्च-98	198450	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1998-1999	41.	आदिवासी सेवा संघ गुजरात प्रदेश	गांव खाती, पो.ऑ. लिलछा, तालुक भिलोदा	साबरकांठा	110000	30-नवंबर-98	110000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2000-2001	42.	श्री भगवतीबा खादी ग्रामोद्योग सेवा ट्रस्ट	पो.ऑ. गाबत, तालुक बयाद साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	611667	31-मई-00	610467	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2000-2001	43.	प्रकाश ट्रस्ट	पो.ऑ. हापा, हिम्मतनगर	साबरकांठा	341945	7-जून-00	165985	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2000-2001	44.	नव जागृति युवक केन्द्र संगठन	गांव व पो. गाबत, तालुक बयाड, जिला-साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	751140	31-मई-00	359370	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2002-2003	45	लोक जागृति युवक मंडल	एम.पी. कोटदा, खेदब्रहमा साबरकांठा, गुजरात	साबरकांठा	437107	27-मार्च-03	437107	अंतिम अनुदान जारी किया गया
2003-2004	46.	श्री रामभक्ता संस्कार मंडल	गांव व पो. आईलोल, तालुक हिम्मतनगर	साबरकांठा	1149236	29-जनवरी-04	1149236	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2003-2004	47.	श्री मालपुर तालुका सरस्वती सेवा संघ	गांव मालपुर, तालुक मालपुर	साबरकांठा	391218	29-जनवरी-04	391218	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
2003-2004	48.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	373120	14-अक्तूबर-03	373120	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2005-2006	49.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	2219184	30-जून-05	2219184	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2005-2006	50.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	913860	6-फरवरी-06		परियोजना निरस्त एवं बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006-2007	51.	श्री रामभक्ता संस्कार मंडल	गांव व पो. आईलोल, तालुक हिम्मतनगर	साबरकांठा	1684170	17-अप्रैल-06	1515753	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित
2007-2008	52.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	90500	5-दिसंबर-07	90500	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2007-2008	53.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	92920	28-अगस्त-07	81920	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2007-2008	54.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	49960	21-जून-07	44964	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2008-2009	55.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	450000	5-नवंबर-08	225000	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित
2008-2009	56.	निर्मल फाउंडेशन	गांव व पो. पडारडी खेदब्रहमा, साबरकांठा	साबरकांठा	386512	6-फरवरी-09	193256	अनुदान जारी होने के लिए लंबित
2008-2009	57.	वेल्फेयर रूरल डेवलेपमेंट फाउंडेशन	शित केन्द्र, एनीमल हास्पिटल के पीछे, खेदब्रहमा, जिला-साबरकांठा	साबरकांठा	215333	5-फरवरी-09	107666	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
2008-2009	58.	मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट	गांव व पो. भिलोदा, ग्राम पंचायत के सामने, ब्लॉक भिलोदा, जिला-साबरकांठा	साबरकांठा	281098	27-अक्तूबर-08	252989	अनुदान जारी होने के लिए लंबित

III. गुजरात के कच्छ जिले में गैर-सरकारी संगठनों को कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1979-1980	1.	श्री कच्छ वडाला मुंबई महाजन	वडाला, वाया गुंडाला, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	54000	1-जनवरी-08	54000	अंतिम अनुदान जारी किया गया
1986-1987	2.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टीटयूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	344195	31-मार्च-87	0	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987-1988	3.	श्री कच्छ वडाला मुंबई महाजन	वडाला, वाया गुंडाला, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	54000	13-फरवरी-08	0	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	4.	श्री कच्छ दुर्गापुर पंजरापोल एंड गोशाला	गांव व पो. कच्छ दुर्गापुर, जिला-मंडवी कच्छ, गुजरात	कच्छ	54000	13-फरवरी-88	54000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	5.	श्री कच्छ मंडरा पंजरापोल एंड गोशाला	भाभा सेठ रोड, मंडवी जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	308000	13-फरवरी-88	178270	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	6.	अंजार पंजरापोल एंड गोशाला	गंगा गेट, अंजार, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	362000	13-फरवरी-88	228000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	7.	श्री मोती रूद्राणी जागीर	गोशाला पंजरापोल, पो.ऑ. कुनरिया, भुज जिला कच्छ, गुजरात	कच्छ	154000	13-फरवरी-88	134000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	8.	भुज पंजरापोल	वनियावाद स्ट्रीट, भुज, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	154000	13-फरवरी-88	117000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	9.	श्री जिवदया मंडल	गांव व पो. राहपार, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	216000	13-फरवरी-88	168000	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1987-1988	10.	श्री कच्छ मंदरा पंजरापोल एंड गोशाला	भाभा सेठ रोड, मंडवी जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	89000	13-फरवरी-88	47000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	11.	श्री भोचाउ पंजरापोल	एस.टी. स्टैंड के पास, गांव व पो. भोचाउ, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	208000	13-फरवरी-88	158000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	12.	बिदरा पंजरापोल एंड गोशाला	गांव बिदारा, तालुक मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	188000	16-फरवरी-88	188000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1987-1988	13.	श्री गुंडाला मुंबई महाजन	संचालित श्री गुंडाला पंजरापोल (गुंडल) पो.ओ. गुंडाला, तालुक मुंडरा, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	54000	13-फरवरी-88	27000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1987-1988	14.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	297500	21-मई-87	9894	वित्त विभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित
1988-1989	15.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1762748	15-मार्च-89	1762748	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	16.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	133900	2-जून-88	133900	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	17.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	344195	28-मई-88	341695	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1989	18.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	507014	2-जून-88	0	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1989-1990	19.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	760000	1-जून-89	760000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1989-1990	20.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	2139756	29-नवंबर-89	2139756	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1989-1990	21.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	629286	13-मार्च-90	629286	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1988-1990	22.	ग्राम स्वराज संघ	पो.ऑ. लिलपार, तालुक राहपार जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	620000	21-जुलाई-89	620000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1989-1990	23.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	150000	8-सितंबर-89	150000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1990-1991	24.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	762742	31-जनवरी-91	762742	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद हुई
1990-1991	25.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	858973	6-मार्च-91	858973	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	26.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	726069	2-अगस्त-91	700000	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1991-1992	27.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	832096	28-अगस्त-91	832096	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	28.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	827914	10-सितंबर-91	827914	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	29.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	110000	24-जुलाई-91	110000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	30.	ग्राम स्वराज संघ	पो.ऑ. लिलपार, तालुक राहपार, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	720000	28-सितंबर-91	720000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	31.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	220913	31-मार्च-92	150000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	32.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	858043	2-अगस्त-91	858043	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	33.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	834665	19-दिसंबर-91	834665	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991-1992	34.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	831318	19-दिसंबर-91	831310	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	35.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	717000	19-दिसंबर-91	717000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	36.	ग्राम स्वराज संघ	पो.ऑ. लिलपार, तालुक राहपार, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	720000	28-सितंबर-91	720000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1991-1992	37.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	181566	31-मार्च-92	181566	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	38.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	125400	31-मार्च-92	125400	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	39.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	166400	31-मार्च-92	166400	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1991-1992	40.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	182422	7-मई-91	182422	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	41.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	787102	1-जून-92	787102	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	42.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	459873	1-जून-92	459873	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	43.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	992100	23-अक्तूबर-92	992100	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1992-1993	44.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	797630	1-मार्च-93	797630	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	45.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	906310	1-जून-92	906310	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	46.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1000000	1-जून-92	1000000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	47.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	777470	1-जून-92	777470	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	48.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	684874	1-जून-92	684874	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1992-1993	49.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	568427	1-जून-92	0	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1993-1994	50.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	801420	29-मई-93	801420	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	51.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	983000	29-मई-93	983000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	52.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1213900	29-मई-93	1213900	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1993-1994	53.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1074700	29-मई-93	1074700	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1993-1994	54.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	775900	1-जून-93	775900	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	55.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1206650	1-जून-93	1206650	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	56.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1368000	1-जून-93	1368000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	57.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	832840	29-मई-93	832840	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1993-1994	58.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1018534	1-जून-93	1018534	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1993-1994	59.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	470847	17-अगस्त-93	470847	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	60.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	601033	17-अगस्त-93	601033	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	61.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	387200	17-अगस्त-93	387200	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	62.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	434750	17-अगस्त-93	434750	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1993-1994	63.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	730950	19-अगस्त-93	730950	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1993-1994	64.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सोसायटी	नंगलपुर रोड, मंडवी जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1500000	18-अगस्त-93	1500000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1994-1995	65.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	781365	27-अक्तूबर-94		परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1994-1995	66.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	736000	9-सितंबर-94	736000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	67.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गुंडाला रोड, गांव सदाउ, तालुक मुंडरा, कच्छ	कच्छ	800000	31-अक्तूबर-94	800000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	68.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	241000	9-सितंबर-94	241000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	69.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	310000	9-सितंबर-94	310000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	70.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सोसायटी	नंनगलपुर रोड, मंडवी जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	766840	21-जून-94	696900	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1994-1995	71.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	746711	23-अगस्त-94	746711	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	72.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	500000	9-सितंबर-94	500000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	73.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	473931	23-अगस्त-94	473931	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1994-1995	74.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	800000	28-अक्तूबर-94	0	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1994-1995	75.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	800000	28-अक्तूबर-94		परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1994-1995	76.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	287267	1-जून-94	284016	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	77.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	800000	23-अगस्त-94	800000	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1994-1995	78.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	214400	1-जून-94	214400	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	79.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	214400	1-जूलाई-94	214400	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	80.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	307316	1-जून-94	301769	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	81.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	800000	9-सितंबर-94	800000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	82.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	711700	27-अक्तूबर-94	711700	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	83.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	622460	23-अगस्त-94	622460	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1994-1995	84.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	100500	1-जून-94	100500	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	85.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	105000	1-जून-94	105000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1994-1995	86.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	437200	27-अक्तूबर-94	371679	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1995-1996	87.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	414000	18-अक्तूबर-95	380880	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1995-1996	88.	ग्राम स्वराज संघ	पो.ऑ. लिलपार, तालुक राहपार, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	414000	28-फरवरी-96	414000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	89.	ग्राम स्वराज संघ	पो.ऑ. लिलपार, तालुक राहपार, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	212500	4-जुलाई-95	112500	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1995-1996	90.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	321477	18-अक्तूबर-95	320477	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1995-1996	91.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	398437	18-अक्तूबर-95	398437	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	92.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	390269	18-अक्तूबर-95	390269	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	93.	श्री नानी खाखर सार्वजनिक विकास ट्रस्ट	नीनी खखर, तालुक मंडवी कच्छ	कच्छ	364117	27-फरवरी-96	364117	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1995-1996	94.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	380970	6-फरवरी-96	380970	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995-1996	95.	सृजन हस्त शिल्प केन्द्र	जी.ई.बी. सबस्टेशन के पीछे, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	485100	2-फरवरी-96	485100	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	96.	सृजन हस्त शिल्प केन्द्र	जी.ई.बी. सबस्टेशन के पीछे, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	484150	28-फरवरी-97	470895	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	97.	कच्छ विकास ट्रस्ट	सेंट जेवियर स्कूल, भुज जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	1168000	1-जनवरी-97	909500	परियोजना निरस्त हुई परंतु बंद नहीं हुई
1996-1997	98.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	359688	22-जुलाई-96	359688	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	99.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	353850	11-जून-96	353850	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	100.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	392082	10-सितंबर-96	392082	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	101.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	374209	1-मार्च-97	296117	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1996-1997	102.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	373144	3-मई-96	373144	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1996-1997	103.	कच्छ महिला विकास संगठन	11, नुतन कालोनी भुज	कच्छ	27500	15-जून-96	27500	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1997-1998	104.	श्री हरसिद्धा महाकाली सेवा संघ	गांव व पो. लिच, तालुक-मेहसाणा	कच्छ	108790	28-अगस्त-97	108790	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
1997-1998	105.	श्री आर्या सेवा संघ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	पो.ऑ. बसपा, तालुक सामी, मेहसाणा गुजरात	कच्छ	404673	12-नवंबर-97	404673	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997-1998	106.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	380443	23-दिसंबर-97		परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
1997-1998	107.	श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	गांव व पो. मंडवी, जिला-कच्छ, गुजरात	कच्छ	370767	20-जून-97	272152	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2000-2001	108.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलेपमेंठ सोसायटी	गुंडाला रोड गांव सदाउ, तालुक मुंडरा, कच्छ	कच्छ	1898799	15-मार्च-01	632933	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित
2000-2001	109.	रूरल एग्रो रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सोसायटी	गुंडाला रोड गांव सादउ, तालुक मुंडरा, कच्छ	कच्छ	1995938	15-मार्च-01	665312	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित
2001-2002	110.	भिमानी खादी ग्रामोद्योग संघ	भाटिया बालाश्रम, तापरानी संकुल, मंडवी कच्छ	कच्छ	270000	19-अप्रैल-01	270000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2001-2002	111.	श्री पश्चिम कच्छ खादी ग्रामोद्योग संघ	खादीग्राम, कोथारा, तालुक अबदासा जिला-कच्छ	कच्छ	270000	19-अप्रैल-01	270000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2001-2002	112.	कच्छ खादी ग्रामोद्योग संघ	खादीबाग, ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड, भुज कच्छ	कच्छ	270000	19-अप्रैल-01	270000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2001-2002	113.	श्री भीमानी खादी मंडल	ग्रामोद्योग वादी, लिलपुर, राहपार, कच्छ-370165	कच्छ	270000	19-अप्रैल-01	270000	परियोजना पूरी हुई और बंद हुई
2001-2002	114.	श्री बन्नी विकास ट्रस्ट (गोरेवाली)	206, पूनम कमर्शियल सेंटर, द्वितीय तल स्टेशन रोड, भुज	कच्छ	367040	13-अप्रैल-01	183520	परियोजना निरस्त एवं बंद हुई
2005-2006	115.	भानुशाली सार्वजनिक ट्रस्ट	बी-11, कल्पतरु अपार्टमेंट, हास्पिटल रोड, ब्लॉक भुज	कच्छ	257048	29-दिसंबर-05	231344	वित्त प्रभाग द्वारा अनुदान जारी किया गया/प्रगति रिपोर्ट वांछित

[अनुवाद]

देश में जल निकाय

973. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में कितने जल निकाय हैं और इन जल संसाधनों की वार्षिक क्षमता कितनी है;

(ख) क्या शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध और आवश्यक जल संसाधन का आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 2000-2001 को संदर्भ वर्ष मानकर की गई तीसरी लघु सिंचाई गणना के अनुसार देश में अभिज्ञात जल निकायों की संख्या 5.56 लाख है। प्रयोग में नहीं आ रहे जल निकायों की कुल संख्या 85807 है। 5.56 लाख जल निकायों में से 2.39 लाख निजी स्वामित्व वाले जल निकाय हैं। जल संसाधन मंत्रालय इन निकायों की वार्षिक क्षमता का रिकॉर्ड नहीं रखता।

(ख) जी, हां। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध जल संसाधन के आकलन का रिकॉर्ड नहीं रखता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औषध मूल्य निर्धारण कानून में संशोधन

974. **श्री हमदुल्ला सईद : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औषधियों की अंतिम लागत का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के प्राधिकृत करने के लिए औषध मूल्य निर्धारण कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषध मूल्य निर्धारण कानून के संशोधन के औषध की कीमतों में कमी करने और उन्हें गरीबों की पहुंच में लाने के दूरगामी परिणाम होंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयातित औषधियां मूल्य नियंत्रण तंत्र के दायरे के बाहर हैं;

(च) यदि हां, तो क्या एनपीपीए की पहल अधिक प्रभावी नहीं होगी; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) फॉर्म-IV के साथ पठित औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के पैरा 7 के परंतुक के अधीन अनुसूचित फार्मूलेशन के आयातकर्त्ता से अन्य सूचना सहित अवतरण लागत प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण/संशोधन के मामलों में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने डीपीसीओ, 1995 के फॉर्म-IV में संशोधन करके और अधिक ब्यौरे लेने की जरूरत समझी। सरकार ने इस कारण डीपीसीओ, 1995 के संशोधन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता

975. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिवक्ताओं के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद्, जो एक सांविधानिक निकाय है, ने यह सूचित किया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिवक्ताओं के लिए किसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई पृथक् उपबंध नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे की फर्जी वेबसाइट

976. **श्री राकेश सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि इंटरनेट पर रेलवे की फर्जी वेबसाइट प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि ऐसी फर्जी वेबसाइट के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड, जबलपुर द्वारा समूह-घ की भर्ती के प्रवेशपत्र जारी किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में और साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) जनता को सही वेबसाइटों के बारे में प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को फर्जी वेबसाइटों के बारे में सूचित किया जाता है, जब कभी ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। बहरहाल, जनता को ऐसी फर्जी वेबसाइटों के अस्तित्व के बारे में प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और जनता को रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले ऐसी फर्जी वेबसाइटों या संगठनों की प्रमाणिकता चैक करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

तेल और गैस भंडार

977. **श्री मनोहर तिरकी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर पूर्व में पता लगाए गए तेल और गैस भंडारों का ब्यौरा क्या है और उनसे कितनी मात्रा में तेल और गैस के निष्कर्षण की संभावना है और तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान इन भंडारों से कितनी मात्रा में तेल और गैस का उत्पादन किया गया; और

(ग) जिन भंडारों में अभी तक उत्पादन कार्य आरंभ नहीं हुआ है वहां उत्पादन आरंभ होने की समय-सीमा क्या है और इनसे राज्य सरकारों को कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्वी (एनई) राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और त्रिपुरा में निकासी योग्य भंडार 175.95 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चा तेल और 175.43 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) प्राकृतिक गैस है। राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:—

राज्य	कच्चे तेल (एमएमटी)	प्राकृतिक गैस (बीसीएम)
अरुणाचल प्रदेश	1.01	1.09
असम	172.18	138.17
नागालैंड	2.69	0.12
त्रिपुरा	0.07	36.05
योग	175.95	175.43

पश्चिम बंगाल राज्य में किसी हाइड्रोकार्बन भंडार की पुष्टि नहीं हुई है। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के तहत अभी तक एनई राज्यों में प्रदान किए गए 4 अन्वेषण ब्लॉकों में कुल 5 गैस खोजें

(3 त्रिपुरा में, 1 असम में और 1 मिजोरम में) की गई हैं। ये खोजें मूल्यांकन/आकलन/वाणिज्यकता के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) वर्ष 2011-12 के दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों (पीबीटी/जेवीज) द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

राज्य	तेल उत्पादन (एमएमटी)	गैस उत्पादन (बीसीएम)
असम	5.025	2.904
अरुणाचल प्रदेश	0.118	0.04
त्रिपुरा	–	0.644

पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 2011-12 में 0.079 बीसीएम कोल बैड मीथेन (सीबीएम) गैस का उत्पादन हुआ था।

(ग) तेल/गैस के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए समय-सीमा औरा तेल/गैस की बिक्री के आधार पर अनुमानित राजस्व का पता की गई वाणिज्यिक खोजों की क्षेत्र विकास योजनाओं के अनुमोदन के बाद ही लग पाएगा। संबंधित राज्य सरकारें जमीनी ब्लॉकों से तेल/गैस उत्पादन पर रायल्टी, खनन पट्टा शुल्क और अन्य सांविधिक कर और उद्ग्रहण प्राप्त कर सकती हैं।

कच्चे तेल का आयात

978. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में कच्चे तेल की आपूर्ति का अग्रिम आर्डर देने की परम्परा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल का आयात तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) जिनके पास कच्चे तेल का निर्यात योग्य अधिशेष होता है, के साथ आवधिक संविदाओं के द्वारा किया जाता है और शेष आवश्यकता की व्यवस्था निविदाओं के माध्यम से की जाती है। आवधिक संविदाओं को सामान्यतः श्रेणी, मात्रा तथा अवधि भारतीय रिफाइनरियों द्वारा जैसा अपेक्षित हो, के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु अंतिम रूप दिया जाता है।

गहरे जल में तेल और गैस का अन्वेषण

979. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गहरे जल में अन्वेषण का अनुभव रखने वाली बड़ी कंपनियों को पेट्रोलियम क्षेत्र में तेल और गैस के अन्वेषण की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गहरे जल में तेल और गैस का अन्वेषण शीघ्र अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौरों के तहत अब तक अंडमान अपतट में (11), पूर्वी अपतट में (43) तथा पश्चिमी अपतट में (26) कुल 80 गहरे समुद्री ब्लॉकों को प्रदान किए हैं। इनमें से 12 ब्लॉक निम्न प्रकार से गहरे समुद्री क्षेत्र में अनुभव रखने वाली प्रमुख अन्वेषण और उत्पादन (ईएण्डपी) कंपनियों को प्रदान किए गए थे:–

प्रचालक	प्रदान किए गए गहरे समुद्री ब्लॉकों की संख्या
1	2
बीएचपी बिलिटन	7
ईएनआई	1
सैंटोस	2

1	2
बीजी एक्सपलोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजीईपीआईएल)	1
बीजी एक्सपलोरेशन लिमिटेड (बीपीईएएल)	1
योग	12

(घ) एनईएलपी नीति के तहत तेल और गैस के लिए अन्वेषण ब्लॉकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा एक पूर्णत: पारदर्शी प्रक्रिया से प्रदान किए गए हैं, जो निजी, विदेशी और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए एक समान कार्य स्तर उपलब्ध कराती है। एनईएलपी दौर की शुरूआत किए जाने से पूर्व, बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देना, बोली बंद होना/खुलना, बोली मूल्यांकन, ब्लॉकों को प्रदान किए जाने के लिए सिफारिशें, ब्लॉकों को प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक अनुमोदन तथा प्रदत्त कंपनी/परिसंघ के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर जैसी कार्रवाईयां समयबद्ध ढंग से की जाती है।

[हिन्दी]

महिलाओं को आरक्षण

980. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान के लिए विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्षों के दौरान, महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाए किए हैं और एक ऐसा उपाय लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए था। सरकार ने एक कदम आगे उठाया है और लोक सभा और राज्य विधान सभाओं तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के अन्य बातों के साथ-साथ यह यथाशक्य निकटतम, एक तिहाई (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है), स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, का उपबंध करने के लिए 6 मई, 2008 को राज्य सभा में संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 नामक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। बाद में, सभापति, राज्य सभा ने 8 मई, 2008 को विधेयक को कार्मिक लोक शिकायत और विधि और न्याय मंत्रालय संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा और रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया था माननीय समिति ने राज्य सभा को विधेयक पर अपनी 36वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है/17 दिसंबर, 2009 को लोक सभा में रख दिया है राज्य सभा ने 9 मार्च, 2010 को विधेयक पारित कर दिया था। विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किया जाना है और उसे संकल्प द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा भी अनुसमर्थित किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

मुंबई में मोटर मैनों द्वारा हड़ताल

981. **श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई उपनगरीय रेलगाड़ियों के मोटर मैन (चालकों) द्वारा हाल ही में आकस्मिक हड़ताल की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। मुंबई उपनगरीय गाड़ियों के मोटरमैन बिना किसी सूचना या

मांगों को बताए बगैर 20.07.2012 को 15:00 बजे से 19:25 बजे तक गैर-कानूनी 'फ्लैश स्ट्राइक' पर चले गए थे।

(ख) 20.07.2012 को हड़ताल करने वाले मोटरमैनों ने कोई खास मांग नहीं रखी थी। बहरहाल, कर्मचारियों की शिकायतों का निपटान करना एक सतत् प्रक्रिया है और हाल ही में मोटरमैन द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का सकारात्मक ढंग से समाधान कर दिया गया है जैसे राष्ट्रीय अवकाश भत्ते और रात्रि ड्यूटी भत्ते में संशोधन कर दिया गया है। और आयकर प्रयोजन हेतु किलोमीटर भत्ते की उच्चतम सीमा बढ़ा दी गई है।

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव हैं:—

(1) अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके आकस्मिक योजना तैयार करना। अब तक, मोटरमैन से इतर 163 कर्मचारियों को आपात स्थिति में ईएमयू गाड़ियां चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समुचित रिजर्व बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में टॉवर वैगन ड्राइवरों, कार शेड कर्मचारियों और नियमित रनिंग कर्मचारियों को ईएमयू चलाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) मुम्बई मंडल के ट्रेन लोको पायलटों (गुड्स) को कन्वर्जन प्रशिक्षण और प्रशिक्षित रिजर्व के रूप में रखने के लिए उन्हें ईएमयू गाड़ियों की संभलाई का प्रशिक्षण देना।

(4) मोटरमैन के चैनल के एवेन्यू का आधार बढ़ाने और उन्हें अन्य मेन लाइन के रनिंग स्टॉफ में इंटीग्रेट करने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है।

आंग्ल भारतीयों को नौकरियों में आरक्षण

982. **श्री चार्ल्स डिएस : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय सेवाओं में आंग्ल भारतीयों को रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आंग्ल भारतीयों को उपलब्ध योजनाओं और अन्य अवसरों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (एनसीएम), 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत एंग्लो-इंडियन अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित नहीं हैं और इस प्रकार ये इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मनरेगा के अंतर्गत हेल्पलाइन

983. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की उचित निगरानी और कार्यान्वियन के लिए एक हेल्पलाइन आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हेल्पलाइन की सहायता से अभी तक योजना के अंतर्गत विभिन्न अनियमितताओं का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) इस समय राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। तथापि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। ज्यादातर राज्य सरकारों ने पहले ही इन हेल्पलाइनों को शुरू कर दिया है। उपर्युक्त हेल्पलाइनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर संबंधित राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

बैंक खाते में न्यूनतम शेष राशि

984. श्री उदय प्रताप सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में न्यूनतम 4 लाख की निरंतर निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को उक्त राशि में कमी करने के आदेश जारी करने का अधिकार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर राशि को घटा कर 2.50 लाख रु. कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) मांग आधारित योजना है। अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजना के अनुसार प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराए। सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रोजगार प्रदान करें तथा लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान करें। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 3(3) में यह प्रावधान मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर अथवा किसी भी स्थिति में ऐसे कार्य के किए जाने के अधिकतम 15 दिन के अंदर किया जाएगा। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए एक योजना अधिसूचित करेगी। इसलिए यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाएं और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

नर्मदा नदी को शिप्रा नदी से जोड़ना

985. श्री प्रेमचन्द गुड्डू :
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा नदी और शिप्रा नदी को जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कारों का उत्पादन और निर्यात

986. डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित डीजल पेट्रोल और गैस से चलने वाली कारों की संख्या कितनी है;

(ख) इसी अवधि के दौरान भारत में बेचे गए और निर्यात किए गए ऐसी कारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल से चलने वाली कारों के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो पेट्रोल कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई तथा उन कंपनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने उत्पादन में कमी की है;

(ङ) सरकार के राजकोष में कार निर्माण उद्योग के योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(च) कारों के निर्यात से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा और इस दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा में इसकी हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में गत तीन वर्षों के दौरान कार उत्पादन के ईंधन-वार आंकड़े (डीजल, पेट्रोल, गैस) केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, अनुमान है कि बाजार में डीजल कार की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत है। गत तीन वर्षों के दौरान कारों के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(संख्या)

श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12
यात्री कार	19,32,620	24,53,113	25,13,990

इसके अलावा, एसआईएएम के अनुसार, डीजल और पेट्रोल कार के उत्पादन के लिए अप्रैल से जून, 2012 तक के आंकड़े निम्नानुसार है:—

(संख्या)

श्रेणी	2012-13 (अप्रैल-जून)
गैसोलीन कार	4,05,523
डीजल कार	2,38,377

(ख) भारत में बेची गई तथा उसी अवधि के दौरान निर्यात की गई कारों की संख्या निम्नानुसार है:—

(संख्या)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	(अप्रैल-जूलाई) 2012
घरेलू बिक्री	15,28,337	19,82,702	20,16,115	6,34,298
निर्यात	4,41,709	4,47,403	4,99,922	1,83,766

इसके अलावा, एआईएएम के अनुसार, डीजल और पेट्रोल कारों की बिक्री के लिए अप्रैल से जून, 2012 तक के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

(संख्या)

श्रेणी	घरेलू बिक्री
गैसोलीन कार	2,55,955
डीजल कार	2,31,388

(ग) और (घ) एसआईएएम के पास उपलब्ध मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, देश में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि सहित कई कारकों के कारण पेट्रोल कारों के उत्पादन में गिरावट आई है। अप्रैल, 2012 से जून, 2012 तक पेट्रोल कारों के मासिक उत्पादन में (%) गिरावट निम्नानुसार रही:—

(संख्या)

श्रेणी	अप्रैल, 2012	मई, 2012	जून, 2012
पेट्रोल कार	1,48,687	1,40,492	1,16,344
प्रतिशत गिरावट	—	(-)5.51	(-)17.19

(ङ) राजस्व विभाग ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान राजकोष में उत्पाद शुल्क के रूप में कार विनिर्माण उद्योग का योगदान निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ रुपए)

2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जून तक)
3958	5001	4833	1246

(च) विदेशी व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि कार सहित वाहनों के निर्यात के जरिए अर्जित निवल विदेशी मुद्रा तथा गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित कुल विदेशी मुद्रा में इसका हिस्सा निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (जून तक)
निर्यात	14,481.86	15,276.17	16,283.05
कुल निर्यात	8,45,533.64	7,81,175.32	13,16,633.84
प्रतिशत हिस्सा	1.71	1.95	1.24

[हिन्दी]

जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण

987. श्री जगदानंद सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण की स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के मानदंड निर्धारण करने की जिम्मेदारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोतल बंद जल और पेयजल में मौजूद घुलनशील पदार्थों के मानकों में कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पेयजल और बोतल बंद जल के मानदंडों के बीच के अंतर को पाटने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पैकेज्ड जल के संबंध में निम्नलिखित भारतीय मानक तैयार किए हैं:—

- आईएस 14543.2004 पैकेज्ड पेयजल (प्राकृतिक मिनरल जल के अलावा) (प्रथम समीक्षा)
- आईएस 13428:2005 पैकेज्ड प्राकृतिक मिनरल जल (द्वितीय समीक्षा)

इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो ने पेय जल से संबंधित निम्नलिखित भारतीय मानक तैयार किया है:

- आईएस 10500:2012 पेय जल-विशिष्टीकरण (द्वितीय समीक्षा)

उपर्युक्त भारतीय मानकों में उल्लिखित आर्गेनोलेपटिक भौतिक, रासायनिक एवं सूक्ष्मजीवविज्ञानीय आवश्यकताओं संबंधी तुलनात्मक तातिका विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) बीआईएस से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक संबंधित तकनीकी समिति अर्थात् पेय एवं पेयजल सेक्शनल समिति, पैकेज्ड पेयजल, पैकेज्ड प्राकृतिक मिनरल जल और पेयजल संबंधी भारतीय मानकों में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो की एफएडी-14 समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

आईएस 10500:2012, आईएस 14543:2004 एवं आईएस 13428:2005 में उल्लिखित आर्गेनोलेप्टिक, भौतिक रासायनिक एवं सूक्ष्म जीवविज्ञानीय आवश्यकताओं की तुलनात्मक तालिका

आईएस 10500:2012, आईएस 14543:2004 एवं आईएस 13428:2005

क्र.सं.	विशेषताएं	आवश्यकता			
		आईएस 10500:2012		आईएस 14543:2004	आईएस 13428:2005
		आवश्यकता (स्वीकार्य सीमा)	वैकल्पिक स्रोत के न होने पर स्वीकार्य सीमा		
1	2	3	4	5	6
आर्गेनोलेप्टिक और भौतिक मानदंड					
1.	रंग, हैजेन यूनिट, अधिकतम	5	15	2 (सही कलर इकाई, अधिकतम)	2 (सही कलर इकाई, अधिकतम)

1	2	3	4	5	6
2.	गंध	स्वीकार्य	स्वीकार्य	स्वीकार्य	स्वीकार्य
3.	pH मान	6.5 से 8.5	कोई छूट नहीं	6.5 से 8.5	6.5 से 8.5
4.	स्वाद	स्वीकार्य	स्वीकार्य	स्वीकार्य	स्वीकार्य
5.	मैलापन, एनटीयू, अधिकतम	1	5	2	2
6.	कुल अपघटित ठोस, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	500	2000	500	150 से 700
अत्यधिक मात्रा में अवांछित पदार्थों से संबंधित सामान्य मानदंड					
7.	अलुमिनियम (अलुमिनियम के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.03	0.2	0.03	एनएस#
8.	अमोनिया (कुल अमोनिया के रूप में-एन), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.5	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
9.	एनायनिक अपमार्जक (एमबीएएस के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.2	1.0	0.2	पता न लगाने योग्य
10.	एंटिमनी (एंटिमनी के रूप में) मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	एनएस#	एनएस#	0.005	0.005
11.	बेरियम (बेरियम के रूप में) मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.7	कोई छूट नहीं	1.0	1.0
12.	बोरौन (बोरौन के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.5	1.0	5 [बोरेट्स (B के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम]	5 [बोरेट्स (B के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम]
13.	कैल्शियम (कैल्शियम के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर	75	200	75	100

1	2	3	4	5	6
14.	क्लोरामीन्स (Cl_2 के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	4.0	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
15.	क्लोराईड (Cl के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	250	1000	200	200
16.	तांबा (Cu के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.05	1.5	0.05	1.0
17.	क्लोराईड (F के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	1.0	1.5	1.0	1.0
18.	मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन, मिलीग्राम प्रति लीटर, न्यूनतम	0.2	1	0.2 (अधिकतम)	एनएस#
19.	लोहा (Fe के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.3	कोई छूट नहीं	0.1	एनएस#
20.	मैग्नीशियम (Mg के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	30	100	30	50
21.	मैंग्नीज (Mn के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.1	0.3	0.1	2.0
22.	खनिज तेल, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.5	कोई छूट नहीं	अनुपस्थित	अनुपस्थित
23.	नाईट्रेट (NO_3 के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	45	कोई छूट नहीं	45	50
24.	नाईट्राइट (NO2 के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	एनएस#	एनएस#	0.02	0.02

1	2	3	4	5	6
25.	फेनालिक यौगिक (C_6H_5OH के रूप में) मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.001	0.002	अनुपस्थित	एनएस#
26.	सेलेनियम (Se के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.01	कोई छूट नहीं	0.01	0.05
27.	चांदी (Ag के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.1	कोई छूट नहीं	0.01	0.01
28.	सोडियम (Na के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	एनएस#	एनएस#	200	150
29.	सल्फेट (SO_4 के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	200	400	200	200
30.	सल्फाईड (H_2S के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.05	कोई छूट नहीं	0.05	0.05
31.	कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कुल क्षारीयता, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	200	600	200 [क्षारीयता (HCO_3 के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर अधिकतम]	75-400 [क्षारीयता (HCO_3 के रूप में) मिलीग्राम प्रति लीटर अधिकतम]
32.	कुल कठोरता ($CaCO_3$ के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	200	600	एनएस#	एनएस#
33.	जस्ता (Zn के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	5	15	5	5
विषैली वस्तुओं से संबंधित मापदंड					
34.	कैडमियम (Cd के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.003	कोई छूट नहीं	0.01	0.003

1	2	3	4	5	6
35.	सायनाईड (CN के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.05	कोई छूट नहीं	अनुपस्थित	अनुपस्थित
36.	शीश (Pb के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.01	कोई छूट नहीं	0.01	0.01
37.	पारा (Hg के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.001	कोई छूट नहीं	0.001	0.001
38.	मालिब्डेनम (Mo के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.07	कोई छूट नहीं	एनएस#	
39.	निकेल (NI के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.02	कोई छूट नहीं	0.02	0.02
40.	कीटनाशक, µg/लीटर, अधिकतम				
	(क) अलकलोर	20 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(ख) ऐट्राजीन	2 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(ग) एल्ड्रिन/डिल्ड्रीन	0.03 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(घ) अल्फा एचसीएच	0.01 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(ङ) बीटा एचसीएच	0.04 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम

1	2	3	4	5	6
(च)	बूटाक्लोर	125 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(छ)	क्लोरोपाईरिफोस	30 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ज)	डेल्टा एचसीएच	0.04 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(झ)	2,4-डाईक्लोरोफेनॉक्सी-एसीटिक अम्ल	30 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ञ)	डीडीटी (ओ,पी और पी,पी-डीडीटी के आईसोमर, डीडीई एवं डीडीडी	1 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ट)	एंडोसल्फान (अल्फा, बीटा और सल्फेट	0.4 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ठ)	इथियन	3 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ड)	गामा-एचसीएच	2 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ढ)	आईसाप्रोटुरॉन	9 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
(ण)	मैलाथियन	190 μg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम

1	2	3	4	5	6
	(त) मिथाईल पैराथियन	0.3 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(थ) मोनोक्रोटोफास	1 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(द) फोरेट	2 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.0001 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	पता लगाने योग्य सीमा से कम
	(ध) कुल अवशिष्ट कीटनाशी	एनएस#	एनएस#	0.0005 मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	एनएस#
41.	पोलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाईल्स, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.0005 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	पता न लगाने योग्य	पता न लगाने योग्य
42.	पोलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाईड्रोकार्बन (पीएएच के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.0001 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	पता न लगाने योग्य	पता न लगाने योग्य
43.	कुल आर्सेनिक (As के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.01 µg प्रति लीटर, अधिकतम	0.05	0.05	0.05
44.	कुल आर्सेनिक (Cr के रूप में), मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.05 µg प्रति लीटर, अधिकतम	कोई छूट नहीं	0.05	0.05
45.	ट्राईहैलोमिथेंस:				
	(क) ब्रोमोफॉर्म, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.1	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
	(ख) डाईब्रोमोक्लोरोमिथेन, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.1	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#

1	2	3	4	5	6
	(ग) ब्रोमोडाईक्लोरोमिथेन, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.06	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
	(घ) क्लोरोफॉर्म, मिलीग्राम प्रति लीटर, अधिकतम	0.2	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
रेडियोधर्मी पदार्थों के संदर्भ में मापदंड					
46.	अल्फा उत्सर्जक Bq/लीटर, अधिकतम	0.1	कोई छूट नहीं	0.1	0.1
47.	बीटा उत्सर्जक Bq/लीटर, अधिकतम	1.0	कोई छूट नहीं	1	1
सूक्ष्म जीवविज्ञानीय आवश्यकताएं					
48.	एस्चेरिचिया कोली (अथवा थर्मोटॉलेरेंट बैक्टीरिया)	किसी भी 100 मिलीग्राम नमूने में पता नहीं लगाया जा सकेगा	कोई छूट नहीं	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
49.	कोलिफॉर्म बैक्टीरिया	किसी भी 100 मिलीग्राम नमूने में पता नहीं लगाया जा सकेगा	कोई छूट नहीं	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
50.	फेकल स्ट्रेप्टोकोकी और स्टेफाईलोकोकस ऑरस			250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
51.	एनारोब कम करने वाले सल्फाईट			50 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	50 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
52.	स्यूडोमोनस अरुगिनोसा			250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
53.	एरॉबिक माइक्रोबियल गणना				एनएस#
	- 20 से 22°C पर 72 घंटे में			प्रति मिलीलीटर 100 से अधिक नहीं होगा	
	- 37°C पर 24 घंटे में			प्रति मिलीलीटर 20 से अधिक नहीं होगा	

1	2	3	4	5	6
54.	यीस्ट और कवक			250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
55.	साल्मोनेला और शिगेला			250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
56.	विब्रियो कॉलरा और वी. पाराहेमोलिटिकस			250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया	250 मिलीलीटर नमूने में नहीं पाया गया
57.	क्रिप्टोस्पोरिडियम	10 लीटर पानी में नहीं रहेगा	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
58.	गियार्डिया	10 लीटर पानी में नहीं रहेगा	कोई छूट नहीं	एनएस#	एनएस#
59.	एमएस2 चरण	1 लीटर पानी नहीं रहेगा	1 लीटर पानी में नहीं रहेगा	एनएस#	एनएस#

एनएस# - विनिर्दिष्ट नहीं।

*भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्राप्त सूचना के आधार पर।

समेकित बाढ़ प्रबंधन आयोग

988. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समेकित बाढ़ प्रबंधन आयोग के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आयोग के गंठन का उद्देश्य क्या है; और

(घ) उक्त आयोग द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल विपणन कंपनियों को घाटा

989. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय :**
श्री नरहरि महतो :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को हुए लाभ/घाटे का तेल विपणन कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न तेल विपणन कंपनियों को कितनी कम राशि वसूल जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) चालू वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की बताई गई हानि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

ओएमसीज का नाम	निवल लाभ/(हानि)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	(-) 22,451
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	(-) 8,837
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	(-) 9,249
योग	(-) 40,537

(ख) चालू वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान ओएमसीज को 47,811 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली हुई है। वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही की वास्तविक अल्प-वसूली और वर्तमान मूल्यों पर शेष तिमाहियों की अनुमानित अल्प-वसूली के आधार पर ओएमसीज को 1,55,074 करोड़ रुपए की अल्प-वसूली होने की संभावना है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

990. श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री संजय दिना पाटील :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में चल रही रेल परियोजनाओं के लिए निधि की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का देश की, विशेषकर महाराष्ट्र की चालू रेल परियोजनाओं के लिए सरकारी-निजी भागीदारी योजना (पीपीपी) के माध्यम से अतिरिक्त निधि प्रदान करने का प्रस्ताव है जैसा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वर्ष 2012-13 के रेल बजट में देश में चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए 11133 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र राज्य में आंशिक रूप से/पूर्णतया आने वाली चालू रेल परियोजनाओं के लिए 381.50 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की मामला-दर-मामला आधार पर जांच की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल-डिब्बों में जैव-शौचालय

991. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के सहयोग से रेल-डिब्बों में जैव-शौचालय (बायो-टॉलेट्स) बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इस योजना के वित्तपोषण का तरीका क्या रहेगा;

(ग) देश में उक्त योजना निकट भविष्य में कितने रेल डिब्बों में लागू की जाएगी; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निमू-बाजगो जल-विद्युत परियोजना

992. श्री सोमेन मित्रा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल में स्थायी सिंधु आयोग की बैठक के दौरान भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर में निमू-बाजगो जल-विद्युत परियोजना के निर्माण पर आपत्ति व्यक्ति की है और इसके डिजाईन में बदलाव की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैठक के दौरान पाकिस्तान ने उक्त परियोजना के पश्चात् प्रत्याशित जल बंटवारे और जल पूर्ति के मुद्दे पर भी अपना सरोकार जताया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) मार्च, 2012 में स्थायी सिंधु आयोग की हुई हाल में अंतिम बैठक के दौरान निमू बाजगो परियोजना के डिजाईन के संबंध में विचार-विमर्श नहीं किया गया था। भारत द्वारा सिंधु जल संधि नीति 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित परियोजना के बारे में सूचना देने के पश्चात् पूर्व में वर्ष 2007 में पाकिस्तान ने आपत्तियां जताई थी। आपत्तियां अंतर्वाह स्तर, स्पिलवे तथा तालाबों के संबंध में थी। आपत्तियां अंतर्वाह स्तर, स्पिलवे तथा तालाबों के संबंध में थीं। इनके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा मार्च, 2010 तथा जून, 2010 को आयोजित स्थायी सिंधु आयोग की क्रमश: 104वीं और 105वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। भारत की ओर से डिजाईन तैयार करने में संधि के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल आरक्षण वैनें

993. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन स्थानों/शहरों में मोबाइल रेल-आरक्षण वैनें कार्यरत हैं अथवा उन्हें चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन वैनों के फेरों की संख्या बढ़ाने के अलावा इनकी संख्या भी बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इनकी संख्या और फेरे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) दिल्ली, कोलकाता, वापी आणंद और जयपुर में पांच मोबाइल रेल आरक्षण वैन कार्य कर रही हैं। निम्नलिखित 22 अन्य स्थानों पर मोबाइल रेल आरक्षण वैन की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है:–

(1) मथुरा (2) इलाहाबाद (3) कोलकाता (दूसरा) (4) रांची (5) बिधाननगर/साल्टलेक (6) मुम्बई (7) सोलापुर (8) चेन्नै (9) तिरुवनंतपुरम (10) सिकंदराबाद (11) राजामुंदरी (12) जबलपुर (13) कोटा (14) गुवाहाटी (15) और (16) बंगलूरु में दो (17) बिलासपुर (18) कोराडीह (19) भुवनेश्वर (20) दिल्ली (दूसरा) (21) पटना और (22) लखनऊ।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल का निजीकरण

994. श्री रेवती रमन सिंह :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का जल आपूर्ति का निजीकरण करने का विचार है;

(ख) क्या हां, तो क्या इस मुद्दे पर राज्य सरकारों से चर्चा की गई है;

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त निजीकरण से संबंधित प्र:शुल्क में वृद्धि तथा नागरिकों के जल के अधिकार का हनन होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ङ) जी नहीं। जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के कारण मामले पर निर्णय लेना राज्य सरकारों पर निर्भर है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति

995. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर उत्तराखंड राज्य में राज्य-वार कितनी व्यक्तियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है;

(ख) आज की तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से उत्तरनाखंड राज्य, जिसका विशिष्ट उद्देश्य सहायता प्राप्त बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा गरीबी उपशमन के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) नामक प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। एसजीएसवाई को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/आजीविका के रूप में परिशोधित किया गया है। एसजीएसवाई के अंतर्गत दी गई सहायता से गरीबी रेखा को पार करने वाले स्वरोजगारियों/लाभार्थियों के प्रतिशत का आकलन स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए समवर्ती मूल्यांकनों के माध्यम से किया जाता है। 2006-07 के दौरान कराए गए अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार गरीबी रेखा पार करने वाले स्वरोजगारों का राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग के अनुसार 2009-10 तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या 2782.1 लाख है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् स्वरोजगार सृजन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संपर्कता और क्षेत्र विकास के लिए क्रमश: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, इन सब से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

विवरण

एसजीएसवाई की वजह से गरीबी रेखा पार करने वाले स्वरोजगारियों का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसजीएसवाई की वजह से गरीबी रेखा पार करने वाले स्वरोजगारियों का प्रतिशत	
		व्यक्तिगत	समूह
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23.59	25.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.76	18.24
3.	असम	28.91	24.53
4.	बिहार	24.42	24.56
5.	छत्तीसगढ़	17.46	14.56

1	2	3	4
6.	गोवा	16.81	15.21
7.	गुजरात	33.33	24.56
8.	हरियाणा	32.63	23.39
9.	हिमाचल प्रदेश	21.27	18.21
10.	जम्मू और कश्मीर	18.47	17.16
11.	झारखंड	18.56	26.81
12.	कर्नाटक	32.47	29.68
13.	केरल	28.92	31.87
14.	मध्य प्रदेश	21.69	24.49
15.	महाराष्ट्र	30.15	25.71
16.	मणिपुर	—	27.58
17.	मेघालय	23.75	33.86
18.	मिजोरम	29.56	24.27
19.	नागालैंड	32.56	25.91
20.	ओडिशा	14.87	19.52
21.	पंजाब	21.59	22.26
22.	राजस्थान	29.06	22.24
23.	सिक्किम	24.15	22.84
24.	तमिलनाडु	20.00	17.22
25.	त्रिपुरा	24.58	24.88
26.	उत्तर प्रदेश	32.65	26.76
27	उत्तराखंड	31.59	16.28
28.	पश्चिम बंगाल	—	—
29.	पुदुचेरी	20.00	20.16

#ऐसे लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने एसजीएसवाई क्रियाकलापों से आय की जानकारी दी है।

[हिन्दी]

लखनऊ-बरौनी खंड में रेलपथ दोहरीकरण/ विद्युतीकरण

996. श्री गोरखनाथ पाण्डेय :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ-बरौनी वाया गोरखपुर रेलखंड में रेल पथ के दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु अब तक आबंटित/व्यय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा उक्त कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर और सोनपुर (513 कि.मी.) के रास्ते लखनऊ-बरौनी मार्ग पर 428.04 कि.मी. की लंबाई में कहीं-कहीं दोहरीकरण शुरू कर दिया गया है। 390.93 कि.मी. में दोहरीकरण कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है। शेष 37.11 कि.मी. का दोहरीकरण भी शुरू कर दिया गया है। इस मार्ग के दोहरीकरण पर मार्च, 2012 तक 1649.12 करोड़ रु. का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2012-13 के लिए 53 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया किया गया है। जहां तक इस मार्ग के विद्युतीकरण का संबंध है, शाहपुर-पटोरी खंड के रास्ते लखनऊ-बाराबंकी-गोंडा और छपरा-बरौनी पहले से ही विद्युतीकृत है। गोंडा-गोरखपुर-छपरा खंड पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। इन खंडों के विद्युतीकरण के लिए मार्च, 2012 तक 532 करोड़ रु. का व्यय किया गया है

तथा वर्ष 2012-13 के लिए 76.27 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया किया गया है। संपूर्ण खंड का विद्युतीकरण कार्य मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजनाओं की संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति हो रही है।

[अनुवाद]

सीएनजी का मूल्य

997. **श्री सी.आर. पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्य में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को सीएनजी का मूल्य और न बढ़ाने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीएनजी के मूल्य में वृद्धि की बाध्यता के क्या कारण हैं; और

(घ) सीएनजी के मूल्य में हुई वृद्धि को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्य में हुई वृद्धि के ब्यौरे निम्नवत् हैं:—

से	तक	उत्पाद शुल्क सहित बिक्री मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	उपभोक्ता मूल्य में परिवर्तन (रु./कि.ग्रा.)
1	2	3	4
5 जून, 11	15 अगस्त, 11	29.80	0.50
16 अगस्त, 11	30 सितम्बर, 11	30.00	0.20
01 अक्तूबर, 11	30 दिसम्बर, 11	32.00	2.00
31 दिसम्बर, 11	05 मार्च, 12	33.75	1.75
06 मार्च, 12	06 जुलाई, 12	35.45	1.70
07 जुलाई, 12	आज तक	38.35	2.90

(ख) सरकार को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से ऐसे किसी प्रकार के अनुदेश की जानकारी नहीं है।

(ग) किसी शहर में सीएनजी के खुदरा मूल्य का निर्धारण, दिल्ली में सीजीडी नेटवर्क का प्रचालन करने वाली इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) सहित संबंधित नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनी द्वारा किया जाता है। सीजीडी कंपनियां दीर्घावधि/हाजिर खरीद के तहत घरेलू गैस और आयातित आरएलएनजी के विभिन्न प्रकार के मिश्रण का प्रयोग करती हैं। सीएनजी का मूल्य भारित, गैस का औसत मूल्य (घरेलू गैस/आरएलएनजी/हाजिर एलएनजी), प्रचालन व्यय, विभिन्न केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय करों तथा उदग्रहणों पर आधारित होता है।

(घ) उपरोक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

जल की उपलब्धता

998. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक के दौरान देश में जल की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार जल समाधान संबंधी एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति के गठन के बावजूद अपेक्षित सफलता हासिल नहीं की जा सकी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में जल संकट से निपटने तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित जल-उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण देश में समग्र रूप से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देश की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1816 घन मीटर थी जो घट कर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1545 घन मीटर हो गयी थी।

(ग) और (घ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गठित की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता से संबंधित जल की चुनौती का सामना करने के लिए तकनीकी हलों को अभिज्ञात करने में सफल हुई है। उदाहरण के तौर पर समिति ने नदी तट फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी को उपयोग करते हुए उत्तराखंड में सतपुली में 7937 लोगों के समूह के लिए तकनीकी हल अभिज्ञात किया है। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में 44 से 103 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बढ़ोत्तरी हुई है।

(ङ) जल संसाधनों की सततता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इनके संवर्धन, संरक्षण तथा कुशल प्रबंधन हेतु कई कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत जल संसाधनों के सतत् विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन भी प्रारंभ किया है जिसका मुख्य उद्देश्य "एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन द्वारा जल का संरक्षण करना, बर्बादी को कम करना तथा राज्यों के आसपास और भीतर इसका अधिक समान वितरण किए जाने को सुनिश्चित करना है।

[हिन्दी]

भू-जल संरक्षण

999. श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री विजय बहादुर सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों में भू-जल संरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाई गई योजनाओं का अपेक्षित परिणाम मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अंतर्गत आबंटित निधि का केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए निर्धारित अनुपात में व्यय किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भू-जल संरक्षण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भू-जल के अंधा-धुंध दोहन को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि जल के संरक्षण हेतु कोई विशिष्ट स्कीम तैयार नहीं की गई है। तथापि XIवीं योजना के दौरान भूमि जल संसाधन एवं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के विनियमन स्कीम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना है। पुनर्भरणीय संरचनाओं का प्रभाव आकलन उनके पूरे होने के पश्चात किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, हां। XIवीं योजना के दौरान "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा पुनर्भणीय संरचनाओं की पूर्ण लागत प्राप्त हो गई है। XIवीं योजना के दौरान अभी तक 99.87 करोड़ रुपये की निधियां स्वीकृत की गई हैं।

(घ) भूमि जल के संरक्षण हेतु ऐसी कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) भूमि जल की अंधाधुंध निकासी को रोकने के लिए ऐसी कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है। तथापि इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय

भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियामक उपाय प्रारंभ किए गए हैं:—

(i) भूमि जल विकास एवं प्रबंधन हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा देश में 82 क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) सीजीडब्ल्यूए द्वारा देश के अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों (जलग्रसित क्षेत्रों को छोड़ कर) में भूमि जल का उपयोग करने, बड़े और मध्यम उद्योगों को भूमि जल के पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण उपायों को प्रारंभ करने तथा उनके परिसरों में अपशिष्ट जल के उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने की पद्धतियों को अपनाने संबंधी निदेश जारी किए हैं।

(iii) देश में अति दोहित, गंभीर और अर्द्धगंभीर क्षेत्रों में आने वाले नए उद्योगों/परियोजनाओं के लिए भूमि जल की निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थान विशिष्ट तकनीकी अध्ययनों और दिशानिर्देशों पर आधारित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया है।

(iv) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमिजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण हेतु माडल विधेयक परिचालित किया गया है। अभी तक 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भूमिजल कानून अधिनियमित कर लिया है। मामले पर अन्य राज्यों द्वारा सक्रिय रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

जलाशयों का विस्तार

1000. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 84 बड़े जलाशय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जलाशयों को देश के अन्य भागों तक विस्तारित करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(घ) उक्त योजना शुरू करने हेतु क्या समय-सीमा तय की गई है; और

(ङ) उक्त योजना का पहला चरण कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं। केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किए गए बड़े बांधों के नवीनतम राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार भारत में पूर्ण बड़े बांधों की कुल संख्या 4728 है।

(ख) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई, परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों एवं उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप किए जाते हैं। तथापि केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 84 महत्वपूर्ण जलाशयों की सक्रिय भंडारण क्षमता की मॉनीटरी करता है। इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 154.421 बीसीएम है जो 253.388 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 61% है जिसे देश में सृजित किए जाने का अनुमान है।

मॉनीटरी प्रणाली में 93 और जलाशयों के शामिल करने तथा जलाशय, के जल स्तरों को स्वचालित रूप से एकत्र करने के लिए सभी 177 जलाशयों पर टेलीमीटरी प्रणाली संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मॉनीटरी प्रणाली में इन जलाशयों को शामिल करने से मॉनीटरी प्रणाली के तहत सक्रिय भंडारण क्षमता में 202.609 बीसीएम की वृद्धि होगी जो सक्रिय भंडारण क्षमता की लगभग 80% होगी जिसे देश में सृजित किए जाने का अनुमान है। इसके लिए XIIवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए "जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" के तहत "टेलीमीटरी आधारित जलाशय मानीटरी प्रणाली" नामक

उप-स्कीम तैयार की गई है। प्रथम चरण में, 87 जलाशयों पर टेलीमीटरी प्रणाली संस्थापित की जाएगी जिसे 2013-14 के दौरान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। 90 जलाशयों पर टेलीमीटरी प्रणाली के संस्थापन संबंधी शेष कार्यों को वर्ष 2014-15 के दौरान प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

स्कीम का कार्यान्वियन अन्य बातों के साथ-साथ प्रणाली के संस्थापन की व्यवहार्यता, प्रणाली के संस्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों की सहमति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम का अनुमोदन और निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आमान परिवर्तन

1001. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री मंगनी लाल मंडल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकरी-निर्मली-झंझारपुर-लौकहा बाजार और सहरसा-फारबिसगंज खंडों पर आमान-परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अभी तक इस हेतु आबंटित/व्यय निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निधियों के अपर्याप्त आबंटन के कारण उक्त खंड में आमान-परिवर्तन का कार्य तथा कोसी पुल और अन्य पुलों का निर्माण कार्य लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) मिट्टी, पुल और रेलपथ संपर्क संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सकरी-लौकहा बाजार में वास्तविक प्रगति 45% और सहरसा-फारबिसगंज में 16% है।

(ख) मार्च, 2012 तक इस परियोजना पर 223.5 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ) आमान परिवर्तन कार्य वित्त पोषण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कोसी और अन्य पुलों का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है। रेलों पर चालू परियोजनाओं का भारी कार्य बकाया है और संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। परिणामस्वरूप संसाधनों का अल्प वितरण किया जाता है।

(ङ) इस परियोजना के सहरसा-सरायगढ़ खंड का कार्य 2012-13 में और कोसी पुल का कार्य 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य है। आमान परिवर्तन परियोजना के शेष खंडों का कार्य मार्च, 2016 तक पूरा करने की योजना है।

'मनरेगा' के अंतर्गत मजदूरी

1002. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेय न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के समान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ) कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर की गई अन्य रिट याचिकाओं से संबद्ध रिट याचिका संख्या 30619/2009 में, याचिकाकर्ताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6(1) की संवैधानिक वैधता को और इस आधार को कि निर्धारित मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं हो सकती है, पर मजदूरी दर विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी किए जाने को चुनौती दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2011 के आदेश में उनकी दलीलों को स्वीकार किया तथा केंद्र सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के उपर्युक्त फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 2012 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 379-390 दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। ऐसे ही मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका में, न्यायालय ने अपने निर्णय को सुरक्षित रखा है। इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है।

मनरेगा की धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। धारा 6(2) में यह प्रावधान है कि किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किए जाने के समय तक, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के लिए मजदूरी दर समझी जाएगी। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मौजूदा मनरेगा मजदूरी नीति के तहत निर्धारित मजदूरी दरें 10 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अकुशल कृषि श्रमिकों के संबंध में राज्यों द्वारा तय की गई मजदूरी दरों से अधिक है।

झारखंड में भू-जल स्तर का घटना

1003. **श्री सुदर्शन भगत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जल स्तर में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड राज्य में गुमला और लोहारदगा जिले में बहुत-सी नदियां सुख गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) झारखंड राज्य में संग्रह किए गए जल स्तर आंकड़ों के अनुसार मानसून पूर्व, 2010 की तुलना में मानसून-पूर्व (मई), 2011 के दौरान किए गए विश्लेषण के अनुसार 62% कुओं में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई। अधिकांश कुंओं में 0 से 2 मीटर तक गिरावट दर्ज की गई। राज्य में मई 2010 से मई, 2011 तक जल स्तर परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न बारंबारता के वितरण का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय लोहारदगा और गुमला जिलों के अनुप्रवाह पर कोइल नदी पर स्थित सुन्दरगढ़ जिला में जाराइकेला स्थल का रखरखाव कर रहा है। लोहारदगा और गुमला जिलों के अनुप्रवाह पर कोइल नदी के उपलब्ध जल विज्ञानीय आंकड़ों के विश्लेषण से प्रेक्षित जल स्तर में किसी गिरावट का पता नहीं चला है।

(घ) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

झारखंड राज्य में मानसून पूर्व (मई), 2010 के मानसून पूर्व 2011 तक जिला-वार जलस्तर परिवर्तनशीलता और बारंबरता वितरण के विभिन्न रेंज

क्र. सं.	जिला	विश्लेषित कुओं की संख्या	रेंज मीटर में उतार		उतार						कुल	
					0-2 मीटर		2-4 मीटर		>4 मीटर			
			न्यूनतम	अधिकतम	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या (उतार)	% उतार
1.	बोकारो	5	1.16	1.93	4	80.00	0	0.00	0	0.0	4	80.00
2.	चतरा	5	0.34	2.66	2	40.00	2	40.00	0	0.0	4	80.00
3.	देवघर	8	1.05	1.26	2	25.00	0	0.00	0	0.0	2	25.00
4.	धनबाद	9	0.03	2.24	5	55.56	1	11.11	0	0.0	6	66.67
5.	दुमका	16	0.30	1.74	9	56.25	0	0.00	0	0.0	9	56.25
6.	गरहाव	1	3.00	3.00	0	0.00	1	100.0	0	0.0	1	100.00
7.	गिरीडीह	9	0.10	3.73	7	77.78	2	22.22	0	0.0	9	100.00
8.	गोडा	4	1.09	1.15	2	50.00	0	0.00	0	0.0	2	50.00
9.	गुमला	14	0.29	3.02	4	28.57	1	7.14	0	0.0	5	35.71
10.	हजारीबाग	8	0.40	2.70	5	62.50	2	25.00	0	0.0	7	87.50
11.	कोदरमा	2	1.05	1.89	2	100.00	0	0.00	0	0.0	2	100.00
12.	लोहारदगा	5	0.44	5.25	2	40.00	0	0.00	1	20.00	3	60.00
13.	पाकुड़	7	0.40	2.50	2	28.57	1	14.29	0	0.00	3	42.86
14.	पलामू	6	0.82	1.65	5	83.33	0	0.00	0	0.0	5	83.33
15.	पश्चिम सिंहभूम	12	0.23	2.05	5	41.67	1	8.33	0	0.0	6	50.00
16.	पूर्वी सिंहभूम	9	0.20	2.40	4	44.44	1	11.11	0	0.0	5	55.56
17.	रांची	16	0.18	2.49	10	62.50	1	6.25	0	0.0	11	68.75
18.	साहिबगंज	7	0.17	2.49	3	42.86	1	14.29	0	0.0	4	57.14
	कुल	143	0.03	5.25	73	51.05	14	9.79	1	0.7	88	61.54

ऑटोमेटिक गेज-रिकार्डर

1004. श्री भरत राम मेघवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड को समझौते वाले स्थल पर आटोमेटिक गैज-रिकॉर्डर लगाने का निर्देश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लगाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का शेष स्थलों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने हेतु कोई निदेश जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) भाखडा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने सूचित किया है कि उन्होंने बीस स्थलों पर गेज-रिकार्डर संस्थापित करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है।

(ख) बीबीएमबी ने आगे सूचित किया है कि बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई जल विज्ञान-II परियोजना के अंतर्गत इन गेज रिकार्डरों को जून, 2014 तक संस्थापित करने की संभावना है।

(ग) बीबीएमबी इन मामलों को आवश्यकता और सहमति किए जाने के आधार पर पक्षकार राज्यों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप देता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयातित उर्वरकों का अप्रयुक्त भंडार

1005. श्री अनंत कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2011 में आयातित कतिपय उर्वरकों का भंडार अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस भंडार का उपयोग न होने के कारण सरकार को इस संबंध में कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(घ) उक्त भंडार का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा वर्ष 2011 में आयातित किसी भी उर्वरक का कोई स्टॉक वर्तमान में अप्रयुक्त नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल दोहन में लगी कंपनियां

1006. श्री रमाशंकर राजभर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि जल का व्यापार करने वाली कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों, जैसे नदियों, झीलों और जल-प्रपातों, का अपने लाभ के लिए दोहन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूजल के अति-दोहन के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छ पेयजल से वंचित हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) राज्य सरकारें जल संबंधी कार्य करने वाली कंपनियों के अनुरोधों पर विचार करती हैं तथा स्वीकृति प्रदान करती हैं। इस तरह की स्वीकृति आमतौर पर पेयजल आवश्यकता और भूमि जल संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बीआईएस और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अति दोहित, गंभीर और अर्धगंभीर आकलन इकाईयों की सूची परिचालित की गई है जो भूमि जल आहरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों में आने वाले बोतलबंद पेयजल उद्योगों/परियोजनाओं समेत नए उद्योगों के विषय में सीजीडब्ल्यूए को प्रस्ताव भेजते हैं। प्रस्तावों

का प्राधिकरण द्वारा किए गए विशिष्ट तकनीकी अध्ययन और निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है जिसमें उद्योग/परियोजना द्वारा अनिवार्य वर्षा जल संचयन प्रणाली को अंगीकार करना, भूमि जल आहरण की निगरानी तथा भूमि जल स्तर व गुणवत्ता की निगरानी संबंधी पूर्वापेक्षाएं शामिल होती हैं। सीजीडब्ल्यूए ने देश में भूमि जल विकास व प्रबंधन के विनियमन हेतु 82 क्षेत्रों (जिलों, प्रखंडों, मंडलों, तालुकों, नगरपालिका क्षेत्रों आदि) को भी अधिसूचित किया है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना भूमि जल आहरण की नई संरचनाएं स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी विनियामक निर्देशों को लागू करने के लिए, अधिसूचित क्षेत्रों में सीजीडब्ल्यूए के निर्देशों की अवहेलना के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे में रिक्तियां

1007. **श्री पी.के. बिजू :**
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री संजय धोत्रे :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में रेलवे में तकनीकी, गैर-तकनीकी और संरक्षा से जुड़े पदों की पद-वार, श्रेणी-वार, समूह-वार और रेल जोन-वार रिक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) उक्त पद कब से खाली पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त रिक्तियों के सापेक्ष पद-वार, श्रेणी-वार, समूह-वार और रेल जोन-वार भर्ती किए गए व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(घ) इन खाली पदों, विशेषकर संरक्षा से जुड़े पदों को शीघ्र भरने के लिए रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेकों की उपलब्धता

1008. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को विशेषकर मध्य प्रदेश उर्वरकों एवं अन्य वस्तुओं की मांग के अनुरूप उन्हें इसके पर्याप्त संख्या में रेक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा रेकों की मांग को पूरा करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाली मांग के आधार पर उर्वरकों और अन्य पण्यों के लदान के लिए रेक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

उर्वरकों के लिए राज्य-वार प्रेषण कार्यक्रम का निर्णय रसायन एवं उर्वरक (उर्वरक विभाग) मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तद्नुसार, रेलवे द्वारा रेकों की आपूर्ति और संचलन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सतर्कता और निगरानी समितियों की बैठकें

1009. **डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बलरामपुर जिले में मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की सतर्कता और निगरानी के लिए वहां जनवरी, 2011 से लेकर आज की तारीख तक जिला-स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रस्तुत रिपोर्टों/टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की इन रिपोर्टों/टिप्पणियों पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) बलरामपुर जिले में जनवरी, 2011 से जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

(ख) जिला कलेक्टर, जो कि समिति के सदस्य सचिव हैं, ने सूचना दी है कि वीएमसी की दो बैठकें दिनांक 20.2.2010 और 30.12.2010 को संपन्न हुई। मंत्रालय में वीएमसी की रिपोर्टें/टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) जिला कलेक्टर ने सूचना दी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के संबंध में वीएससी की रिपोर्टों/टिप्पणियों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:—

1. संसद सदस्य (एमपी) से प्राप्त शिकायत पर गांव-कलवाड़ी, ब्लॉक-बलरामपुर के दोषी अधिकारियों/स्टाफ के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की गई;

2. राशि के संवितरण के समय महात्मा गांधी नरेगा के कामगारों से राशि हड़पने संबंधी शिकायत की जांच की गई, जो आधारहीन पाई गई;

3. गांव-खुतेहना, ब्लॉक-बलरामपुर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 2.5 एकड़ भूमि उपयुक्त पाई गई तथा बलरामपुर सदर के तहसीलदार को भूमि अधिग्रहण के लिए आगे कार्रवाई हेतु अनुदेश दिए गए हैं;

4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनियमितताओं के लिए ग्राम प्रधान और सचिव, ग्राम पंचायत को निलंबत कर दिया गया है;

5. गौरा चौराहा से सेमारी मार्ग पर इसके आखिरी तीन किमी. को छोड़कर बाकी पर सड़क मरम्मत/अनुरक्षण संबंधी कार्य पूरा हो गया है;

6. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 8 के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क कार्यों की सूची तथा सह-अध्यक्ष द्वारा मांगी गई अन्य सूचना भेज दी गई है; और

7. संसद सदस्य, श्रावस्ती के निवास के निकट हैंडपंप लगा दिया गया है। इसके अलावा, उट्टारोला में 110 तथा गासरी में 108 हैंडपंप लगाए गए हैं।

लघु उद्योगों का कार्य-निष्पादन

1010. डॉ. संजय सिंह :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में कार्य कर रहे लघु उद्योगों (एसएसआई) की राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) इनमें कितने कामगार संलग्न हैं तथा उक्त अवधि के दौरान इनमें राज्य-वार कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या सरकार ने रूग्ण लघु उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु कोई पैकेज प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) सरकार देश में समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना करवा कर इस क्षेत्र के कार्यात्मक और संचालन संबंधी पहलुओं की देख-रेख करती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें आंकड़े 2009 तक एकत्रित किए गए थे और नतीजे 2011-2012 में प्रकाशित किए गए थे। एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना: 2006-07 और एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना: 2006-07 से बाहर रखे गए, जैसे थोक/खुदरा व्यापार, कानूनी, शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं, होटल व रेस्तरांओं, परिवहन एवं भंडारण तथा गोदाम में माल रखने (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर), जैसे कार्यकलापों के लिए आर्थिक गणना 2005, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के अनुसार, देश में कार्यरत एमएसएमई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न

विवरण-I में दिया गया है। साथ ही, उसी अवधि के लिए राज्य-वार रोजगार और निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा एमएसई के पुनर्वास के लिए नए ऋणों सहित ऋण पुनर्निर्धारण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएसई को ऋण प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश/निर्देश जारी किए हैं:—

(i) रुग्ण एमएसई का पुनर्वास (जनवरी, 2002);

(ii) जीवनक्षमता मानदंड से संबंधित ऋण पुनर्निर्धारण तंत्र, पुनर्निर्धारित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानक, अतिरिक्त वित्त का प्रावधान और पुनर्निर्धारण पैकेज के लिए समय सीमा (सितंबर, 2005); और

(iii) एमएसई क्षेत्र के लिए भेदभाव-रहित एकमुश्त निपटान योजना के साथ पुनर्निर्धारण/पुनर्वास नीति (मई, 2009)।

विवरण-I

संदर्भ वर्ष 2006-07 जिसके लिए आंकड़े 2009 तक एकत्रित किए गए और नतीजे 2011-12 में प्रकाशित किए गए के साथ कार्यरत एमएसएमई इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यमों की संख्या (लाख)
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	3.01
2.	हिमाचल प्रदेश	2.87
3.	पंजाब	14.46
4.	चंडीगढ़	0.49
5.	उत्तराखंड	3.74
6.	हरियाणा	8.66
7.	दिल्ली	5.52
8.	राजस्थान	16.64
9.	उत्तर प्रदेश	44.03
10.	बिहार	14.70
11.	सिक्किम	0.17
12.	अरुणाचल प्रदेश	0.41
13.	नागालैंड	0.39
14.	मणिपुर	0.91
15.	मिजोरम	0.29
16.	त्रिपुरा	0.98
17.	मेघालय	0.88
18.	असम	6.62
19.	पश्चिम बंगाल	34.64
20.	झारखंड	6.75
21.	ओडिशा	15.73
22.	छत्तीसगढ़	5.20
23.	मध्य प्रदेश	19.33
24.	गुजरात	21.78
25.	दमन और दीव	0.06
26.	दादरा और नगर हवेली	0.09
27.	महाराष्ट्र	30.63
28.	आंध्र प्रदेश	25.96
29.	कर्नाटक	20.19
30.	गोवा	0.86
31.	लक्षद्वीप	0.02

1	2	3
32.	केरल	22.13
33.	तमिलनाडु	33.13
34.	पुदुचेरी	0.35
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
	अखिल भारत	361.76

विवरण-II

संदर्भ वर्ष 2006-07 जिसके लिए आंकड़े 2009 तक एकत्रित किए गए और नतीजे 2011-12 में प्रकाशित किए गए के साथ रोजगार, प्लांट व मशीनरी के प्रारंभिक मूल्य और नियत निवेश के बाजार मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा

(मूल्य करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (लाख)	प्लांट और मशीनरी का आरंभिक मूल्य*	नियत परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य*
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	5.75	965.01	8475.28
2.	हिमाचल प्रदेश	4.68	2283.37	5599.25
3.	पंजाब	26.79	7529.87	37126.69
4.	चंडीगढ़	1.23	135.45	607.05
5.	उत्तराखंड	6.96	2814.37	6014.98
6.	हरियाणा	18.84	5423.98	25998.80
7.	दिल्ली	19.81	1916.28	10164.54
8.	राजस्थान	30.79	6876.94	25452.90
9.	उत्तर प्रदेश	92.36	13239.21	56161.03
10.	बिहार	28.26	2813.77	8405.45
11	सिक्किम	0.79	25.63	72.16
12.	अरुणाचल प्रदेश	1.19	235.57	937.48
13.	नागालैंड	1.71	312.46	1273.67
14.	मणिपुर	2.36	215.56	646.03
15.	मिजोरम	0.81	150.76	403.14
16.	त्रिपुरा	1.75	282.14	661.73
17.	मेघालय	1.92	270.11	468.55
18.	असम	14.25	1917.83	6941.15
19.	पश्चिम बंगाल	85.78	9934.97	39433.22
20.	झारखंड	12.91	1808.41	5020.72
21.	ओडिशा	33.24	4658.26	12284.89
22.	छत्तीसगढ़	9.52	1065.84	3303.41
23.	मध्य प्रदेश	33.66	3550.47	10530.40
24.	गुजरात	47.73	47025.99	166753.68
25.	दमन और दीव	0.37	337.41	1881.53
26.	दादरा और नगर हवेली	0.41	64.90	229.58
27.	महाराष्ट्र	70.04	19064.42	67941.24
28.	आंध्र प्रदेश	70.69	13615.00	32757.63
29.	कर्नाटक	46.72	12631.33	27161.11
30.	गोवा	1.88	750.84	3820.19
31.	लक्षद्वीप	0.06	9.48	17.30

1	2	3	4	5
32.	केरल	49.62	14097.93	44353.53
33.	तमिलनाडु	80.98	23252.23	77824.34
34.	पुदुचेरी	1.01	349.15	1135.29
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.38	39.31	96.95
	अखिल भारत	805.24	199664.21	689954.86

*थोक/खुदरा व्यापार, कानूनी, शैक्षिक व सामाजिक सेवाओं, होटल व रेस्तराओं, परिवहन और भंडारण तथा माल को गोदाम में रखने (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर), के तहत कार्यकलापों को छोड़कर।

[अनुवाद]

'मनरेगा' के अंतर्गत मजदूरी

1011. **श्री पूर्णमासी राम :**
श्री पी. करुणाकरन :
श्री पी. कुमार :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार और अन्य राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के किसानों के छोटे खेतों में जलप्रदाय की छोटी नालियां बनाने का कार्य इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार छोटे, सीमांत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को जलप्रदाय हेतु छोटे नालियां बनाने के कार्य के लिए उक्त प्रणाली का पर्यवेक्षण करेगी;

(च) क्या सरकार उक्त योजना के अंतर्गत स्वच्छता पर अधिक बल देने का विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) जी, हां।

(ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की धारा 2(च), 6(1) तथा 22(1)(क) में प्रस्तावित संशोधनों से अधिनियम में शब्द 'परिवार' की व्याख्या में आत्मपरकता की समस्या सुलझेगी और मजदूरी नीति को कानूनी समर्थन मिलेगा।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार को अकुशल शारीरिक श्रम कार्य की मांग के आधार पर एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना भी है। मनरेगा की धारा 4 के तहत बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मनरेगा की अनुसूची-I जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में विभिन्न प्रकार के कार्यों की सूची दी गई है, जिन पर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माइक्रो तथा माइनर सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई कैनल अनुसूची-I में अनुमेय कार्य हैं।

(च) और (छ) ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य जैसे कि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, स्कूल शौचालय इकाइयां, आंगनवाड़ी शौचालय, ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन को दिनांक 4 मई, 2012 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची-I में अनुमेय कार्यों की सूची में शामिल किया गया है। अकुशल श्रम के 20 दिनों तक तथा अर्द्धकुशल/कुशल श्रम को 6 दिन तक के व्यय को आईएचएचएल के लिए मनरेगा के अंतर्गत खर्च किया जा सकता है। तथापि ग्राम सभा तथा वार्ड सभा की बैठकों में ग्राम पंचायतें शुरू किए जाने वाले कार्यों के वरीयताक्रम को निर्धारित करती है।

उर्वरकों पर राजसहायता

1012. **श्री पी. विश्वनाथन :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों पर कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) नियंत्रणाधीन तथा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर श्रेणी-वार कितनी राजसहायता दी गई;

(ग) क्या फॉस्फेट और पोटाश युक्त (पीएण्डके) उर्वरकों पर राजसहायता कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके बाजार-मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या नाइट्रोजन (एन) और पोटेशियम (के) उर्वरक पर दी जाने वाली राज-सहायता को कम किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या रुपये और डॉलर की विनियम-दर में प्रतिकूल बदलाव होने की दशा में राज-सहायता बढ़ाई जाएगी; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों (निर्धारित और नियंत्रणमुक्त) पर दी गई राजसहायता की कुल राशि निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	पीएण्डके के उर्वरकों पर राजसहायता	यूरिया पर राजसहायता	योग
2009-10	39452.06	24580.23	64032.29
2010-11	41500.00	24336.68	65836.68
2011-12	36107.94	37683.00	73790.94
2012-13 (बजट अनुमान)	28576.12	37016.01	65592.13

(ख) वर्ष 2012-13 के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर उपलब्ध राजसहायता संलग्न विवरण में दी गई है। नियंत्रित उर्वरक के संबंध में किसानों को यूरिया 5310 रुपए के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया पर राजसहायता उसकी सुपुर्दगी लागत और एमआरपी का अंतर होता है।

(ग) से (ज) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नियंत्रित उर्वरकों पर श्रेणी-वार दी गई राजसहायता

विवरण

नियंत्रित उर्वरकों पर श्रेणी-वार दी गई सहायता

क्र. सं.	एनबीएस के अंतर्गत पीएण्डके उर्वरक	वर्ष 2012-13 के दौरान राजसहायता (रुपए प्रति मी.टन)
1	2	3
	नियंत्रणमुक्त उर्वरक	
1.	एएस: 20-6-0-0-23	5330
2.	डीएपी: 18-46-0-0	14350
3.	डीएपी लाइट: 16-55-0-0	13434
4.	एमओपी: 0-0-60-0	14400
5.	एमएपी: 11-50-0-0	13978
6.	टीएसपी: 0-46-0-0	10030
7.	एसएसपी: 0-16-0-0	3673
8.	एनपीएस: 20-20-0-13	8419
9.	एनपीएस: 20-20-0-13	9379
10.	एनपी: 20-20-0-0	9161
11.	एनपी: 23-23-0-0	10535
12.	एनपी: 24-24-0-0	10993
13.	एनपी: 28-28-0-0	12825
14.	एनपीके: 10-26-26-0	14309

1	2	3
15.	एनपीके: 12-32-16-0	13697
16.	एनपीके: 14-28-14-0	12825
17.	एनपीके: 14-35-14-0	14351
18.	एनपीके: 15-15-15-0	10471
19.	एनपीकेएस: 15-15-15-09	10622
20.	एनपीके: 16-16-16-0	11169
21.	एनपीके: 17-17-17-0	11867
22.	एनपीके: 19-19-19-0	13263
23.	डीएपी लाइट ग्रेड-प्प 14-46-0-0	13390
24.	एमएपी लाइट 11-44-0-0	12234
25.	13-33-0-6	10416

[हिन्दी]

किसानों के लिए प्रत्यक्ष उर्वरक-राजसहायता

1013. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जगदीश शर्मा :
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उर्वरक-राजसहायता के प्रदाय तंत्र में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उर्वरक कंपनियों के बजाय सीधे किसानों को ही राजसहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों/जनता से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, इन पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों के माध्यम से राजसहायता में कोई कटौती की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, नहीं। विगत में उर्वरक राजसहायता के सुपुर्दगी तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां, सरकार उर्वरक कंपनियों को राजसहायता देने की बजाय सीधे किसानों को राजसहायता देने का प्रस्ताव करती है। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

(घ) जी हां। संघ सरकार ने राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है और पंजाब सरकार से सुझाव प्राप्त हुए हैं। पंजाब राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि किसानों को सीधे राजसहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर किया जाए ताकि कुछ मामलों और कठिनाइयों, जो कार्यान्वयन के समय सामने आ सकती हैं, का निपटान किया जा सके जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आरंभिक उच्च निवेश और ब्याज के बोझ के कारण किसानों और राज्य एजेंसियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ना, करोड़ों वैयक्तिक किसानों को राजसहायता जारी करने के लिए वृहत संभारतंत्र प्रयुक्त कराना और काश्तकार किसानों को राजसहायता के भुगतान संबंधी मामले का निपटान करना भी शामिल है।

(ङ) संघ सरकार किसानों को उर्वरक राजसहायता सीधे अंतरित करने का कार्यान्वयन करने से पहले सभी राज्य सरकारों सहित सभी भागीदारों से परामर्श करने का प्रस्ताव करती है।

(च) और (छ) जी, नहीं, संघ सरकार ने उर्वरक कंपनियों के जरिए राजसहायता में कोई कटौती नहीं की है।

अवसंरचना का विस्तार

1014. श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में निचली

अदालतों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निधियां पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार चालू पंचवर्षीय योजना में इन निधियों को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अवसंरचना के विस्तार पर कितना व्यय होना संभावित है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (छ) अधीनस्थ न्यायपालिका और उच्च न्यायालय के अवसंरचना विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व अपने-अपने राज्य सरकारों में निहित है। भारत सरकार, इस संबंध में 1993-94 से न्यायपालिका के अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रगत प्रायोजित स्कीम के माध्यम से राज्य सरकारों के संसाधनों में संवर्धन करती रही है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता बढ़ाने के दृष्टिकोण से सरकार ने वर्ष 2011-12 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपांतरित केन्द्रगत प्रायोजित स्कीम के अधीन वित्त पोषण पैटर्न को 50 : 50 से 75 : 25 (उत्तर पूर्वी राज्यों से भिन्न राज्यों के लिए) पुनरीक्षित करते हुए केन्द्रीय हिस्सेदारी में वृद्धि की है।

उपांतरित केन्द्रगत प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उच्च न्यायालय के भवन नहीं आते है जिसके लिए राज्यों को योजना आयोग द्वारा सीधे 30 : 70 (केन्द्र/राज्य) के अनुपात में एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) देने की व्यवस्था की गई है।

उच्चतम न्यायालय के लिए अवसंरचना सुविधाओं की लागत की पूर्ति शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गैर-योजना बजट उपबंधों के माध्यम से की जाती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रगत प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1150.45 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 270.39 करोड़ रुपए की रकम दी जा चुकी है।

योजना आयोग ने 2010-11 के दौरान जोधपुर में उच्च न्यायालय के भवन के संनिर्माण के लिए 41.50 करोड़ रुपए की एकमुश्त एसीए और चालू वित्त वर्ष के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ न्यायपीठ के भवन के संनिर्माण के लिए 231.31 करोड़ रुपए की एसीए का अनुमोदन कर दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान गैर-योजना परियोजनाओं के रूप में उच्चतम न्यायालय के लिए 84.20 करोड़ रुपए और 884.30 करोड़ रुपए के प्रारंभिक प्राक्कलनों सहित नए कार्यालय भवन/अतिरिक्त कार्यालय परिसर के संनिर्माण के दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया जा चुका है।

2011-2016 की अवधि के दौरान राज्यों द्वारा पुनरीक्षित वित्त पोषण पैटर्न पर उच्च न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास की अनुमानित अपेक्षाओं पर आधारित 5510 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी। 2011-12 के दौरान राज्यों को 595.74 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए 5000 करोड़ रुपए की आवश्यकता प्रक्षिप्त की गई है। चालू वित्त वर्ष (2012-13) में स्कीम के लिए 660.00 करोड़ रुपए आबंटित करने का बजट उपबंध किया गया है।

मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण/रेलवे लाइनें

1015. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाने हेतु स्वीकृत सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में प्रारंभ/पूर्ण किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में प्रारंभ/पूर्ण की गई नई लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सर्वेक्षणों और नई लाइनों को पूरा करने हेतु परियोजना-वार निर्धारित समयावधि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से पड़ने वाली

नई लाइनों के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत सर्वेक्षणों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.
1	2	3
1.	इंदौर-बेतूल	250
2.	रायपुर-जबलपुर वाया खैरागढ़, कवरधा, बोरला	410
3.	सागर से बांद्रा मलथोन-ललितपुर रेलवे लाइन	110
4.	उज्जैन-रामगंजमंडी रेलवे लाइन	190
5.	बरन-शिवपुरी	150
6.	बियावरा-राजगढ़-बीना	147
7.	बूंदी-कनकेर	110
8.	छिंदवाड़ा-गदरवाड़ा-उदयपुर-जैसीनगर-सुगौर-बांदा बदमलहारा खजुराहो रेल लाइन	450
9.	छिंदवाड़ा-करेली-सागर	202
10.	दामोह-हाटानगर-खजुराहो	125
11.	फतेहाबाद-चंद्रवटीगंज (20 किमी) रतलाम-इंदौर परियोजना सहित	20
12.	गोधरा-दाहोद-इंदौर-देवास	316
13.	गुना-ऐरोन-सिरोंज-वसोदा-विदिशा	120
14.	ग्वालियर-शाहजहांपुर वाया फतेहाबाद, कटना, राजपुर, जलालाबाद	300
15.	हाट्टा रोड-किरनपुर-लांजी	50
16.	जबलपुर-पन्ना वाया दामोह	246
17.	जबलपुर-इंदौर	450
18.	जबलपुर-राजनंदगांव वाया बेमेतरा; कावरधा-मांडला	427
19.	जबलपुर-उदयपुरा-सागर	246
20.	झांसी-सवाई माधोपुर वाया शिवपुरी, शिओपुरकलान	311
21.	लाम्टा-पारसवाडा-बईहार-मलजखंड	82
22.	पंदरा रोड-गोटेगांव (श्रीधाम)	260
23.	प्रतापगढ़-मंदसौर	32
24.	रामगंजमंडी-नीमच	111
25.	सागर-छतरपुर-खजुराहो-भोपाल	320
26.	सतना-मिर्जापुर	120
27.	सागौर-ललितपुर नई रेल लाइन	110
28.	सौसर-पंधुराना	30
29.	शिओनी-बारघाट-कटंगी	50
30.	शिओनी-छपरा-लखनादौन	80
31.	बाडी सादरी-नीमच	48
32.	भिंड-ओराई-महोबा	217
33.	पिपरईगांव और ललितपुर वाया चंदेरी	80
34.	रामटेक-गोटेगांव-वाया शिओनी	276
35.	रतलाम-बांसवारा-डूंगरपुर	176
36.	छिंदवाड़ा-नैनपुर में मांडलाफोर्ट	182

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरे किए गए सर्वेक्षणों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.
1	2	3
1.	बड़ी सदरी-नीमच	48

1	2	3
2.	भिंड ओरई-महोबा	217
3.	खंडवा धार वाया खरगौन-बदवानी	250
4.	मनमाड इंदौर वाया मालेगांव एवं धुले	339
5.	पिपरईगांव और ललितपुर वाया चंदेरी	396
6.	रामटेक-गोटेगांव वाया सिआंज	276
7.	रतलाम-बंसवारा-डूंगरपुर	176
8.	छिंदवाड़ा-नैनपुर से मांडला फोर्ट	182
9.	इटारसी-नागपुर-वर्धा-बलारशाह तीसरी लाइन	505
10.	झांसी-बीना तीसरी लाइन	953
11.	बीना-कोटा दोहरीकरण	283

(ग) (i) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई नई लाइन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.
1.	रतलाम-डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा-वर्ष 2011-12 में स्वीकृत	176.47

(ii) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरी की गई नई लाइन परियोजनाएं/खंड निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.
1.	रामगंजमंडी-झालावाड़	30
2.	ललितपुर-उदयपुरा	26
3.	उदयपुरा-मवाई (32.675 किमी से 65.1 किमी तक)	32
4.	ललितपुर-खजुराहो-सतनाम खजुराहो-महोबा और रीवा-सिंगरौली नई लाइन (मवाई से खंड्गपुर तक)	22

(घ) चालू नई लाइन परियोजनाएं और सर्वेक्षण प्रगति पर हैं और इन्हें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

डीजीएच का पुनरुद्धार

1016. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मनीष तिवारी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि अनुसार नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत नीलामी के दौरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और अंतिम दौरा कब आयोजित हुआ था और एनईएलपी के पहले दौर के प्रारंभ होने से लेकर अब तक तेल और गैस उत्पादकों के साथ सरकार द्वारा कितनी संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं;

(ख) क्या एनईएलपी प्रक्रिया ने तेल और गैस उत्पादन में वृद्धि करने में मदद की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीलामी के अंतिम दौर में प्राथमिक भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने सरकारी संविदाओं की पुण्यता के बारे में संदेह और राजस्व स्तरों के बारे में सामान्य अनिश्चितता के कारण इससे बाहर रहने का निर्णय लिया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के तकनीकी, विधिक और वित्तीय पहलुओं को सुदृढ़ करने पर बल देने के लिए इसके पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) अब तक, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के नौ दौर आयोजित किए जा चुके हैं और 249 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए सरकार द्वारा संविदाकार (रों), जिसमें निजी/विदेशी एवं राष्ट्रीय तेल कंपनियां

(एनओसीज) शामिल हैं, के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा एनईएलपी (अर्थात् एनईएलपी-IX) के अंतिम दौर को 34 ब्लॉकों के प्रस्ताव के साथ 15 अक्तूबर, 2010 को आरंभ किया गया था।

(ख) जी, हां। एनईएलपी अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को तेज करने और एनईएलपी ब्लॉकों में अब तक लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करने में सफल रहा है। आज की तारीख तक, पूर्वी तट में प्रमुख गैस खोजों सहित, 38 एनईएलपी ब्लॉकों में कुल 111 खोजें (40 तेल और 71 गैस) की जा चुकी हैं। दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार एनईएलपी खोजों से 2पी (प्रमाणित + संभावि) भंडारों में 737 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस के समतुल्य तेल के अनुकूल वृद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब तक 6 एनईएलपी खोजों से वाणिज्यिक तेल/गैस का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। 5 एनईएलपी खोजों से तेल और गैस का वर्तमान उत्पादन क्रमशः लगभग 11,300 बीबीएल/दिन और 29 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है और अन्य खोजों के विकास के साथ भविष्य में इसमें वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) और (घ) एनईएलपी-IX बोली दौरे के तहत 33 ब्लॉकों के लिए निम्नवत् 7(सात) विदेशी कंपनियों सहित 36 कंपनियों से 74 बोलियां प्राप्त हुई थीं:–

(i) बिर्कबेवक इन्वेस्टमेंट लि. — मॉरीशस

(ii) ईस्ट वेस्ट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन — कनाडा

(iii) हेरामेक लिमिटेड — बहामास

(iv) कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि. — आस्ट्रेलिया

(v) बीएचपी बिलियन पेट्रोलियम (इंटरनेशनल) एक्सप्लोरेशन प्रा.लि. — आस्ट्रेलिया

(vi) दीप एनर्जी एलएलसी — यूएसए

(vii) बीजी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडेक्सशन इंडिया लि. — कैमन्स द्वीप

अंतराष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त प्रत्युत्तर को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता। बोलीदाताओं के निर्णय, विश्व के अन्य भागों में उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में निजी कंपनी को प्रत्यक्ष अनुभव, कारोबार कार्यनीति, तकनीकी और वित्तीय क्षमता आदि जैसे विभिन्न कारकों से संचालित होते हैं।

(ङ) और (च) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को मजबूत करने के उद्देश्य से, सरकार ने निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मानव संशोधित (एचआर) परामर्शदाता अन्वेषण परामर्शदाता, कानूनी और वित्तीय परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए डीजीएच को दिनांक 26 जून, 2012 को प्राधिकृत किया है।

असूचीबद्ध कंपनियां

1017. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास असूचीबद्ध कंपनियों को इनका आईपीओ लांच करने के लिए प्रेरित करने हेतु कोई स्कीम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी असूचीबद्ध कंपनियों को उनका आईपीओ लांच करने हेतु प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं। असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उनके आईपीओ जारी करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने का कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त पैरा 'क' के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तटीय अपरदन

1018. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दक्षिणी गुजरात के समुद्र तट में अपरदन रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यों हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) समुद्र-कटावरोधन संबंधी स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण एवं निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। संघ सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तकनीकी,

सलाहकार, उत्प्रेरक एवं प्रोत्साहन प्रकृति की है। संघ सरकार समुद्र तट कटाव नियंत्रण के लिए गुजरात सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी दे रही है। XIवीं योजना के दौरान, भारत सरकार ने गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण एवं समुद्र कटावरोधी कार्यों के लिए गुजरात सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने हेतु एक बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया था।

(ख) XIवीं योजना के दौरान गुजरात के दो समुद्र कटावरोधी कार्य नामत: (i) सूरत जिले में दभरी, नेशकरंज और दांडी गांवों में समुद्र कटाव रोधी कार्य, अनुमानित लागत: 1185.00 लाख रुपए और (ii) जामनगर जिले में द्वारका तालुका में संगम नारायण मंदिर से गायत्री मंदिर तक कटाव से निपटने के लिए तट सुरक्षा/समुद्री दीवार उपलब्ध कराना, अनुमोदित लागत 794.31 लाख रुपये अनुमोदित किए गए थे और गुजरात राज्य सरकार को बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 200.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त दोनों कार्य क्रमश: 2010-11 और 2011-12 में पूरे कर लिए गए थे।

सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराना

1019. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में गरीबों के लिए सस्ती दरों पर दवाइंया उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, कालाजार, निमोनिया, हृदय रोग और किडनी रोग की दवाइयों को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये दवाइयां जन औषधि बिक्री केंद्रों पर कम मूल्यों पर उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों के मूल्य तथा इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के नियंत्रण के अधीन हैं। औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अनुसार एनपीपीए द्वारा अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। एनपीपीए मूल्य नियंत्रण के अधीन आने वाले आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग करता है। औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) की बिक्री एनपीपीए द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी उपभोक्ता को नहीं कर सकता है।

मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, कालाजार, निमोनिया, हृदय रोग और किडनी रोग के इलाज की दवायां गैर-अनुसूचित दवाइयां हैं। जो औषधियां औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अंतर्गत नहीं आती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके संबंध में निर्माता सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य का निर्धारण करते हैं। तथापि, मूल्य निर्धारण कार्य के भाग के रूप में एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। आईएमएस स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्ट और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। जहां कहीं 10% वार्षिक से अधिक मूल्यवृद्धि का पता चलता है वहां निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारण करने हेतु डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है।

भारत सरकार, औषध विभाग द्वारा नवम्बर, 2008 के दौरान शुरू किए गए जन औषधि अभियान का उद्देश्य प्रारंभ में ऐसे प्रत्येक जिले में जन औषधि बिक्री केंद्र के जरिए सभी को वाजिब मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त गैर-ब्रांड वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है जहां राज्य सरकारें अपनी लागू स्वास्थ्य नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पतालों में स्थान आबंटित करने और इन बिक्री केंद्रों को चलाने के लिए एजेंसियों की सिफारिश करने में अपना सहयोग और समर्थन देती हैं।

(घ) और (ङ) इस समय जन औषधि बिक्री केंद्रों को 319 दवाइयों की आपूर्ति की जाती है जिनका उपयोग कालाजार और किडनी रोगों को छोड़कर मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, निमोनिया और हृदय रोगों सहित विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अन्य रोगों के इलाज के लिए दवाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना एक सतत् प्रक्रिया है। न्यूनतम खुदरा मूल्यों सहित जन औषधि दवाइयों की सूची वेबसाइट *www.janaushadhi.gov.in* पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

1020. श्री पकौड़ी लाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) राज्य-वार और स्कीम-वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त लक्ष्यों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) पूर्ववर्ती स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है जिसे अब 'आजीविका' नाम दिया गया है। एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

(i) **सामाजिक एकजुटता और संस्था का निर्माण :** यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी निर्धन परिवार ने छूट जाए, एनआरएलएम में सभी निर्धारित बीपीएल परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी और स्व-प्रबंधित संस्थाओं में सामाजिक रूप से शामिल/एकजुट करने के लिए विभेदक कार्यनीतियों का इस्तेमाल किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय समावेशन :** एनआरएलएम सभी निर्धन परिवारों, एसएचजी और उनके संघों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से परे सर्वसामान्य वित्तीय समावेशन हासिल करने की दिशा में कार्य करेगा।

(iii) **सामाजिक विकास :** एनआरएलएम में पोषण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि के सामाजिक मुद्दे पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(iv) **तालमेल :** एनआरएलएम में ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अन्य कार्यक्रमों के साथ राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का तालमेल बिठाने पर काफी अधिक बल दिया जाएगा ताकि सीधे निर्धनों की संस्थाओं के जरिए आपस की सामंजस्य बढ़ाया जा सके।

(v) **आजीविका को बढ़ावा देना :** एनआरएलएम में प्रत्येक निर्धन परिवार की आजीविका के संपूर्ण पोर्टफोलियों पर ध्यान दिया जाएगा और यह मौजूदा आजीविका को स्थायी बनाने और उसे बढ़ाने और बाद में उनकी आजीविकाओं के विविधिकरण की दिशा में कार्य करेगा। ग्रामीण आजीविका के संवर्धन के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत विभिन्न उप-घटक इस प्रकार हैं:—

- **नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाएं :** नियोजन से जुड़ी कौशल विकास परियोजनाओं के जरिए कुशल मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में ग्रामीण बीपीएल युवकों की सहायता करना। कौशल और नियोजन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत कुल आबंटन का 15% निर्धारित किया गया है। आज तक कुल 175 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और 4.64 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया गया है और 3.50 लाख युवकों को इस योजना के अंतर्गत काम उपलब्ध कराया गया है।

- **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) :** महिला कृषकों की विशेष जरूरतों को पूरा करना और ग्रामीण महिला कृषकों मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी रूप से अधिकार संपन्न बनाना। आज तक एमकेएसपी के अंतर्गत 36 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

- **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) :** आरएसईटीआई मॉडल में बेरोजगार ग्रामीण बीपीएल युवकों को अल्पकालिक अनुभवजन्य शिक्षण कार्यक्रम के जरिए आत्मविश्वासी स्वनियोजित उद्यमी में परिवर्तित करना है और उसके बाद उनको दीर्घावधिक हैंड-होल्डिंग सहायता दी जाएगी ताकि वे लघु उपक्रम और मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें। आज तक 526 आरएसईटीआई की स्थापना की गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत निधियों के आबंटन और प्राप्त लक्ष्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण है। उपर्युक्त एनआरएलएम के अंतर्गत चल रही योजनाओं के लिए निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) एनआरएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों में विभिन्न चरणों के समर्पित पेशेवरों की तैनाती करके राज्य, जिलों और ब्लॉक स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं की गरीबी उपशमन कार्य योजना बनाएंगे। सभी स्तरों पर सुविज्ञ निर्णय निर्माण में सहायता प्रदान करने और शिक्षण एवं सतत् सुधार में मदद करने के लिए एक सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण (एमईएल) प्रणाली लागू की जाएगी।

विवरण

एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10				2010-11				2011-12			
		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी		केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	
				लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10887.00	11476.59	98391	295568	12557.00	12695.33	116974	165205	11472.00	11472.00	105746	308
2.	अरुणाचल प्रदेश	568.00	435.14	4277	1496	692.00	608.87	5375	1036	678.00	343.26	5211	143883
3.	असम	14750.00	17734.34	111087	164752	17988.00	20436.85	139636	143941	17628.00	10836.74	135418	135426
4.	बिहार	25899.00	13727.48	234063	157801	29872.00	14024.71	278264	162009	27291.00	24249.98	251565	44885
5.	छत्तीसगढ़	5752.00	6046.62	51982	50311	6635.00	6584.38	61814	53564	6062.00	5927.91	55885	184
6.	गोवा	150.00	75.00	1426	1489	200.00	108.10	1881	768	176.00	25.87	1632	30267
7.	गुजरात	4098.00	4319.90	37036	46131	4727.00	4727.00	44034	46820	4318.00	3734.97	39799	24435
8.	हरियाणा	2411.00	2541.56	21792	24392	2781.00	2807.87	25902	30199	2541.00	2499.56	23427	10828
9.	हिमाचल प्रदेश	1015.00	843.65	9171	12284	1171.00	1171.00	10903	11615	1070.00	777.60	9863	5236
10.	जम्मू और कश्मीर	1257.00	828.47	11360	5644	1449.00	779.59	13497	4271	1324.00	651.72	12204	57019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	झारखंड	9766.00	6706.52	88258	116670	11264.00	11129.00	104932	113903	10290.00	6670.04	94850	80754
12.	कर्नाटक	8221.00	8666.22	74295	96470	9482.00	9482.00	88327	107283	8663.00	6775.01	79861	40311
13.	केरल	3689.00	3855.01	33342	47426	4255.00	4156.17	39633	47046	3887.00	3692.71	35832	88860
14.	मध्य प्रदेश	12325.00	13590.63	111385	106481	14214.00	13994.63	132407	97761	12986.00	11338.67	119712	152429
15.	महाराष्ट्र	16251.00	17131.08	146869	159026	18744.00	18710.25	174609	159855	17125.00	16979.23	157855	363
16.	मणिपुर	989.00	463.49	7449	3362	1206.00	1187.18	9365	603	1182.00	618.82	9082	5182
17.	मेघालय	1108.00	648.01	8344	5211	1351.00	926.70	10491	40552	1324.00	391.85	10169	3010
18.	मिजोरम	256.00	370.18	1932	8159	313.00	533.85	2429	3565	306.00	306.03	2352	5519
19.	नागालैंड	760.00	650.11	5721	3884	927.00	872.14	7194	4993	908.00	787.14	6973	129363
20.	ओडिशा	12453.00	11981.12	112544	131334	14363.00	14211.13	133803	138595	13122.00	12119.13	120957	10287
21.	पंजाब	1172.00	1022.42	10594	14504	1351.00	1247.66	12581	15657	1235.00	988.96	11382	76149
22.	राजस्थान	6243.00	6581.09	56421	62094	7200.00	7183.13	67072	74853	6578.00	6049.46	60642	1337
23.	सिक्किम	284.00	382.27	2135	1463	346.00	573.80	2688	1294	340.00	170.00	2616	72095
24.	तमिलनाडु	9627.00	10148.45	87004	107486	11103.00	11218.05	103430	138916	10144.00	10134.27	93510	13456
25.	त्रिपुरा	1785.00	1845.71	13448	30959	2177.00	2580.10	16900	63890	2134.00	2134.01	16392	341935
26.	उत्तर प्रदेश	37286.00	41205.26	336975	345408	43006.00	42539.13	400612	391700	39290.00	28340.26	362184	17673
27.	उत्तराखंड	1963.00	2069.31	17738	18590	2264.00	2230.25	21090	20789	2069.00	2067.88	19071	74494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	13839.00	11863.68	125070	63092	15962.00	15961.96	148696	66942	14582.00	13175.61	134417	359
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	10.43	170	587	25.00	35.84	176	448	25.00	12.48	169	0
30.	दमन और दीव	25.00	0.00	170	0	25.00	25.00	176	0	25.00	0.00	169	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	12.50	170	0	25.00	0.00	176	0	25.00	25.00	169	0
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	170	0	25.00	25.00	176	0	25.00	12.50	169	2256
33.	पुदुचेरी	250.00	263.50	1695	3103	300.00	300.00	2100	1913	275.00	137.50	1899	2130
	कुल	205154.00	197495.74	1822482	2085177	238000.00	223066.64	2177343	2109986	219100.00	183446.17	1981182	1570433

ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी

1021. **श्री दत्ता मेघे : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी के लिए गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं ली जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी एनजीओ ने ग्रामीण विकास योजनाओं पर अपनी रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए अप्रैल से जुलाई, 2012 के दौरान देश के 182 जिलों में 91 सूचीबद्ध गैर-सरकारी संस्थाएं नियुक्त की गई हैं। इन संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसमें उस जिले तथा राज्य का नाम दर्शाया गया है जहां उन्हें नियुक्त किया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को कुछ रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनका विश्लेषण अभी नहीं किया गया है। परिणामों का संकलन करने के बाद, सार को उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	सांस्थानिक एनएलएम का नाम	गृह राज्य	जिले जहां तैनात किए गए		राज्य
1	2	3	4		5
1.	सेंटर फॉर डेवलपमेंट रिसर्च	आंध्र प्रदेश	बैंगलोर रुरल	चामराज नगर	कर्नाटक
2.	सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टडीज	आंध्र प्रदेश	धारवाड़	उत्तर कन्नड़ा	कर्नाटक
3.	पार्टिसिपेट्री रुरल डेवलपमेंट इनिसिएटिव्स सोसायटी (पीआरडीआईएस)	आंध्र प्रदेश	रायचुर	बागलकोट	कर्नाटक
4.	प्रज्ञा रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज	आंध्र प्रदेश	कालाहांडी	रायगडा	ओडिशा
5.	रुरल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी (आरईईडीएस)	आंध्र प्रदेश	बौध	कंधमाल	ओडिशा
6.	रुरल इंटिग्रेटेड एंड सोशल एजुकेशन सोसायटी	आंध्र प्रदेश	अंगूल	संबलपुर	ओडिशा
7.	सेवा भारती	आंध्र प्रदेश	झारसुगुडा	सुंदरगढ़	ओडिशा

1	2	3	4		5
8.	सोसायटी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट (सौचुरसोड)	आंध्र प्रदेश	नबरंगपुर	नौपाड़ा	ओडिशा
9.	एआरआरओ वेलफेयर सोसायटी (एडब्ल्यूएस)	अरुणाचल प्रदेश	कोकराझार	नागांव	असम
10.	सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (सीआरआरआईडी)	चंडीगढ़	बडगाम	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर
11.	एडवांटेज इंडिया	दिल्ली	भिवानी	हिसार	हरियाणा
12.	आनंदमय इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्रा.लि.	दिल्ली	पुंछ	राजौरी	जम्मू और कश्मीर
13.	आरोह फाउंडेशन	दिल्ली	उधमपुर	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
14.	आर्यन फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एक्शन	दिल्ली	लेह (लद्दाख)	कारगिल	जम्मू और कश्मीर
15.	सेंटर फॉर लॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज	दिल्ली	बारामूला	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
16.	सीएमआई सोशल रिसर्च सेंटर	दिल्ली	खेरी	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश
17.	सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस)	दिल्ली	झांसी	ललितपुर	उत्तर प्रदेश
18.	कांउसिल फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च	दिल्ली	चंदौली	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश
19.	कांउसिल फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एंड इंवायरमेंट (सीटीआरईई)	दिल्ली	बस्ती	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश
20.	डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज प्रा.लि.	दिल्ली	बांदा	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश
21.	डेवलपमेंट फैसिलिटेटर्स	दिल्ली	ज्योतिबा फूले नगर	बिजनौर	उत्तर प्रदेश
22.	इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रस्ट	दिल्ली	कानपुर देहात	उन्नाव	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4		5
23.	आईएसीएम स्मार्ट लर्न लि.	दिल्ली	बलरामपुर	श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश
24.	मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ इंडिया	दिल्ली	बागपत	मेरठ	उत्तर प्रदेश
25.	मीडिया रिसर्च ग्रुप	दिल्ली	रूद्रप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
26.	मिडस्ट्रीम मार्केटिंग व रिसर्च प्रा.लि.	दिल्ली	चंपावत	पिथौरागढ़	उत्तराखंड
27.	नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया फाउंडेशन	दिल्ली	हरिद्वार	पौड़ी गढ़वाल	उत्तराखंड
28.	न्यू अपॉरचूनिटीज फॉर वीमेन (एनओडब्ल्यू)	दिल्ली	भरतपुर	दौसा	राजस्थान
29.	ऑपरेशन्स रिसर्च ग्रुप प्रा.लि.	दिल्ली	चुरू	सीकर	राजस्थान
30.	रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिसिएटिव प्रा.लि. (आरडीआई)	दिल्ली	महेंद्रगढ़	रेवाड़ी	हरियाणा
31.	समर्पण सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेज	दिल्ली	फतेहाबाद	सिरसा	हरियाणा
32.	सोसायटी फॉर इकोनॉमिक एंड इंवायरमेंटल मैनेजमेंट	दिल्ली	छत्तरपुर	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश
33.	सोसायटी फॉर प्रोमोशन ऑफ एक्टीविटीज फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग	दिल्ली	मुरैना	शिवपुर	मध्य प्रदेश
34.	सोसायटी फॉर सोशल सर्विसेज मध्य भारत चैप्टर	दिल्ली	डिंडेरी	जबलपुर	मध्य प्रदेश
35.	सोशियो-इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	दिल्ली	अशोकनगर	सागर	मध्य प्रदेश
36.	दि क्रिएटिव सेंटर फॉर रुरल डेवलपमेंट	दिल्ली	अनूपपुर	शहडोल	मध्य प्रदेश
37.	टीएनएस इंडिया प्रा.लि.	दिल्ली	भिंड	दतिया	मध्य प्रदेश
38.	गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च	गुजरात	इंदौर	उज्जैन	मध्य प्रदेश

1	2	3	4		5
39.	जन शिक्षण संस्थान (हरियाणा नव युवक कला संगम)	हरियाणा	अम्बेडकर नगर	संत कबीर नगर	उत्तर प्रदेश
40.	महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा समिति	हरियाणा	हनुमान नगर	श्री गंगानगर	राजस्थान
41.	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी	झारखंड	डिब्रुगढ़	तिनसुकिया	असम
42.	ग्रामीण विकास परिषद्	झारखंड	बारपेटा	बोंगाइगांव	असम
43.	रुरल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन	झारखंड	दरांग	नलबाड़ी	असम
44.	श्री बैद्यनाथ फाउंडेशन	झारखंड	दीमापुर	पेरेन	नागालैंड
45.	जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस	झारखंड	उत्तरी जिला	प. जिला	सिक्किम
46.	जेएसएस कंसल्टैंट्स	कर्नाटक	कन्नूर	कसारगौड़	केरल
47.	स्वामी विवेकानंद समाज सेवा समिति-सतगति	कर्नाटक	एर्नाकूलम	कोट्टायम	केरल
48.	सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (सीएमडी)	केरल	डिंडिगुल	मदुरै	तमिलनाडु
49.	सेंटर फॉर रुरल मैनेजमेंट	केरल	नमक्कल	सलेम	तमिलनाडु
50.	सेंटर फॉर सोशियो-इकोनॉमिक एंड इंवायरमेंटल स्टडीज (सीएसईएस)	केरल	धरमपुरी	कृष्णागिरी	तमिलनाडु
51.	बचपन विकास जन कल्याण समिति	मध्य प्रदेश	कांकेड़	नारायणपुर	छत्तीसगढ़
52.	भोपाल युवा पर्यावरण शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान	मध्य प्रदेश	दंतेवाड़ा	बीजापुर	छत्तीसगढ़
53.	सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (सीएआरडी)	मध्य प्रदेश	बस्तर	धमतरी	छत्तीसगढ़
54.	डेवलपमेंट एंड रिसर्च टीम (डीएआरटी)	मध्य प्रदेश	जशपुर	सरगूजा	छत्तीसगढ़

1	2	3	4		5
55.	स्वप्निल एजुकेशन सोसाइटी	मध्य प्रदेश	पुणे	रायगढ़	महाराष्ट्र
56.	उदय विकास संघ	मध्य प्रदेश	अहमदनगर	बीड	महाराष्ट्र
57.	एक्शन फॉर एग्रीकल्चर रिन्युवल इन महाराष्ट्र (एएफएआरएम)	महाराष्ट्र	अदिलाबाद	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश
58.	अश्वमेघ ग्रामीण पनलोट क्षेत्र विकास व शैक्षणिक संस्थान (एजीवीएसएस)	महाराष्ट्र	करीमनगर	वारंगल	आंध्र प्रदेश
59.	हर्शल गामीण विकास बहु संस्थान	महाराष्ट्र	गुंटूर	कृष्णा	आंध्र प्रदेश
60.	मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एजुकेशन एंड एम्प्लाइमेंट (मैत्री)	महाराष्ट्र	श्रीकाकुलम	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश
61.	सहयाद्री ग्रामीण विकास व बहुउद्देशीय युवक कल्याण संस्था	महाराष्ट्र	दक्षिण कन्नड	कोडागू	कर्नाटक
62.	द मणिपुर डेवलपमेंट ट्रस्ट	मणिपुर	धुबरी	गोपालपाड़ा	असम
63.	रिसर्च एंड इंफार्मेशन सेंटर फॉर उड़ीसा (आरआईसीओआर)	उड़ीसा	किफिरे	फेक	नागालैंड
64.	अरावली	राजस्थान	मेहसाणा	पटना	गुजरात
65.	ग्राम विकास नवयुवक मंडल लपपोडिया (जीवीएनएमएल)	राजस्थान	नर्मदा	वड़ोदरा	गुजरात
66.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (जीवीवीएस)	राजस्थान	नवसारी	वलसाड़	गुजरात
67.	इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डेवलपमेंट को-आपरेटिव लिमिटेड (आईएफएफडीसी)	राजस्थान	अमरेली	भावनगर	गुजरात
68.	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रुरल डेवलपमेंट (आईआईआरडी)	राजस्थान	जूनागढ़	पोरबंदर	गुजरात
69.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट (आईआईआरएम)	राजस्थान	राजकोट	सुरेन्द्रनगर	गुजरात

1	2	3	4		5
70.	महाराणा प्रताप सामाजिक विकास संस्थान	राजस्थान	मानसा	संगरूर	पंजाब
71.	उर्मिद्वार इनोवेटिव एक्शन एंड रिसर्च फाउंडेशन	राजस्थान	कपूरथला	तरण तारण	पंजाब
72.	उर्मुल सीमान्त समिति बिज्जू (यूआरएमयूएल)	राजस्थान	होशियारपुर	नवांशहर	पंजाब
73.	हिमाली विकास संस्थान	सिक्किम	बिशनूपुर	तामेंगलोंग	मणिपुर
74.	एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज	उत्तर प्रदेश	पश्चिम चंपारण	गोपालगंज	बिहार
75.	आनंद स्वरूप सोशल ट्रेनिंग सेंटर	उत्तर प्रदेश	सारण	सिवान	बिहार
76.	अवध रिसर्च फाउंडेशन	उत्तर प्रदेश	पूर्वी चंपारण	सीतामढ़ी	बिहार
77.	बाबूराम ग्रामोत्थान संस्थान	उत्तर प्रदेश	भोजपुर	बक्सर	बिहार
78.	केटेलिस्ट इंस्टीट्यूट	उत्तर प्रदेश	जमुई	नवादा	बिहार
79.	दुर्गा सेवा सदन	उत्तर प्रदेश	भागलपुर	कटिहार	बिहार
80.	गिरी इंस्टीट्यूट	उत्तर प्रदेश	नालंदा	शेखपुरा	बिहार
81.	हाई-टेक इंस्टीट्यूट आफ इंफोर्मेशन टेक्नालॉजी	उत्तर प्रदेश	दरभंगा	मधुबनी	बिहार
82.	मुक्त महिला एवं बाल कल्याण विकास संस्थान	उत्तर प्रदेश	गुमला	लातेहर	झारखंड
83.	प्रेमा ग्राम्य विकास संस्थान	उत्तर प्रदेश	बोकारो	धनबाद	झारखंड
84.	प्रियाग्रह उद्योग विकास एवं शिक्षा प्रसार समिति	उत्तर प्रदेश	देवघर	जामतारा	झारखंड
85.	साकेत महिला समाजोत्थान शिल्प एंड ग्रामोद्योग संस्थान	उत्तर प्रदेश	सीधी	सिंगरौली	मध्य प्रदेश
86.	श्री विद्यानाथ विद्यालय समिति	उत्तर प्रदेश	रीवा	सतना	मध्य प्रदेश
87.	सिद्धार्थ ग्रागोद्योग संस्थान	उत्तर प्रदेश	कटनी	उमरिया	मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5
88.	सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन	उत्तर प्रदेश	राजगढ़	शाजापुर	मध्य प्रदेश
89.	सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड रिसर्च (एसआईआर)	उत्तर प्रदेश	गुना	विदिशा	मध्य प्रदेश
90.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण स्मारिका शिक्षा संस्थान	उत्तर प्रदेश	मेदिनीपुर वेस्ट	पूर्वी मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल
91.	हिमालय इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट	उत्तराखंड	समस्तीपुर	वैशाली	बिहार

[अनुवाद]

उत्खनन हेतु नई प्रौद्योगिकी

1022. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री एस. अलागिरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाइड्रोकार्बनों की गवेषणा हेतु नई प्रौद्योगिकियां प्रयोग में लाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से गवेषणा लागत में किस स्तर तक कमी आई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। संविदाकार हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेसिस्टीविटी एनीसोट्रोपी मेजरमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेसोनेंस (एनएमआर) मेजरमेंट, एडवांस सोनिक मेजरमेंट, वॉल्यूम आधारित इंटरप्रिटेशन तथा 3डी विजुअलाइजेशन, जियोसेलुलर माडेलिंग, एम्पलीट्यूड वयरेसस आफसेट एनालिसिस और रिजर्वायर कैरेक्टेराइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) उपरोक्त सभी नवीनतम प्रौद्योगिकियों से अन्वेषण गतिविधियों में व्यय को कम करने के साथ तेल और गैस रिजर्वायर की खोज में यथार्थता में सुधार करने में मदद मिलती है। तथापि, संविदाकारों ने उनके द्वाराकेवल नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से अन्वेषण लागत में कितनी बचत होगी यह नहीं बताया है।

तमिलनाडु में आमान परिवर्तन

1023. **श्री मानिक टैगोर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेन कोट्टई-पुनालूर और मदुरई-मनामदुरई खण्डों पर आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस हेतु आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) पुनालूर-शेनकोट्टई का आमान परिवर्तन किउलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेनडूर एवं टेनकासी-विरुधुनगर आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है। पुनालूर-एडामन भगवतीपुरम-शेनकोट्टई कठिन भू-भाग वाला एक

घाट खंड है जहां मार्च, 2015 तक कार्य पूरे कर दिए जाने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो। मीटर लाइन का यातायात पहले ही बंद कर दिया गया है तथा विभिन्न कार्य प्रगति पर है। पुनालूर-एडामन तथा शेनकोट्टई-भगवतीपुरम खंड का आमान परिवर्तन कार्य 2012-13 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

उपर्युक्त परियोजना पर मार्च, 2012 तक 731.78 करोड़ रु. का व्यय किया गया है तथा 2012-13 के दौरान इस परियोजना के लिए 52 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया किया गया है। मदुरई-मनामदुरई/रामेश्वरम पहले से ही बड़ी लाइन है।

[हिन्दी]

भूमिहीन/घरविहीन किसान

1024. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों और देश के अन्य पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन और घरविहीन किसानों/श्रमिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1985-86 से उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के ग्रामीण इलाकों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित इंदिरा आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में 148.25 लाख आवासों की कमी थी। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर तथा बुलंदशहर जिलों में क्रमशः 3159 और 10123 आवासों की कमी थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित और निर्मुक्त केन्द्रीय निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2009-10 से 2012-13 के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय आवंटन तथा केन्द्रीय निर्मुक्ति

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय निर्मुक्तियां	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय निर्मुक्तियां	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय निर्मुक्तियां	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय निर्मुक्तियां (9.8.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	75900.82	85629.11	86772.58	87366.08	84762.05	89237.14	93916.18	47263.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	2935.66	3336.76	3372.56	3784.31	3294.85	3197.95	3640.22	1336.51
3.	असम	64914.87	66736.67	74575.72	71031.77	72857.40	76768.36	80494.43	38353.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	224039.39	200854.99	256130.00	226058.94	250195.44	217691.10	277216.04	126902.92
5.	छत्तीसगढ़	11737.44	16279.90	13418.67	13279.76	13107.75	25387.10	14523.36	8038.10
6.	गोवा	467.49	467.49	534.46	517.43	522.07	545.20	578.46	289.23
7.	गुजरात	37223.48	41574.95	42555.24	51934.99	41569.23	38069.29	46058.62	13424.45
8.	हरियाणा	5226.21	5244.96	5974.79	5974.80	5836.35	6045.43	6466.67	3233.34
9.	हिमाचल प्रदेश	1843.31	1863.81	2107.33	2143.04	2058.51	2118.67	2280.82	1139.16
10.	जम्मू और कश्मीर	5725.42	5725.42	6545.51	6643.35	6393.85	5830.04	7084.38	3482.76
11.	झारखंड	19983.33	30160.35	56595.67	55864.20	22316.33	21816.66	24726.46	12508.24
12.	कर्नाटक	29242.52	30227.03	33431.11	38798.37	32656.50	29895.68	36183.34	17826.49
13.	केरल	16261.55	16261.55	18590.80	18590.80	18160.05	18964.62	20121.29	10060.65
14.	मध्य प्रदेश	23343.61	24086.27	26687.27	44223.47	26068.92	43588.24	28884.31	14489.45
15.	महाराष्ट्र	45773.50	47443.24	52329.94	52313.82	51117.44	53881.90	56638.13	28186.57
16.	मणिपुर	2548.30	2065.92	2927.55	2541.31	2860.10	2362.86	3159.90	1375.98
17.	मेघालय	4438.24	3783.31	5098.75	5572.45	4981.27	5513.12	5503.42	2751.71
18.	मिजोरम	945.84	1267.79	1086.60	1335.55	1061.56	1108.60	1172.84	586.42
19.	नागालैंड	2936.92	3996.01	3374.01	4455.68	3296.27	3442.32	3641.79	1820.90
20.	ओडिशा	44016.50	46025.72	50321.27	47573.66	49155.32	62730.58	54464.00	26414.84
21.	पंजाब	6463.27	6463.27	7389.05	6358.58	7217.84	2175.07	7997.36	659.49
22.	राजस्थान	18705.35	18869.60	21384.64	37422.23	20889.15	39472.88	23145.13	11572.57
23.	सिक्किम	561.69	561.69	645.29	852.16	630.42	501.54	696.50	348.25
24.	तमिलनाडु	30388.96	30547.07	34741.77	34801.21	33936.80	35173.29	37601.90	18800.95
25.	त्रिपुरा	5718.48	6368.57	6569.52	10826.77	6418.13	11530.63	7090.90	3545.45
26.	उत्तर प्रदेश	100629.31	101479.94	115043.10	114990.42	112377.53	115805.74	124514.06	59885.99
27.	उत्तराखंड	5044.94	5044.94	5767.56	5395.01	5633.93	5827.08	6242.38	3121.19
28.	पश्चिम बंगाल	60717.10	60727.47	69414.01	63014.36	67805.68	67609.09	75128.55	30518.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	962.66	98.04	1100.55	77.09	1075.04	98.04	1191.15	641.00
30.	दादरा और नगर हवेली	160.40	80.20	183.37	91.69	179.12	89.56	198.46	0.00
31.	दमन और दीव	71.75	0.00	82.03	41.02	80.17	0.00	88.79	0.00
32.	लक्षद्वीप	62.21	62.21	71.12	71.12	69.47	0.00	76.98	0.00
33.	पुदुचेरी	479.48	239.74	548.16	0.00	535.46	0.00	593.28	0.00
	कुल	849470.00	863573.99	1005370.00	1013945.40	949120.00	986477.80	1051320.00	488577.44

एनआरडीडब्ल्यूपी

1025. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवंटित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और उपलब्धियों के आंकलन हेतु कोई निगरानी तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय आनलाइन आईएमआईएस के जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है। मंत्रालय ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभार के राज्य-सचिवों के सम्मेलन, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करके, वीडियों कांफ्रेसिंग आदि द्वारा कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा करके निधियों के सही उपयोग की निगरानी करता है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के तहत योजनाओं तथा क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं ताकि प्राथमिकता के आधार पर आंशिक रूप से कवर की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किया जा सके तथा आनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में बसावटों को लक्षित किया जा सके। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की भी लेखा परीक्षा की जाती है। कार्यक्रम का आवधिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाता है।

(घ) से (च) कुछ राज्य विभिन्न कारणों जैसे खरीद प्रक्रिया में विलम्ब, विभिन्न गांवों से संबंधित योजनाएं जिनको पूरा होने में 2-3 वर्ष लगने अपेक्षित हो, चुनाव की घोषणा के कारण आचार संहिता लागू होना, तैयारी संबंधी क्रियाकलापों में लगने वाला समय, कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों को रिलीज करने में विलम्ब इत्यादि के कारण कुछ वर्षों से उनको रिलीज की गई पूरी राशि को खर्च नहीं कर पाए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन, रिलीज और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10				2010-11				2011-12				2012-13			
		अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष	आवंटन	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	4.05	437.09	537.37	394.45	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	546.32	462.47	446.37	301.30	562.96	53.43	68.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.47	180.00	178.20	193.80	12.02	123.35	199.99	176.46	36.79	120.56	184.83	214.31	10.09	143.51	66.18	
3.	असम	4.85	301.60	323.50	269.34	59.32	449.64	487.48	480.55	69.94	435.58	522.44	468.61	127.51	508.02	225.92	94.28
4.	बिहार	668.94	372.21	186.11	279.36	578.10	341.46	170.73	425.91	322.92	374.98	330.02	367.30	285.65	443.27	3.47	70.23
5.	छत्तीसगढ़	27.59	116.01	128.22	104.06	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	143.57	139.06	141.12	80.82	144.80	12.96	3.46
6.	गोवा	0.00	5.64	3.32	0.50	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.20	5.01	1.16	5.91	6.07	0.03	
7.	गुजरात	92.11	482.75	482.75	511.83	70.10	542.67	609.10	527.29	180.09	478.89	571.05	467.70	327.59	536.79	265.94	211.75
8.	हरियाणा	0.00	207.89	206.89	132.35	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	210.51	237.74	344.71	43.98	245.69	90.83	0.43
9.	हिमाचल प्रदेश	8.31	138.52	182.85	160.03	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	131.47	146.03	145.97	61.94	152.04	0.00	7.30
10.	जम्मू और कश्मीर	239.56	447.74	402.51	383.49	258.66	449.22	468.91	506.52	233.69	436.21	420.42	507.07	147.04	510.75	169.79	24.29
11.	झारखंड	64.94	149.29	111.34	86.04	89.82	165.93	129.95	128.19	91.63	162.52	148.17	169.84	74.31	189.43	41.09	10.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	कर्नाटक	32.05	573.67	627.86	473.71	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	687.11	667.78	782.85	213.14	676.23	230.18	0.48
13.	केरल	1.36	152.77	151.89	150.56	4.15	144.28	159.83	137.97	27.84	144.43	113.39	126.98	16.08	168.41	82.05	0.00
14.	मध्य प्रदेश	107.42	367.66	379.66	354.30	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	371.97	292.78	379.30	35.82	436.94	202.90	30.53
15.	महाराष्ट्र	204.24	652.43	647.81	625.59	232.44	733.27	718.42	713.79	237.06	728.35	718.35	642.20	320.10	780.34	152.72	33.81
16.	मणिपुर	16.70	61.60	38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	53.39	47.60	47.03	9.29	63.72	27.33	0.10
17.	मेघालय	0.62	70.40	79.40	68.57	11.56	63.48	84.88	70.47	26.11	61.67	95.89	85.44	36.83	73.35	9.62	
18.	मिजोरम	17.43	50.40	55.26	51.11	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	39.67	38.83	54.03	9.74	41.66	15.30	
19.	नागालैंड	29.61	52.00	47.06	71.58	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	81.68	80.91	81.82	1.10	60.41	27.51	
20.	ओडिशा	25.85	187.13	226.66	198.87	61.62	204.88	294.76	211.11	148.71	206.55	171.05	239.60	84.34	238.02	51.01	16.95
21.	पंजाब	19.18	81.17	88.81	110.15	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	88.02	123.44	122.32	3.00	90.31	46.72	0.09
22.	राजस्थान	3.88	1036.46	1012.16	671.29	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1083.57	1153.76	1429.18	319.68	1333.55	458.28	2.46
23.	सिक्किम	9.92	21.60	20.60	28.94	0.59	26.24	23.20	19.27	4.78	28.10	69.19	24.49	49.71	18.03	8.38	4.05
24.	तमिलनाडु	57.24	320.43	317.95	370.44	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	330.04	429.55	287.60	240.27	293.80	132.32	149.10
25.	त्रिपुरा	18.92	62.40	77.40	77.35	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	56.20	83.86	108.39	4.01	64.13	28.64	2.17
26.	उत्तर प्रदेश	173.71	959.12	956.36	967.38	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	843.30	802.32	754.20	159.90	866.28	334.20	1.23
27.	उत्तराखंड	42.77	126.16	124.90	67.24	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	136.54	75.57	118.65	141.74	158.40	3.78	15.25
28.	पश्चिम बंगाल	69.20	372.29	394.30	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	343.60	342.51	521.41	265.96	451.18	7.95	4.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1.15	0.00	
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
32.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
34.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1.75	0.00	
35.	चंडीगढ़					0.00	0.40			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	कुल	1967.92	7986.43	7989.72	6920.26	3043.88	8550.00	8941.81	8078.18	3901.61	8330.00	8474.02	9079.65	3376.85	9260.99	2748.53	750.97

दिनांक 12.08.2012 की स्थिति के अनुसार आईएमआईएस पर दी गई जानकारी के अनुसार

[अनुवाद]

पीयूआरए स्कीम हेतु निधियों का आवंटन

1026. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री जफर अली नकवी :
श्री जोस के. मणि :
श्री प्रदीप माझी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वच्छता, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी मुख्य गतिविधियों को करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान योजना (पीयूआरए) हेतु निधियां आबंटित करने पर सहमति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार पीयूआरए के अंतर्गत आवंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पीयूआरए के अंतर्गत स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार चयनित नगर कौन से हैं;

(घ) सरकार द्वारा पीयूआरए योजना के अंतर्गत नगरों के चयन हेतु अपनाए गए मापदंड क्या हैं;

(ङ) प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है और संसाधन किस ढंग से सृजित किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा पीयूआरए स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्रालय (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियां आबंटित करने के लिए, सिद्धांत रूप में, अपनी सहमति दे दी है। पिछले तीन र्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान निधियों का आबंटन और उपयोग नीचे दर्शाया गया है। निधियों की राज्य-वार रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन	उपयोग
2009-10	30.00	शून्य
2010-11	74.00	66.20
2011-12	90.00	90.00
2012-13	150.00	शून्य (अब तक)

(ग) और (घ) पुरा दिशा-निर्देशों के प्रावधान 4 के अनुसार, पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए चुना गया प्राइवेट पार्टनर लगभग 25000-40000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत/भौगोलिक रूप से आपस में सटी हुई ग्राम पंचायतों के समूह की पहचान करेगा। प्रायोगिक चरण में प्राइवेट पार्टनर को क्षेत्र की अपनी जानकारी या बुनियादी स्तर पर काम करने के पिछले अनुभव के आधार पर पुरा परियोजनाएं शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत(तों) की पहचान और चयन करने की छूट दी जाती है। प्रायोगिक परियोजनाओं के पहले चरण में 9 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं केरल की तालिकुलम पंचायत (त्रिस्सूर जिला) और तिरूरंगाड़ी पंचायत (मलप्पुरम जिला) में 24 फरवरी, 2012 को शुरू कर दी गई हैं। शेष 7 परियोजनाएं अभी शुरू की जानी हैं और ये परियोजनाएं कृष्णा जिले (आंध्र प्रदेश), वारंगल जिले (आंध्र प्रदेश), जयपुर जिले (राजस्थान), राजसमंद जिले (राजस्थान), देहरादून जिले (उत्तराखंड) और करइकाल जिले (पुदुचेरी) के पंचायत समूहों में हैं।

(ङ) इस योजना के तहत प्रत्येक परियोजना की लागत अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के समय निश्चित की जाती है। अधिकार प्राप्त समिति ने अब तक 107.32 करोड़ रु. की लागत से तालिकुलम पंचायत (त्रिस्सूर जिला) और 128.18 करोड़ रु. की लागत से तिरूरंगाड़ी पंचायत (मलप्पुरम जिला) में दो परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरा योजना के तहत योजनाओं के लिए निधियां चार स्रोतों से प्राप्त की जा सकती हैं, जो इस प्रकार हैं: ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनिवार्य योजनाएं, अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं, पुरा के अंतर्गत निजी वित्त-पोषण और पूंजीगत अनुदान।

(च) प्राइवेट पार्टनर को निष्पादन की समुचित निगरानी और

पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना की अवधि के दौरान निष्पादन के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए ग्राम पंचायत(तों) के पूरा समूह को एक स्वतंत्र इंजीनियर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी देखरेख कार्य करते हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)

15.8.2012 तक निधियों की रिलीज की स्थिति*

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का नाम	प्राइवेट पार्टनर	2010-11	2011-12	संचयी
1.	राजस्थान	जयपुर	आईएलएंडएफएस लिमिटेड	1071	1456	2527
2.		राजसमंद		912	1240	2152
3.	उत्तराखंड	देहरादून		509	692	1201
4.	केरल	त्रिस्सूर	इन्फ्रास्ट्रक्चर केरल लिमिटेड (ईकेल)	848	1153	2001
5.		मलप्पुरम		1004	1365	2369
6.	पुदुचेरी	कराइकाल	मार्ग लिमिटेड	624	848	1472
7.	आंध्र प्रदेश	कृष्णा	एमईआईएल लिमिटेड	598	813	1411
8.		वारंगल	एसवीईसी कंस्ट्रक्शंस	1054	1433	2487
		कुल		6620	9000	15620

*संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को रिलीज की गई निधियां।

डैम और जलाशयों की निगरानी

1027. **श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत चेक डैम और स्थानीय जलाशयों के निर्माण की निगरानी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार को अकुशल शारीरिक

श्रम कार्य की मांग के आधार पर एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षख को बढ़ाना है। अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों के सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना भी है। मनरेगा की धारा 4 के तहत बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मनरेगा की अनुसूची-I जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में विभिन्न प्रकार के कार्यों की सूची दी गई है, जिन पर इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 4(1) के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से जल तथा सिंचाई, भूमि विकास, पौध रोपण, पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वच्छता, संरक्षण, बागवानी, पशुधन, जल और मृदा संरक्षण कार्य, वनरोपण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्राकृतिक संसाधन आधार को बढ़ाने संबंधी कार्य, ग्रामीण संपर्कता इत्यादि शामिल हैं। ग्राम सभा तथा वार्ड सभा की बैठकों में ग्राम पंचायतें शुरू किए जाने वाले कार्यों का वरीयता क्रम निर्धारित करती है। मनरेगा सहित मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा की व्यापक प्रणाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आपधिक प्रगति की रिपोर्टें, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्री स्तरीय निगरानीकर्त्ता और राज्य तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां शामिल हैं। मनरेगा के अंतर्गत चैक डेमों तथा स्थानीय जलाशयों के निर्माण की अलग से निगरानी नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई

1028. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य-वार ग्रामीण क्षेत्रों में हासिल सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है और इसे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक सिंचाई सुविधाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित राज्य-वार कुल सूखा प्रवण क्षेत्र कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) XIIवीं योजना हेतु बृहत, मध्यम सिंचाई एवं कमान क्षेत्र, विकास संबंधी कार्य समूह के विषय में मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में प्रारंभ विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) समेत लगभग 51 बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (XIIवीं योजना हेतु प्रत्याशित 5 परियोजनाओं समेत) हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संल्गन विवरण में दिया गया है।

(ग) XIIवीं योजना हेतु वृहत/मध्यम सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास संबंधी कार्य समूह के अनुसार वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें सूखा संभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली सिंचाई परियोजनाएं भी शामिल हैं, द्वारा लगभग 7.9 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्रस्तावित की गई है।

विवरण

एमएमआई परियोजनाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों में सृजित सिंचाई क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	आईपीसी-2007-08	आईपीसी-208-09	आईपीसी-2009-10	आईपीसी-2010-11	आईपीसी-2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0.18	0.23	0.09	0.035	0.038

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
3.	असम	0.00	0.01	0.03	0.004	0.004
4.	बिहार	0.03	0.02	0.26	0.196	0.057
5.	छत्तीसगढ़	0.02	0.01	0.01	0.012	0.002
6.	गोवा	0.01	0.00	0.00	0.001	0.000
7.	गुजरात	0.07	0.02	0.04	0.040	0.033
8.	हरियाणा	0.01	0.01	0.00	0.009	0.003
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.004	0.004
10.	झारखंड	0.00	0.01	0.01	0.034	0.001
11.	जम्मू और कश्मीर	0.01	0.00	0.00	0.009	*
12.	कर्नाटक	0.04	0.04	0.09	0.048	0.047
13.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.002	*
14.	मध्य प्रदेश	0.10	0.04	0.03	0.055	0.058
15.	महाराष्ट्र	0.18	0.09	0.18	0.066	*
16.	मणिपुर	0.01	0.00	0.00	0.004	*
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
20.	ओडिशा	0.03	0.06	0.06	0.042	*
21.	पंजाब	0.00	0.03	0.02	0.008	0.001
22.	राजस्थान	0.08	0.06	0.06	0.035	0.013
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
24.	तमिलनाडु	0.02	0.34	0.05	0.046	*

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.002	*
26.	उत्तर प्रदेश	0.05	0.05	0.19	0.002	0.024
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.013	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	0.01	0.01	0.01	0.000	*
	संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.000	*

*राज्यों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

[अनुवाद]

शौचालयों का निर्माण

1029. **श्री हेमानंद बिसवाल :**
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या ग्रामीण शौचालयों के निर्माण हेतु आवंटित निधियां विनिर्दिष्ट समय में चुनोती से निपटने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इन्हें क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश की सभी बसावटों हेतु शौचालयों के निरर्माण की चुनौती को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) सभी 607 ग्रामीण जिला परियोजनाओं के लिए निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित कुल परियोजना उद्देश्य हैं: 12.57 करोड़ व्यक्तिगत परिवारिक शौचालय (आईएचएचएल), 1375234 स्कूल शौचालयों इकाइयां, 543931 आंगनवाड़ी शौचालय तथा 33684 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी)। इन में से 9728343 आईएचएचएल, 87452 स्कूल शौचालय इकाइयां 60076 आंगनवाड़ी शौचालय तथा 8210 सीएससी महाराष्ट्र के लिए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्यों के लिए एनजीओ को शामिल करने के लिए निर्मल भारत अभियान योजना के दिशा-निर्देशों में लोचनीयता प्रदान की गई है।

(ङ) एनबीए में 2022 तक निर्मल भारत के विजन को हासिल करने का प्रयास है ताकि देश में सभी ग्राम पंचायतें निर्मल दर्जा हासिल कर सकें।

आमान परिवर्तन हेतु प्रस्ताव

1030. **श्री बालकृष्णा खांडेराव शुक्ला :**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास गुजरात और बिहार में आमान परिवर्तन हेतु प्राप्त लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(ग) अहमदाबाद-उदयपुर खंड पर आमान परिवर्तन के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इस हेतु आवंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) मंडल, क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न स्तरों पर अनुरोध प्राप्त होते हैं और एक सार-संग्रह नहीं रखा जाता। बहरहाल, बिहार राज्य में सभी मीटर/छोटी लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू कर दिया गया है। गुजरात राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाले हाल ही में प्राप्त आमान परिवर्तन प्रस्तावों का ब्यौरा और उनकी स्थिति नीचे दी गई है:–

गुजरात:

(i) **अहमदाबाद-बोटाद (170.48 कि.मी.)** : इस कार्य को 2012-13 के बजट में शामिल कर लिया गया है। प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू कर लिदए गए हैं।

(ii) **ढसा-जेतलसर (104.44 मि.मी.)** : इस कार्य को 2012-13 के बजट में शामिल कर लिया गया है। प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू कर दिए गए हैं।

(iii) **अहमदाबाद-मेहसाणा (68.48 कि.मी.)** : सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(iv) **खम्भात-खम्भात पोर्ट** : सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(v) **नडियाड भद्रान** : ऐसा कोई सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया।

(ग) और (घ) मोडासा-शामलाजी (321.73 कि.मी.) के बीच नई लाइन सहित अहमदाबाद-हिम्मतनगर उदयपुर खंड का आमान परिवर्तन शुरू कर दिया गया है। नक्शे तैयार करने, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आदि जैसे प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। मोडासा-शामलाजी और हिम्मत नगर-उदयपुर खंड के बीच नई लाइन के लिए आंशिक अनुमानक स्वीकृत कर दिए गए हैं। हिम्मतनगर-उदयपुर खंड पर मिट्टी, पुल संबंधी कार्य आदि प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। मार्च, 2012 तक 3.57 करोड़ रु. का खर्च किया गया है और वर्ष 2012-13 में इस परियोजना के एिल 35.00 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना का प्रगति प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

एनएफसीजी

1031. श्री जफर अली नकवी : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस (एनएफसीजी) के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है और एनएफसीजी के लिए इनका योगदान क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एनएफसीजी द्वारा गई गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भारत में बेहतर कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय कॉर्पोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) की स्थापना की गई है। इसके संस्थापक सदस्यों एवं उनके द्वारा दिए गए अंशदान का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं	सदस्य	अंशदान
1.	कॉर्पोरेट कार्य मत्रांलय	10 करोड़ रुपए
2.	भारतीय उद्योग संघ	03 करोड़ रुपए
3.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान	01 करोड़ रुपए
4.	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान	01 करोड़ रुपए

भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान, जिसे अब भारतीय लागत लेखाकार संस्थान कहा जाता है तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2010 में एनएफसीजी का सदस्य बनाया गया एवं प्रत्येक ने न्यास को एक करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान एनएफसीजी द्वारा दिए गए कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-10 में एनएफसीजी में तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम

क. संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालएं

क्र. सं.	आयोजक संस्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम की तिथि	स्थान
1	2	3	4	5
1.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	शासन संबंधी सिद्धांतों को व्यावहारिकता में परिवर्तित करने संबंधी क्षेत्रीय संगोष्ठियों की शृंखला	18 अप्रैल, 2009	चेन्नई
2.	एस.पी. जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च स्टडीज मुम्बई (एसपीजेआईएमआर)	मध्य सरकार के परिवार द्वारा चलाए जा रहे सूचीबद्ध कंपनियों में कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं संबंधी राउंड टेबल	27 अप्रैल, 2009	मुम्बई
3.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	वैश्विक आर्थिक मंदी तथा कॉर्पोरेट शासन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – शासन व्यावसायिकों की भूमिका	23 जून, 2009	लंदन
4.	कन्फेडेरेशन कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	माननीय कॉर्पोरेट कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद के साथ विशेष परिचर्चा एवं कॉर्पोरेट शासन विषय पर राउंड टेबल	4 जुलाई, 2009	नई दिल्ली
5.	सिमबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे	एसएमई में कॉर्पोरेट शासन	8 अगस्त, 2009	नासिक
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर (आईआईटीके)	कॉर्पोरेट शासन मानदंडों के सुमेलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	5-6 सितंबर, 2009	कोलकाता
7.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन संबंधी संगोष्ठी	6 सितंबर, 2009	इंदौर
8.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन तंत्र तथा कारोबार की नैतिकता संबंधी सम्मेलन	26 सितंबर, 2009	लखनऊ
9.	इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसेस, हैदराबाद	21वीं शताब्दी हेतु मंडल को तैयार करने संबंधी संगोष्ठी	20-21 नवंबर, 2009	हैदराबाद

1	2	3	4	5
10.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	आईएफआरएस सम्मेलन — सुचारु एवं सफल परिवर्तन की दिशा में अग्रसर	25 नवंबर, 2009	नई दिल्ली
11.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	चौथी सुस्थिरता सम्मेलन : एशिया 2009 : "सुस्थिर विश्व के लिए विजयी नीतियां"	25-26 नवंबर, 2009	नई दिल्ली
12.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	आईएफआरएस सम्मेलन — क्या हम तैयार है?	28 नवंबर, 2009	कोलकाता
13.	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएफआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	28 नवंबर, 2009	कोयम्बटूर
14.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	मीडिया लांच — कॉर्पोरेट शासन के संबंध में सीआईआई कार्य दल की रिपोर्ट	30 नवंबर, 2009	नई दिल्ली
15.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सीएसआर सम्मेलन 2009: कारोबार संबंधी उभरता प्रारुप: समाज को सम्मिलित करना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना	3 दिसंबर, 2009	कोलकाता
16.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ 'अनुपालन के परे - अच्छे शासन हेतु प्रथाओं को बढ़ावा देना' विषय पर ब्रेकफास्ट सेशन	14 दिसंबर, 2009	कोलकाता
17.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी सीआईआई रिपोर्ट — स्वैच्छिक ग्राह्यता हेतु अनुशंसाएं: सीआईआई कॉर्पोरेट शासन कोड संबंधी चर्चा	15 दिसंबर, 2009	नई दिल्ली
18.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सीएफओ मंच: 'कॉर्पोरेट शासन — नई अनिवार्य नीति'	16 दिसंबर, 2009	अहमदाबाद
19.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	सुस्थिर लेखाकारिता एवं रिपोर्टिंग संबंधी सम्मेलन	16 दिसंबर, 2009	कोच्ची
20.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी 5वां सम्मेलन	18 दिसंबर, 2009	मुम्बई
21.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	समिति देयता भागीदारी संबंधी सम्मेलन	19 दिसंबर, 2009	नई दिल्ली

1	2	3	4	5
22.	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएफआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	19 दिसंबर, 2009	भुवनेश्वर
23.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वोत्तम कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं पर ब्रेकफास्ट सेशन	19 दिसंबर, 2009	बेंगलूरु
24.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	सीमित देयता भागीदारी संबंधी सम्मेलन	20 दिसंबर, 2009	भुवनेश्वर
25.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	सीमित देयता भागीदारी संबंधी सम्मेलन	20 दिसंबर, 2009	जयपुर
26.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)	भारत कॉर्पोरेट सप्ताह 2009 कार्यक्रमों का समापन	21 दिसंबर, 2009	नई दिल्ली
27.	भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन	20 फरवरी, 2010	इंदौर
28.	लोयोला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एआईबीए)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन: आगे की दिशा	20 फरवरी, 2010	चेन्नई
29.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी	कॉर्पोरेट शासन तथा स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका संबंधी राष्ट्रीय सम्मेमलन	10 मार्च, 2010	नागपुर
30.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सीएसआर संबंधी सम्मेलन – जागरुकता से नेतृत्व की ओर: सीएसआर को एक कार्यकारी कारोबार बनाना	20 मार्च, 2010	चेन्नई
31.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	समग्रता एवं उत्तरदायित्व संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन – इंडिया इंक पर अगला चेहरा	24 मार्च, 2010	नई दिल्ली
32.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	सीमित देयता भागीदारी संबंधी सम्मेलन	27 मार्च, 2010	वड़ोदरा
33.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	राष्ट्रीय सम्मेलन – कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन तथा सम्यक तत्परता	27 मार्च, 2010	नई दिल्ली
34.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	सीमित देयता भागीदारी संबंधी सम्मेलन	28 मार्च, 2010	पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5
ख.	**संकाय अनुकूलन कार्यक्रम**			
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलूरु (आईआईएमबी)	कॉर्पोरेट शासन एवं उत्तरदायित्व संबंधी संकाय विकास कार्यक्रम	25-30 मई, 2009	बेंगलूरु
ग.	**भाषण प्रतियोगिता/मूट कोर्ट प्रतियोगिता**			
1.	एनएएलएसएआर यूनीवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (एनएएलएसएआर)	कॉर्पोरेट शासन से संबंधित समस्याओं पर राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता	10-12 मई, 2009	हैदराबाद
2.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलूरु (एनएलएसआईयू)	भाषण प्रतियोगिता	विजेता की घोषणा मार्च, 2010 में की गई	बेंगलूरु

वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कॉर्पोरेट शासन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम

क. सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालएं

क्र.सं.	आयोजक संस्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम की तिथि	स्थान
1	2	3	4	5
1.	एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मुंबई	प्रशिक्षण कार्यक्रम: कॉर्पोरेट शासन पर उन्नत प्रमाणीकरण कार्यक्रम	17, 18 अप्रैल, 2010	मुंबई
2.	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद (एएफसीआई)	कर्नाटक के लोक उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन सुधारों संबंधी सेमिनार	11 मई, 2010	हैदराबाद
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	'प्लैनेट, पीपल, प्राफेट: द इंटरनेशनल पैराडाइम फॉर कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	27 मई, 2010	स्विटजरलैंड
4.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व पर राष्ट्रीय सम्मेलन-भागीदारी को पुनर्भाषित करना	19, 20 अगस्त, 2010	नई दिल्ली
5.	इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स, कोलकाता	कॉर्पोरेट शासन संबंधी सम्मेलन-हार्नेसिंग द पावर ऑफ एथिक्स	3 सितंबर, 2010	कोलकाता
6.	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ओडिशा	निवेशक दिवस समारोह	28 अगस्त, 2010	भुवनेश्वर

11	2	3	4	5
7.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल	सीएसआर इंडिया-कानक्लेव 2010	23 अक्तूबर, 2010	भोपाल
8.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर सेमिनार	28 नवंबर, 2010	भोपाल
9.	कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	5वां सस्टेनिबिलिटी: एशिया 2010: रिमॉडलिंग ग्रोथ	30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2010	नई दिल्ली
10.	सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे (एसआईएमएस)	एसएमई में कॉर्पोरेट शासन संबंधी सेमिनार	11 दिसंबर, 2010	पुणे
11.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी सेमिनार	11 दिसंबर, 2010	चंडीगढ़
12.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर सेमिनार	12 दिसंबर, 2010	चंडीगढ़
13.	भारतीय उद्योग इंडस्ट्री (सीआईआई)	कॉर्पोरेट शासन पर श्री दीपक पारेख के साथ ब्रेक-फास्ट सेशन	13 दिसंबर, 2010	मुंबई
14.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	भारतीय कॉर्पोरेट सप्ताह 2010 का उद्घाटन-सुस्थिर व्यापार	14 दिसंबर, 2010	नई दिल्ली
15.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन एवं अनुसचिवीय लेखा परीक्षा	14 दिसंबर, 2010	हैदराबाद
16.	भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई)	कॉर्पोरेट शासन सम्मेलन-अंतर्राष्ट्रीय स्तर	17 दिसंबर, 2010	मुंबई
17.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	कॉर्पोरेट शासन पर सेमिनार	17 दिसंबर, 2010	बेंगलूरु
18.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	स्वैच्छिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व दिशा-निर्देशों पर सेमिनार-सुस्थिर व्यापार के लिए अनिवार्य	18 दिसंबर, 2010	नई दिल्ली
19.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	स्वैच्छिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व दिशा-निर्देशों पर कार्यक्रम	18 दिसंबर, 2010	मुंबई

1	2	3	4	5
20.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	स्वैच्छिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व दिशा-निर्देशों पर कार्यक्रम	18 दिसंबर, 2010	अहमदाबाद
21.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन एवं अनुसचिवीय लेखा परीक्षा पर कार्यक्रम	18 दिसंबर, 2010	बेंगलूरु
22.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर सेमिनार	18 दिसंबर, 2010	त्रिवेन्द्रम
23.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	सुस्थिर लेखांकन एवं रिपोर्टिंग पर कार्यक्रम	19 दिसंबर, 2010	भुबनेश्वर
24.	अन्नामलई यूनीवर्सिटी, तमिलनाडु	कॉर्पोरेट शासन जागरुकता शिविर 2010	20-21 दिसंबर, 2010	अन्नामलई नगर, तमिलनाडु
25.	इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्रोजेज, हैदराबाद (आईपीई)	बोर्ड के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम	20-21 जनवरी, 2010	हैदराबाद
26.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	श्री राहुल बजाज के साथ कॉर्पोरेट शासन संबंधी जागरुकता सत्र	1 फरवरी, 2011	मुम्बई
27.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी सेमिनार	6 फरवरी, 2011	भोपाल
28.	एनएफसीजी	इंटरेक्टिव सेशन विद कॉर्पोरेट इंडिया: एमसीए की पहल: कंपनी विधेयक और आईएफआरएस	17 फरवरी, 2011	नई दिल्ली
29.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	कॉर्पोरेट शासन पर श्री मुत्तुरमन के साथ ब्रेकफास्ट सेशन	21 फरवरी, 2011	मुंबई
30.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर सेमिनार	5 मार्च, 2011	बैंलगूरु
31.	इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्रोजेज, हैदराबाद (आईपीई)	बोर्ड के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम	7-8 मार्च, 2011	हैदराबाद
32.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजिकल, अलवर	अच्छे शासन और कॉर्पोरेट शान पर जागरुकता कार्यशाला-1 माड्यूल	7-11 मार्च, 2011	अलवर

1	2	3	4	5
33.	इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट अनुपालन प्रबंधन एवं अनुसचिवीय लेखा परीक्षा पर कार्यक्रम	8 मार्च, 2011	जयपुर
34.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर सेमिनार	13 मार्च, 2010	सेलम
35.	इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंट ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई)	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर सेमिनार	13 मार्च, 2010	इलाहाबाद
36.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सीएफओ फोरम 2011: कॉर्पोरेट शासन-बेहतर शासन के लिए चुनौतियां और विधान	28 मार्च, 2010	अहमदाबाद
37.	इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई)	स्वैच्छिक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व दिशा-निर्देशों पर कार्यक्रम	31 मार्च, 2010	चेन्नई
ख.	**फैकल्टी ओरिएंटेशन कार्यक्रम**			
1.	नरसी मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई	फैकल्टी के लिए कॉर्पोरेट शासन संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम	01 मार्च, 2011	मुंबई
ग.	**डिक्लेमेशन कांटेस्ट/मूट कोर्ट कंपिटीशन**			
1.	नल्सार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद	कॉर्पोरेट शासन संबंधी मूट कोर्ट कंपिटीशन	16-18 अप्रैल, 2010	हैदराबाद
2.	सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पुणे (एसआईएमएस)	डिक्लेमेशन कांटेस्ट-कॉर्पोरेशन शासन में नीतियां और मूल्य	26 फरवरी, 2011	पुणे

घ. राष्ट्रीय कॉर्पोरेट शासन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में पूरे किए गए अनुसंधान कार्य

क्र. सं.	आयोजक संस्थान	विषय	स्थिति
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड्गपुर (आईआईटीके)	एसएमई के लिए कॉर्पोरेट शासन मानक	जून, 2010 में प्रस्तुत

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय कॉर्पोरेट शासन प्रतिष्ठान के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम

क. निदेशक ओरिएंटेशन कार्यक्रम

क्र.सं.	आयोजक संस्थान	कार्यक्रम	कार्यक्रम की तिथि	स्थान
1	2	3	4	5
1.	डन एंड ब्रांडस्ट्रीट इन्फार्मेशन सर्विसेस इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली	कॉरपोरेट शासन-निदेशकों के लिए प्रशिक्षण	8-9 अप्रैल, 2011	मुंबई
2.	एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नई दिल्ली	निदेशक ओरिएंटेशन कार्यक्रम	13-14 मार्च, 2012	नई दिल्ली

ख. सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं

1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलूरु (आईआईएमबी)	भारत में कॉरपोरेट बोर्ड अंतःसंबंध और अच्छे शासन के लिए उनके महत्व संबंधी अनुसंधान रिपोर्ट पर परस्पर बातचीत सत्र	6 अप्रैल, 2011	बेंगलूरु
2.	नेशनल ला यूनिवर्सिटी, जोधपुर	स्वतंत्र निदेशकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन	8-9 अप्रैल, 2011	जोधपुर
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, अलवर	अच्छे शासन और कॉर्पोरेट शासन पर जागरुकता कार्यशाला	23-27 मई, 2011	अलवर
4.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, अलवर	अच्छे शासन और कॉर्पोरेट शासन पर जागरुकता कार्यशाला	20-24 जून, 2011	अलवर
5.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	पावर ब्रेकफास्ट-कॉर्पोरेट शासन और सत्यनिष्ठा	8 अगस्त, 2011	नई दिल्ली
6.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट शासन कान्क्लेव-सुस्थिरता का कॉर्पोरेट डीएनए और सत्यनिष्ठा में एकीकरण	12 अगस्त, 2011	नई दिल्ली
7.	कन्फेडेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	राष्ट्रीय सीएसआर-सीएसओ ब्रिज 2011-समावेशी भागीदारिता के द्वारा विकास की गाथा को आगे बढ़ाना	29 अगस्त, 2011	नई दिल्ली
8.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सातवां अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट शासन सम्मेलन 2011	13 सितंबर, 2011	मुम्बई

1	2	3	4	5
9.	इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता	कॉर्पोरेट शासन संबंधी सम्मेलन	17 अक्तूबर, 2011	कोलकाता
10.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल (आईआईएफएम)	सीएसआर भारत निर्वाचिका सभा 2011	5 नवंबर, 2011	भोपाल
11.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	समेकित रिपोर्टिंग, शासन एवं सुस्थिरता संबंधी छवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-वैश्विक परिदृश्य	25 नवंबर, 2011	सिडनी, आस्ट्रेलिया
12.	कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	सुस्थिरता समाधान: सम्मेलन एवं प्रदर्शनी	25-26 नवंबर, 2011	नई दिल्ली
13.	सिमबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे (एसआईएमएस)	एसएमई में कॉर्पोरेट शासन तथा कारोबार की नैतिकता संबंधी सम्मेलन	10 दिसंबर, 2011	पुणे
14.	कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी जागरुकता सत्र: शासन को कार्य निष्पादन के साथ जोड़ना	17 जनवरी, 2012	अहमदाबाद
15.	कंफेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	निवेशक जागरुकता संबंधी कॉर्पोरेट शासन सत्र-कॉर्पोरेट विकास की कुंजी	25 फरवरी, 2012	जमशेदपुर
16.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई)	कॉर्पोरेट शासन एवं जोखिम प्रबंधन	24 मार्च, 2012	चंडीगढ़
17.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलूरु (आईआईएमबी)	भारत में कॉर्पोरेट शासन विषय पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला	27-28 मार्च, 2012	बेंगलूरु
18.	श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली	कॉर्पोरेट शासन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: आगे का मार्क	27-28 मार्च, 2012	नई दिल्ली
ग.	**भाषण प्रतियोगिता/मूट कोर्ट प्रतियोगिता**			
1.	एनएएलएसएआर यूनीवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (एनएएलएसएआर)	कॉर्पोरेट शासन संबंधी मुद्दों पर तीसरी मूट कोर्ट प्रतियोगिता	8-10 अप्रैल, 2011	हैदराबाद
2.	सिमबायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे (एसआईएमएस)	राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता — कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका: सभी कानूनी तथा आर्थिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में शामिल विभिन्न हितधारकों के सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु कारोबार द्वारा वचनबद्धता	मार्च, 2012	पुणे

घ. एनएफसीजी के तत्वावधान में पूरे किए गए अनुसंधान कार्य

क्र.सं.	आयोजक संस्थान	विषय	स्थिति
1.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलूरु	भारत में बोर्ड के मतभेद एवं कॉर्पोरेट शासन पर उसका प्रभाव: भारतीय अनुभव	जून, 2011 में प्रस्तुत
2.	कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)	तिगुनी निचली रेखा एवं कॉर्पोरेट शासन	दिसंबर, 2011 में प्रस्तुत
3.	एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, मुम्बई	कॉर्पोरेट शासन प्रथाएं तथा भारत में चयनित परिवारों द्वारा चलाए जा रहे मध्यम आकार की सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय कार्य निष्पादन	मार्च, 2012 में प्रस्तुत
4.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शिलांग	कॉर्पोरेट शासन एवं कंपनी कार्य निष्पादन भारत में निर्माण फर्मों के संदर्भ में एक अध्ययन	मार्च, 2012 में प्रस्तुत

[हिन्दी]

दिल्ली एनसीआर में टिकट काउंटर

1032. **श्री राधा मोहन सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अनेक छोटे रेलवे स्टेशनों पर रेलों के आगमन के समय पर ही टिकट खिड़की काउंटर खेले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विवेक विहार रेलवे स्टेशन पर जलापूर्ति की अपर्याप्त सुविधा है और रेलों के आगमन से दो घंटे पूर्व टिकट खिड़की काउंटर नहीं खोले जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल मंडल अधिकारियों ने इस संबंध में कोई जांच आयोजित की है; और

(ङ) लोक हितों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेलवे यात्रियों की टिकटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एनसीआर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों सहित अन्य स्टेशनों पर टिकटिंग विंडो मुहैया कराती है।

नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, अपेक्षाकृत छोटे स्टेशनों, जहां यात्री यातायात लंबे समय तक बुकिंग विंडो को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर बुकिंग विंडो गाड़ियों के निर्धारित आगमन समय से कम से कम आधे घंटे पहले खोल दी जाती हैं।

(ग) विवेक विहार में प्लेटफार्म संख्या 1 पर 6 और प्लेटफार्म संख्या 2 पर 8 वॉटर बूथों को मिलाकर कल 14 वॉटर बूथ मुहैया कराए गए हैं। अत: विवेक विहार में वॉटर सप्लाई की व्यवस्था पर्याप्त है। बहरहाल, इस क्षेत्र में जलस्तर के अप्रत्याशित रूप से नीचे चले जाने के कारण इस स्टेशन पर वॉटर सप्लाई में समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसके चलते जल की सप्लाई करने वाला ट्यूबवैल फेल हो गया था। फिलहाल नई बोरिंग कर ली गई है और सभी वॉटर बूथों के लिए वॉटर सप्लाई सामान्य हो गई है।

टिकट विंडों के संबंध में उल्लेखनीय है कि विवेक विहार स्टेशन पर चौबीसों घंटे खुली रहने वाली बुकिंग सुविधा उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) वॉटर सप्लाई को पुनर्बहाल करने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी और सुधारक कदम तत्काल उठाए

गए थे। वॉटर सप्लाई भी शीघ्रता से पुनर्बहाल कर दी गई थी। अत: कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल/एटीएफ की खुदरा कीमत

1033. श्री मनोहर तिरकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के मेट्रो शहरों में पेट्रोल, डीजल और एवियेशन टूबाईन ईंधन (एटीएफ) की खुदरा कीमत कितनी है और इनकी औसत उत्पादन लागत कितनी है और इन पर क्या और कितना कर, शुल्क, उपकर और अधिभार आदि लगता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : 01.08.2012 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) और विमानन टरबाईन ईंधन (एटीएफ) का अंतिम बिक्री मूल्य नीचे दिया गया है:—

01.08.2012 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में पेट्रोल और डीजल का आरएसपी तथा एटीएफ का एफएसपी

शहर	पेट्रोल* (रु./लीटर)	डीजल* (रु./लीटर)	एटीएफ* (रु./किलो लीटर)
दिल्ली	68.46	41.32	65005.59
मुंबई	75.14	46.25	65884.34
चेन्नै	72.19	43.91	69980.41
कोलकाता	76.14	44.76	73374.82

*आईओसीएल के अनुसार।

जहां तक उत्पादन की औसत लागत का संबंध है, कच्चे तेल का परिशोधन एक प्रक्रम उद्योग है, जिसमें कुल लागत का लगभग 90% घटक कच्चे तेल का होता है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण कई प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। इनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद श्रेणियों का उत्पादन करती है, जिसके लिए पुन:प्रसंस्करण तथा सम्मिश्रण अपेक्षित होता है। इस प्रकार, अलग-अलग परिशोधित उत्पादों में से, उत्पाद-वार लागतों को अलग से बता पाना मुश्किल है।

दिनांक 01.08.2012 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल (दिल्ली में) तथा घरेलू एटीएफ की मूल्य संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिल्ली में दिनांक 01.08.2012 से प्रभावी पेट्रोल और डीजल की मूल्य संरचना

(रु./लीटर)

विवरण	पेट्रोल^	डीजल
रिफाइनरी को प्रदत्त मूल्य (आरजीपी)	40.35	43.43
अन्य लागत तत्व*	3.76	3.05
उत्पाद शुल्क	14.78	2.06
डीजल पर प्रदूषण उप कर सहित वैट**	10.94	4.84
योग	69.83	53.38
घटाएं: ओएमसीज को होने वाली अल्प-वसूली	1.37	12.06
मौजूदा खुदरा बिक्री मूल्य	68.46	41.32

^आईओसी के अनुसार, क्योंकि पेट्रोल एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है।

*डीजल कमीशन, भाड़ा, विपणन लागतों तथा मार्जिन आदि सहित अन्य लागत तत्व।

**दिल्ली वैट।

आईओसीएल के अनुसार दिनांक 01.08.2012 से प्रभावी घरेलू एटीएफ की मूल्य संरचना

(रु./किलो लीटर)

विवरण	मूल्य संरचना में तत्व			
	दिल्ली (ट-3)	कोलकाता	मुंबई	चेन्नै
1	2	3	4	5
मूल कीमत	45410.00	45320.00	44930.00	45170.00
भाड़ा और लागतें	4637.41	8911.21	3765.00	4948.61

1	2	3	4	5
उत्पाद शुल्क और उप कर	4123.91	4468.65	4012.47	4129.77
बिक्री कर	10834.27	14674.96	13176.87	15732.03
अंतिम बिक्री मूल्य (रु./किलो लीटर)	65005.59	73374.82	65884.34	69980.41
एटीएफ पार लागू शूल्कों और करों की दरें				
उत्पाद शुल्क और उप कर (%)	8.24	8.24	8.24	8.24
बिक्री कर (%)	20.00	25.00	25.00	29.00

अल्पसंख्यक विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु लक्षित राशि

1034. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु लक्षित राशियों को अलग रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वार्षिक रूप से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें वर्ष के लिए आवधिक ऋण, लघु ऋण इत्यादि के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 2012-13 के लिए 82408 अल्पसंख्यक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) अथवा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए निधियों का विनिर्धारण नहीं किया जाता है।

भूजल का पुनर्भरण

1035. **श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को शुल्क जल संसाधनों के पुनर्भरण सहित जल संरक्षण और प्रबंधन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न राज्यों में भूजल स्रोतों के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु अनुमोदित केंद्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लंबित होने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) बृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) के रूप में जल संरक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और आरआरआर के राज्य-वार प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) XIवीं योजना के दौरान प्राप्त तथा पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। वर्तमान वर्ष में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है क्योंकि XIवीं योजना के बाद प्रदर्शनात्मक परियोजना की स्कीम बंद कर दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकार ने कोई अलग से निधि आबंटित नहीं की थी। तथापि, XIवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें से 7 करोड़ रुपए पहले दो वर्षों में मंजूर किए गए थे तथा 92.87 करोड़ रुपए पिछले तीन वर्षों में मंजूर किए गए थे। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जो परियोजनाएं XIवीं योजना के दौरान अनुमोदित नहीं की जा सकीं उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। परियोजनाएं इसलिए अनुमोदित नहीं की जा सकीं क्योंकि XIवीं योजना के दौरान प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए में से 99.88 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी थीं।

विवरण-I

जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकार की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	बैठक सं.	बैठक की तारीख	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	बृहत/मध्यम	अनुमानित लागत, करोड़ रु.	हैक्टेयर में लाभ	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	95वीं	20.01.2009	कोसी बैराज के पुनरुद्धार कार्य का प्रस्ताव	बिहार	बृहत	86.65		16.03.2009
2.	95वीं	20.01.2009	केलो सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	बृहत	606.91	22810	20.02.2009
3.	95वीं	20.01.2009	इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना	आंध्र प्रदेश	बृहत	10151.04	436000	
4.	95वीं	20.01.2009	उतावली मध्यम सिंचाई परियोजना, (संशोधित लागत)	महाराष्ट्र	मध्यम	109.64	5394	21.07.2009
5.	95वीं	20.01.2009	निचली पंजारा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	34.73	7585	01.04.2009
6.	95वीं	20.01.2009	नदुर मधमेश्वर सिंचाई परियोजना (संशोधित लागत)	महाराष्ट्र	बृहत	941.33	45124	17.04.2009
7.	95वीं	20.01.2009	कमानी टाडा मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	78.49	4750	01.04.2009
8.	95वीं	20.01.2009	होशियारपुर से बालाचौर तक कांडी नहर का विस्तार (आरडी 59.50 से 13.00 कि.मी.) चरण-II (संशोधित अनुमान)	पंजाब	बृहत	346.62	23326	12.04.2010
9.	95वीं	20.01.2009	तीस्ता बैराज-फेज-I के चरण-I के उपचरण-I (संशोधित)	पश्चिम बंगाल	बृहत	2988.61	527000	
10.	97वीं	27.03.2009	पुनाद सिंचाई परियोजना (संशोधित अनुमान)	महाराष्ट्र	बृहत	157.78	10,846	22.05.2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	97वीं	27.03.2009	राजीव भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम (संशोधित अनुमान)	आंध्र प्रदेश	बृहत	1969	82151	
12.	97वीं	27.03.2009	मालमपुझा सिंचाई परियोजना (ईआरएम)	केरल	बृहत	11.08	45108 स्थिरीकरण- 1,926	05.01.2010
13.	97वीं	27.03.2009	चित्तूरपुझा सिंचाई परियोजना (ईआरएम)	केरल	बृहत	34.57	33880 स्थिरीकरण- 4,964	10.03.2010
14.	97वीं	27.03.2009	शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता का पुनरुद्धार (ईआरएम)	उत्तर प्रदेश	बृहत	319.23	1750000 स्थिरीकरण- 7,90,000	20.08.2009
15.	98वीं	09.07.2009	मिनीमाता (हसंदेव) बर्गा बहुउद्देशीय स्कीम (संशोधित)	छत्तीसगढ़	बृहत	1660.88	433000	07.12.2010 XIवीं योजना में पूर्ण
16.	98वीं	09.07.2009	भीमा समुद्र टैंक (नई) का नवीकरण एवं पुनरुद्धार	कर्नाटक	मध्यम	9.375	2530	
17.	98वीं	09.07.2009	पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	488.08	36758	18.09.2009
18.	98वीं	09.07.2009	डोंगरगांव टैंक परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	मध्यम	67.039	3942	16.09.2009 XIवीं योजना में पूर्ण
19.	98वीं	09.07.2009	कृष्णा-कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम (नई)	महाराष्ट्र	बृहत	2224.76	121256	13.10.2009
20.	98वीं	09.07.2009	कानपुर बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	ओडिशा	बृहत	1067.51	47709	2.12.2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	98वीं	09.07.2009	ऊपरी इद्रावती सिंचाई परियोजना (संशोधित)	ओडिशा	बृहत	564.77	41794	24.02.2010
22.	98वीं	09.07.2009	निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	ओडिशा	बृहत	1182.23	38870	02.12.2009
23.	98वीं	09.07.2009	सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	ओडिशा	बृहत	4049.93	187462	05.02.2010
24.	98वीं	09.07.2009	आरडी 179000 से 496000 तक राजस्थान फीडर का सरेखण-ईआरएम	पंजाब	बृहत	952.1	93117	23.11.2009
25.	98वीं	09.07.2009	आरडी 119700 से 447927 तक सरहिंद फीडर नहर का सरेखण-ईआरएम	पंजाब	बृहत	489.165	34548	23.11.2009
26.	98वीं	09.07.2009	पूर्वी गंगा नहर परियोजना (संशोधित)	उत्तर प्रदेश	बृहत	892.44	105000	22.01.2010 XIवीं योजना में पूर्ण
27.	99वीं	24.08.2009	पुलिचिताला बांध परियोजना समेत कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण स्कीम (नई)	आंध्र प्रदेश	बृहत	3684.5 (2411.25 1273.25)	575000	25.02.2010
28.	99वीं	24.08.2009	कोसारटेडा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	छत्तीसगढ़	मध्यम	154.65	11120	10.05.2010 XIवीं योजना में पूर्ण
29.	99वीं	24.08.2009	गडोरीनाला सिंचाई परियोजना (संशोधित)	कर्नाटक	मध्यम	240	11655	26.11.2009 XIवीं योजना में पूर्ण
30.	99वीं	24.08.2009	इंदिरासागर बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	3182.77	16900/ 1000 मे.वा.	14.06.2010
31.	99वीं	24.08.2009	ओमकेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	2504.8	283324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	99वीं	24.08.2009	माही सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	490.39	26429	20.09.2011 XIवीं योजना में पूर्ण
33.	99वीं	24.08.2009	ऊपरी बेदा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	मध्यम	224.41	13400	
34.	99वीं	24.08.2009	गुल नदी परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	मध्यम	96.62	3025	29.01.2010
35.	99वीं	24.08.2009	शाहपुरकांडी बांध परियोजना (संशोधित)	पंजाब	बृहत	2285.81 (सिंचाई 653.97)	37173/ 168 मे.वा.	08.02.2010
36.	99वीं	24.08.2009	लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण (संशोधित)	उत्तर प्रदेश	बृहत	299.36	46485	23.11.2009
37.	100वीं	09.10.2009	ऊपरी शंख जलाशय स्कीम (संशोधित)	झारखंड	मध्यम	141.19	7,069	11.06.2010 XIवीं योजना में पूर्ण
38.	100वीं	09.10.2009	पंचखेरो जलाशय स्कीम (संशोधित)	झारखंड	मध्यम	75.69	2,601	06.07.2010 XIवीं योजना में पूर्ण
39.	100वीं	09.10.2009	सुरंगी जलाशय स्कीम (संशोधित)	झारखंड	मध्यम	41.17	2,601	मूल रूप से 01.03.1982 को अनुमोदित, XIवीं योजना में पूर्ण
40.	100वीं	09.10.2009	घटप्रभा चरण-III परियोजना (संशोधित)	कर्नाटक	बृहत	1210.51	177,822	15.12.2009 XIवीं योजना में पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	100वीं	09.10.2009	मलप्रभा परियोजना (संशोधित)	कर्नाटक	बृहत	1383.48	196,132	XIवीं योजना में पूर्ण
42.	100वीं	09.10.2009	भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (नई)	कर्नाटक	बृहत	551.93 (पीएल-2008-09)	24,292	15.12.2009
43.	100वीं	09.10.2009	करंजा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	कर्नाटक	बृहत	532	44,574	15.12.2009
44.	100वीं	09 10.2009	ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-I (संशोधित)	कर्नाटक	बृहत	6891.59	459,000	22.01.2010
45.	100वीं	09.10.2009	ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-II (संशोधित)	कर्नाटक	बृहत	3959.8	227,000	22.01.2010
46.	100वीं	09.10.2009	गुड्डाडा मल्लापुआ लिफ्ट सिंचाई स्कीम (नई)	कर्नाटक	मध्यम	115.4	5,261	15.12.2009
47.	100वीं	09.10.2009	बारगी डाइवर्जन परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	5127.22	377,000	17.12.2009
48.	100वीं	09.10.2009	सागर मध्यम सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	239.99	17,061	12.04.2010
49.	100वीं	09.10.2009	दोलाईथाबी बैराज परियोजना (नई)	मणिपुर	मध्यम	215.52	7,545	01.01.2010 XIवीं योजना में पूर्ण
50.	100वीं	09.10.2009	खुगा सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मणिपुर	मध्यम	381.28	14,755	12.04.2010
51.	100वीं	09.10.2009	गुमती सिंचाई परियोजना (संशोधित)	त्रिपुरा	मध्यम	83.01	9,800	25.03.2010
52.	100वीं	09.10.2009	मनु सिंचाई परियोजना (संशोधित)	त्रिपुरा	मध्यम	98.71	7,600	25.03.2010
53.	100वीं	09.10.2009	खोबाई सिंचाई परियोजना (संशोधित)	त्रिपुरा	मध्यम	91.64	9,320	25.03.2010
54.	100वीं	09.10.2009	अर्जुन सहायक परियोजना (नई)	उत्तर प्रदेश	बृहत	806.5	149,764	23.11.2009
55.	101वीं	30.11.2009	नेपाल लाभ स्कीम-2009 गडक परियोजना (नई)	बिहार	बृहत	171.84	69,600	21.06.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	101वीं	30.11.2009	बताने जलाशय परियोजना (संशोधित)	बिहार	बृहत	113.81	12,126	12.05.2010
57.	101वीं	30.11.2009	पुनपुन बैराज परियोजना (संशोधित)	बिहार	बृहत	658.12	13,680	10.03.2010
58.	101वीं	30.11.2009	रणवीर नहर परियोजना का आधुनिकीकरण (संशोधित)	जम्मू और कश्मीर	बृहत	176.89	55,418	06.05.2010
59.	101वीं	30.11.2009	बरियारपुर बाया किनारा नहर परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	477.26	43,850	11.03.2010 XIवीं योजना में पूण
60.	101वीं	30.11.2009	बाणसागर नहर परियोजना यूनिट-II (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	2143.65	249,359	25.02.2010
61.	101वीं	30.11.2009	सिंध नदी परियोजना-II (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	2045.74	162,100	25.03.2010
62.	101वीं	30.11.2009	सिंहपुर सिंचाई परियोजना (नई)	मध्य प्रदेश	मध्यम	200.52	6,000	25.03.2010
63.	101वीं	30.11.2009	बाह सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	मध्यम	250.33	17,807	25.03.2010
64.	101वीं	30.11.2009	धोम बालकवाडी सुंरग परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	848.89	12,670	09.02.2010
65.	101वीं	30.11.2009	तिल्लारी सिंचाई परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र एवं गोवा, संयुक्त उद्यम	बृहत	1612.15	30,733	23.02.2010
66.	101वीं	30.11.2009	थोबल बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	मणिपुर	बृहत	982	33,449	13.04.2010
67.	101वीं	30.11.2009	निचली सुकतेल सिंचाई परियोजना (संशोधित)	ओडिशा	बृहत	1041.81	29,845	16.03.2010
68.	101वीं	30.11.2009	तेलनगिरी सिंचाई परियोजना (संशोधित)	ओडिशा	मध्यम	474.05	13,789	10.03.2010
69.	101वीं	30.11.2009	तटको सिंचाई परियोजना (संशोधित)	पश्चिम बंगाल	मध्यम	19.76	2,494	XIवीं योजना की देनदारियों में पूण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	101वीं	30.11.2009	पतलोई सिंचाई परियोजना (संशोधित)	पश्चिम बंगाल	मध्यम	17.28	2,158	15.07.2011 XIवीं योजना में पूण
71.	102वीं	28.01.2010	बाणसागर बांध (यूनिट-I) परियोजना, मध्य प्रदेश (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	1582.94	493,000	
72.	102वीं	28.01.2010	खड़कपूर्णा, महाराष्ट्र (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	917.95	24,864	19.01.2012
73.	102वीं	28.01.2010	तराली सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	870.9	19,498	11.03.2010
74.	102वीं	28.01.2010	ऊपरी पेनगंगा परियोजना, महाराष्ट्र (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	3038.42	116,728	12.04.2010
75.	102वीं	28.01.2010	निचली दुधना सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र, (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	1349.5	44,482	24.02.2010
76.	102वीं	28.01.2010	उमरहट पंप नहर चरण-II (नई-ईआरएम)	उत्तर प्रदेश	बृहत	73.69	49948 (पुनरुद्धार) 19,820	मूल रूप से 17.02.1977 को अनुमोदित
77.	103वीं	11.03.2010	चंपामती (बैराज) सिंचाई परियोजना (संशोधित)	असम	बृहत	309.22	24,994	मूल रूप से 29.4.1980 को अनुमोदित
78.	103वीं	11.03.2010	सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना (संशोधित)	गुजरात	बृहत	39240.45 (2008-09 पीएल)	1,792,000	20.05.2010
79.	103वीं	11.03.2010	भूमि जल पुनर्भरण के लिए नालियों की पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण (ईआरएम)	हरियाणा	बृहत	67.28	159311 (पुनरुद्धार 28822)	03.06.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.	103वीं	11.03.2010	चद्रमपल्ली परियोजना का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	कर्नाटक	मध्यम	14.93	8446 (पुनरुद्धार 193 हैक्टेयर)	
81.	103वीं	11.03.2010	हत्तीकुनी परियोजना का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	कर्नाटक	मध्यम	6.75	2145 (पुनरुद्धार 956 हैक्टेयर)	
82.	103वीं	11.03.2010	ऊपरी मुल्लामारी परियोजना का आधुनिकीकरण (संशोधित)	कर्नाटक	मध्यम	8.21	3279 (पुनरुद्धार 1500 हैक्टेयर)	
83.	103वीं	11.03.2010	महान (गुलाबसागर) सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	बृहत	486.96	19,740	25.03.2011
84.	103वीं	11.03.2010	जोबट मध्यम सिंचाई परियोजना (संशोधित)	मध्य प्रदेश	मध्यम	230.61	12,507	02.08.2010
85.	103वीं	11.03.2010	घुंगसी मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	170.15	6,660	12.04.2010
86.	103वीं	11.03.2010	सतलज नदी से पोषित होने वाली नहर का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण ईआरएम	पंजाब	बृहत	734.46	6,67,000 (पुनरुद्धार 198,924 हैक्टेर) अतिरिक्त 8144 हैक्टेयर	
87.	103वीं	11.03.2010	नर्मदा नहर परियोजना (संशोधित)	राजस्थान	बृहत	2481.49	151,000	09.07.2010
88.	103वीं	11.03.2010	सरयू नहर परियोजना (संशोधित)	उत्तर प्रदेश	बृहत	7270.32	144,000	16.04.2010 XIIवीं योजना की देनदारियों से पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89.	103वीं	11.03.2010	तराल लिफ्ट सिंचाई स्कीम (संशोधित)	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	140.76	6,000	मूल रूप से 02.01.1979 को अनुमोदित
90.	103वीं	11.03.2010	राजपोरा मध्यम सिंचाई स्कीम (संशोधित)	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	70.2	2,429	12.05.2010
91.	104वीं	12.05.2010	कर्रा नाला सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	99.19	4,100	22.06.2010
92.	104वीं	12.05.2010	घुमरिया नाला सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	मध्यम	47.79	3,200	09.07.2010
93.	104वीं	12.05.2010	सुतियापट सिंचाई परियोजना (संशोधित)	छत्तीसगढ़	मध्यम	98.62	6,960	09.07.2010
94.	104वीं	12.05.2010	हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचाई सघनता में सुधार (संशोधित - ईआरएम)	उत्तर प्रदेश	बृहत	135.17 (पुनरुद्धार 95,961 हैक्टेयर)	3,06,055	08.12.2006, पहला संशोधित अनुमोदन
95.	104वीं	12.05.2010	राजीव सागर (बावनथाडी) (संशोधित)	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	बृहत	161.57	57,120	
96.	104वीं	12.05.2010	पूर्णा बैराज-II (नेर धमाना) मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	179.28	7,302	17.07.2010
97.	104वीं	12.05.2010	ऊपरी मन्नार सिंचाई परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	मध्यम	525.4	12,420	16.07.2010
98.	104वीं	12.05.2010	जैंगीर नहर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	73.51	7,100	मूल रूप से 8.6.2001 को अनुमोदित
99.	104वीं	12.05.2010	लार नहर परियोजना का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	47.72	2,231 (अतिरिक्त 617 हैक्टेयर)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.	104वीं	12.05.2010	ग्रिमद् नहर परियोजना का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	जम्मू और कश्मीर	मध्यम	99.09	4,734	
101.	104वीं	12.05.2010	मुख्य रावी नहर और उसकी वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण (ईआरएम)	जम्मू और कश्मीर	बृहत	62.27	50749 (पुनरुद्धार 15,016)	
102.	105वीं	25.06.2010	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य (संशोधित)	बिहार	बृहत	684.78	6,62,000 (पुनरुद्धा 4,36,000 हैक्टेयर)	31.03.2004 को पहला संशोधित अनुमोदन एवं दिनांक 04.11.2010 को दूसरा संशोधन
103.	105वीं	25.06.2010	खरुंग गंडक नहर प्रणाली का पुनरुद्धार कार्य (संशोधित)	छत्तीसगढ़	बृहत	101.04 (अतिरिक्त सिंचाई	56,300 15,300)	25.08.2010
104.	105वीं	25.06.2010	हलोन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहत	414.21	16,782	15.04.2011
105.	105वीं	25.06.2010	मन सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहत	246.03	17,700	31.12.2010
106.	105वीं	25.06.2010	ऊपरी नर्मदा सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	बृहत	683.93	26,622	05.12.2010
107.	105वीं	25.06.2010	शेलगांव बैराज परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	446.49	11,318	
108.	105वीं	25.06.2010	रेंगाली सिंचाई उप परियोजना-एलबीसी-II (संशोधित)	ओडिशा	बृहत	1958.34	177,651	मूल रूप से 17.11.1998 को अनुमोदित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.	105वीं	25.06.2010	कचनोदा बांध परियोजना (संशोधित)	उत्तर प्रदेश	बृहत	423.45	10,850	02.08.2010
110.	106वीं	16.09.2010	जे. चोक्काराव गोदावरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम (संशोधित)	आंध्र प्रदेश	बृहत	9427.73	285,724	15.07.2011
111.	106वीं	16.09.2010	दुर्गावती जलाशय परियोजना (संशोधित	बिहार	बृहत	983.1	39,610	
112.	106वीं	16.09.2010	मनियारी टैंक परियोजना – ईआरएम	छत्तीसगढ़	बृहत	159.95	64,771	06.12.2010
113.	106वीं	16.09.2010	बल्ह घाटी (बाया किनारा) सिंचाई परियोजना (संशोधित)	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	103.78	4,354	05.04.2011 XIवीं योजना में पूर्ण
114.	106वीं	16.09.2010	गुमानी बैराज परियोजना (संशोधित)	झारखंड	बृहत	185.76	16,194	10.02.2011 XIIवीं योजना की देनदारियों से पूर्ण
115.	106वीं	16.09.2010	होशियारपुर से बालचौर तक कांडी नहर का विस्तार चरण-II (संशोधित)	पंजाब	बृहत	540.24	23,326	12.04.2010
116.	106वीं	16.09.2010	गंग नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (संशोधित)	राजस्थान	बृहत	621.42	281,050 (अतिरिक्त सिंचाई 96,510)	31.12.2010 XIIवीं योजना में पूर्ण
117.	106वीं	16.09.2010	बदायूं सिंचाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	बृहत	332.12	37,453	18.11.2010
118.	106वीं	16.09.2010	बाणसागर नहर परियोजना (संशोधित)	उत्तर प्रदेश	बृहत	3148.91	150,132	05.12.2010
119.	106वीं	16.09.2010	कन्हर सिंचाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	बृहत	652.58	27,898	05.12.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120.	106वीं	16.09.2010	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली की क्षमता की पुन:प्राप्ति — ईआरएम	उत्तर प्रदेश	बृहत	217.12	332,000 (पुनरुद्धार 178,000)	06.12.2010
121.	107वीं	27.10.2010	रैसा जलाशय स्कीम	झारखंड	मध्यम	81.11	3,145	10.02.2011
122.	107वीं	27.10.2010	तजना जलाशय स्कीम	झारखंड	मध्यम	87.76	5,670	10.02.2011 XIIवीं योजना की देनदारियों से पूर्ण
123.	107वीं	27.10.2010	कच्छाल सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	62.48	3470	09.03.2011
124.	107वीं	27.10.2010	ऊपरी ककैटो सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	196.27	3423	15.04.2011
125.	108वीं	04.01.2011	सिधाता सिंचाई परियोजना (संशोधित)	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	95.29	5348	05.04.2011 XIवीं योजना में पूर्ण
126.	108वीं	04.01.2011	इंदिरासागर (पोलावरम) परियोजना (संशोधित)	आंध्र प्रदेश	बृहत	16010.45 (सिंचाई 9307.54)	436827	
127.	108वीं	04.01.2011	निचली वर्धा परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	2232.41	63333	18.03.2011
128.	108वीं	04.01.2011	इंदिरा गांधी मुख्य नहर चरण-I का सरेखण (ईआरएम)	राजस्थान	बृहत	401.63	71892	28.04.2011
129.	108वीं	04.01.2011	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चरण-II (संशोधित)	राजस्थान	बृहत	6921.32	901000	08.06.2011
130.	109वीं	14.03.2011	फिना सिंह सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	204.51	8472	15.07.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.	109वीं	14.03.2011	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना (संशोधित)	झारखंड	बृहत	6613.74	236,846	25.05.2011
132.	109वीं	14.03.2011	कुशालपुरा सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	83.975	7540	12.08.2011
133.	109वीं	14.03.2011	बघारू सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	50.57	3350	12.08.2011
134.	109वीं	14.03.2011	रेहती सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	48.77	2905	12.08.2011
135.	109वीं	14.03.2011	वाघुर नदी परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	1183.55	164789 (पुनरुद्धार 60642 हैक्टेयर)	19.05.2011
136.	109वीं	14.03.2011	उरमोदी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	बृहत	1417.75	17085	09.06.2011
137.	109वीं	14.03.2011	टैभू लिफ्ट सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	बृहत	3450.35	7692	09.06.2011
138.	109वीं	14.03.2011	बोडवाड सिंचन योजना	महाराष्ट्र	बृहत	2178.67	488,682	06.05.2011
139.	110वीं	20.07.2011	हरियाणा सिंचाई नेटवर्क के बुरी तरह क्षतिग्रस्ट चैनलों की पुनर्स्थापना, नवीकरण और आधुनिकीकरण-ईआरएम	हरियाणा	बृहत	115.94	146,000	27.01.2012
140.	110वीं	20.07.2011	श्री रामेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना	कर्नाटक	बृहत	331.55	41,052	11.01.2011
141.	110वीं	20.07.2011	राजघाट नहर परियोजना-ईआरएम	मध्य प्रदेश	बृहत	34.15	164789	11.01.2011
142.	110वीं	20.07.2011	रगवान उच्च स्तरीय नहर प्रणाली-ईआरएम	मध्य प्रदेश	बृहत	39.04	17085	11.01.2011
143.	110वीं	20.07.2011	उमील दाया किनारा नहर प्रणाली-ईआरएम	मध्य प्रदेश	बृहत	45.69	7692	11.01.2011
144.	110वीं	20.07.2011	बेम्बला नदी परियोजना (संशोधित)	महाराष्ट्र	बृहत	2166.35	70756	21.09.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145.	110वीं	20.07.2011	शाहनहर सिंचाई परियोजना (संशोधित)	हिमाचल प्रदेश	बृहत	387.17	24772	30.11.2011 XIवीं योजना में पूर्ण
146.	112वीं	14.09.2011	माही दांया किनारा नहर परियोजना-ईआरएम	गुजरात	बृहत	300.01	1,83,000 हैक्टेयर (पुनरुद्धार 8500 हैक्टेयर)	17.05.2012
147.	112वीं	14.09.2011	काकरापर आरबीएमसी (0 से 60.98 किमी. तक) और उकई आरबीएमसी (0 से 35.06 किमी. तक) और एलएमबीसी प्रणाली का सुधार-ईआरएम	गुजरात	बृहत	296.51 (2009-पीएल)	134503 (3500 हैक्टेयर के पुनरुद्धार सहितं)	13.03.2012
148.	112वीं	14.09.2011	ऊपरी कुंडालिका परियोजना-संशोधित	महाराष्ट्र	मध्यम	154.916 (पीएल 2009-10)	2800	19.12.2011
149.	112वीं	14.09.2011	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना (एमडब्ल्यूएसआईपी) (विश्व बैंक सहायता प्राप्त)-ईआरएम	महाराष्ट्र	बृहत	2351.5 (पीएल 2010-11)	5,16,704 हैक्टेयर	
150.	113वीं	12.01.2012	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज-II)	बिहार	नई-ईआरएम	1799.5	146,000	
151.	113वीं	12.01.2012	उदरस्थान बैराज एवं अन्य अंतर संपर्कीय एवं स्वतंत्र स्कीमें	बिहार	नई-ईआरएम	531.01 (पीएल 2011-12)	41,052	28.05.2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152.	113वीं	12.01.2012	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (एमपीडब्ल्यूएसआरपी)	मध्य प्रदेश	नई-ईआरएम	1919 (पीएल 2011-12)	488,682	
153.	113वीं	12.01.2012	ओडिशा एकीकृत सिंचित कृषि एवं जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (ओआईआईएडब्ल्यूएसआरपी)-ट्रैंच-II	ओडिशा	नई-ईआरएम	471.43 (पीएल 2010-11)	79863	
154.	113वीं	12.01.2012	राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना	राजस्थान	नई-मध्यम	192.13 (पीएल 2010-11) (सिंचाई-140.46, पेयजल आपूर्ति-51.46)	8568	
155.	113वीं	12.01.2012	पूर्णा बैराज (नेर धमाना) सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	617.46 (पीएल-2009-10)	7024	26.03.2012
156.	115वीं	24.07.2012	आंध्र प्रदेश सिंचाई एवं आजीविका सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	बृहत-ईआरएम	1131.136 (पीएल-2010-11)		
157.	115वीं	24.07.2012	पश्चिमी गडक नहर प्रणाली का पुनरुद्धार (सानरन मुख्य नहर और उसकी वितरण प्रणाली)	बिहार	नई-बृहत ईआरएम	2169.51 (पीएल-2011-12)		
158.	115वीं	24.07.2012	मिनीमता (हसदेव) बांगो परियोजना	छत्तीसगढ़	बृहत ईआरएम	492.31 (पीएल-2011-12)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
159.	115वीं	24.07.2012	हमीरपुर जिले के नादौन तहसील क्षेत्र में मध्यम सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम ईआरएम	97.59 (पीएल जून, 2011)		
160.	115वीं	24.07.2012	माहौर मध्यम सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	नई-मध्यम	191.2707 (पीएल-2009)		
161.	115वीं	24.07.2012	बिलगांव सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	नई-मध्यम	182.22 (पीएल-2009)		
162.	115वीं	24.07.2012	थोबल बहुउद्देशीय परियोजना	मणिपुर	संशोधित-बृहत	1387.85 (पीएल-2011)		
163.	115वीं	24.07.2012	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	मणिपुर	संशोधित-मध्यम	433.91 (पीएल-2011)		
164.	115वीं	24.07.2012	दोलाईथाबी बैराज परियोजना	मणिपुर	संशोधित-मध्यम	360.05 (पीएल-2011)		
165.	115वीं	24.07.2012	इंफाल बैराज परियोजना	मणिपुर	ईआरएम-मध्यम	16.8 (पीएल-2011)		
166.	115वीं	24.07.2012	सेकमल बैराज परियोजना	मणिपुर	ईआरएम-मध्यम	10.2 (पीएल-2011)		
167.	115वीं	24.07.2012	20% बढ़ी हुई क्षमता और "एन" के परिवर्तित मूल्य सहित पहली पटियाला फीडर और कोटला शाखा के पुनर्स्थापन का संशोधित अनुमान	पंजाब	ईआरएम-मध्यम	199.39 (पीएल-2011-12)		
168.	115वीं	24.07.2012	तुमरिया बहल्ला एवं नतिया फीडर का सरेखण	उत्तराखंड	ईआरएम-मध्यम	11.2 (पीएल-2010-11)		

घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार (आरआरआर) संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी निधि

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	जल निकायों की संख्या	कुल परियोजना लागत	प्रतिबद्ध केन्द्रीय हिस्सा	2009-10 के दौरान जारी निधि	2010-11 के दौरान जारी निधि	2011-12 के दौरान जारी निधि	2012-13 के दौरान जारी निधि	कुल जारी निधि
ओडिशा	1321	254.33	228.89	72.12	75.00	70.33		217.45
कर्नाटक	427	232.77	209.49	74.04	47.47	77.51		199.02
आंध्र प्रदेश	1029	339.69	305.72		189.00			189.00
बिहार	15	64.45	55.30		25.00		27.54	52.54
उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	28	46.15	41.53		29.08			29.08
मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	78	41.89	10.47		7.33	2.62		9.95
मेघालय उमियाम झील	1	44.57 (सिंचाई संबंधी 2.83)	2.54		1.78	0.64		2.42
महाराष्ट्र	258	135.08	119.34			80.53		80.53
गुजरात	34	17.47	15.72			10.61		10.61
छत्तीसगढ़	131	122.91	110.61			34.68		34.68
राजस्थान	16	11.35	7.45			7.07		7.07
हरियाणा	3	40.24	10.06			7.04		7.04
कुल	3341	1350.9	1117.12	146.16	374.66	291.03	27.54	839.39

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं हेतु अनुमोदित परियोजना लागत और जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं की लागत (लाख रुपये)	वर्ष के दौरान अनुमोदित लागत (लाख रुपये)		
			2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	573.41	130.02	75.18	368.21

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	493.11			233.44
3.	बिहार	96.01			96.01
4.	चंडीगढ़	776.03		776.03	
5.	छत्तीसगढ़	268.80			268.8
6.	दिल्ली	43.44			43.44
7.	गुजरात	316.24		316.24	
8.	हिमाचल प्रदेश	250.08			250.08
9.	जम्मू और कश्मीर	143.47			143.47
10.	झारखंड	191.35		16.495	174.856
11.	कर्नाटक	588.09	109.158	96.585	382.35
12.	केरल	94.14			55.086
13.	मध्य प्रदेश	860.91		431.86	429.05
14.	महाराष्ट्र	15.15		15.15	
15.	नागालैंड	224.14			224.14
16.	ओडिशा	464.36			464.36
17.	पंजाब	260.33			80.88
18.	राजस्थान	404.78			404.777
19.	तमिलनाडु	526.35	415.35		
20.	उत्तर प्रदेश	3286.23	720.063	1060.64	1505.53
21.	पश्चिम बंगाल	111.09			
	कुल	9987.51	1374.591	2788.18	5124.479

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित कुल लागत : 9287.25 लाख रुपये

विवरण-III

XIवीं योजना के दौरान प्राप्त प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजना के प्रस्ताव, मंजूर की गई परियोजनाएं और मंजूर नहीं की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	XIवीं योजना के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वर्ष के दौरान मंजूर परियोजनाओं की संख्या			XIवीं योजना के दौरान मंजूर परियोजनाओं की कुल संख्या	जो परियोजनाएं मंजूर नहीं की जा सकी उनकी संख्या
			2009-10	2010-11	2011-12		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5	1	2	2	5	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	8			4	5	3
3.	बिहार	3			2	2	1
4.	चंडीगढ़	1		1		1	0
5.	छत्तीसगढ़	2			2	2	0
6.	दिल्ली	2			1	1	1
7.	हरियाणा	1				0	1
8.	गुजरात	2		2		2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	15		0	13	13	2
10.	जम्मू और कश्मीर	35		0	5	5	30
11.	झारखंड	5		1	1	2	3
12.	कर्नाटक	7	1	1	4	6	1
13.	केरल	13		0	3	7	6
14.	मध्य प्रदेश	4		2	2	4	0
15.	मिजोरम	7		0	0	0	7
16.	महाराष्ट्र	1		1	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
17	नागालैंड	20		0	2	2	18
18.	ओडिशा	14		0	14	14	0
19.	पंजाब	3		0	2	3	0
20.	राजस्थान	101	0	0	49	49	52
21.	सिक्किम	1		0	0	0	1
22.	तमिलनाडु	4	3	0	0	4	0
23.	उत्तराखंड	3		0	0	0	3
24.	उत्तर प्रदेश	4	1	1	2	4	0
25.	पश्चिम बंगाल	2		0	0	1	1
	कुल	263	6	11	108	133	130

टिप्पणी: 8 परियोजनाएं XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में मंजूर की गई।

सीमेंट निर्माण फैक्ट्री की स्थिति

1036. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के कछार जिले के बैकुंठपुर में एक सीमेंट निर्माण फैक्ट्री की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह फैक्ट्री सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस फैक्ट्री की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां। तथापि, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) का असम के कछार जिले के बैकुंठपुर में सीमेंट ग्राईंडिंग यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित यूनिट की स्थापित क्षमता 39.88 करोड़ रुपए की लागत से सिंगल शिफ्ट आधार पर 82500 टन प्रतिवर्ष होगी। इस ग्राईंडिंग यूनिट के लिए लगभग 98.36 बीघा भूमि प्राप्त कर ली गई है तथा डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, उपस्करों की आपूर्ति, सिविल कार्य, निर्माण और कमिशनिंग के लिए कार्य आदेश दे दिए गए हैं।

(ग) अभी तक फैक्ट्री की स्थापना नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह ग्राईंडिंग यूनिट क्लिकर सहित फ्लाई एश को ग्राईंड करेगी जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का उत्पादन करने के लिए सीसीआई की बोकाजन सीमेंट यूनिट से मंगाई जाएगी।

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु

1037. **श्री पी. कुमार :**
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति-आयु को बढ़ाकर उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति-आयु के समान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी, हां। संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 अर्थात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के समान वृद्धि करने का उपबंध करता है। विधेयक 28.11.2011 को लोक सभा में बहस के लिए रखा गया था। तथापि, शीतकालीन सत्र के स्थगन के कारण शेष बहस अनिश्चायक हो गई है।

पेटेंटिड दवाइयों का मूल्य नियंत्रण

1038. **श्री रूद्रमाधव राय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अत्यधिक कीमत वाली पेटेंटिड दवाओं को और अधिक वहनीय बनाए जाने के लिए इनकी कीमत को नियंत्रित करने के लिए तंत्र लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए पेटेंटिड और जेनरिक दवाओं के थोक और खुदरा मार्जिनों को निर्धारित करने की भी योजना बना रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दवाओं की कीमतों में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए प्रस्तावित अन्य उपाय क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) पेटेंटशुदा औषधियों के संबंध में मूल्य निर्धारण तंत्रों के मुद्दे की जांच कर रही समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस रिपोर्ट की विभाग में जांच की जा रही है।

(ग) औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा थोक विक्रेता के लिए 8% और खुदरा विक्रेता के लिए 16% के लाभांश को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित दवाइयों के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयां बेच रही है तो डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

जो औषधियां, औषधि (कीमत नियंत्रण) ओदश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिए बना ही निर्माता स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के भाग के रूप में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) उनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा की गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां ऐसे विशिष्ट निर्माताओं से कहा जाता है कि वे स्वेच्छा से मूल्य घटाएं, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्रवाई शुरू की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाढ़ के संबंध में अध्ययन

1039. **श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो :**
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि जैसे देशों द्वारा कराए गए अध्ययनों की तर्ज पर बाढ़ों के संबंध में अध्ययन कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कॉरपोरेट सुरक्षा योजना

1040. श्री पी. करुणाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल द्वारा आपदा प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए कॉरपोरेट सुरक्षा योजरा में सुझाई गई विभिन्न रणनीतियों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए जोन-वार किए गए उपाय एवं खर्च की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त योजना के कार्यान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) समेकित संरक्षा योजना (2003-2013), रेल मंत्रालय में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रेलों पर आपदा प्रबंधन के आधुनिकीकरण के सुझाव दिए गए हैं। इसमें जिन बातों पर विशेष जोर दिया गया है उनमें त्वरित प्रतिक्रिाय, बेहतर सुविधाएं एवं उपकरण, बड़ी दुर्घटनाओं में जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाना, बेहतर ग्राहकोन्मुखी फोकस और प्रशिक्षण एवं तैयारी आदि शामिल हैं। आपदा प्रबंधन का आधुनिकीकरण करने के लिए समेकित संरक्षा योजना में 18 कार्य-नीतियां सुझाई गई हैं, जिनमें से 13 कार्य-नीतियां 31.07.2012 को भारतीय रेलों पर कार्यात्वित कर दी गई हैं।

(ख) आपदा प्रबंधन के आधुनिकीकरण की कार्य-नीतियां कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम पहले ही उठा लिए गए हैं:—

- कॉर्पोरेट स्तर, जोनल और मंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई हैं और इन्हें राज्य/जिला सतरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा गया है।
- प्रख्यात प्राइवेट/सिविल अस्पतालों से गठजोड़ किया गया है।
- प्रत्येक मंडल अस्पताल में बचाव एंबुलेंस और फोल्ड होने वाले ताबूतों की व्यवस्था की गई है।
- आपदाओं के दौरान आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बलों और वायुसेना की मदद लेना।
- सभी कोचों में आपात निकासी मार्ग और आपात ऑटोमेटिक लाइटों की व्यवस्था की गई है।
- त्वरित बचाव कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- प्रत्येक बड़े आमान वाले मंडल में कम से कम एक 140 टन की ब्रेकडाउन क्रेन और सभी दुर्घटना राहत गाड़ियों में एयर ब्रेक स्टॉक मुहैया कराया गया है।

समेकित संरक्षा योजना के अनुसार भारतीय रेलों पर आपदा प्रबंधन के आधुनिकीकरण हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। व्यय के आंकड़े अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध हैं और वित्त वर्ष, 2010-11 के अंत तक 100.79 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

235 करोड़ रुपये की स्वत: नोदित दुर्घटना राहत गाड़ियों, आपात रेल एवं सड़क वाहन, रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने जैसी लंबित सिफारिशों दीर्घकालिक सिफारिशें हैं और फील्ड स्तर पर इन्हें कार्यान्वित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) एवं नीतिगत कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(ग) और (घ) रेलवे समेकित संरक्षा योजना में तय लक्ष्यों के कार्यान्वयन का समय-समय पर मूल्यांकन करती रहती है। पांच लंबित कार्य-नीतियों में से दो को 2012-13 और 2013-14 में और शेष तीन को 2015-16 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

डिपो का स्थानान्तरण

1041. श्री सज्जन वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पेट्रोलियम के उन डिपुओं को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए किसी स्कीम को तैयार किया जा रहा है जो देश के विभिन्न हिस्सों में बसावटों के निकट स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी बसावटों की संख्या कितनी है जिनके समीप तेल डिपुओं में आग लगने की घटनाएं हुईं और गत तीन वर्षों के दौरान देश में तेल डिपुओं में आग लगने के परिणामस्वरूप कितने लोगों की जान गई; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) का प्रस्ताव है कि ऐसे 26 डिपुओं को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जो बसावटों के निकट हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसी तेल कंपनी के तेल डिपुओं के बाहर सामान्य आबादी में दुर्घटना में कोई मौत नहीं हुई है।

(घ) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने तेल उद्योग द्वारा अनुपालन किए जाने वाले व्यापक मानक विकसित किए हैं। ओआईएसडी इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित सुरक्षा जांच और चालू होने से पूर्व जांच करती है। भविष्य में चालू किए जाने वाले सभी तेल डिपुओं के स्थानों के मामले में, सभी राज्य सरकारों को इस बात को भली भांति ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि वे उपयुक्त बफर क्षेत्र बना कर तेल डिपुओं के आस-पास बसावट पर प्रतिबंध लगाएं।

[अनुवाद]

सिंधु बेसिन से जलापूर्ति

1042. श्री हरिन पाठक :
श्रीमती दर्शाना जरदोश :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात का कच्छ क्षेत्र सिंधु बेसिन का हिस्सा है; और

(ख) यदि हां, तो बेसिन से इस क्षेत्र का पर्याप्त जलापूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कया कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अलपसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) सिंधु नदी संधि 1960 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पश्चिमी नदी के जल का इस्तेमाल इन नदियों के जल निकास बेसिन तक सीमित है। पूर्वी नदियों के जल के वर्तमान लाभार्थी राज्यों के बबीच पहले से कई जल मुद्दे हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन हैं। पूर्वी नदियों से गुजरात के कच्छ क्षेत्र को जल आपूर्ति करना इन मुद्दों का समाधान किए जाने और वर्तमान लाभार्थी राज्यों की जल की बचत करने की स्थिति पर निर्भर है।

ओवीएल द्वारा अन्वेषण

1043. श्री मनीष तिवारी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) की विदेश में तेल अन्वेषण प्रयासों की स्थिति क्या है तथा इक्विटी तेल और गैस की प्रमात्र क्या है जिसके लिए यह संविदा करने में सक्षम रही हैं और इसमें से कितने तेल और गैस का अन्वेषण किया है;

(ख) देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ओवीएल के ऐसे प्रयासों का क्या योगदान है;

(ग) क्या भारत दक्षिणी चीन सागर में वियतनामी वाटर ब्लॉक 128 में अन्वेषण में पीछे हट गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ओवीएल ने चीन द्वारा यह कहते हुए एक कार्यवाही जारी किए जाने के बाद कि ब्लॉक 127 और 128 के अन्वेषण के लिए चीन की अनुमति आवश्यक है, इस तेल ब्लॉक से पीछे हट गया है;

(ङ) दक्षिणी/पूर्वी चीन सागर में तेल और गैस फिल्ड-वार

अन्वेषण में लगी ओवीएल सहित सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे ब्लॉकों की संख्या कितनी है जो विवादित क्षेत्र में हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) आज की स्थिति के अनुसार, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) विभिन्न उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी) के तहत 08 अन्वेषण ब्लॉकों में प्रचालक के रूप में और 07 ब्लॉकों में गैर-प्रचालकों के रूप में साझेदार है। तेल और गैस इक्विटी की मात्रा अन्वेषण के परिणाम पर निर्भर होती है।

(ख) वर्तमान में, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) का 08 देशों में 10 परिसंपत्तियों से तेल और गैस का उत्पादन है और वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, ओवीएल ने 8.753 मिलियन मीट्रिक टन तेल और तेल समुदाय (एमएमटीओई) तेल तथा तेल समतुल्य गैस उत्पादित किया है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सहायक हो रहा है। ओवीएल विदेशों में अतिरिक्त तेल और गैस परिसंपत्तियों को अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

(ग) जी, नहीं। भारत ब्लॉक 128 में नहीं हटा है।

(घ) भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ओवीएल दक्षिण चीन सागर में ब्लॉक 128 के अन्वेषण में लगा है।

(च) ऐसे विवादित क्षेत्रों के तहत दो ब्लॉक (अन्वेषण ब्लॉक 128 और उत्पादन ब्लॉक 61) आते हैं।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरकों की नई इकाइयों की स्थापना

1044. श्री भूदेव चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रसायन और उर्वरकों की नई इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी स्थापना के लिए देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) इन इकाइयों की संख्या कितनी है जिन्हें शुरू किया गया और साथ ही उन इकाइयों की संख्या कितनी है जिनका कार्य पूरा नहीं हो सका और जिनको शुरू नहीं किया गया;

(ग) उन इकाइयों की संख्या कितनी है जिन्हें शुरू किया गया और साथ ही उन इकाइयों की संख्या कितनी है जिनका कार्य पूरा नहीं हो सका और जिनको शुरू नहीं किया गया;

(घ) ऐसी परियोजनाओं में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरे होने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) रसायन क्षेत्र विनियमित है और विभाग इस संदर्भ में कोई आंकड़ा-आधार डाटाबेस नहीं रखता है इसलिए कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जहां तक उर्वरक का संबंध है, पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में मैसर्स मैटिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि., कोल-बेड-मीथेन (सीबीएम) गैस आधारित 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (1 एमएमटीपीए) क्षमता वाला एक नया ग्रीनफील्ड अमोनियम-यूरिया परियोजना/उर्वरक इकाई स्थापित कर रहा है।

(ख) से (घ) रसायन क्षेत्र के लिए लागू नहीं है।

उर्वरक के संदर्भ में, उपरोक्त अमोनियम-यूरिया परियोजना, जोकि एक निजी परियोजना है, पर कार्य निर्धारित समय अनुसूची के अनुरूप प्रगति पर है।

(ङ) रसायन क्षेत्र के लिए लागू नहीं है।

उर्वरक के संदर्भ में, मैसर्स मैटिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि. की नई ग्रीनफील्ड अमोनियम-यूरिया परियोजना के एक वर्ष के समय में पूरा हो जाने की संभावना है।

रिफाइनरियों की क्षमता

1045. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को देश की ही रिफाइनरियों की शोधन क्षमता में वृद्धि कर पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की सरकारी क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल की उत्पादन लागत का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित पेट्रोल और डीजल की मात्रा कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2011-12 के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग/खपत 148.0 मिलियन मीट्रिक टन थी जबकि दिनांक 01.04.2012 की स्थिति के अनुसार देश की परिशोधन क्षमता 213.066 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) थी।

(ग) और (घ) कच्चे तेल का परिशोधन एक प्रक्रम उद्योग है जिसमें कुल लागत का लगभग 90% घटक कच्चे तेल का होता है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण कई प्रसंस्करण इकाईयों जैसे क्रूड आसवन इकाई (सीडीयू), निर्वात आसवन इकाई (वीडीयू), फ्ल्यूड कैटालिटिक क्रैकिंग इकाई (एफसीसी), हाइड्रोक्रैकर, कोकर इकाई, ल्यूब इकाई आदि के माध्यम से किया जाता है। इनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद श्रेणियों का उत्पादन करती है, जिसके लिए गहन पुन:प्रसंस्करण तथा सम्मिश्रण अपेक्षित होता है। तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन विभिन्न मध्यवर्ती श्रेणियों के मिश्रणों से किया जाता है और इसलिए, अलग-अलग परिशोधित उत्पादों की उत्पादन लागत निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उत्पादित पेट्रोल और डीजल की मात्रा नीचे दी गई है:-

(मिलियन मीट्रिक टन)

वर्ष	2010-11	2011-12 (अनंतिम)
पेट्रोल	11.77	13.14
डीजल	45.95	50.90

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

1048. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री संजय धोत्रे :
श्री राजू शेट्टी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या के आकलन के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के ग्रामीण भागों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। एमजीएनआरईजीए ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने की कानूनी गारंटी देता है।

एसजीएसवाई अप्रैल, 1999 से कार्यान्वित एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम है। परिणामों के लक्षित तथा समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए मिशन मोड में कार्यान्वित करने की दृष्टि से, एसजीएसवाई को राष्ट्रीय

ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। स्व-रोजगार के अतिरिक्त, एनआरएलएम विशेष परियोजनाओं विशेष रूप से नियोजन से संबंधित कौशल विकास परियोजनाओं के लिए अधिक आबंटन के जरिए कौशल आधारित मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण बीपीएल को सहायता देने पर भी ध्यान देता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

उत्पादन भागीदारी संविदाएं

1047. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण (पीएससी) के लिए उत्पादन भागीदारी संविदाओं की समीक्षा हेतु कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसकी सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या निजी ऑपरेटर कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन सहित पीएससी के अंतर्गत लागतों को बढ़ा रहे हैं जिससे सरकार को अत्यधिक राजस्व हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप राजकोष को किस सीमा तक राजस्व हानि हो रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन अन्वेषणों में लाभ हिस्सेदारी व्यवस्था और उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) की समीक्षा करने और दिनांक 31.8.2012 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ईएसी) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:—

(i) आधार प्राचल के रूप में कर-पूर्व निवेश गुणक (पीटीआईएम) के साथ वर्तमान उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था सहित विद्यमान पीएससीज की समीक्षा और भावी पीएससीज में अपेक्षित संशोधन की सिफारिश करना;

(ii) सर्वप्रथम पूरी अवधि के दौरान हाइड्रोकार्बन उत्पादन और दूसरे सरकार के हिस्से के संबंध में समझौता किए बिना, संविदाकार के खर्च पर कम से कम निगरानी करने के उद्देश्य से विभिन्न संविदा मॉडल तलाशना;

(iii) पीएससीज के संविदा कार्यान्वयन के प्रबंधन की एक उपर्युक्त व्यवस्था, जिसे वर्तमान में विनियामक के प्रतिनिधि/प्रबंध समिति में नियुक्त सरकारी नामिती द्वारा देखा जा रहा है;

(iv) लाभ पेट्रोलियम के भारत सरकार (जीओआई) के हिस्से की निगरानी करने और लेखा परीक्षा करने के लिए उपर्युक्त सरकारी व्यवस्थाएं;

(v) घरेलू रूप से उत्पादित गैस के मूल्य के लिए आधार अथवा सूत्र निर्धारित करने के लिए और वास्तविक मूल्य निर्धारण की निगरानी करने के लिए दिशा-निर्देशों का ढांचा और घटक; और

(vi) पीएससीज से संबंधित कोई अन्य मुद्दे।

(घ) पीएससी व्यवस्था के तहत, संविदाकार द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागत पर प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों और सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों/सीएजी द्वारा उपयुक्ततः लेखा परीक्षित किए जाने के बाद ही संविदाकार (संविदाकारों) द्वारा लागत वसूली के उद्देश्य के लिए एमसी द्वारा अपनाए जाने हेतु विचार किया जाता है।

संविदाकार द्वारा किए गए खर्च की एफडीपी के अनुमोदन के बाद, पीएससी के तहत आडिट किया जाता है जिसमें लेखा परीक्षकों के विभिन्न समूह द्वारा प्रथमतः एमसी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों, और दूसरे सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा वास्तविक खर्च/लागत वसूली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था है।

(ङ) (घ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विलुप्त हो रही कंपनियां

1048. श्री महेश जोशी :
श्री निशिकांत दुबे :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कंपनियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी हैं जिनकी गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विलुप्त हो रही कंपनियों के रूप में पहचान की गई है;

(ख) उन विलुप्त हो गई कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो वर्तमान में देश में कार्य करती पायी गई हैं;

(ग) इन विलुप्त हो रही कंपनियों और इनके निदेशकों का अता-पता लगाने के लिए पुलिस में दर्ज प्राथमिकियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलुप्त हो रही कंपनियों के कार्यकरण के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कंपनी की पहचान लुप्त कंपनी के रूप में नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रारंभ में कुल 238 कंपनियों की पहचान लुप्त कंपनी के रूप में की गई थी जिसमें से 151 कंपनियों को बाद में सूची से हटा दिया गया क्योंकि लुप्त कंपनी मानने का मानक उन पर लागू नहीं होता। अत: मात्र 87 कंपनियों ही लुप्त कंपनियों रह जाती हैं। इन 87 लुप्त कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है। इन सभी 87 लुप्त कंपनियों और उनके निदेशकों का पता लगाने हेतु पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई है।

(घ) जिन कंपनियों ने इनिशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से निधी उगाही थीं, उनकी पहचान निम्नलिखित कारणों से लुप्त कंपनियों के रूप में की गई थी:—

(i) अपना पंजीकृत कार्यालय नहीं रखना;

(ii) निदेशकों का पता नहीं होना; और

(iii) संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार/स्टॉक एक्सचेजों में 2 वर्ष तक सांविधिक विवरण/सूचीकरण अपेक्षाएं दायर न करना।

विवरण

87 लुप्त कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कंपनियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	बिहार	04
3.	दिल्ली	05
4.	गुजरात	26
5.	कर्नाटक	02
6.	मध्य प्रदेश	05
7.	महाराष्ट्र	09
8.	ओडिशा	01
9.	पंजाब	01
10.	चंडीगढ़	02
11.	तमिलनाडु	10
12.	उत्तर प्रदेश	04
13.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	87

[हिन्दी]

नियुक्ति में अनियमितताएं

1049. श्री हर्ष वर्धन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में बड़े पैमाने पर नए नैमित्तिक कामगारों/रिलिवरों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भर्ती किए गए लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियां करने में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वर्तमान अनुदेश के अनुसार नये नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति पर 3.9.1996 से पूर्ण प्रतिबंध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे में नये नैमित्तिक श्रमिक/रिलीवर की नियुक्ति के संबंध में सतर्कता विभाग की कोई शिकायत ध्यान में नहीं है। बहरहाल, पूर्वोत्तर रेलवे में ग्रुप 'डी' पद के लिए नये कर्मचारी की नियुक्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भेजी गई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की मौजूदा स्थिति सूचित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

स्वच्छता सुविधाओं के लिए 'आशा' कामगार

1050. **श्री खगेन दास : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाने के लिए 8.6 लाख अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) को लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) निर्मल भारत अभियान में व्यक्तियों की आपसी बातचीत तथा घर-घर जाकर संपर्क करने पर विशेष बल दिया गया है, इस मान्यता के साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए जागरुकता सृजन का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस कार्यनीति के भाग के रूप में अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को मांग सीज़न तथा व्यवहार में बदलाव लाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के रूप में शामिल किया जा सकता है।

(ग) और (घ) पेजयल और स्वच्छता मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त हस्ताक्षर वाला एक पत्र आशा कामगारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को भेजा गया है ताकि आशा आशा कामगार घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने और शौचालय बनाने और उसका इस्तेमाल करने के लिए ग्राम समुदाय को प्रेरित करने के अहम् भूमिका निभा सकें। यह जानकारी दी गई है कि शौचालयों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आशा कामगारों को प्रति पारिवारिक शौचालय 75 रु. का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पीएसयूज की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व

1051. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन :**
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री निलेश नारायण राणे :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत राज्य-वार/पीएसयू-वार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा और उनसे शासन-वार और पीएसयू-वार लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सीएसआर के तहत निधि के उपयोग के संबंध में कोई मानदंड तय किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव है कि सीएसआर के तहत निधियां विशेषकर पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में खर्च हों;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी-ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इन पीएसयूज द्वारा पीएसआर पर दृष्टि रखने के लिए कोई सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में यदि कोई विसंगति पायी गयी है तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों हेतु नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर लोक उद्यम विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा परियोजनाएं/गतिविधियां यथा संभव उस क्षेत्र में की जाए जहां कंपनी अपना वाणिज्यिक कार्य करती है। जहां यह संभव या प्रयोज्य न हो तो कंपनी नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं हेतु देश में किसी भी स्थान का चुनाव कर सकती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा की गई राज्य-वार, स्थान-वार और गतिविधि-वार नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं और स्थान-वार और केन्द्रीय सरकारी उद्यम-वार उनसे लाभान्वित व्यक्तियों के संबंध में सूचना लोक उद्यम विभाग में केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती। तथापि बड़े केन्द्रीय सरकारी उद्यमों अर्थात् महारत्न एवं नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में वर्ष 2010-11 और 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के लिए नैगम सामाजिक उत्तदायित्व हेतु आबंटित निधियों और उनमें से उपयोग की गई निधियों पर उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों हेतु नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर लोक उद्यम विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु बजट आबंटन निदेशक मंडल संकल्प के माध्यम से अनिवार्य रूप से निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में निम्न पद्धति से किया जाना चाहिए:—

केन्द्रीय सरकारी उद्यम का प्रकार निवल लाभ (गत वर्ष)	वित्त वर्ष में नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय सीमा (लाभ का %)
(i) ₹ 100 करोड़ से कम	3% - 5%
(ii) ₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़ तक	2% - 3% (न्यूनतम ₹ 3 करोड़)
(iii) ₹ 500 करोड़ और ऊपर	0.5% - 2%

प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व बजट निर्धारित किया जाना होता है और यह कोष व्यापगत नहीं होता है। किसी विशेष वर्ष में उपयोग न की गई निधियों को नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कोष में हस्तांतरण किया जाना चाहिए जहां ये एकत्र की जाएगी।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उपर्युक्त विद्यमान स्लैब के अनुसार नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के लिए आबंटन को बढ़ाने और निधियों को उपयोग करने का परामर्श दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के द्वारा जीविका उपार्जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, होस्टलों को अपनाना/विनिर्माण (विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और लड़कियों के लिए) और ग्रामों को अपनाना आदि जैसे लोक उद्यम विभाग के मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत इस विषय पर नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों के लिए दर्शाए गए संभावित क्षेत्र हैं।

(च) और (छ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों हेतु नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर लोक उ्म विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों की उपयुक्त और आवधिक निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकारी उद्यम सामाजिक लेखापरीक्षा समिति या एक उपयुक्त और विश्वसनीय बाह्य एजेंसी को नियुक्त कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नियुक्त सामाजिक लेखा परीक्षा समितियों द्वारा यथा सौंपी गई रिपोर्टों का ब्यौरा लोक उद्यम विभाग में केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

महारत्न एवं नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में वर्ष 2010-11 और 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के लिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु कुल आबंटित निधियां और उनमें से उपयोग की गई निधियां

महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	वर्ष	नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु आबंटित कुल निधियां (करोड़ रुपए)	गत वर्ष का कर उपरांत लाभ का प्रतिशत	नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु उपयोग की गई निधियां (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	कोल इंडिया लि.	2010-11	262.28	2.73	152.33
		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	553.33	5.09	37.26
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	131.11	1.28	128.41
		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	95.60	1.28	48.80
3.	नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	72.37	0.83	72.21
		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	45.52	0.50	6.48
4.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	335.35	2.0	219.03
		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	378.48	2.0	21.86
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	2010-11	94.00	1.39	68.95
		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	64.00	1.30	22.94
	नवरत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम				
1.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि.	2010-11	2.74	0.24	2.08
		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	1.84		0.35

1	2	3	4	5	6
2.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लि.	2010-11	321.55	0.5	4.30
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	30.05	0.5	1.80
3.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	22.00	1.43	18.23
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	7.73	0.5	1.50
4.	गेल (इंडिया) लि.	2010-11	69.54 (वित्त वर्ष 2009-10 की आगे लाई गई राशियां शामिल हैं)	2.0	48.43
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	80.95 (वित्त वर्ष 2010-11 की आगे लाई गई राशियां शामिल हैं)	2.0	14.85
5.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	2010-11	नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राशि का कोई विशेष आबंटन नहीं क्योंकि नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति औपचारिक रूप से नवंबर, 2010 में अधिसूचित की गई थी।	—	1.79
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	5.00	वर्ष 2010-11 का कर उपरांत लाभ अभी घोषित किया जाना है।	0.17
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	15.00	1.54	20.10
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	30.78	2.00	3.59

1	2	3	4	5	6
7.	महानगर टेलिफोन निगम लि.	2010-11	चूंकि एमटीएनएल घाटे में है इसलिए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्ष के अंतर्गत कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया।		
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)			
8.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	2010-11	8.14	1.0	8.14
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	10.69	1.0	10.69
9.	एनएमडीसी लि.	2010-11	81.56	1.80	62.23
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	80.13	0.57	37.24
10.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	12.47	1.00	13.23
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	12.98	1.00	1.02
11.	ऑयल इंडिया लि.	2010-11	25.00	0.95	29.40
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	51.90	2.00	15.00
12.	पॉवर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	11.89	0.5	1.93
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	13.10	0.5	1.00
13.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2010-11	20.41	1.00	15.58
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	26.97	1.00	6.62
14.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	2010-11	15.40	2.00	11.73
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	12.00	1.82	5.39

1	2	3	4	5	6
15.	रुरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लि.	2010-11	5.00	0.25	1.37
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	12.85	0.50	0.27
16.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2010-11	3.77	1.0	5.84 (पिछले वर्ष का आगे लाया गया शेष शामिल हैं)
		2011-12 (सितंबर, 2011 तक)	5.67	1.0	1.13

भ्रष्टाचार के मामले

1052. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश :**
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायधीश ने देश में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले जिस गति से निपटाए जा रहे हैं, उस पर गंभीर चिंता जाहिर की है और उन्होंने सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विभिन्न राज्य न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायनिर्णयन के लिए लंबित भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन मामलों के तीव्र निपटान के लिए न्यायालयों पर जोर डालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने भ्रष्टाचार अनिवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का तीव्र पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों को दिसम्बर, 2010 में लिखा था, जिससे कि उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों, दोनों में पूर्विकता के आधार पर उन पर कार्रवाई की जा सके। भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने 08.11.2011 को बाद में यह सूचित किया है कि 30.06.2011 तक न्यायपालिका की पहले दो स्तरों में 46,120 निपटान के मामले लंबित थे और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के तीव्र निपटान के लिए उन पर जोर दिया है। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इन मामलों के प्रभावी निपटान के लिए उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायपीठों की विरचना का भी सुझाव दिया है। जिला स्तर पर उन्होंने ऐसे मामलों हेतु दिए जाने वाले अधिक निपटान के श्रेय के अतिरिक्त, निपटान लक्ष्य के नियतन और एक से अधिक सेशन न्यायाधीशों को मामलों के समनुदेशन की सिफारिश की थी।

(घ) न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार ने भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। देश में सीबीआई मामलों के लिए पहले ही से कार्य कर रहे 56 न्यायालयों के अतिरिक्त, सरकार ने 71 अतिरिक्त विशेष सीबीआई न्यायालयों की स्थापना करने का विनिश्चय किया है, इनमें से 62 सीबीआई न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भ्रष्टाचार विरोध तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए (i) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011; (ii) सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक, 2011; (iii) विदेशी लोक पदाधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, 2011; (iv) नागरिक माल और सेवाओं का समयबद्ध परिदान और शिकायत निवारण अधिकार

विधेयक, 2011 जैसे अनेक विधानों को भी हाल ही में संसद् में पुर:स्थापित किया है।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप

1053. **श्री जगदम्बिका पाल : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप का अधिदेश क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई ऐसी फेलोशिपों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को फेलोशिप दिए जाने में भारी असमानता रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के लिए संख्या-वार और राशि-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वितरण में ऐसी असमानता के क्या कारण हैं; और

(च) सभी अल्पसंख्यक समुदायों में मौलाना आजाद फेलोशिप के न्यायोचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना का अधिदेश एम.फिल/पीएच. डी. आदि जैसे उच्च अध्ययनों को करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथाअधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में एकीकृत पंचवर्षीय अध्येतावृत्ति मुहैया कराना है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के लिए अध्येतावृत्ति अभी प्रदान की जानी है। विस्तृत सूचना इस मंत्रालय की वेबसाइट *www.minorityaffairs.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के बीच मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पक्के तौर पर उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत गैर-मुस्लिम छात्रों को प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6	12	18	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	4	
3.	असम	3	6	9	
4.	बिहार	0	0	0	
5.	छत्तीसगढ़	4	7	10	
6.	गोवा	1	5	8	
7.	गुजरात	3	4	7	
8.	हरियाणा	0	13	21	
9.	हिमाचल प्रदेश	3	8	10	
10.	जम्मू और कश्मीर	0	3	4	
11.	झारखंड	2	6	12	
12.	कर्नाटक	2	5	10	
13.	केरल	33	56	82	
14.	मध्य प्रदेश	1	1	1	
15.	महाराष्ट्र	33	61	89	

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	3	4	7	
17.	मेघालय	6	12	18	
18.	मिजोरम	5	9	13	
19.	नागालैंड	5	11	17	
20.	ओडिशा	0	3	5	
21.	पंजाब	73	129	188	
22.	राजस्थान	2	5	7	
23.	सिक्किम	0	4	8	
24.	तमिलनाडु	20	39	57	
25.	त्रिपुरा	0	1	1	
26.	उत्तर प्रदेश	1	8	15	
27.	उत्तराखंड	0	0	0	
28.	पश्चिम बंगाल	3	8	14	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	1	
30.	चंडीगढ़	3	6	9	
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	
32.	दमन और दीव	0	0	0	
33.	दिल्ली	1	4	6	
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	
35.	पुदुचेरी	2	6	9	
	योग	216	438	660	

*वर्ष 2012-13 के लिए अध्येतावृत्ति अभी प्रदान की जानी है।

उधना-जलगांव खंड का दोहरीकरण

1054. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उधना-जलगांव खंड के दोहरीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक आवंटित/खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरे होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) उधना-जलगांव खंड (306.93 कि.मी.) का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण प्रगति पर है। ब्यारा-उकाई/सोनगढ़ (20 कि.मी.) तथा अमलनेर-धरनगांव (25 कि.मी.) खंडों का दोहरीकरण पूरा कर दिया गया है। उकाईसोनगढ़-चिंचपाड़ा (40 कि.मी.) और धरनगांव-पालधी (20 कि.मी.) खंडों पर मिट्टी, पुल संबंधी, गिट्टी की सप्लाई आदि के कार्य भी प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। इन खंडों का कार्य मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना पर मार्च, 2012 तक 276.81 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है तथा 2012-13 के लिए परिव्यय के रूप में 130 करोड़ रुपए मुहैया किए गए हैं। परियोजना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरी की जाएगी।

गैस का मूल्य निर्धारण

1055. श्री एम. आनंदन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यदि गैस के मूल्य को बाजार में उपलब्ध आर्म्स लेंथ प्राइस के अनुसार समायोजित किया जाता है तो उत्पादन-साझेदारी अनुबंध (पीएससी) के तहत सरकार का राजस्व अंश बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल्य कम रखने से अनुबंधकार को पीएससी प्रणाली के तहत अधिक मात्र में लाभ प्राप्त होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर्म्स लेंथ प्राइस

निर्धारण की प्रणाली के पीछे औचित्य क्या है जिससे सरकार की रॉयल्टी और लाभ में हानि हो रही है; और

(ङ) पीएससी प्रणाली के प्रावधानों को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्यों के पीएससीज के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार आर्म्स लेंथ बाजार मूल्यों के साथ समायोजित किया जाता है:—

"संविदाकार संविदागत क्षेत्र से उत्पादित और बचाई गई पूरी प्राकृतिक गैस की बिक्री संविदा के पक्षकारों के लाभ के लिए आर्म्स लेंथ मूल्यों पर करने का प्रयास करेगा। सरकार पीएससीज के प्रावधानों के अनुसार उस सूत्र अथवा आधार को अनुमोदित करेगी जिस पर प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।"

केंद्र/राज्य सरकारों को देय रॉयल्टी गैस मूल्य बढ़ने पर बढ़ जाएगी और कम होने पर कम हो जाएगी इसके अलावा, अन्य बातों के समान रहते हुए गैस मूल्य बढ़ने पर पीएससीज के अनुसार पहले ही सहमत दरों के अनुसार भारत सरकार (जीओआई) और संविदाकार के बीच लाभ हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है।

(ग) संविदाकार पीएससी के तहत यथानिर्धारित लाभ का हिस्सा ही अर्जित करता है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सभी मामलों में पीएससीज निश्चित तौर पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय नदी

1056. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विधि निर्माण प्रक्रिया की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए दिनांक 20 फरवरी, 2009 की अधिसूचना द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने और इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया है। अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि गंगा नदी का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व है जिससे इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं का उत्थान

1057. **श्री प्रदीप कुमार सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित विभिन्न राज्यों में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू की गई स्कीमों और प्रत्येक स्कीम के तहत आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन स्कीमों को शुरू करने के लिए कोई मानदंड तय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों का स्कीम-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि में महिलाओं के लिए स्थायी कृषि आजीविका अवसर सृजित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के उप-घटक के रूप में महिला

किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो अब बिहार सहित, विभिन्न राज्यों में 'आजीविका' के नाम से जानी जाती है। इस योजना को वर्ष 2010-11 से शुरू किया गया था। एमकेएसपी के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य का अंश 75:25 है। चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के लिए इस योजना के अंतर्गत राशि का आबंटन निम्न प्रकार से किया गया है:—

वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रुपए)
2010-11	100
2011-12	200
2012-13	250

आजीविका एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को स्वसहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया जाता है तथा उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए सब्सिडी तथा बैंक ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत, कुल स्वरोजगारियों का न्यूनतम 40% महिलाएं होनी चाहिए।

इसके अलावा, मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) तथा इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है जिनमें ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। एमजीएनआरईजीए में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जिसमें महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाएगी कि न्यूनतम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी जिन्होंने अधिनियम के अंतर्गत अपना नाम पंजीकृत कराया है तथा कार्य करने के लिए आवेदन किया है। आईएवाई के अंतर्गत, ग्रामीण बीपीएल परिवार की महिला सदस्य के नाम से या पति और पत्नी के नाम से संयुक्त रूप में मकान आबंटित किया जाता है। इन कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग से निधियों का आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

रुग्ण/बंद पड़ी उर्वरक विनिर्माण इकाइयों का निजीकरण

1058. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण/बंद पड़ी उर्वरक विनिर्माण इकाइयों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन एजेन्सियों के नाम क्या हैं जो ऐसी इकाइयों का अधिग्रहण करने जा रही हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी नहीं। संघ सरकार के पास इस समय रुग्ण/बंद उर्वरक उत्पादन इकाइयों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, सरकार के अनुमोदन अनुसार हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास योजना प्रारूप (डीआरएस) पर वर्तमान में बीआईएफआर द्वारा विचार किया जा रहा है। इन योजनाओं में नामांकन आधार पर पीएसयू के परिसंघ द्वारा एफसीआईएल की तीन इकाइयों और एफसीआईएल और एचएफसीएल की शेष 5 इकाइयों का पुनरूद्धार पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के जरिए करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टीएपीआई-पाइपलाइन परियोजना

1059. श्री प्रदीप माझी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन परियोजना संबंधी मंत्रियों की संचालन समिति की 15वीं बैठक में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर भागीदार देशों के मध्य सहमति है;

(घ) क्या तुर्कमेनिसतान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइपलाइन परियोजना हेतु हाल ही में भारत और 'मै. तुकमेन गैज़' के मध्य गैस की बिक्री और खरीद संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 15वीं संचालन समिति की बैठक के दौरान, पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ-साथ टीएपीआई मुख्य कार्यक्रम, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बकाया गैस बिक्री और खरीद करार (जीएसपीए), रोड शोज के लिए वे फार्वर्ड, परिसंघ नेता का चयन और टीएपीआई परियोजना में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के अनुरोध पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के बाद, तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच गैस के मूल्य निर्धारण पर सहमति हो गई है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 16-17, 2012 को इस्लामाबाद में हुई चौथी त्रि-पक्षीय बैठक के दौरान परागमन शुल्क के मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुख्य करार भी हो गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत और तुर्कमेनिस्तान एवं पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने 23 मई, 2012 को द्विपक्षीय जीएसपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। तुर्कमेनगैस टीएपीआई गैस की विक्रेता है और गेल (इंडिया) लि. क्रेता है। टीएपीआई गैस का सुपुर्दगी स्थल तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान सीमा होगा। संविदा की अवधि 30 वर्ष के लिए है और संविदागत मात्रा 411.173 बीसीएम प्राकृतिक गैस है। पहले वर्ष के दौरान, आपूर्ति 27.5 एमएमएससीएमडी होगी, दूसरे वर्ष में 35 एमएमएससीएमडी और तीसरे वर्ष और उसके बाद 38 एमएमएससीएमडी होगी। जीएसपीए 24 मास के भीतर (या बाद की कोई तारीख जिस पर पक्षकार सहमत हों) लागू होगा जिसके दौरान विक्रेता और क्रेता दोनों को कुछ पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है। यह आपूर्ति प्रभावी तारीख से 40 मास (अधिकतम 60 मास) के बाद शुरू की जाएगी।

[हिन्दी]

कोल-बेड मीथेन

1060. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री गजानन ध. बाबर :

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल-बेड मीथेन (सीबीएम) के निष्कर्षण करने वाली कंपनियों ने सीबीएम ब्लॉकों में कार्य करने के लिए एक एकल प्रचालक (सिंगल आपरेटर) को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एकल-प्रचालक का यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय में प्रचालकों को दिए जाने वाले खनन अधिकार को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) सीबीएम नीति के तहत, सीबीएम बोली के चार दौरों के तहत अभी तक 30 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लाक प्रदान किए गए हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 2 ब्लॉक इनसे कोल बेड पहले नामांकन आधार पद प्रदान किए गए हैं और एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मार्ग से। प्रत्येक सीबीएम ब्लाक में एक प्रचालक होता है जो ब्लाक प्रचालन करता है। यदि सीबीएम ब्लॉक एकल कंपनी को प्रदान किया जाता है तो वही कंपनी उस ब्लॉक की प्रचालक बनती है, जबकि विभिन्न कंपनियों के परिसंघ को ब्लॉक प्रदान किए जाने की स्थिति में परिसंघ के सभी भागीदारों द्वारा ब्लॉक का प्रचालन करने के लिए एक कंपनी का चयन किया जाता है।

(ग) और (घ) कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन के लिए कुछ कोयला खानें प्रदान (एमओसी) की हैं जो सीबीएम प्रचालन के लिए प्रदत्त कुछ ब्लॉकों के क्षेत्रों के भीतर हैं। सीबीएम और कोयला खनन के साथ-साथ प्रचालन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में विचार-विमर्श पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) और एमओसी के बीच किया जा रहा है।

भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईसीएल)

1061. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुजफ्फरपुर और मोकामा स्थित भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्ल्यूईसीएल) को वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति क्या है और विगत तीन वर्षों व चालू वर्ष के दौरान उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कंपनी के पुनरूद्धार हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और रेलवे ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उक्त कंपनी के पुनरूद्धार और इस कंपनी द्वारा इष्टतम उत्पादन शुरू करने के लिए रेलवे क्या अन्य कदम उठा रहा है/उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की दोनों इकाइयां परिचालन में हैं और रेलवे वैगनों का उत्पादन कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किया गया उत्पादन आउटपुट नीचे दिया गया है:—

वर्ष	उत्पादन (वैगनों की संख्या)
2009-10	254
2010-11	197
2011-12	228
2012-12 (अप्रैल से जुलाई)	84

(ख) जी, हां।

(ग) समिति की प्रमुख सिफारिशों में उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने और वैगन आर्डरों की नियमित प्लेसमेंट में कंपनी को मदद करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा पर्याप्त कार्य संचालन पूंजी का एक बार प्रावधान शामिल है। समिति की सिफारिशें मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुन:निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने आईडीबीआई (बीआईएफआर द्वारा नामित परिचालन एजेंसी) को एक मसौदा पुनरुज्जीवन प्रस्ताव किया है। बीआईएफआर की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

नकली उर्वरकों की बिक्री

1062. **श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को नकली उर्वरकों की बिक्री और इससे उनकी फसलों के बर्बाद होने व उन्हें आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने के संबंध में किसानों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को प्राप्त ऐसी शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) नकली/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री के संबंध में इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। किसानों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3 के तहत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश (एफसीओ), 1985 का प्राख्यापन किया है। एफसीओ में सरकार को उर्वरकों के मूल्य, वितरण और गुणवत्ता को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। एफसीओ के खंड 19 के तहत ऐसे उर्वरकों की बिक्री/उत्पादन की सख्त मनाही है जो विहित मानक के अनुसार नहीं हैं। एफसीओ के खंड 8 के तहत उर्वरकों की बिक्री के लिए अधिसूचित प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र लेना आवश्यक है। राज्य सरकारों

को अवमानक उर्वरकों की बिक्री के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। एफसीओ के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दांडिक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें दोषी पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। दोषी व्यक्ति को दोष सिद्ध हो जाने पर ईसीए के तहत सात वर्ष की कैद की सजा दी जा सकती है, इसके अलावा, उसके प्राधिकार प्रमाण-पत्र को निरस्तर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एफसीओ के मानकों के अनुरूप उर्वरकों की बिक्री, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्य सरकारों को समय-सीमा पर सचेत किया गया है।

स्व-सहायता समूहों हेतु कलस्टर

1063. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्व-सहायता समूहों के लिए क्लस्टरों का विकास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विभाग (एनआरएलएम) सामूहिक क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्व-सहायता समूहों का संघ बनाए जाने का समर्थन करता है। सामूहिक क्रियाकलापों, अधिक तारतम्यता, मोल-तोल की शक्ति, अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा संपर्क को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्धनों की संस्थाएं बनाई जाएंगी और इन्हें बढ़ावा दिया जाता रहेगा। संघीय सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक स्तर पर संघ का अपना प्रयोजन, कार्य और पहचान होगी। ये संस्थाएं स्वतंत्र तो होंगी, फिर भी मूल रूप से ये परस्पर आश्रित होंगी।

तथापि, राज्य अपने प्रशासनिक ढांचे अर्थात् ग्राम, ग्राम पंचायत, कलस्टर, ब्लॉक आदि के अनुसार तथा संघीय तर्काधर, उत्कृष्ट कार्यों और अनुभव के आधार पर संघों के स्तरों और स्थानों का निर्धारण करेंगे।

[हिन्दी]

एनईआर के अंतर्गत डीएलडब्ल्यू

1064. **योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स (डीएलडब्ल्यू) को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त बंद डीएलडब्ल्यू की सुविधाएं/अवसंरचना का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हेतु कोई कारखाना स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में कोई डीजल रेलइंजन कारखाना (डीएलडब्ल्यू) नहीं है। अत: इसे बंद करने अथवा यहां उपलब्ध सुविधाओं/अवसंरचना की किसी प्रकार से वैकल्पिक इस्तेमाल करने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, इस समय वाराणसी में एक डीजल रेल इंजन कारखाना मौजूद है और भलीभांति कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

जाली एलपीजी कनेक्शन

1065. **श्री नलिन कुमार कटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक देश में कितने एलपीजी कनेक्शन हैं;

(ख) क्या काफी संख्या में एलपीजी कनेक्शन जाली/बेनामी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का जाली एलपीजी कनेक्शनों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेनामी/जाली एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने में शामिल एलपीजी वितरकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट

कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) दिनांक 01.07.2012 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश में 1401.74 लाख एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही हैं।

(ख) से (घ) बहु-कनेक्शनों, जिससे अत्यधिक राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का विपथन होता है, को जारी होने से रोकने के उद्देश्य से, सरकार ने दिनांक 10.09.2009 की अधिसूचना के द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 को संशोधित कर दिया है जो, अन्य बातों के साथ-साथ प्रति परिवार को केवल एक एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान करता है।

डी-डुप्लीकेशन प्रोसेस आधारित सॉफ्टवेयर के द्वारा एक नाम और/अथवा एक पते पर बहु-कनेक्शनों की पहचान करने के लिए ओएमसीज द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विधिवत सत्यापन के बाद यदि कनेक्शन जाली/बेनामी/नकली पाया जाता है तो उसे बंद और समाप्त कर दिया जाता है।

मैसूर में एलपीजी वितरण के लिए प्रायोगिक परियोजना में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत, सभी ग्राहकों की यूआईडीएआई संख्या को इस उद्देश्य से एकत्रित किया जा रहा है कि बिना यूआईडी वाले कनेक्शन अथवा ऐसे मामले जहां तक यूआईडी पर एक से अधिक कनेक्शन हैं, को बंद/समाप्त कर दिया जाएगा।

(ङ) सरकार ने "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश, 2001" बनाया है जो बेनामी/जाली एलपीजी कनेक्शन जारी करने सहित विभिन्न कदाचारों को रोकने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।

[हिन्दी]

यात्री आरक्षण काउंटर

1066. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्री आरक्षण काउंटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है और क्या रेलवे का बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन की तर्ज पर फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या वैकल्पिक कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण काउंटर जनता/जन प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन स्टेशनों पर, जहां आरक्षण से संबद्ध कार्य 100 आरक्षण प्रतिदिन होता है, जिला मुख्यालयों, महत्वपूर्ण पहाड़ी स्टेशनों/पर्यटन एवं तीर्थस्थान केन्द्रों पर मुहैया किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 2009-10 के बजट घोषणा के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य को भी यात्री आरक्षण सुविधा के लिए स्थान की सिफारिश करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

(ख) सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री आरक्षण काउंटर की सुविधा उपलब्ध है।

बाराबांकी जिले के फतेहपुर स्टेशन पर यात्री आरक्षण प्रणाली सुविधा पहले से मौजूद है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल अवार्ड फॉर कमर्शिवलाइजेबल पेटेंट्स

1067. श्री एंटो एंटोनी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'नेशनल अवार्ड फॉर कमर्शियलाइजेबल पेटेंट्स' नामक किसी अवार्ड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के संरक्षण के अधीन एक सोसाइटी प्रौद्योगिकी सूचना एवं पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् (टीआईएफएसी) ने भारतीय लोगों की नवोन्मेषी क्षमता को मान्यता प्रदान करने तथा नवोन्मेष समुदाय को औद्योगिकी एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए अपने नवोन्मेषों को और अधिक व्यावहारिक एवं प्रासंगिक बनाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु प्रौद्योगिकी परिष्करण एवं विपणन कार्यक्रम (टीआरईएमएपी) के अंतर्गत वर्ष 2011 में "वाणिज्यिकीकरण योग्य पेटेंट हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार" की शुरूआत की थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5.00 लाख रुपये और एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। माननीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा इस पुरस्कार के प्रथम समूह में 10 फरवरी, 2012 को देश के 8 भारतीय पेटेंटधारकों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ग) सरकार ने देश में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे कि:—

— पेटेंट सुगमीकरण केन्द्रों/पेटेंट सूचना केन्द्रों के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर), डिजाइन और कॉपीराइट का संरक्षण;

— राष्ट्रीय एवं अकादमिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों के माध्यम से आविष्कारों से लाभ उठाने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता का विस्तार करना;

— डीएसटी/डीबीटी के प्रौद्योगिकी प्रणाली विकास, यंत्रीकरण विकास, लघु व्यवसाय नवोन्मेषी अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वाणिज्यीकरण से पहले लागत लाभ अनुपात का अध्ययन करने के लिए प्रोटोटाइप/पायलट स्केल इकाइयों के विकास हेतु उद्योग-संस्थान-सहयोगी परियोजनाओं का वित्तपोषण करना;

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के व्यापक लाभ के लिए प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के वैधीकरण, प्रदर्शन लोकप्रियकरण हेतु वित्तपोषण सहायता;

— डीएसटी/डीबीटी/डीएसआईआर के औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बीआईआरएसी), नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) के अंतर्गत पूर्व-नैदानिक विष विज्ञान अध्ययनों, नई औषधियों के नैदानिक परीक्षणों में अनुसंधान हेतु सुलभ ऋण प्रदान करना;

— प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए सुलभ ऋण प्रदान करना;

— राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ), अहमदाबाद द्वारा किसानों, मकैनिकों, कारीगरों द्वारा विकसित बुनियादी सहित प्रौद्योगिकियों के लिए द्विवार्षिक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करना और इन नवोन्मेषों का वैधीकरण करना तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) को संरक्षण करना;

— राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के कार्यकलापों द्वारा आविष्कार प्रोन्नयन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पिर्धात्मकता हेतु नवोन्मेषों और अधिकारों का लाभ उठाना;

— वाणिज्यीकरण योग्य पेटेंटों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के अतिरिक्त, टीआईएफएसी पुरस्कार प्राप्त पेटेंटों के सफल वाणिज्यीकरण पर चयनित नवोन्मेषों को 5.00 लाख रुपये का वाणिज्यीकरण प्रोत्साहन का प्रावधान भी करता है। इसके अलावा, चयनित नवोन्मेषों को उनकी पेटेंट प्राप्त प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण/अंतरण/लाइसेंसिंग के लिए टाईफेक प्रौद्योगिकी वाणिज्यीकरण सुगमीकर्त्ता नेटवर्कों का उपयोग करने का अवसर भी प्रदान किया गया।

[हिन्दी]

शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

1068. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य शिक्षा का प्रसार करने के दृष्टिगत सरकार द्वारा इन समुदायों को अपने शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और उन्हें चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन समुदायों को समुदाय-वार कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए दो पृथक योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इनमें मदरसों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) तथा अल्पसंख्यक संस्थानों का अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) शामिल हैं। इन योजनाओं की विषय-वस्तु एवं इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत की गई वर्षवार निर्मुक्तियों इत्यादि से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I. एसपीक्यूईएम में औपचारिक शिक्षा विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मापदंडों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को सक्षम बनाने हेतु मदरसों में गुणवत्तापरक सुधार लाना अपेक्षित है। एसपीक्यूआईएम योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) शिक्षक मानदेय के संवर्धित भुगतान के माध्यम से विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान सरीखे औपचारिक पाठ्यक्रम विषयों के शिक्षण हेतु मदरसों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

(ii) नई शैक्षणिक पद्धतियों में ऐसे शिक्षकों का प्रत्येक दो वर्षों में प्रशिक्षण।

(iii) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों की वार्षिक अनुरक्षण लागतों वाली विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की व्यवस्था।

(iv) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को विज्ञान/गणित किटों की व्यवस्था।

(v) पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों का सुदृढ़ीकरण तथा सभी स्तर के मदरसों को शिक्षण अधिगम सामग्रियां उपलब्ध कराना।

(vi) इस संशोधित योजना की अनुपम विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मदरसों को प्रत्याचित केन्द्रों के रूप में राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ मदरसों के लिंकेज को प्रोत्साहित करती है जिससे इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र कक्षा 5, 8 10 और 12 के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करने योग्य हो सकेंगे। इससे उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पारगमन करने में मदद मिलेगी और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के समतुल्य गुणवत्तापरक मानदंड भी सुनिश्चित होंगे। पंजीकरण एवं एनआईओएस को परीक्षा-शुल्क के साथ ही प्रयुक्त होने वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री भी इस योजना के तहत शामिल होगी।

(vii) इस स्कीम के तहत एनआईओएस लिंकेज का मदरसों की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक अवस्थाओं वाली व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रसार किया जाएगा।

(viii) इस स्कीम की मानीटरिंग और प्रसिद्धिकरण के लिए, यह राज्य मदरसा बोर्डों को वित्तपोषित करेगी, भारत सरकार स्वयं दो वर्षों के भीतर पहला आवधिक मूल्यांकन करेगी।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसपीक्यूईएम के अंतर्गत निम्नलिखित राशि निर्मुक्त की गई है:—

क्र. सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपये)	शिक्षकों की संख्या	मदरसों की संख्या
1.	2009-10	4623.54	4962	1979
2.	2010-11	10147.00	11382	5045
3.	2011-12	13953.40	14412	5934
4.	2012-13	31.57	2799	1348

II. आईडीएमआई का संचालन अल्पसंख्यक बच्चों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निजी सहायता प्राप्त/सहायता

रहित अल्पसंख्यक विद्यालयों/संस्थानों में अवसंरचना को बढ़ाने के लिए किया गया है। आईडीएमआई योजना की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:—

(i) यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूली अवसंरचना का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण करते हुए अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुकर बनाएगी।

(ii) यह स्कीम पूरे देश में लागू होगी किन्तु 20% से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों, ब्लाकों तथा कस्बों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों (निजी सहायता प्राप्त/सहायता रहित विद्यालयों) को वरीयता दी जाएगी।

(iii) यह स्कीम अन्य बातों के अलावा, लड़कियों, विकलांग बच्चों और अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा वंचित बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं को प्रोत्साहित करेगी।

(iv) यह योजना (i) अतिरिक्त कक्षों, (ii) विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, (iii) पुस्तकालय कक्षों, (iv) शौचालयों, (v) पेयजल सुविधाओं तथा (vi) बच्चों विशेषकर लड़कियों के लिए छात्रावास भवनों सहित मौजूदा स्कूलों की शैक्षणिक अवसंरचना एवं भौतिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निजी सहायता प्राप्त/सहायता रहित अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए 75% की सीमा तक और प्रति संस्थान 50 लाख रुपये अधिकतम की शर्त पर वित्तपोषण करेगी।

आईडीएमआई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित राशि निर्मुक्त की गई है:—

क्र. सं.	वर्ष	राशि (लाख रुपये)	संस्थानों की संख्या
1	2	3	4
1.	2009-10	448.00	22
2.	2010-11	2298.43	122
3.	2011-12	4843.60	259
4.	2012-13	2.62	62

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1069. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में निर्माणाधीन लंबित रेल परियोजनाओं का जोन-वार/डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के कारण कितनी लागत वृद्धि हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए आवंटित/इस पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) 01.04.2012 के अनुसार कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

रेलवे के पास सीमित संसाधनों की उरपलब्धता के साथ चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवर्ड है जिसके परिणामस्वरूप धनराशि की कम उपलब्धता के कारण परियोजनाओं की पूरी होने की अवधि बढ़ जाती है। पूरा होने की अवधि बढ़ने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है। परियोजनाओं की लागत निर्माण के मानक में परिवर्तन होने के कारण भी बढ़ जाती है। कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली सभी चालू रेल परियोजनाओं की 10929.89 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत की तुलना में नवीनतम अनुमानित लागत 15929.61 करोड़ रुपये है।

(घ) परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य परियोजनाओं की प्रगति, उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सामान्यत: प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाते हैं।

चालू कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकार और लाभार्थियों की सहभागिता एवं रेल विकास निगम लि. द्वारा परियोजनाओं को क्रियान्वित करके अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

विवरण

01.04.2012 को आबंटित/खर्च की गई निधि, प्रगति, लागत वृद्धि और पूरा करने की निर्धारित तिथि आदि सहित चालू रेल परियोजनाओं को दर्शाने वाला क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम नाम	लंबाई (किमी.)	परिव्यय 2012-13	मार्च, 2012 तक किया गया अनुमानित व्यय	पूरा करने के लक्ष्य, जहां कहीं निर्धारित हो, के साथ स्थिति
1	2	3	4	5	6
	नई लाइन				
1.	कडुर-चिकमंगलूर-सकलेशपुर	93	20 (राज्य सरकार से 40 करोड़ रु. अपेक्षित हैं)	227.54	कडुर-चिकमंगलूर (46 किमी.) का कार्य प्रगति पर है जबकि कडुर-सकरायापटना-कनिवेहल्ली (32 किमी.) को पूरा कर दिया गया है और कनिवेहल्ली-चिकमंगलूर (14 किमी.) को 2012-13 के दौरान पूरा होने की आशा है। चिकमंगलूर-सकलेशपुर खंड पर कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
2.	गडवाल-रायचुर	60	2	254.43	गडवाल-पांडुरंगस्वामी (30 किमी.) पूरा कर दिया गया है। शेष भाग पर भी कार्य तेजी से किया जा रहा है।
3.	हुबली-अंकोला	167	2	69.45	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के निर्देशों के अनुसार संपूर्ण परियोजना पर कार्य बंद कर दिया गया है। मामला न्यायाधीन है।

1	2	3	4	5	6
4.	हसन-बेंगलूरु बरास्ता श्रवणबेलगोला	166	30 (राज्य सरकार से 75 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं)	480.88	हसन-श्रवणबेलगोला (42 किमी.) और नीलमंगल-चिकबनावर/बेंगलूरु (14 किमी.) को पूरा कर दिया गया है। शेष भाग पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।
5.	रायदुर्ग-तुमकुर	213	25	78.33	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
6.	बगलकोट-कुडाची	142	10	0.64	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। गबलकोट छोर से 94 किमी. का भूमि अधिग्रहण का कार्य अन्य प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है।
7.	बेंगलूरु-सत्यमंगलम	260	2	0.29	परियोजना पर्यावरण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रूकी हुई है। बेंगलूरु/कंगेरी चमराजनगर, वन क्षेत्र का भाग पर कार्य आरंभ करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
8.	मुनिराबाद-महबूबनगर	246	20 (राज्य सरकार से 10 करोड़ रु. अपेक्षित हैं)	69.59	ग्यारह गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो गई है और 150 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।
9.	गुलबर्गा-बिदर	140	20 (राज्य सरकार से 20 करोड़ रु. अपेक्षित हैं)	310.58	चरण-I, खानापुर-होमनाबाद (37 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और होमनाबाद-हालीखेड (15 किमी.) और हालीखेड-गुलबर्गा (54 किमी.) खंडों पर कार्य शुरू किया गया है।
10.	कुड्डपा-बेंगलूरु	255.4	20 (आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 10 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं)	24.93	चरण-I में कुड्डपा-पेंडलीगरि (21 किमी.) पर कार्य शुरू किया गया है।

1	2	3	4	5	6
11.	शिमोगा-हरिहर	78.65	2 (कर्नाटक राज्य सरकार से 4 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं)	—	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है।
12.	व्हाइटफील्ड-कोलार	52.9	2 (कर्नाटक राज्य सरकार से 4 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं)	—	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है।
13.	मारिकुप्पम-कुप्पम	23.7	1	—	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है।
14.	तुमकुर-दावनगेरे	199.7	1 (कर्नाटक राज्य सरकार से 4 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं)	0.02	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है।
	आमान परिवर्तन				
1.	कोलार-चिकबल्लापुर (96.5 किमी.)	96.5	30	273.04	कोलार-चिंतामणी (45 किमी.) और सिदलाघाट-चिकबल्लापुर (18 किमी.) को पूरा कर दिया गया है और चिंतामणी-सिदलाघाट (27 किमी.) पूरा होने के अग्रिम चरण में है।
	दोहरीकरण				
1.	यशवंतपुर-येलहंका	12.07	20	7.83	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
2.	येलहंका-चेन्नसंद्रा	12.89	20	11.77	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू किया गया है।
3.	होसदुर्ग रोड-चिकजजुर	28.89	20	—	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
4.	कंकानाडी-पेनाम्बूर	19	30	8.61	कुछ भागों के लिए निविदा संबंधी कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	6
5.	केंगेरी-मैसूर खंड के विद्युतीकरण के साथ रामनगरम-मैसूर दोहरीकरण	91.5	40	324.73	रामनगरम-सेत्तीहल्ली (18.5 कमी.), मदुर-हनाकेरे (10 किमी.) और मैसूर-नगनहल्ली (8 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है।
6.	हॉस्पेट-हुबली-लोण्डा-तिनईघाट-वास्को-डी-	352.28	40	2	हॉस्पेट-तिनईघाट खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तिनईघाट-वास्को-डी-गामा खंड के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
7.	शिवानी-होसदुर्ग	9.98	25		मिट्‌टी संबंधी, ब्लैंकटिंग, पुल संबंधी कार्य के लिए ठेका दे दिया गया है।
8.	तोर्नागल्लु-रंजीतपुरा	22.9	5	—	आकलन तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।
9.	बेंगलूरु व्हाइटफील्ड-बेंगलूरु सिटी-कृष्णराजपुरम	23.08	1	0.02	यह खंड बेंगलूरु सिटी के लिए सर्कुलर रेल प्रणाली का हिस्सा है जिसके लिए कर्नाटक सरकार आवश्यक स्वीकृति और लागत में भागीदारी के लिए शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क करेगी।
10.	बिरुर-शिवानी	28.67	40	15.64	बिरुर-नगवानगला (9 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग को 2012-13 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
11.	रायचुर-गुंतकल	81.1	0 (आरवीएनएल) (राज्य सरकार से 20 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं)	187.99	नानचेरला-अदोनी (42.023 किमी.) का दोहरीकरण पूरा कर दिया गया है और उसे चालू कर दिया गया है। अदोनी-इसिवी (7.6 किमी.) का दोहरीकरण पूरा कर दिया गया है। इसिवी-कुग्गल (8 किमी.) और कोसिगी-मंत्रालयम (14 किमी.) को 2012-13 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
12.	दौण्ड-गुलबर्गा और पुणे-गुंतकल विद्युतीकरण (641.37 किमी.)	224	0 (आरवीएनएल) (राज्य सरकार से 10 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं)	88.47	इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए आवीएनएल को सौंपा गया है। एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण करार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

औषध विनिर्माण नीति की प्रभावकारिता

1070. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या रसायन और उर्वरक **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दवा विनिर्माण कंपनियों द्वारा मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने हेतु मूल्य नियंत्रण प्रणाली और दवा विनिर्माण नीति की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जीवनरक्षक दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने और इन्हें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जहां तक औषध विभाग का संबंध है औषधि निर्माण कंपनियों द्वारा अनुचित लाभ कमाए जाने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से औषधि निर्माण नीति तथा मूल्य नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समय-समय पर संशोधित औषधि नीति में लोगों को वाजिब मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध करवाने की बात कही गई है।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क का निर्माण

1071. श्री हुक्मदेव नारायण यादव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिहार में उन सड़कों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट खराब है जिनके बारे में संसद सदस्यों ने शिकायतें की हैं;

(घ) गलत डीपीआर बनाने वाली एजेंसियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) आई.एल. एंड एस.एफ. कंपनी के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) बिहार में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत प्रथम चरण में अब तक पूरी न की गई सड़कों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उपरि पुलों के टुट जाने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार राज्य द्वारा परियोजनाओं को पूरा न करने में आने वाली कुछ अड़चनें इस प्रकार हैं: सीमित संस्थागत और संविदात्मक क्षमता, पर्याप्त रूप से योग्य तकनीकी कार्मिकों का न होना, आपदाएं जैसे बाढ़, राज्य के कुछ हिस्सों में कानून व्यवस्था की समस्या, भूमि उपलब्ध न होना इत्यादि।

(ग) से (ङ) 30 जून, 2012 तक बिहार राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:—

मद	स्वीकृत	पूर्ण
सड़कों की संख्या	10,754	5,230
सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	40,282	22,005

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मंत्रालय में बिहार राज्य के लिए डीपीआर बनाने की रिपोर्ट मिली है तथा टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए राज्यों को भेज दी गई है।

(च) राज्य द्वारा बताए अनुसार चरण-I में स्वीकृत 299 सड़क कार्यों में से राज्य ने 278 सड़क कार्य पूरे कर लिए हैं और 9 सड़क

कार्य प्रगति पर है। राज्य ने यह भी बताया है कि शेष 12 सड़क कार्य नहीं किए जाएंगे।

(छ) जहां तक सड़कों की मरम्मत का संबंध है, सभी पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव का 5 वर्षीय ठेका उसी ठेकेदार को दिया गया है जिसने सड़क बनाई है। रखरखाव ठेके के लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करानी होती हैं।

सस्ती दवाइयां

1072. **डॉ. बलीराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान सभी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करने के लिए कोई नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कब तक सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विधि आयोग द्वारा सुधार

1073. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की एक समान भूमिका सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार लाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विधि आयोग द्वारा सुझाए गए सुधारों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के विधि आयोग ने तारीख 21.11.2008 की "न्यायाधीशों के I, II और III मामले के पुनर्विचार संबंधी प्रस्ताव – एआईआर, 1982 एससी 149 में रिपोर्ट किए गए एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1993(4) एस.सी.सी. 441 में रिपोर्ट किए गए उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता संगम बनाम भारत संघ और 1998(7) एससीसी 739 में रिपोर्ट किया गया विशेष संदर्भ 1998 का।" शीर्षक की अपनी 214वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आयोग का विचार था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में स्पष्टता और संगतता लाने के लिए न्यायाधीशों के मामले (I, II और III) का पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है। आयोग ने विकल्पत: सुझाव दिया है कि "भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की प्रमुखता और नियुक्तियां करने की कार्यपालिका की शक्ति को वापस लौटाने वाली विधि पारित की जाए"। आयोग ने यह टीका-टिप्पणी की है कि कालेजियम का गठन करने वाले न्यायाधीशों को वरिष्ठ न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए विचार किए जा रहे अभ्यर्थियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है।

[हिन्दी]

उर्वरक क्षेत्र में निवेश

1074. **डॉ. भोला सिंह :**
श्री नृपेंद्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक क्षेत्र में कितना नया निवेश किया गया है;

(ख) क्या उर्वरकों की अत्यधिक मांग को देखते हुए निवेश कार्यकलापों में काफी गति आई है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक निवेश किये जाने की संभावना है;

(घ) अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा उर्वरकों पर दी गई सब्सिडी का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित पोषण आधारित सब्सिडी प्रणाली ने विद्यमान उत्पाद मूल्य-निर्धारण प्रणाली पर बढ़त बना ली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) उर्वरक विभाग द्वारा 4 सितंबर, 2008 को जारी अधिसूचना के अनुसार यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की नीति को ध्यान में रखते हुए मैसर्स मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो एक निजी कंपनी है, द्वारा बर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में प्रतिवर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन (1 मिलियन एमटीपीए) की क्षमता वाली एक नई ग्रीनफील्ड गैस आधारित अमोनिया-यूरिया परियोजना की स्थापना की जा रही है।

(ख) और (ग) नई निवेश नीति 2012, जो नई निवेश नीति 2008 का संशोधित रूप है, इस समय सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्तावित नीति से यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

(घ) उर्वरक विभाग के पास ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) नई मूल्य-निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-III के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

1075. श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा के अंतर्गत परिवारों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य-वार और लिंग-वार कितने जॉब-कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में नियत दैनिक मजदूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवेदक की सदाशयता का पता लगाने के लिए क्या मापदंड नियत किया गया है और उनके सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) लाभभोगियों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान मजदूरी और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) दिनांक 12.8.2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के रूप में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में दर्ज परिवारों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों की कुल संख्या और महिला कामगारों की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) महात्मा गांधी नरेगा के तहत दिनांक 1.4.2012 से लागू संशोधित अधिसूचित मजदूरी दरें संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(ग) महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-II के भाग-I में यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के जो वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक हों, वे महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए ऑब कार्ड जारी किए जाने हेतु अपने परिवार के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वे जो उचित समझें, जांच पड़ताल करके जॉब कार्ड जारी करें।

(घ) इस अधिनियम की धारा 3(2) और 3(3) के अनुसार, इस योजना के तहत दिया गया काम पूरा कर लेने वाला हर व्यक्ति काम के हर दिन की मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी पाने का हकदार होगा और दिहाड़ी मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह दिया जाएगा और किसी भी मामले में भुगतान में ऐसा कार्य किए जाने की तारीख से 15 दिन से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए। सभी राज्य सरकारों

को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान करना होता है। महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा संख्या 7, 8 और 8क के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान काम की बारी और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाना होता है। महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा संख्या 7 में यह प्रावधान है कि मजदूरी काम की मात्रा के अनुसार होगी और मजदूरी का भुगतान विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। दर अनुसूची तैयार करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ङ) महात्मा गांधी नरेगा मांग-प्रेरित कार्यक्रम है, न कि आवंटन-आधारित कार्यक्रम। सहमति-प्राप्त श्रम बजट के आधार पर और निष्पादन एवं उपलब्ध निधियों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों को केन्द्रीय निधियां रिलीज की जाती हैं। वर्ष 2009-10 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। केन्द्र सरकार अकुशल शारीरिक कामगारों को अधिसूचित मजदूरी दरों के अनुसार मजदूरी के भुगतान पर होने वाला संपूर्ण व्यय वहन करती है। योजना के अंतर्गत कुशल और अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित परियोजनाओं के सामग्री घटक की लागत कुल परियोजना लागतों के 40% से अधिक नहीं होगी। कुलशल और अर्ध-कुशल कामगारों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75% भाग केन्द्र सरकार वहन करती है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए समर्पित कर्मचारियों की तैनाती, सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक सहायता संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, शिकायत समाधान, सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना इत्यादि के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में अधिकतम 6% निधियों की अनुमति है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	12.8.2012 तक महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या	बीपीएल परिवारों के रूप में प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज परिवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45085	1922
2.	आंध्र प्रदेश	12026787	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	53271	25984
4.	असम	3892127	33199
5.	बिहार	12282042	1898
6.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर
7.	छत्तीसगढ़	4328359	750911
8.	दादरा और नगर हवेली	1730	0
9.	दमन और दीव	एनआर	एनआर
10.	गोवा	29849	1195
11.	गुजरात	3750244	1277435
12.	हरियाणा	679089	141995
13.	हिमाचल प्रदेश	1117997	122492
14.	जम्मू और कश्मीर	754526	17677
15.	झारखंड	4017878	532022
16.	कर्नाटक	5208785	1379921
17.	केरल	2129098	245714
18.	लक्षद्वीप	8070	0
19.	मध्य प्रदेश	11987668	1365256
20.	महाराष्ट्र	6690845	515790
21.	मणिपुर	446668	1422
22.	मेघालय	454904	5714
23.	मिजोरम	206587	2739
24.	नागालैंड	383125	13274

1	2	3	4
25.	ओडिशा	6174396	137253
26.	पुदुचेरी	66591	43
27.	पंजाब	872232	56433
28.	राजस्थान	9914242	209789
29.	सिक्किम	79783	188
30.	तमिलनाडु	8448962	80739
31.	त्रिपुरा	616025	124309
32.	उत्तर प्रदेश	14467804	2651730
33.	उत्तराखंड	1024943	50534
34.	पश्चिम बंगाल	11253871	607331
	कुल	123413583	10354909

एनआर – असूचित

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	14.8.2012 तक पंजीकृत कामगारों की कुल संख्या	14.8.2012 तक पंजीकृत महिला कामगारों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	28032764	13722264
2.	अरुणाचल प्रदेश	191354	98842
3.	असम	5830992	1813044
4.	बिहार	18546493	5828528
5.	छत्तीसगढ़	14637094	6870864
6.	गोवा	43235	26603
7.	गुजरात	10923228	5160150
8.	हरियाणा	1418780	558946
9.	हिमाचल प्रदेश	1821790	858912
10.	जम्मू और कश्मीर	1433214	307994
11.	झारखंड	8900905	3574642
12.	कर्नाटक	20629043	9506598
13.	केरल	3525961	2275526
14.	मध्य प्रदेश	37775391	17424906
15.	महाराष्ट्र	16780090	8028078
16.	मणिपुर	959939	493178
17.	मेघालय	999408	511857
18.	मिजोरम	522493	247734
19.	नागालैंड	651575	299023
20.	ओडिशा	16836691	7793767
21.	पंजाब	1544976	620050
22.	राजस्थान	25551942	12232022
23.	सिक्किम	162760	77202
24.	तमिलनाडु	14579766	9030586
25.	त्रिपुरा	1525998	690578
26.	उत्तर प्रदेश	21323668	4067465
27.	उत्तराखंड	1793654	824182
28.	पश्चिम बंगाल	24251823	9313169

1	2	3	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	63149	29124
30.	चंडीगढ़	एनआर	एनआर
31.	दादरा और नगर हवेली	11313	7959
32.	दमन और दीव	एनआर	एनआर
33.	लक्षद्वीप	17029	7264
34.	पुदुचेरी	160209	83695
	कुल	281446727	122384752

एनआर – असूचित

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संशोधित मजदूरी दर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	124
3.	असम	136
4.	बिहार	122
5.	छत्तीसगढ़	132
6.	गुजरात	134
7.	हरियाणा	191
8.	हिमाचल प्रदेश – असूचित क्षेत्र	126
8ए.	हिमाचल प्रदेश – सूचित क्षेत्र	157
9.	जम्मू और कश्मीर	131
10.	झारखंड	122
11.	कर्नाटक	155
12.	केरल	164
13.	मध्य प्रदेश	132
14.	महाराष्ट्र	145
15.	मणिपुर	144
16.	मेघालय	128
17.	मिजोरम	136
18.	नागालैंड	124
19.	ओडिशा	126
20.	पंजाब	166
21.	राजस्थान	133
22.	सिक्किम	124
23.	तमिलनाडु	132
24.	त्रिपुरा	124
25.	उत्तर प्रदेश	125
26.	उत्तराखंड	125
27.	पश्चिम बंगाल	136
28.	गोवा	158
29ए.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (अंडमान)	178
29बी.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (निकोबार)	189
30.	दादरा और नगर हवेली	157

1	2	3
31.	दमन और दीव	136
32.	लक्षद्वीप	151
33.	पुदुचेरी	132
34.	चंडीगढ़	189

विवरण-IV

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रीय रिलीज (लाख रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (03.08.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	378160.23	741807.00	147757.89	222488.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	3386.17	3528.47	6078.58	2654.39
3.	असम	77888.50	60928.65	42685.80	27590.45
4.	बिहार	103278.45	210365.46	130073.42	70000.00
5.	छत्तीसगढ़	82710.30	168504.95	163855.88	61346.31
6.	गुजरात	77729.70	89486.13	32429.03	22152.62
7.	हरियाणा	12400.38	13100.11	27512.23	10724.41
8.	हिमाचल प्रदेश	39542.50	63625.00	31138.16	10221.61
9.	जम्मू और कश्मीर	17568.95	31359.89	78130.96	16701.18
10.	झारखंड	81216.22	96286.92	123733.08	26178.25
11.	कर्नाटक	276998.19	157305.00	66256.92	70000.00
12.	केरल	46771.42	70423.24	95105.43	43812.94
13.	मध्य प्रदेश	351923.66	256576.96	296851.28	21623.00
14.	महाराष्ट्र	24965.06	20471.11	104043.62	48564.90
15.	मणिपुर	43681.36	34298.83	62496.73	42691.13
16.	मेघालय	21136.81	20980.84	28498.33	11388.11

1	2	3	4	5	6
17.	मिजोरम	27697.03	21602.83	32956.72	16187.44
18.	नागालैंड	56292.34	51156.84	67346.57	14717.06
19.	ओडिशा	44581.26	156186.38	97821.72	28007.81
20.	पंजाब	14318.45	12879.17	11429.36	3951.94
21.	राजस्थान	594264.49	278882.00	161969.60	96027.59
22.	सिक्किम	8857.35	4448.55	10079.77	5326.91
23.	तमिलनाडु	137118.92	202489.77	281552.22	172556.00
24.	त्रिपुरा	88636.01	38260.70	95932.57	38633.20
25.	उत्तर प्रदेश	531887.16	526658.86	424048.00	70000.00
26.	उत्तराखंड	27960.22	28980.93	37351.42	12937.74
27.	पश्चिम बंगाल	178728.96	211761.00	259703.16	155400.72
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	241.15	768.63	1643.85	700.81
29.	दादरा और नगर हवेली	39.20	47.73	100.00	39.56
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	20.72	507.76	259.64	241.16
32.	लक्षद्वीप	200.00	233.58	35.00	117.55
33.	पुदुचेरी	459.93	2982.05	100.00	0.00
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3350661.09	3576895.33	2918976.94	1322983.31

इंसेफलाइटिस प्रभावित जिले

1076. **श्री यशवीर सिंह :**
श्री नीरज शेखर :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असुरक्षित पेयजल के कारण इंसेफ़लाइटिस बीमारी से प्रभावित देश के कुछ जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता का आवंटन किया है या करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक जारी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के इंसेफलाइटिस प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन जिलों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान हेतु आवंटित धनराशि पर्याप्त है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु आवंटन को बढ़ाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में जापानी इंसेफलाइटिस/एक्यूट इंसेफलाइटिस सिन्ड्रोम (जेई/एईएस) से प्रभावित 171 जिलों का निर्धारण किया है जिनमें से 5 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 60 जिलों को कोई/एईएस से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में निर्धारण किया गया है। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों की 67% तक राशि का उपयोग जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन की 5% राशि का निर्धारण पेयजल में रासायनिक संदूषण को दूर करने तथा जेई/एईएस से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए किया गया है। इसमें से, 75% राशि का आबंटन रासायनिक संदूषण और 25% का आबंटन जेई/एईएस से प्रभावित 60 जिलों में सूक्ष्म जैविकीय संदूषण को दूर करने के लिए किया जाता है। जल गुणवत्ता के लिए निर्धारित 5% निधि के राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों से जेई/एईएस प्रभावित जिलों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन जिलों को निधियां रिलीज करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं।

(ङ) जेई/एईएस प्रभावित जिलों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान हेतु दी जा सकने वाली सुविधाओं में स्रोतों को कीटाणुरहित करना, पब्लिक शैलो हैंडपम्पों को इंडिया मार्क-II हैंडपम्पों से बदलना, हैंडपम्पों के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना, बोरवैलों को ऊर्जा प्रदान करना तथा मिनी-वाटर सप्लाई स्कीमें, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अनुरंक्षण/अतिरिक्त पानी के निकास हेतु सोख्ता गड्ढों का प्रावधान, जागरुकता सृजन आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

(च) से (ज) जल गुणवत्ता के लिए निर्धारित 5% निधि के अंतर्गत जेई/एईएस प्रभावित जिलों को निधियों का यह आबंटन सामान्य एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन के अतिरिक्त है, जिसमें से 67% निधियों का उपयोग इन प्रभावित जिलों में स्वच्छ पेयजल के प्रावधान हेतु किया जा सकता है।

विवरण-I

एई/एईएस निवारण तथा नियंत्रण के लिए प्राथमिकता वाले 60 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	असम	बारपेटा
2.		धीमाजी
3.		डिब्रूगढ़
4.		गोलाघाट
5.		जोरहाट
6.		लखीनपुर
7.		तिनसुकिया
8.		उदालगुड़ी
9.		सिबसागर
10.		सोनितपुर

1	2	3
11.	बिहार	अररिया
12.		दरभंगा
13.		पूर्वी चम्पारन
14.		पश्चिम चम्पारन
15.		गया
16.		गोपालगंज
17.		जहानाबाद
18.		मुजफ्फरपुर
19.		नालन्दा
20.		नवादा
21.		पटना
22.		समस्तीपुर
23.		सारन
24.		सिवान
25.		वैशाली
26.	तमिलनाडु	करुर
27.		मदुरै
28.		तंजावुर
29.		विल्लुपुरम
30.		तिरुवरुर
31.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
32.		बलिया

1	2	3
33.		बलरामपुर
34.		बस्ती
35.		बहराइच
36.		देवरियां
37.		गौंडा
38.		गोरखपुर
39.		हरदोई@
40.		कानपुर देहात
41.		कुशीनगर
42.		लखीमपुर खिरी
43.		महाराजगंज
44.		मऊ
45.		रायबरेली@
46.		संत कबीर नगर
47.		सहारानपुर
48.		श्रावस्ती
49.		सिद्धार्थ नगर
50.		सीतापुर
51.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा
52.		बर्दवान
53.		पश्चिम मिदनापुर
54.		बीरभूम दक्षिण दीनाजपुर
55.		दार्जिलिंग

1	2	3
56.		हुगली
57.		हावड़ा
58.		जलपाईगुड़ी
59.		मालदा

विवरण-II

वर्ष 2012-13 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निर्धारित 5% जल गुणवत्ता निधि

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जल गुणवत्ता (5%)		
		कुल	रासायनिक संदूषण	सूक्ष्म जैविकीय संदूषण (जेई/एईएस प्रभावित जिले)
1	2	3	4	5
1.	बिहार	6090.00	5364.19	725.81
2.	छत्तीसगढ़	210.00	210.00	0.00
3.	गोवा	0.00	0.00	0.00
4.	झारखंड	84.00	84.00	0.00
5.	केरल	483.00	483.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	1475.25	1475.25	0.00
7.	महाराष्ट्र	3312.75	3312.75	0.00
8.	ओडिशा	556.50	556.50	0.00
9.	पंजाब	26.25	26.25	0.00
10.	तमिलनाडु	530.25	22.31	507.94
11.	उत्तर प्रदेश	12484.50	1135.31	11349.19
12.	उत्तराखंड	5.25	0.89	4.36
13.	पश्चिम बंगाल	11088.00	10706.06	381.94
	उप-जोड़	36345.75	23376.51	12969.24
	डीडीपी स्थिति			
14.	आंध्र प्रदेश	425.25	425.25	0.00
15.	गुजरात	304.50	304.50	0.00
16.	हरियाणा	89.25	89.25	0.00
17.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
18.	जम्मू और कश्मीर	10.50	10.50	0.00
19.	कर्नाटक	5339.25	5339.25	0.00
20.	राजस्थान	6893.25	6893.25	0.00
	उप-जोड़	13062.00	13062.00	0.00
	पूर्वोत्तर राज्य			
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
22.	असम	2934.75	2774.63	160.13
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	5.25	5.25	0.00
25.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
26.	नागालैंड	10.50	10.50	0.00
27.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	141.75	141.75	0.00
	उप-जोड़	3092.25	2932.13	160.13
	कुल जोड़	52500.00	39370.64	13129.36

विश्वस्तरीय स्टेशन

1077. श्री जयंत चौधरी :
श्री नलिन कुमार कटील :
श्री पी. बलराम नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नयन करने की तिरुपति व मंगलोर रेलवे स्टेशन सहित स्टेशन-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उक्त स्टेशनों की विश्वस्तरीय स्टेशनों के रूप में कब तक प्रचालनात्मक बनाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सीएसटी) के लिए मास्टर प्लान विकल्प तैयार कर दिए गए हैं। सीएसटी मुंबई एक विश्व धरोहर स्थल है। अतः धरोहर अवसंरचना के आस-पास विविध कार्य एवं सुविधाओं के विकास के स्थान के लिए बफर जोन को युक्तिसगत करना होगा। इस बारे में विश्व धरोहर केंद्र/युनेस्को को एक अर्जी दाखिल की जा चुकी है।

नई दिल्ली एवं पटना के लिए मास्टर प्लान एवं व्यावहारिकता रिपोर्ट की तैयारी के लिए परामर्शदात्री संबंधी कार्य भी शुरू किए गए हैं। सिकंदराबाद, आनंद विहार (चरण-II) चंडीगढ़, ब्रिजवासन, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, मंगलोर, त्रिवेंद्रम, एरणाकुलम, सियालदह, और चेन्नै सेंट्रल के लिए भी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। तिरुपति सहित अन्य स्टेशनों के लिए क्षेत्रीय स्टेशनों के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रारंभिक क्रियाकलाप शुरू किए गए हैं।

(ख) विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन परिचालन मुख्यत: निजी निवेश के लिए परिकल्पित की जाती हैं और सरकारी खजाने की आवश्यकता केवल प्रारंभिक कार्यों जैसे व्यावहारिकता रिपोर्टों एवं सलाहकार सेवाओं इत्यादि के लिए ही पड़ती है, जिसके लिए आवश्यकतानुसार समय-समय पर निधियां आवंटित की जाती है।

(ग) कंसेस्नायर द्वारा फाइनेंसियल क्लोजर तथा कंसेशन देने के बाद ही स्थल पर कार्य शुरू किया जाएगा। कंसेशन दिए जाने के बाद, कार्य की जटिलता तथा स्टेशन को संचलित रहते हुए कार्य को शुरू किए जाने की आवश्यकता आदि के मद्देनजर परियोजना को पूरा होने में तकरीबन 5 से 6 वर्ष का समय लगेगा।

[हिन्दी]

बांधों और नहरों की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण

1078. श्री राम सुन्दर दास : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बांधों, तटबंधों और नहरों की मरम्मत और इन्हें मजबूत बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को इस उद्देश्य हेतु परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो बिहार के कोसी और गंडक तटबंधों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) भारत सरकार एआईबीपी के दिशानिर्देशों में दिए गए पात्रता मानदंड के अनुरूप राज्य सरकारों के अनुरोध पर मौजूदा सिंचाई नहर प्रणाली के पुनरुद्धार समेत विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारी को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तीय सहायता (सीए) देती है। एआईबीपी के अंतर्गत 41 ईआरएम परियोजनाएं शामिल की गई हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता का परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधन, जल निकासी विकास, क्षतिग्रस्त हुए बाढ़ प्रबंधन कार्यों के पुनरूद्धार (तटबंधों सहित) के लिए अपने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत भी राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता देती है। XIवीं योजना से प्रारंभ बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम

के अंतर्गत 24 राज्यों के कुल 420 बाढ़ नियंत्रण/नदी प्रबंधन कार्य अनुमोदित किए गए थे। जिनकी कुल लागत 7739.73 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा-6124.87 करोड़ रुपए) रुपए थी केंद्रीय हिस्से 6124.87 करोड़ रुपए में से बाढ़ नियंत्रण/नदी प्रबंधन कार्यों के लिए 3566.0 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी।

"नदी प्रबंधन कार्यकलाप एवं सीमा क्षेत्रों संबंधी कार्य" नामक केंद्र क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू और कश्मीर राज्यों के 27 बाढ़ नियंत्रण-नदी प्रबंधन कार्य अनुमोदित किए गए थे जिनकी कुल लागत 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता से 427.22 करोड़ रुपए थी। XIवीं योजना के दौरान इन कार्यों के लिए 313 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी।

(घ) और (ङ) नेपाल क्षेत्र में कोसी एवं गंडक का मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य क्रमशः बिहार/उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार को 2011 की बाढ़ से पूर्व कोसी नदी (नेपाल क्षेत्र) पर बाढ़ सुरक्षा कार्य करने के लिए 9.24 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

विवरण

2009-10 से 2012-13 तक की अवधि में एआईबीपी के अंतर्गत ईआरएम परियोजना• के लिए जारी अनुदान (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम	जारी अनुदान			वर्तमान वर्ष 2012-13
		2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	एसआरएसपी का एफ़एफसी	0.000	0.000		0.000
2.	एसआरएसपी चरण II	65.198	0.000		0.000
	असम				
सी1.	जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
	बिहार				
सी1.	सोन आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
2.	सृजित सिंचाई क्षमता के स्थायित्व हेतु कोसी बैराज और उसके संबद्ध हिस्सों का पुनरुद्धार	66.663	0.000		0.000
	छत्तीसगढ़				
1.	खरूंग	4.500		0.000	
2.	मनियारी टैंक (ईआरएम)		22.252	0.000	
	हरियाणा				
सी1.	डब्ल्यूआरसीपी	0.000	0.000		0.000

1	2	3	4	5	6
	जम्मू और कश्मीर				
1.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण1*	0.000	24.975	24.467	0.000
सी2.	नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण*	4.974	4.684		0.000
सी3.	कठुआ नहर का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
सी4.	जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
5.	दादी नहर का आधुनिकीकरण	0.258	0.000		0.000
सी6.	मर्तंड नहर का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
सी7.	माव खूल का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
8.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
9.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	4.050	0.000		0.000
10.	मुख्य रावी नहर का पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण		8.910	0.000	
	कर्नाटक				
1.	घाटप्रभा चरण-III	56.162	20.601		0.000
2.	भद्र जलाशय नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (ईआरएम)	108.498	0.000		0.000
3.	भीम समुद्र टैंक का पुनरुद्धार	3.483	0.000		0.000
	केरल				
1.	कनहीरपुज्जा	0.000	4.165		0.000
2.	चित्तुरपुज्जा		5.852		0.000
	ओडिशा				
1.	आनंदपुर बैराज/एकीकृत आनंदपुर बैराज	19.800	0.000	26.418	0.000
सी2.	नाराज बैराज	0.000	0.000		0.000
सी3.	सासों नहर प्रणाली का सुधार*	0.000	0.000		0.000
सी4.	सलांदी बार्यी मुख्य नहर-अंबाहाटा*	0.000	0.000		0.000

1	2	3	4	5	6
सी5.	सलकी सिंचाई परियोजना का सुधार*	0.000	0.000		0.000
	पंजाब				
सी1.	यूबीडीसी का रिमॉडलिंग	0.000	0.000		0.000
2.	कांडी नहर विस्तार (चरण-II)	0.000	14.540		0.000
3.	पहली पटीयाला फीडर और कोटला शाखा परियोजना की पुनर्स्थापना	11.250	4.860		0.000
4.	आरएफ राजस्थान फीडर नहर और सरहिंद फीडर नहर का संरेखण		105.840		0.000
	एसएफ [आरडी 179000 से आरडी 496000]				0.000
	राजस्थान				
सी1.	जयसमंद (आधुनिकीकरण)	0.000	0.000		0.000
सी2.	गंभीरी (आधुनिकीकरण)	0.000	0.000		0.000
3.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	8.110	0.000		0.000
	तमिलनाडु				
सी1.	डब्ल्यूआरसीपी	0.000	0.000		0.000
	उत्तर प्रदेश				
सी1	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000
2.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण	28.380	25.254		0.000
3.	हरदोई शाखा नहर की सिंचाई सघनता में सुधार	0.000	0.000		0.000
4.	शारदा सहायक की क्षमत का पुनरुद्धार	21.375	0.000	18.000	0.000
	पश्चिम बंगाल				
सी1.	डीवीसी के बैराज और सिंचाई का आधुनिकीकरण	0.000	0.000		0.000

सी: पूर्ण

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा निवेश

1079. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने नये तेल और गैस क्षेत्रों का विकास करने तथा विद्यमान तेल व गैस क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वेस्टर्न आफशार में मुंबई हाई क्षेत्र का पुन: विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने तेल और गैस के उत्पादन के लिए कई नई और सीमान्त क्षेत्र विकास परियोजनाएं हाथ में ली हैं। इसी प्रकार, विद्यमान तेल और गैस क्षेत्रों में कुछ उन्नत तेल निकासी परियोजनाएं और पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (ङ) मुंबई हाई क्षेत्र की अधिकतम दीर्घ आयु सुनिश्चित करने और निकासी कारक में वृद्धि करने के लिए, ओएनजीसी द्वारा 2000-2001 में वेधन, रिजर्वायर की विशेषताएं, कूप पूर्णताओं आदि क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां आरंभ करके पुनर्विकास योजनाओं के रूप में पहल की गई थी। मुंबई हाई उत्तर और दक्षिण (चरण-I) के लिए ये पुनर्विकास योजनाएं क्रमश: दिसम्बर, 2006 और मई, 2007 में पूरी कर ली गई थीं।

इन योजनाओं की सफलता के साथ, अगला चरण अर्थात् 'मुंबई हाई उत्तर चरण-II के पुनर्विकास, 7133.39 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर और मुंबई हाई दक्षिण चरण-II' की पुनर्विकास परियोजनाएं 8813.41 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत पर शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के क्रमश: सितम्बर, 2013 और मार्च, 2013 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

विवरण

चल रही परियोजनाएं (क्षेत्र विकास और आईओआर/पुनर्विकास)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	तेल और गैस का उत्पादन	अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)	प्रत्याशित पूर्णता
1	2	3	4	6
1.	जी-1 और जीएस-15 क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास	15 वर्षों की अवधि में 0.982 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तेल और 5.92 बिलियन घन मीटर (बीसीएम)	2735.65	दिसम्बर, 2012
2.	सी श्रृंखला क्षेत्रों का विकास	2024-25 तक 21.66 मिलियन मीटर घन (एमएमएम-3) कंडंसेट और 10.771 बीसीएम गैस	3690.37	अप्रैल, 2013
3.	बी-22 कलस्टर विकास	10 वर्षों में 2.46 एमएमटी तेल, 1.13 एमएमटी कंडंसेट और 6.56 बीसीएम गैस	2920.82	अप्रैल, 2013

1	2	3	4	6
4.	बी-46 कलस्टर विकास	12 वर्षों में 1.68 एमएमएम 3 कंडंसेट और 5.273 बीसीएम गैस	1456.96	मई, 2013
5.	बी-193 कलस्टर विकास	15 वर्षों में 5.57 एमएमएम तेल, 0.75 एमएमटी कंडंसेट और 5.12 बीसीएम गैस	5633.44	दिसम्बर, 2013
6.	उत्तर ताप्ती विकास	10 वर्षों में 4.116 बीसीएम गैस	755.76	अक्तूबर, 2012
7.	डी-1 का अतिरिक्त विकास	2024-25 तक 8.296 एमएमटी वृद्धिपरक तेल	2163.65	दिसम्बर, 2012
8.	कलस्टर-7 का विकास	16 वर्षों में 9.73 एमएमटी तेल और कंडंसेट और 4.52 बीसीएम गैस	3241.03	अप्रैल, 2014
9.	बीएचई का विकास	8 वर्षों में 0.422 एमएमटी तेल और कंडंसेट और 0.529 बीसीएम गैस	372.11	अप्रैल, 2013
10.	डब्ल्यूओ-16 कलस्टर विकास	2025-2026 तथा 2.83 एमएमटी तेल और कंडंसेट और 8.58 बीसीएम गैस	2523.00	जनवरी, 2014
11.	एसबी-14 क्षेत्र विकास	2025 तक 0.197 एमएमएम-3 कंडंसेट और 1.641 बीसीएम गैस	410.44	अक्तूबर, 2013
12.	बी-127 कलस्टर क्षेत्रों का विकास	10 वर्षों में 1.991 एमएमटी कच्चा तेल और कंडंसेट और 4.676 बीसीएम गैस	2059.63	मार्च, 2015
13.	सी-26 कलस्टर क्षेत्रों का विकास	2024-25 तक, 0.644 एमएमएम-3 कंडंसेट और 5.94 बीसीएम गैस	2592.17	मई, 2014
14.	बी-173ए क्षेत्र की उन्नत तेल निकास (आईओआर)	2025-26 तक तेल 0.567 एमएमटी और गैस 0.071 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	352.49	मार्च, 2014
15.	मुंबई हाई दक्षिण (एमएचएस) की पश्चिमी पेरीफेरी का विकास	2029-30 तक तेल 1.031 एमएमटी और गैस 2.70 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	600.17	दिसम्बर, 2014
16.	एमएचएस पुंनर्विकास चरण-II	तेल 18.31 एमएमटी और गैस 2.70 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	8813.41	मार्च, 2013
17.	मुंबई हाई उत्तर (एमएचएस) पुनर्विकास चरण-II	तेल 17.35 एमएमटी और गैस 2.98 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	7133.39	सितम्बर, 2013

1	2	3	4	6
18.	हीरा और दक्षिण हीरा पुनर्विकास चरण-II	तेल 13.36 एमएमटी और 1.665 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	5608.40	मई, 2015
19.	आईओआर रुद्रसागर	तेल 2.507 एमएमटी और गैस 0.393 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	438.85	मार्च, 2013
20.	आईओआर गेलेकी	तेल 4.761 एमएमटी और गैस 1.589 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	1674.11	मार्च, 2017
21.	आईओआर लकवा लखमानी	तेल 3.061 एमएमटी और गैस 0.36 बीसीएम का वृद्धिपरक लाभ	663.69	मार्च, 2014
	योग		55839.54	

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

1080. श्री जय प्रकाश अगवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए जिला स्तर पर योजनाएं और मास्टर योजनाएं बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके लिए जिला स्तर पर स्कीमों और मास्टर प्लान का प्रस्ताव प्रारंभ से किया जाना है;

(घ) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ङ) प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय समग्र आयोजना प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) और समेकित वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रमों (आईडब्ल्यूएमपी नामक विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समग्र विकास तथा रोजगार, ग्रामीण सड़क संपर्क, मूलभूत सुविधाएं करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार करना है। गरीबों के स्वसहायता समूहों, उनके संघों और आजीविका समूहों को गठित करके उनकी सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण के जरिए इसे लक्षित वर्ग के लिए चरणबद्ध रूप में मिशन रूप में कार्यान्वित करने तथा समयबद्ध रूप में परिणामों की सुपुर्दगी के लिए एसजीएसवाई को एनआरएलएम के रूप में पुनर्गठित किया है।

[अनुवाद]

छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय आबंटन

1081. श्री निशिकांत दुबे : क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय आवंटन के संबंध में झारखंड सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जी, हां। वित्तीय आबंटन के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत झारखंड सरकार से वर्ष-वार प्राप्त प्रस्ताव और इन दोनों योजनाओं के एिल संघ सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	मैट्रिक-पूर्व			मैट्रिकोत्तर		
	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रु.)	निर्मुक्त राशि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वित्तीय आवंटन (करोड़ रु.)	निर्मुक्त राशि (करोड़ रु.)
2007-08	योजना शुरू नहीं की गई			शून्य	कोई राज्य-वार आबंटन नहीं	शून्य
2008-09	2	कोई राज्य-वार आबंटन नहीं	2.71	1		2.86
2009-10	2		2.10	2		3.67
2010-11	2	9.75	4.13	3	5.99	6.15
2011-12	5	15.34	10.53	5	11.45	10.05
योग	11		19.47	11		22.73

(ग) सरकार द्वारा निर्मुक्त राशियों के संबंध में की गई कार्रवाई का उल्लेख उपर्युक्त भाग (क) और (ख) की तालिका में किया गया है।

लोक अभियोजक

1082. श्री एम.के. राघवन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के जिला लोक अभियोजकों का दर्जा एवं अनुलाभ बढ़ाकर उसे जिला न्यायाधीश के दर्जे एवं वेतन तक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन करने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों की मांग

1083. श्री रामसिंह राठवा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में बढ़ते कृषि क्रियाकलापों के कारण उर्वरकों की मांग नए सिरे से बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्यमान उर्वरक सुविधाओं को नई अतिरिक्त सुविधाओं के माध्यम से अविलंब बढ़ाए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उर्वरक उद्योग का इस प्रकार विस्तार करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि वह घरेलू

आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निर्यात करने में भी सक्षम हो;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) केंद्र सरकार कृषि आंदानों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों में प्रत्येक फसल मौसम से पहले उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार मांग का मूल्यांकन करती है जिसमें राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राज्य सरकारों द्वारा उर्वरकों की मांग का मूल्यांकन पिछली खपत, मौसम की स्थिति, लक्षित फसल क्षेत्र, फसल पैटर्न, सिंचित क्षेत्र और मृदा योजना आदि के आधार पर किया जाता है। मांग प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है तथा सरकार इससे अवगत है।

(ग) से (च) जी, हां। सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितम्बर, 2008 को यूरिया की नई नीति की घोषणा की थी। वह नीति पुनरुद्धार, विस्तार, मौजूदा यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार तथा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त न्यूनतम और अधिकतम मूल्य सहित आयात समता मूल्य (आईपीपी) बैंचमार्क पर आधारित है। इस नीति में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

परियोजनाओं में विलंब

1084. श्री बाल कुमार पटेल :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई क्षेत्रों में काफी संख्या में अवसंरचनात्मक परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं जिससे लागत और समय में बढ़ोत्तरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन अवसंरचना परियोजनाओं में अनुमानित कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या पांच प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं पर ध्यान देने के लिए सरकार ने परियोजनाओं की प्रगति का तिमाही आधार पर अनुवीक्षण करने हेतु एक प्रणाली स्थापित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर ध्यान देने वाले प्रत्येक मंत्रालय के लिए लक्ष्य तैयार किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश की अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सरकार के इस कदम में कितनी मदद मिलने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) दिनांक 31 मई, 2012 की स्थिति के अनुसार, 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी 564 चालू परियोजनाएं हैं जिनकी निगरानी इस मंत्रालय द्वारा की जा रही हैं। जैसाकि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है, 251 परियोजनाओं में कानून और व्यवस्था की समस्याओं, भूमि अधिग्रहण में विलंब, पुनर्वास एवं पुन: व्यवस्थापन की समस्याओं, भूवैज्ञानिक आकस्मिकताओं, धनभाव, वन एवं पर्यावरण संबंधी अनापत्तियां प्राप्त करने में विलंब, जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण में विलंब, मार्गाधिकार/उपयोगाधिकार संबंधी मुद्दों, स्थानीय अनापत्तियों में विलंब, सामग्री की आपूर्ति में विलंब, संविदा संबंधी मुद्दों आदि जैसे विभिन्न कारणों से विलंब हुआ है और वे समय से पीछे चल रही हैं। इन 564 परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 8,75,158 करोड़ रुपए है जबतिक इनकी मूल लागत 7,32,116 करोड़ रुपए थी।

(घ) और (ङ) रेल मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा निष्पादित प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के संबंध में, लक्ष्यों के निर्धारण और निष्पादन की समीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:—

(i) योजना आयोग संबंधित मंत्रालय के परामर्श से, विशेषत: निष्पादन के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक/तिमाही लक्ष्य तैयार करेगा।

(ii) पहली तिमाही के अंत में योजना आयोग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों के संबंध में निष्पादन की आंतरिक रूप से समीक्षा की जाएगी; तथा

(iii) दूसरी और तीसरी तिमाही के अंत में निष्पादन की समीक्षा उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(च) और (छ) प्रत्येक अवसंरचनात्मक परियोजना (150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली) को पूरा करने की लक्ष्य-तिथि परियोजना का अनुमोदन करने वाली प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा रही है। निर्धारित की गई लक्ष्य तिथियों के अनुसार ईन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इनकी ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य-तिथियों के संदर्भ में प्रगति की निगरानी करने से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के समय पर निष्पादन में सहायता मिलती है। विगत वर्षों में समय वृद्धि वाली परियोजनाएं 1991 में 62% से घटकर मुई, 2012 में 44% रह गई हैं।

[हिन्दी]

पृथक् मतदाता सूची

1085. श्री महाबल मिश्रा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्राम पंचायत/विधान सभा चुनावों तथा संसदीय चुनावों के लिए प्रयोग होने वाली पृथक् मतदाता सूचियां है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्राम पंचायत/विधान सभा तथा संसदीय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का प्रयोग करने की नितांत आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समस्याएं पेश आ रही हैं; और

(ङ) देश के चुनावों के लिए समान मतदाता सूची का प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 324 (1) द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार कराने और उनका पुनरीक्षण कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संबंधी कृत्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 243ट और अनुच्छेद 243यक के अधीन, पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15 यह उपबंध करती है कि हर सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एक निर्वाचक नामावली है और उक्त अधिनियम की धारा 13घ(1) यह उपबंध करती है कि जम्मू-कश्मीर राज्य या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामवलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं।

पंचायत और नगरपालिका निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण राज्य विधियों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। अधिकतम राज्य विधियां यह उपबंध करती हैं कि संसदीय और सभा निर्वाचनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां, स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए आधार होनी चाहिए। जब कि कुछ राज्यों में यह और उपबंध किया गया है कि संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्र नामावलियां स्थानीय निकायों के निर्वाचकों के लिए पूर्णतः अंगीकृत की जाएंगी किन्तु कतिपय अन्य राज्यों में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र नामावलियों को स्थानीय निकाय निर्वाचनों के लिए केवल प्रारूप नामावलियों के रूप में अंगीकृत किया जाना है और ये समावेशन और हटाए जाने के माध्यम से अतिरिक्त उपांतरण के अध्यधीन हैं।

(ग) से (ङ) यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे विधि द्वारा, स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को अंगीकृत करें।

[अनुवाद]

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति परियोजना

1086. कुमारी मौसम नूर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वच्छ पेय जल आपूर्ति एवं वितरण परियोजना विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जल संसाधन मंत्रालय अथवा संबद्ध जिलों के स्थानीय निकायों के माध्यम से उक्त कार्यक्रम की स्थापना एवं प्रबंधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के माध्यम से धनराशि एकत्र करके उक्त कार्यक्रम को चलाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए राज्यों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने हेतु राज्यों में केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को लागू करता है। राज्य सरकारों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, निष्पादन एवं कार्यान्वयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) स्कीम के अंतर्गत संसद सदस्य स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पेयजल का प्रावधान शामिल है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में नियुक्ति

1087. श्री तूफानी सरोज : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में सेवानिवृत आईएएस, आईपीसी तथा अन्य उच्चधिकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निदेशक बोर्ड में नियुक्त किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में कितने ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा निदेशक बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सेवानिवृत अधिकारियों को निदेशक बोर्ड में नियुक्त करने का क्या औचित्य है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल में कार्यकारी, सरकारी और गैर-सरकारी निदेशक होते हैं। सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात 2011 और 2012 (आज तक), केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों के 270 पदों को भरने के लिए लगभग 385 सिफारिशें की गई हैं जिनमें 92 सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, 99 भूतपूर्व नैगामिक/केन्द्रीय सरकार उद्यम कार्यकारियों, 79 शिक्षाविदों और संगत क्षेत्रों से 115 व्यावसायिकों के संबंध में सिफारिशें शामिल हैं।

(ग) गैर-सरकारी निदेशक, निदेशक मंडल की बैठकों में शामिल होने के लिए केवल सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग के अंतर्गत बैठक शुल्क और लागू यात्रा/महंगाई भत्ते के लिए पात्र हैं।

(घ) सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिनको शैक्षणिक योग्यता, आयु और अनुभव के आधार पर केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार उन सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों जिनके पास संयुक्त सचिव स्तर अथवा उससे ऊपर के पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडलों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

1088. श्री घनश्याम अनुरागी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए योजना परिव्यय कितना है;

(ख) पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय का वर्ष 2012-13 के लिए योजना परिव्यय 73,175 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय विशिष्ट उद्देश्यों के साथ कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है तथा इन सभी योजनाओं में गरीबी रेखा को पार करने वाले व्यक्तियों का आकलन नहीं किया जाता। तथापि, स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) नामक प्रमुख स्वरोजगार योजना का मूल उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी, दोनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन परिसंपत्तियां/लघु उद्यमों को उपलब्ध कराकर गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सहायता करना है। इसे लक्षित वर्ग के लिए मिशन रूप में कार्यान्वित करने तथा समयबद्ध रूप से परिणामों की प्राप्ति के लिए एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया है। वर्ष 2007-08 के दौरान प्रतिष्ठित स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराए गए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि एसजीएसवाई कार्यकलापों के कारण गरीबी रेखा पार करने वाले व्यक्तिगत स्वरोजगारियों और स्वरोजगारी समूह का अधिकतम प्रतिशत क्रमश: गुजरात (33.33%) और मेघालय (33.86%) में है। इसी प्रकार गरीबी रेखा पार करने वाले व्यक्तिगत और स्वरोजगारी समूह की न्यूनतम संख्या क्रमश: उड़ीसा (14.87%) और छत्तीसगढ़ (14.56%) में है।

पोटाश की उपलब्धता

1089. **श्री गोपाल सिंह शेखावत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोटाश को नियंत्रण मुक्त किए जाने के कारण किसानों के लिए पोटाश की उपलब्धता पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पोटाश उर्वरकों की कमी बताई गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान पोटाश का उपभोग भी कम हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (च) पिछले तीन वर्षों नामत: 2009-10 से 2011-12 के दौरान म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) की आवश्यकता, उपलब्धता और खपत (बिक्री) इस प्रकार है:–

उत्पाद-एमओपी	2009-10	2010-11	2011-12
आवश्यकता	43.85	47.80	48.27
उपलब्धता	47.01	45.97	32.15
बिक्री	46.73	38.90	29.90

पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्व के आधार पर एक नियत राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का निर्धारण उर्वरक कंपनियों द्वारा किया जाता है।

भारत के तैयार उर्वरकों अथवा कच्ची सामग्री के रूप में पोटाशयुक्त उर्वरकों के आयात पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का पोटाशयुक्त उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य पर असर पड़ता है जिससे देश में इन उर्वरकों के खुदरा मूल्यों पर असर पड़ता है। वर्ष 2010-11 और 2009-10 की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान एसओपी की उपलब्धता और बिक्री में कमी का कारण एमओपी व्यापारियों द्वारा संघ बना लिया जाना है। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2011 तक आयातकों द्वारा एमओपी की संविदा नहीं की जा सकी थी। तत्पश्चात्, एमओसी की संविदा सितम्बर, 2011 में हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 32.15 लाख मी.टन एमओपी उपलब्ध कराया गया।

[अनुवाद]

उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं

1090. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है और इनमें से कितनी ऐसी प्रयोगशालाएं केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं;

(ख) केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थित हैं; और

(ग) पंजाब में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) देश में 74 उर्वरक जांच प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से चार प्रयोगशालाएं नामत: फरीदाबाद में केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान तथा कल्याणी (पश्चिम बंगाल में), मुंबई और चेन्नई में तीन क्षेत्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं केन्द्र सरकार की हैं। शेष प्रयोगशालाएं राज्य सरकारों की हैं। पंजाब में, वर्तमान में लुधियाना और फरीदाकोट में राज्य सरकार की दो प्रयोगशालाएं हैं। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना स्कीम के अंतर्गत उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाती है। भारत सरकार ने गुरदासपुर में राज्य उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध कराई है।

जल सुरक्षा

1091. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल की असुरक्षा के कारण खाद्य उत्पादन पर असर पड़ेगा जिससे बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना बनाने का है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल, खाद्य उत्पादन के लिए अनिवार्य है और इसलिए जल की सुरक्षा न करने से खाद्य उत्पादन में बाधा आएगी।

(ख) भारतीय सरकार, जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की मांग में वृद्धि, जल संसाधन विशेषकर भूजल संसाधन का अति-दोहन और जल गुणवत्ता में गिरावट के कारण प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धशता में कमी के परिणामस्वरूप जल क्षेत्र में सामने आ रही चुनौतियों से अवगत है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधन का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए संवर्धन, संरक्षण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधन के सतत् विकास तथा प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय जल मिशन का प्रमुख उद्देश्य "जल संरक्षण, जल के व्यर्थ बहने में कमी लाना और एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच एवं राज्यों में जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना" है।

[हिन्दी]

नई लाइन के लिए सर्वेक्षण

1092. **श्री शिवराज भैया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर-दामोह-पन्ना-कुंदलपुर तथा दामोह-हाटा-खजुराहो खंडों पर नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ग) उक्त रेलवे लाइन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) दामोह (246 कि.मी.) के रास्ते जबलपुर और पन्ना तथा दामोह-टाटा और खजुराहों (125 कि.मी.) के बीच नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं। उपर्युक्त दोनों सर्वेक्षण कार्य को दिसंबर, 2012 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(ख) इन सर्वेक्षणों पर 31.3.2012 तक 15 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

(ग) जबलपुर-दामोह-पन्ना और दामोह-टाटा एवं खजुराहो के बीच नई लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव सर्वेक्षणों के पूरा होने तथा सर्वेक्षण रिपोर्टों के परिणामों के मूल्यांकन पर निर्भर करेंगे।

विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा व्यय

1093. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक प्रचार, विज्ञापन, स्वागत, खानपान, समारोहों के उद्घाटन संगोष्ठियों, सम्मेलनों, देश से बाहर पर्यटन, एसटीडी और आईएसडी टेलीफोन बिलों, बिजली के बिल विशेषकर एयर कंडीशन और कूलर के बिल और अन्य कार्यालय व्यय का वर्ष-वार और मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्षों के अंतर्गत व्यय घटाने का अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) इस संबंध में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

एसएफआईओ तथा आरओसी

1094. **श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) तथा स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) एक समान कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एसएफआईओ को दिए गए ऐसे अधिकारों का ब्यौरा क्या है, जो आरओसी को नहीं दिया गया है;

(घ) क्या सरकार एक ही कार्य के बार-बार किए जाने के कारण एसएफआईओ को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। कंपनी रजिस्ट्रार और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) समान कार्य नहीं करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रारों का प्राथमिक कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबंधों के प्रशासन हेतु पंजीयक/नियामक का है और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपी गई, कंपनियों द्वारा गंभीर प्रकृति की वित्तीय अनियमितताओं/धोखाधड़ियों की जांच हेतु उत्तरदायी है।

(ग) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कोई सांविधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, किन्तु केन्द्र सरकार कंपनियों द्वारा गंभीर धोखाधड़ियों/वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु निरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

(च) और (ङ) जी, नहीं। एसएफआईओ को विघटित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसका कंपनी रजिस्ट्रार के कार्य के साथ कोई दुहराव नहीं है।

[हिन्दी]

निर्मल ग्राम पुरस्कार

1095. **श्री लालचन्द कटारिया : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने पंचायती राज संस्थानों/अन्य संस्थानों को पुरस्कृत किया गया; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत दिए गए पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआरई) का राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 2012 के लिए पुरस्कार आज की तारीख तक नहीं दिए गए हैं।

(ख) एनजीपी के अंतर्गत आबादी मानदंड के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। ब्यौरे विवरण में निम्नानुसार हैं:—

मानदंड/राशि	ग्राम पंचायत					मध्यवर्ती पंचायत		जिला पंचायत	
जनगणना 2001 के अनुसार	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	10,000 तथा उससे अधिक	50,000 तक	50,001 तथा उससे अधिक	10,00,000 तक	10,00,000 से अधिक
प्रोत्साहन राशि (लाख रुपए)	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0	10.0	20.0	30.0	50.0

विवरण

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की संख्या

क्र. सं.	वर्ष / राज्य	2009			2010			2011		
		जीपी	बीपी	जेडपी	जीपी	बीपी	जेडपी	जीपी	बीपी	जेडपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	272	0	0	44	0	0	142	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	0	0	3	0	0	14	0	0
3.	असम	6	0	0	2	0	0	5	0	0
4.	बिहार	0	0	0	13	0	0	6	0	0
5.	छत्तीसगढ़	119	0	0	172	0	0	124	0	0
6.	गुजरात	350	0	0	189	0	0	422	0	0
7.	हरियाणा	131	0	0	259	0	0	330	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	253	0	0	168	0	0	323	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	2	0	0
10.	झारखंड	71	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	245	3	0	121	0	0	103	2	1
12.	केरल	43	15	2	103	1	0	7	11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	मध्य प्रदेश	639	0	0	344	0	0	212	0	0
14.	महाराष्ट्र	1720	6	0	694	0	0	442	2	0
15.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	52	0	0	160	0	0	365	0	0
17.	मिजोरम	20	0	0	5	0	0	53	0	0
18.	नागालैंड	42	0	0	23	0	0	17	0	0
19.	ओडिशा	20	0	0	81	0	0	48	0	0
20.	पंजाब	74	0	0	51	0	0	19	0	0
21.	राजस्थान	43	0	0	82	0	0	32	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	196	0	0	237	0	0	51	0	0
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	6	0	0	13	0	0	41	0	0
26.	उत्तराखंड	136	0	0	44	0	0	63	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	109	4	0	0	0	0	36	0	0

(2012 के दौरान आज की तारीख तक कोई पुरस्कार नहीं दिए गए हैं)

जीपी - ग्राम पंचायत

बीपी - ब्लॉक पंचायत

जेडपी - जिला परिषद्

जल स्तर पर मानसून का असर

1096. श्री कामेश्वर बैठा :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कम वर्षा होने के कारण सिंचाई हेतु जल का प्रावधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) खराब मानसून के कारण भूजल द्वारा सिंचाई के कारण जल स्तर में आई कमी का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भूजल के स्तर की कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण कम वर्षा को देखते हुए सिंचाई हेतु जल का प्रावधान करने के लिए कदम राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण आदि के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

(ख) भूजल स्तर की निगरानी केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जनवरी, अप्रैल/मई, अगस्त और नवंबर महीनों के दौरान की जाती है। खराब मानसून के परिणामस्वरूप भूजल द्वारा सिंचाई के कारण जल स्तर में गिरावट के राज्य-वार आंकड़ों के अनुसार नवंबर माह में गिरावट दर्ज की गई है।

(ग) सरकार द्वारा भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए माडल बिल का परिचालन किया गया है। अब तक चौदह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भूजल विधान अधिनियमित कर लिया हैं। इस मामले को अन्य राज्यों के साथ उठाया जा रहा है।

- राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है। इसके अनुसरण में राजस्थान सहित 18 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने भवन संबंधी उप-नियमों के तहत वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है।

- भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए अति दोहित 12 राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा निदेश जारी किए गए।

- सीजीडब्ल्यूए ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और शहरी विकास मंत्रालय को सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निदेश जारी किए हैं।

- देश में (जल जमाव क्षेत्रों को छोड़कर) वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/कृत्रिम भूमि जल पुनर्भरण अपनो के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीपीडब्ल्यूडी, राज्य पीडब्ल्यूडी को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा प्रमुख सड़कों के किनारे भारतीय रेलवे को सभी रेलमार्गों के साथ-साथ भारतीय खेल प्राधिकरण, बीसीसीआई, खेल एवं युवा मामला विभाग को खेल मैदानों में तथा भारतीय विमान पतन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सभी हवाई अड्डों पर भूमि जल पुनर्भरण उपायों के कार्यान्वयन हेतु सीजीडब्ल्यूए ने निदेश जारी किए गए हैं।

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने देश में (जल जमाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर) अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों में भूमि जल का उपयोग करने वाले वृहद और मध्यम उद्योगों को उनके परिसर में भूमि जल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन तथा बर्बाद जल के उपचारी उपायों, पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग सहित जल संरक्षण उपायों को शुरू करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

- पणधारियों तथा जल प्रबंधकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संरचना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सरकार ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद् का गठन किया है।

- वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूमि जल संवर्धन के नवप्रवर्तक उपायों को अपनाने, जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनःउपयोग करने और लोगों को भागीदारी के माध्यम से जागरूकता सृजन करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय ने गैर-सरकारी

संगठनों/ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों/संस्थानों/कॉर्पोरेट क्षेत्र और व्यक्तियों को उत्साहित करने के लिए 5 राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं 2 राष्ट्रीय जल श्रेष्ठता पुरस्कार की स्थापना की है।

- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड आईईसी गतिविधियों जैसे जल जागरूकता फैलाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनियों और मेलों में माडलों को प्रदर्शित करने, मेघदूत कार्डों का मुद्रण करने, विशेष सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने इत्यादि का आयोजन करता है।

- केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूमि जल विकास और प्रबंधन के विनियमन हेतु देश में 82 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।

- देश में अति-दोहित, गंभीर एवं अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों में आने वाले नए उद्योगों/परियोजनाओं के लिए भूजल की निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्थल विशेष तकनीकी अध्ययनों और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर प्रस्तावों का मूल्यांकन।

- कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर संस्थानों/वाल्मिस/अभियांत्रिकी महाविद्यालयों आदि के माध्यम से किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी) का कार्यान्वियन, जिसका लक्ष्य किसानों के बीच जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करने, वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और संबंधित मुद्दों के संबंध में जागरुकता सृजित करना है।

खादी कामगारों के लिए सुविधाएं

1097. **श्रीमती सीमा उपाध्याय :**
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री कामेश्वर बैठा :
श्री महेश्वर हजारी
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक निश्चित कार्य के लिए एक निश्चित मजदूरी तय है तथा कामगारों को तदनुसार भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) खादी और ग्रामोद्योग कामगारों के कल्याण हेतु केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में इन कामगारों द्वारा राज्य-वार कितनी शिकायतें की गई तथा इनकी प्रगति क्या है; और

(च) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों को दी जा रही सुविधाओं में (i) 'विपणन विकास सहायता' के तहत उत्पादन मूल्य के 20 प्रतिशत की सहायता जो कि कारीगरों, उत्पादक संस्थानों तथा बिक्रेता संस्थानों में वितरित किए जाएंगे; (ii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण-पत्र (आईएसईसी) के रूप में रियायती ऋण जिसके तहत संस्थानों को 4 प्रतिशत की दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है तथा बैंक की वास्तविक ब्याज दर एवं 4 प्रतिशत की रियायती दर के बीच का अंतर केवीआईसी द्वारा वहन किया जाता है; (iii) 'उत्पाद विकास डिजाईन इंटरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी)' के तहत सहायता; (iv) 'पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए निधि की योजना' (स्फूर्ति) के तहत कलस्टरों को सहायता और (v) 'विद्यमान कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता' शामिल है।

इसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। पीएमईजीपी के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणी से संबंधित लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए और क्षेत्र. में 10 लाख रुपए है।

इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) के उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए सहायता देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर दिया जाता है। केवीआईसी उनके लाभ के लिए अनेक घरेलू मेले और प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है। केवीआईसी के खादी और ग्रामोद्योग भवन भी उन्हें उनके उत्पादों के विपणन का अवसर उपलब्ध कराता है।

(ख) और (ग) खादी संबंधी गतिविधियां ऐसे संस्थानों द्वारा चलायी जाती हैं जो गैर-लाभकारी संगठन हैं। कामगारों को उनके उत्पादन के अनुसार, केवीआईसी द्वारा विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के लिए समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, मजदूरी दी जाती है। मजदूरी के अलावा संस्थानों द्वारा मजदूरी का 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन तथा मजदूरी की 12 प्रतिशत की दर से कामगार कल्याण निधि ट्रस्ट में अंशदान भी किया जाता है। कामगारों को इसके अतिरिक्त खादी और पाली वस्त्र के उत्पादन पर विपणन विकास सहायता का 25 प्रतिशत दिया जाता है।

(घ) खादी कामगारों की सामान्य अथवा दुर्घटनावश मृत्यु और अक्षमता के लिए केवीआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सहयोग से खादी कारगरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना नामक एक समूह बीमा स्कीम कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत, एक अतिरिक्त लाभ की पेशकश की जाती है जिसमें नौंवी से बारहवीं तक की कक्षा में पढ़ रहे बीमा कराए कारीगरों के स्कूल जाने वाले बच्चों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे दो बच्चों में से प्रत्येक को 100/- रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति की पेशकश जाती है।

(ङ) और (च) केवीआई कामगारों द्वारा की गई शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा इस मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। कामगारों से प्राप्त शिकायतों पर केवीआईसी द्वारा सतत् आधार पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में स्व-सहायता समूह

1098. **श्री संजय दिना पाटील :**
श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में केन्द्रीय आबंटन, बनाए गए स्व-सहायता समूह (एचएचजी) तथा सहायता प्राप्त करने वाले स्व-रोज़गारों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे एसएचजी की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है जो उनसे जुड़े परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बन गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों में उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में एसएचजी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान केन्द्रीय आवंटन, गठित किए गए स्व-सहायता समूहों और सहायता पाने वाले स्व-रोजगारियों की कुल संख्या का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) आत्मनिर्भर हो गए स्व-सहायता समूहों की संख्या से जुड़े आंकड़े केन्द्रीय मंत्रालय नहीं रखता है। एसजीएसवाई/एनआरएलएम के तहत आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) बैंकों के साथ स्व-सहायता समूहों के कमजोर संबंधों के कारण ऋण जुटाने और पुनःवित्तपोषण में आ रही कमी की समस्या की जानकारी सरकार को है। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सभी गरीब परिवारों, स्व-सहायता समूहों और उनके संघों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने से आगे जाते हुए स्र्वव्यापी वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य करेगा। एनआरएलएम वित्तीय समावेशन की मांग और आपूर्ति, दोनों पहलुओं पर काम करेगा। मांग के मामले में यह मिशन गरीबों में वित्तीय जानकारी को बढ़ावा देगा और स्व-सहायता समूहों एवं उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है। आपूर्ति के मामले में यह मिशन वित्तीय क्षेत्र के साथ समन्वयन करेगा और सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय प्रौद्योगिकियों, बिजनेस कॉरिसपोंडेंटों तथा सामुदायिक सुविधा प्रदाता जैसे कि 'बैंक मित्रों' के प्रयोग को बढ़ावा देगा।

विवरण-I

एसजीएसवाई/एनआरएलएम के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (जून, 2012 तक)		
		केन्द्रीय आबंटन	गठित स्व-सहायता दलों की संख्या	सहायता पाने वाले स्व-रोजगारियों की कुल संख्या	केन्द्रीय आबंटन	गठित स्व-सहायता दलों की संख्या	सहायता पाने वाले स्व-रोजगारियों की कुल संख्या	केन्द्रीय आबंटन	गठित स्व-सहायता दलों की संख्या	सहायता पाने वाले स्व-रोजगारियों की कुल संख्या	केन्द्रीय आबंटन	गठित स्व-सहायता दलों की संख्या	सहायता पाने वाले स्व-रोजगारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10887.00	90929	295568	12557.00	33072	165205	11472.00	23134	108814	11623.00	आरएनआर*	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	568.00	72	1496	692.00	10	1036	678.00	12	308	623.00	आरएनआर	0
3.	असम	14750.00	22327	164752	17988.00	26047	143941	17628.00	24218	143883	16194.00	आरएनआर	0
4.	बिहार	25899.00	30696	157801	29872.00	28413	162009	27291.00	10069	135426	27649.00	आरएनआर	0
5.	छत्तीसगढ़	5752.00	3877	50311	6635.00	6033	53564	6062.00	3031	44885	6141.00	आरएनआर	0
6.	गोवा	150.00	75	1489	200.00	71	768	176.00	69	184	175.00	आरएनआर	0
7.	गुजरात	4098.00	5467	46131	4727.00	7433	46820	4318.00	6953	30267	4375.00	आरएनआर	0
8.	हरियाणा	2411.00	3244	24392	2781.00	4912	30199	2541.00	2163	24435	2574.00	115	154
9.	हिमाचल प्रदेश	1015.00	1429	12284	1171.00	1200	11615	1070.00	867	10828	1084.00	31	203
10.	जम्मू और कश्मीर	1257.00	531	5644	1449.00	609	4271	1324.00	757	5236	1342.00	आरएनआर	0
11.	झारखंड	9766.00	7756	116670	11264.00	9204	113903	10290.00	4570	57019	10425.00	आरएनआर	0
12.	कर्नाटक	8221.00	7016	96470	9482.00	8258	107283	8663.00	7578	80754	8777.00	आरएनआर	0
13.	केरल	3689.00	1678	47426	4255.00	2077	47046	3887.00	2790	40311	3938.00	आरएनआर	0
14.	मध्य प्रदेश	12325.00	16202	106481	14214.00	17029	97761	12986.00	10040	88860	13156.00	आरएनआर	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	16251.00	33269	159026	18744.00	14195	159855	17125.00	11695	152429	17349.00	72	195
16.	मणिपुर	989.00	335	3362	1206.00	27	603	1182.00	301	363	1086.00	आरएनआर	0
17.	मेघालय	1108.00	1062	5211	1351.00	2072	40552	1324.00	715	5182	1216.00	आरएनआर	0
18.	मिजोरम	256.00	346	8159	313.00	189	3565	306.00	144	3010	281.00	आरएनआर	0
19.	नागालैंड	760.00	860	3884	927.00	541	4993	908.00	708	5519	834.00	आरएनआर	0
20.	ओडिशा	12453.00	20780	131334	14363.00	9536	138595	13122.00	14235	129363	13294.00	आरएनआर	0
21.	पंजाब	1172.00	1009	14504	1351.00	896	15657	1235.00	783	10287	1251.00	आरएनआर	0
22.	राजस्थान	6243.00	2846	62094	7200.00	3424	74853	6578.00	2823	76149	6664.00	आरएनआर	0
23.	सिक्किम	284.00	157	1463	346.00	139	1294	340.00	100	1337	313.00	आरएनआर	0
24.	तमिलनाडु	9627.00	29623	107486	11103.00	30647	138916	10144.00	19855	72095	10277.00	आरएनआर	0
25.	त्रिपुरा	1785.00	5238	30959	2177.00	5286	63890	2134.00	1271	13456	1960.00	आरएनआर	0
26.	उत्तर प्रदेश	37286.00	60088	345408	43006.00	52846	391700	39290.00	51269	341935	39827.00	1262	6029
27.	उत्तराखंड	1963.00	7033	18590	2264.00	7189	20789	2069.00	4993	17673	2096.00	342	516
28.	पश्चिम बंगाल	13839.00	35123	63092	15962.00	39807	66942	14582.00	28320	74494	14773.00	43	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	36	587	25.00	40	448	25.00	30	359	25.00	आरएनआर	0
30.	दमन और दीव	25.00		0	25.00		0	25.00		0	25.00	आरएनआर	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00		0	25.00		0	25.00		0	25.00	आरएनआर	0
32.	लक्षद्वीप	25.00	5	0	25.00	0	0	25.00	0	0	25.00	आरएनआर	0
33	पुदुचेरी	250.00	150	3103	300.00	112	1913	275.00	220	2256	275.00	आरएनआर	0
	कुल	205154.00	389259	2085177	238000.00	311314	2109986	219100.00	233713	1677117	219672.00	1865	7097

आरएनआर — रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुईं।

विवरण-II

एसजीएसवाई/एनआरएलएम के तहत आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13579	27563	7038	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	26	20	7	0
3.	असम	13673	31891	28192	0
4.	बिहार	12946	26117	19149	0
5.	छत्तीसगढ़	3974	5094	4219	0
6.	गोवा	122	167	56	0
7.	गुजरात	2915	5403	5217	0
8.	हरियाणा	2052	5251	2878	48
9.	हिमाचल प्रदेश	1023	998	1078	10
10.	जम्मू और कश्मीर	169	270	379	0
11.	झारखंड	5043	12937	7041	0
12.	कर्नाटक	5222	13429	13945	0
13.	केरल	2604	3301	3502	0
14.	मध्य प्रदेश	6171	14309	12951	0
15.	महाराष्ट्र	12337	22968	23435	83
16.	मणिपुर	200	172	261	0
17.	मेघालय	216	651	585	0
18.	मिजोरम	128	465	217	0
19.	नागालैंड	156	432	664	0
20.	ओडिशा	9519	18788	17092	0

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	551	1097	784	0
22.	राजस्थान	4331	6095	6001	0
23.	सिक्किम	118	217	209	0
24.	तमिलनाडु	6654	19898	9875	0
25.	त्रिपुरा	2544	4743	2184	0
26.	उत्तर प्रदेश	22172	47270	43979	2157
27.	उत्तराखंड	1882	2260	2135	62
28.	पश्चिम बंगाल	5849	40342	29678	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	43	36	0
30.	दमन और दीव		0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली		0	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
33.	पुदुचेरी	235	97	161	0
	कुल	136411	312288	242948	2360

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों पर औचक छापे मारना

1099. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री जोसेफ टोप्पो :
श्री हरीश चौधरी :
श्री निलेश नारायण राणे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार और तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के परिसरों पर कालाबाजारी रोकने, रिफिल लेखापरीक्षा, उपभोक्ताओं के परिसर पर औचक निरीक्षण, डिलीवरी वाहनों की रास्ते में जांच करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए औचक छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त छापों के दौरान कितने मामलों में अनियमितताएं पाई गईं तथा इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध दायर मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ओएमसी के अधिकारियों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच साठ-गांठ के कारण छापों की सूचना पहले ही पहुंच जाती है और छापे केवल खानापूर्ति के लिए होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो ओएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) डिस्ट्रीब्यूटरों के परिसरों में नियमित औचक निरीक्षण, रीफिल जांच, ग्राहकों के परिसरों में औचक जांच तथा सुपुर्दगी वाहनों आदि की मार्ग में जांच करती हैं। यदि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर अपराधी पाए जाते हैं, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में 50346 रीफिल जांच और 90698 निरीक्षण किए गए थे। एलपीजी विपथन/कालाबाजारी सहित अनियमितताओं के सिद्ध मामलों के आधार पर उक्त अवधि के दौरान, दोषी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध एमडीजी के प्रावधानों के तहत 4901 मामलों में कार्रवाई की गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पूर्व सूचना के बिना छापे मारे जाते हैं। ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है जहां डिस्ट्रीब्यूटर को पहले से सूचना दी गई हो।

(घ) ऊपर (ग) के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान, देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में किए गए निरीक्षणों, रीफिल जांचों और एलपीजी के विपथन/कालाबाजारी सहित अनियमितताओं के लिए दोषी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या	रीफिल जांचों की संख्या	सिद्ध मामलों संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8537	5791	357
2.	अरुणाचल प्रदेश	176	75	3
3.	असम	2015	699	62
4.	बिहार	2952	1350	221
5.	छत्तीसगढ़	1686	924	61
6.	दिल्ली	2918	1680	111
7.	गोवा	610	445	15
8.	गुजरात	5086	2514	196
9.	हरियाणा	2822	1672	137
10.	हिमाचल प्रदेश	1165	679	30
11.	जम्मू और कश्मीर	1402	793	57
12.	झारखंड	1519	734	128
13.	कर्नाटक	4467	3196	315
14.	केरल	3006	1648	195
15.	मध्य प्रदेश	5374	2601	331
16.	महाराष्ट्र	10464	7523	399
17.	मणिपुर	105	10	0
18.	मेघालय	237	79	5
19.	मिजोरम	116	7	0
20.	नागालैंड	184	30	1
21.	ओडिशा	1717	1266	124
22.	पंजाब	4011	2280	236
23.	राजस्थान	4205	1973	407
24.	सिक्किम	4	0	1
25.	तमिलनाडु	8069	3240	314

1	2	3	4	5
26.	त्रिपुरा	143	23	0
27.	उत्तर प्रदेश	11213	5386	996
28.	उत्तराखंड	776	513	25
29.	पश्चिम बंगाल	5055	2978	120
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50	26	0
31.	चंडीगढ़	292	188	24
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	4
33.	दमन और दीव	0	1	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	322	22	25
	कुल	90698	50346	4901

कॉर्पोरेट घराना घोटाला

1100. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री सोमेन मित्रा :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न घोटालों में कॉर्पोरेट घरानों की संलिप्तता पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कॉर्पोरेट घरानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को यह घोटाले करने वाले कॉर्पोरेट घरानों के साथ सरकारी अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों के संबंध के समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन करते हुए पाए गए कॉर्पोरेट घरानों को 'घोटाले में शामिल' माना जा सकता है। मंत्रालय में प्राप्त जांच प्रतिवेदनों के अनुसार 21 कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के तहत जिन कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गई हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन कंपनियों की सूची जिनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजनों को संस्वीकृति प्रदान की गई है

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	मैसर्स एसएचसीआईएल सर्विसेज लि.
2.	मैसर्स लिफिन इंडियन लि.
3.	मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज
4.	मैसर्स कृषि एक्सप्रोर्ट कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लि.
5.	मैसर्स जेवीजी फाइनेंस लि.
6.	मैसर्स निक्को यूको एलायंस क्रेडिट लि.
7.	मैसर्स इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजीज लि.

1	2
8.	मैसर्स पीएसजी डवलपर्स एंड इंजीनियर्स लि.
9.	मैसर्स जेनेट सॉफ्टवेयर लि.
10.	मैसर्स सुंगध एस्टेट एंड इंवेस्टमेंट प्रा.लि.
11.	मैसर्स अमाथी इंवेस्टमेंट लि.
12.	मैसर्स वेलवेट फाइनेंशियल एडवायजर्स प्रा.लि.
13.	मैसर्स एवीआई पैकेजिंग (इंडिया) लि.
14.	मैसर्स सेसा गोवा लि.
15.	मैसर्स सेसा गोवा इंडस्ट्रीज लि.
16.	मैसर्स जेवीजी डिपार्टमेंटस स्टोर्स लि.
17.	मैसर्स जेवीजी लीजिंग लि.
18.	मैसर्स कृषि ऑयल एंड फैट्स लि.
19.	मैसर्स एवीआई शूज लि.
20.	मैसर्स मेगासिटी (बेंगलूरु) डबलपर्स एंड बिल्डर्स लि.
21.	मैसर्स आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि.

[हिन्दी]

यात्री टिकट काऊंटर

1101. श्री कादिर राणा :
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए टिकट काऊंटरों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन कस्बों की पहचान की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने अन्य स्थानों तथा रेलवे स्टेशनों पर टिकट काऊंटर बढ़ाने की बजाय उन्हीं स्थानों पर निजी एजेंसियों द्वारा प्रचालित टिकट केन्द्र खोल दिया है;

(घ) यदि हां, तो जोन-वार, संख्या-वार किन स्थानों पर ऐसे सेन्टर खोले गए हैं;

(ङ) क्या निजी केन्द्रों से टिकटों की कालाबाजारी की शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) मांग पैटर्न को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर खोले जाते हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जाते हैं बशर्ते संसाधनों की तंगी न हो। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) जनता की सुविधा के लिए टिकट सुविधाओं का प्रसार आउट सोर्स और ई-टिकट के माध्यम से किया जाता है। अनारक्षित टिकट प्राप्त करने में यात्रियों को सुविधा देने की दृष्टि से अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) नियुक्त किए गए हैं। भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने आरक्षित टिकटों की ई-टिकट सुविधा की व्यवस्था करने के लिए एजेंसियां नियुक्त की हैं।

(घ) क्षेत्रीय रेलों पर नियुक्त जेटीबीएस का क्षेत्र-वार ब्यौरा और आईआरसीटीसी द्वारा नियुक्त किए गए ऐजेंटों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) अनारक्षित टिकटों की काला बाजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आरक्षित टिकटों के संबंध में कुछ शिकायतें जरूर नोटिस में आई हैं।

(च) 2012-13 में अप्रैल से जून, 2012 तक आईआरसीटीसी के 14 सब ऐजेंटों को निष्क्रिय किया गया है।

विवरण

नियुक्त एजेंटों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

रेलवे	नियुक्त किए गए जेटीबीएस की संख्या
मध्य	139
पूर्व	12
पूर्व मध्य	17
पूर्व तट	07
उत्तर	205
उत्तर मध्य	45
पूर्वोत्तर	69
पूर्वोत्तर सीमा	06
उत्तर पश्चिम	98
दक्षिण	93
दक्षिण मध्य	37
दक्षिण पूर्व	09
दक्षिण पूर्व मध्य	21
दक्षिण पश्चिम	53
पश्चिम	32
पश्चिम मध्य	35
कुल	878
आईआरसीटीसी के प्रमुख ऐजेंट	85

रेल सुरक्षा हेतु धनराशि

1102. श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री अरविन्द कुमार चौधरी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विशेष रूप से सुरक्षा उन्नयन हेतु धनराशि की भारी कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या रेलवे ने सुरक्षा उपायों के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रिया मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) संरक्षा संबंधी कार्यों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह यातायात के चालन पर निर्भर करता है और तदनुसार निधियों की व्यवस्था की जाती है। 2008-09 में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से रेलवे के निधि शेषों पर इसका प्रभाव पड़ा है। बहरहाल, संरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त राशि मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अगले चरण में संरक्षा को अपग्रेड करने के लिए और परिसम्पति नवीकरण में बकाया, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय के सभी विभागों को उनके विभाग से संबंधित संरक्षा और आधुनिकीकरण से संबंधित अपेक्षित निधि की मांग प्रस्तुत करने को कहा गया है।

रेलवे, संरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने और अपग्रेड करने के लिए निधियों की आवश्यकता को ठोस रूप देने के कार्य में जुटी हुई है। सरकार से प्रत्यक्ष सहायता सहित बढ़ी हुई आवश्यकता के वित्त पोषण के तौर-तरीके तय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

देश में आमान परिवर्तन

1103. श्री संजय धोत्रे :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री ओ.एस. मणियन :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आमान परिवर्तन के चालू/लंबित कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा राज्य/जोन-वार, खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर आबंटित खर्च की गई धनराशि का जोन/खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय अवधि निर्धारित की गई है तथा इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 01.04.2012 को आमान परिवर्तन परियोजना का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्धता के साथ जारी परियोजनाओं का अत्यधिक थ्रोफारवर्ड है जिसके प्रत्येक परियोजना को कम मात्रा में निधि उपलब्ध हो पाती है और उसे पूरा होने में समय अनावश्यक रूप से ज्यादा लगता है। परिणामस्वरूप धन को पूरा करने की लंबी अवधि में बांटा जाता है। पूरा किए जाने की विस्तरित अवधि से मुद्रास्फीति के कारण लागत में वृद्धि होती है। निर्माणप के मानकों में परिवर्तन के कारण भी परियोजना की लागत में वृद्धि होती है। सभी 42 चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं की 16,095 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के मुकाबले नवीनतम अद्यतन प्रत्याशित लागत 35,051 करोड़ रुपए है।

(घ) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्यों को सामान्यत: परियोजनाओं की प्रगति, उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निश्चित किया जाता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन, राज्य सरकारों और लाभार्थियों द्वारा प्रतिभागिता और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि चालू कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

विवरण

01.04.2012 को चालू आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर आबंटित/खर्च किया गया व्यय, प्रगति, लागत में वृद्धि एवं पूरा करने को लक्ष्य सहित आदि का जोन-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी.)	परिव्यय 2012-13	मार्च, 2012 तक प्रत्याशित व्यय	वर्तमान स्थिति एवं जहां कही निश्चित हो, पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	बिजलपुरा-बरदीबस के बीच विस्तार सहित जयगनर-बिजलपुरा (नेपाल) (69.28 किमी.)	69	10	15	निश्चित नहीं
2.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 किमी.)	268	25	653.66	बैरगनिया-चौरदानो (30 किमी.) एवं चौरदानो-रक्सौल (भाग) 2011-12 में समाप्त। चौरदानों के शेष भाग को 2012-13 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6
3.	सहरसा-दौरान माधेपुरा सहित मनसी-सहरसा (143 किमी.)	143	25	384.77	दौरानम माधेपुरा-बनमक्खी (42 किमी.) 2011-12 में समाप्त। मुरलीगंज-बनमखी (भाग) और बनमाखी-पूर्णिया को 2012-13 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
4.	सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली एवं सहरसा-फोर्ब्सगंज (206.06 किमी.)	206.06	10	150.05	सहरसा-सरायगढ़ को 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	कटवा-बाजारसौ दोहरी लाइन के लिया नया एमएम सहित बर्दवान कटवां, कटवां (दैनहाट) मातेस्वर, नेगुण-मंगलकोट एवं मातेस्वर-मेमरी नई लाइन	160.62	95	189.81	निश्चित नहीं
6.	गंगापुर सिटी तक विस्तार सहित धोलपुर-सिरमुत्तरा	144.6	20	0.56	निश्चित नहीं
7.	कोटा तक विस्तार सहित ग्वालियर-शिवपुर कलां	284	5	1.14	निश्चित नहीं
8.	पीलीभीत के रास्ते भोजीपुर-टनकपुर (101.79 किमी.)	101.79	35	39.01	निश्चित नहीं
9.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ के चरण-I के रूप में गोंडा-बहराइच (60 किमी.)	60	10	35.06	निश्चित नहीं
10.	आनंद नगर नौतवां सहित गोंडा-गोरखपुर	260	100	502.1	आनंदनगर-नौगढ़ (31 किमी.) का कार्य 2011-12 में समाप्त। नौगढ़-बरहनी को 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य।
11.	बरेली से लालकुआं तक विस्तार के लिए एमएम सहित कानपुर-कासगंज-मथुरा एवं कासगंज-बरेली-लालकुआं (544.5 किमी.)	544.5	130	1258.6	बरेली-लालकुआं (84 किमी.) 2011-12 में समाप्त। कासगंज-बरेली को 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य।
12.	कप्तानगंज-थावे-सीवान-छपरा (233.5 किमी.)	233.5	15	475.3	निश्चित नहीं

1	2	3	4	5	6
13.	सीतापुर, लखीमपुर के रास्ते लखनऊ-पीलीभीत	262.76	1	1	निश्चित नहीं
14.	कटखल-भैराबी (84 किमी.)	84	15	121.17	मार्च, 2014
15.	राधिकापुर, कटिहार-तेजनारायणपुर तक विस्तार सहित कटिहार-जोगबनी एवं रायगंज-दालखोला के लिए नया एमएम (43.43 किमी.) छोटी लाइन	277.43	15	735.52	कटिहार-जोगबनी - राधिकापुर एवं कटिहार-तेजनारायणपुर का कार्य समाप्त।
16.	बदरपुर-बैरग्राम (44 किमी.) तक विस्तार सहित मिगरेंडिसा-डिट्टोक्चेरा सहित लम्डिग-सिल्चर (198 किमी.) एवं कुमारगंज (29.40 किमी.) पर बाइपास के साथ बरईग्राम-दुलाबचेरा एवं करीमगंज	482.73	400	3141.68	दिसंबर, 2013
17.	शाखा लाइनों सहित न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव नई लाइन एवं चलसा-नक्सलबाड़ी के लिए नया एमएम (16 किमी.) नई लाइन	433	10	1029.59	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव का कार्य पूरा हो गया है।
18.	लिंक्ड फिंगरों सहित रांगिया-मुर्कोंगसेलेक (510.33 किमी.)	510.33	380	1055.17	रांगिया-रंगपाड़ा नार्थ (123.6 किमी.) का कार्य 2011-12 में समाप्त। रंगपाड़ा नार्थ-नार्थ लखीमपुर (172 किमी.), नार्थ लखीमपुर-मुर्कोंगसेलेक (154 किमी.) और बल्लीपाड़ा-भालूकोपांग (34 किमी.) 2012-13 तक पूरा करने का लक्ष्य।
19.	जयपुर-रिंगस-चुरू एवं सीकर लोहारू	320.04	100	95.65	सीकर-लोहारू को 2012-13 पूरा करने का लक्ष्य।
20.	एमएक के रूप में स्वीकृत रतनगढ़-सरदारशहर (44 किमी.) के साथ सदूलपुर-बीकानेर एवं रतनगढ़-देगाना (394.35 किमी.)	438.35	20	802.06	रतनगढ़-सरदारशहर को छोड़कर परियोजना समाप्त।
21.	सुरतपुरा-हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर (240.95 किमी.)	240.95	100	172.9	हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर (भाग) को 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य

1	2	3	4	5	6
22.	छिंदवाड़ा-मांडला फोर्ट (182.25 किमी.)	182.25	25	4.72	निश्चित नहीं
23.	छिंदवाड़ा-नागपुर (149.52 किमी.)	149.52	40	202.95	निश्चित नहीं
24.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंडिया (285 किमी.)	285	30	598.36	निश्चित नहीं
25.	बोवईचंडी खाना (22 किमी.), रायनगर-चिंचई (20.9) बांकुरा-मुकुटमणिपुर (57) सहित बांकुरा-दामोदर वैली एवं एमएम मुकुटमणिपुर-ऊपरसोल (26.70), हुरा के रास्ते बांकुरा (कलाबाड़ी)-पुरुलिया (65) एवं मुकुटमणिपुर-झिलमिल (24)	281.85	40	429.62	मटनासिबपुर-मसग्राम (10.40 किमी.) को 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य एवं बांकुरा-मुकुटमणिपुर (48.25 किमी.) को दिसंबर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य
26.	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारडागा (113 किमी.)	113	10	288.89	बकरीचंपा-टोरी (29.5 किमी.) को दिसंबर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य
27.	रूपसा-बांगरपोसी (90 किमी.)	90	0.5	173.19	रूपसा-बांगरीपोसी (90 किमी.) का कार्य समाप्त। हावड़ा-नागपुर रेल माइन से कनेक्शन का कार्य हाथ में लिया गया है।
28.	डिंडीगुल-पोल्लची-पालघाट एवं पोल्लची-कोयम्बतूर (224.88 किमी.)	224.88	70	555.12	पालघाट-पोल्लची (58 किमी.) और पलनी-पोल्लची (63 किमी.) का कार्य 2011-12 में समाप्त। पोल्लची-पोदानुर (40 किमी.) को दिसंबर, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य
29.	मदुरै-बोडिनाकयक्कनुर (90.41 किमी.)	90.41	5	24.25	निश्चिम नहीं
30.	नीदमंगलम-मन्नरगुडी लाइन मन्नरगुडी-कोट्टई की पुन: बहाली सहित मयलिदुतुई-तिरुवरुर-करईकुडी एवं तिरुतुरईपुंडी-अगस्तयमपल्ली	224	70	323.18	मयलिदुतुरई-तिरुवररु (38 किमी.) का कार्य 2011-12 में समाप्त
31.	कोल्लम-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदु एवं तेनकासी-विरुधनगर (357 किमी.)	357	52	757.82	मार्च, 2015

1	2	3	4	5	6
32.	नागापट्टिनम-वेलंकमी-तिरुतुईपुंडी का विस्तार सहित (43 किमी.) तिरुचिरप्पली-नागोर - करईक्कल (200 किमी.)	243	40	551.98	जून, 2014
33.	कोलार-चिकबल्लपुर (96.5 किमी.)	96.5	30	273.04	कोलार-चिंतामणि (47 किमी.) और चिंतामणि-सिद्दलगुट्टे (16 किमी.) का कार्य 2011-12 में समाप्त।
34.	मेट्टुपलयम तक विस्तार सहित मैसूर-चामराजनगर (चरण-I) (148 किमी.)	148	1	196.43	कार्य समाप्त और चालू हो गया है।
35.	अहमदाबाद-बोटाड (170.48 किमी.)	170.48	1	0	निश्चित नहीं
36.	मोडासा-शाम्लाजी रोड सहित अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर (22.53 किमी.)	321.73	60	3.57	निश्चित नहीं
37.	मेहसाणा-तरंगाहिल के लिए नए एमएम सहित भिलड़ी-वीरमगाम (57.4 किमी.)	214.4	40	158.16	भिलड़ी-वीरमगाम कार्य समाप्त एवं चालू कर दिया गया है। पाटन-भिलड़ी की 2012-13 तक पूरा करने का लक्ष्य।
38.	नलिया से वयोर तक (24.65 किमी.) विस्तार सहित भुज-नलिया (101.35 किमी.)	126	50	0.99	निश्चित नहीं
39.	ढासा-जेतलसर (104.44 किमी.)	104.44	1	0	निश्चित नहीं
40.	विद्युतीकरण सहित मियागाम-करजन-दभोई-समलाया आमान परिवर्तन	96.46	20	0	निश्चित नहीं
41.	शापुर-सरदिया के लिए नया एमएम सहित राजकोट-वेरावल, वांसजनिया से जेतलसर (46 किमी.) एवं सोमनाथ-कोदिनार (36.91 किमी.	363.91	15	512.2	राजकोट-वेरावल, वांसजलिया से जेतलसर का कार्य समाप्त।
42.	रतलाम-महो-खंडवा-अकोला	472.64	35	59.51	रतलाम-फतेहाबाद (80 किमी.) को 2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य।

[हिन्दी]

एनएमडीएफसी द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन

1104. **श्रीमती अश्वमेध देवी :**
श्री महाबली सिंह :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास हेतु राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त योजनाओं के अंतर्गत उक्त निगम को सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) सहायता प्रदान करने के लिए एनएमडीएफसी द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) उक्त निगम द्वारा दिए गए ऋण एवं सहायता तथा उक्त योजनाओं के अंतर्गत उनके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़ेपन को देखते हुए इस निगम को अधिक सक्षम बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के ब्यौरों में शामिल हैं:—

आवधिक ऋण : एनएमडीएफसी अपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को आवधिक ऋण प्रदान करता है, जिनका नामांकन संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 5.6 लाख रु. तक आवधिक ऋण 6% वार्षिक दर पर उपलब्ध है।

लघु वित्त : एनएमडीएफसी एससीए और स्थापित गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्वसहायता समूहों में संगठित अल्पसंख्यकों में गरीबों में सबसे गरीब को लघु ऋण प्रदान करता है। प्रति स्वसहायता समूहों को 25,000 रु. की राशि 5% वार्षिक ब्याज दर से उपलब्ध है।

शिशा ऋण : एनएमडीएफसी तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अपने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से व्यक्तियों को अधिकतम 2.5 लाख रु. तक का शिक्षा ऋण भी प्रदान करता है। शिक्षा ऋण 3% वार्षिक ब्याज दर से उपलब्ध है।

संवर्धनात्मक योजनाएं : एनएमडीएफसी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अपने लक्षित समूहों के लाभार्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण, विपणन सहायता और महिला संमृद्धि योजना जैसी संवर्धनात्मक योजनाओं को भी चलाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एनएमडीएफसी को इक्विटी के रूप में निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा एनएमडीएफसी को निर्मुक्त निधियां
2009-10	125.00
2010-11	115.00
2011-12	115.00
2012-13 (31.7.2012 तक)	99.64

(घ) एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों अर्थात् मुस्लिमों, इसाईयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों को, जो दुगनी गरीबी रेखा से नीचे हैं, स्वरोजगार और आय सृजक क्रियाकलापों को चलाने के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। दुगनी गरीबी रेखा से नीचे की आय सीमा इस समय शहरी क्षेत्रों में 55,000 रु. प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 रु. प्रतिवर्ष है।

(ङ) एनएमडीएफसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत मुहैया करायी गई ऋण सहायता और उनके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(च) और (छ) एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों और योजनाओं के दायरे को महत्वपूर्ण स्तर तक विस्तारित करने के उद्देश्य से, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पहले ही एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण-I

आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2012-13 सहित पिछले वर्षों के लिए एनएमडीएफसी द्वारा वितरित और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त राशि

31.07.2012 की स्थिति अनुसार (लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
			वितरित	प्रयुक्त	अप्रयुक्त	वितरित	प्रयुक्त	अप्रयुक्त	वितरित	प्रयुक्त	अप्रयुक्त	वितरित	प्रयुक्त	अप्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी			0.00			0.00			0.00			0.00
2.	असम	एएमडीएफसी			0.00			0.00			0.00			0.00
3.	बिहार	बीएसएमएफसी			0.00	789.00	789.00	0.00	438.00	0.00	438.00			0.00
4.	चंडीगढ़	सीएचसीएफडीसीएल	6.00	6.00	0.00	4.00	4.00	0.00	7.00	0.00	7.00			0.00
5.	छत्तीसगढ़	सीएचसीएफडीसी	100.00	99.98	0.02	100.00	100.00	0.00			0.00	100	0	100.00
6.	दिल्ली	डीएससीएसटीएफडीसी	34.00	34.00	0.00	17.00	17.00	0.00	10.20	7.65	2.55			0.00
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	289.93	289.93	0.00			0.00	38.84	30.73	8.11			0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	230.00	230.00	0.00	115.00	115.00	0.00	120.00	120.00	0.00	100.00	37.76	62.24
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	550.00	550.00	0.00			0.00			0.00			0.00
		एमडीए	226.00	116.00	110.00			0.00			0.00			0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी			0.00			0.00			0.00			0.00
		जेकेडब्ल्यूडीसी	460.00	460.00	0.00	533.00	533.00	0.00	466.00	466.00	0.00			0.00
		जेकेईडीआई			0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00			0.00
11.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी			0.00			0.00			0.00			0.00
12.	केरल	केबीसीडीसी	1,600.00	1,600.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,250.00	356.42	893.58
		केएससीएफएफडीसी	250.00	250.00	0.00	413.91	413.91	0.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		केएसडब्ल्यूडीसी	1,440.00	1,319.54	120.46	526.59	526.59	0.00	400.00	400.00	0.00			0.00
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	270.00	262.89	7.11			0.00			0.00			0.00
14.	महाराष्ट्र	एमएएमएफडीसी	500.00	500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	419.00	189.48	229.52			0.00
15.	मणिपुर	एमओबीडीएस			0.00			0.00			0.00			0.00
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी			0.00			0.00			0.00			0.00
		एमपीएचडीसी			0.00			0.00			0.00			0.00
17.	मिजोरम	एमसीएबी	300.00	300.00	0.00	129.00	129.00	0.00			0.00			0.00
		जेडआईडीसीओ			0.00			0.00			0.00			0.00
18.	नागालैंड	एनआईडीसी	600.00	600.00	0.00	351.00	351.00	0.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	100.00
		एनएचडीसी	520.00	480.00	40.00			0.00			0.00			0.00
		एचएफएल			0.00			0.00			0.00			0.00
		एनएसडब्ल्यूबी			0.00			0.00			0.00			0.00
19.	ओडिशा	ओबीसीएफडीसी			0.00			0.00			0.00			0.00
20.	पुदुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	140.00	158.40	-18.40	200.00	200.00	0.00			0.00	25	0	25.00
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	469.64	469.64	0.00	961.13	961.13	0.00	500.00	466.75	33.25	200.00	0.00	200.00
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	300.00	300.00	0.00	700.00	700.00	0.00	650.00	493.45	156.55			0.00
23.	तमिलनाडु	टीएएमसीओ	1,000.00	1,000.00	0.00	820.00	820.00	0.00			0.00	500	0	500.00
24.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	96.00	96.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	100.00
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी			0.00			0.00			0.00			0.00
26.	उत्तराखंड	यूएमएफडीसी	20.00	20.00	0.00			0.00			0.00			0.00
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	4,500.00	4,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	829.29	1870.71
		योग	13,901.57	13,642.38	259.19	12,947.63	12,947.63	0.00	11,199.04	9,824.06	1,374.98	5,225.00	1,223.47	4001.53

विवरण-II

लघु वित्त योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2012-13 सहित पिछले तीन वर्षों के लिए एनएमडीएफसी द्वारा वितरित और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त राशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	राज्य चैनेलाइजिंग एर्जेसी	2008-09 अप्रयुक्त राशि	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
				वितरित राशि	प्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त राशि	वितरित राशि	प्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त राशि	वितरित राशि	प्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त राशि	वितरित राशि	प्रयुक्त राशि	अप्रयुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
2.	असम	एएमडीएफसी	0.00			0.00	200.00	200.00	0.00	124.00	0.00	124.00			
3.	बिहार	बीएसएमएफसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
4.	चंडीगढ़	सीएचसीएफडीसीएल	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
5.	छत्तीसगढ़	सीएचएसीएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
6.	दिल्ली	डीएससीएसटीएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
7.	गुजरात	जीएमएफडीसी	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
8.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
9.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		एमडीए	0.00	300.00	410.00	-110.00	0.00	0.00	0.00			0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		जेकेडब्ल्यूडीसी	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	38.14	11.86			
		जेकेईडीआई	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
11.	झारखंड	जेएसएसटीसीडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
12.	केरल	केबीसीडीसी	0.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00			
		केएससीएफएफडीसी	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00
		केएसडब्ल्यूडीसी	0.00	20.00	140.19	-120.19	41.41	41.41	0.00	100.00	100.00	0.00			
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	0.00	80.00	69.85	10.15	0.00	0.00	0.00			0.00			
14.	महाराष्ट्र	एमएमएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
15.	मणिपुर	एमओबीडीएस	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
16.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		एमपीएचडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
17.	मिजोरम	एमसीएबी	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		जेडआईडीसीओ	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
18.	नागालैंड	एनआईडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		एनएचडीसी	0.00		40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
		एचएफएल	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		एनएसडब्ल्यूबी	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00			
19.	ओडिशा	ओबीसीएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00			
20.	पुदुचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	0.00	60.00	41.60	18.40	0.00	0.00	0.00			0.00			
21.	पंजाब	बीएसीकेएफआईएनसीओ	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
22.	राजस्थान	आरएमएफडीसीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
23.	तमिलनाडु	टीएमसीओ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00			0.00	500.00	0.00	500.00
24.	त्रिपुरा	टीएमसीडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
25.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
26.	उत्तराखंड	यूएमएफडीसी	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			
27.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,828.00	4,828.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00			
		योग	0.00	5,604.81	5,846.45	-241.64	10,369.41	10,369.41	0.00	15,903.00	14,688.14	1,214.86	1,500.00	500.00	1,000.00

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने पर लगाई गई शास्ति

1105. **श्री रतन सिंह :**
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली चूककर्ता कंपनियों पर केवल वित्तीय शास्ति ही लगाई जाती है और उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कितनी वित्तीय शास्ति लगाई गई; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन हेतु सक्षम न्यायालयों में कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) द्वारा दायर सभी अभियोजन आपराधिक मामले माने जाते हैं। इन मामलों का निपटारा सक्षम न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर कंपनी अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार आर्थिक दंड और/या कारावास का दंड देकर किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन हेतु माननीय न्यायालयों द्वारा लगाया गया कुल दंड निम्नवत् है:—

वर्ष	राशि (रुपए)
2008-09	1,10,58,647
2009-10	92,30,317
2010-11	70,84,542

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल

1106. **श्री बिभू प्रसाद तराई :**
श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर स्थित विभिन्न स्टॉलों पर औषधियों और विविध वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सही है कि रेलवे ने उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य सभी स्टेशनों के रेलवे प्लेटफार्मों पर स्थित उक्त स्टॉलों पर खाद्य पदार्थों को पकाने की अनुमति प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह भी सही है कि विभिन्न रेल जोनों ने आज की तारीख तक इस आदेश को लागू नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर चाय, पूरी-भाजी, डोसा, वडा, पकौडा, समोसा और अन्य छोटी-मोटी खाद्य मदें तैयार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है ताकि यात्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाले ताजे, स्वच्छ, स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजन मुहैया कराए जा सकें लेकिन ऐसा करते समय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों से दूरी, औद्योगिक गैस का इस्तेमाल, सुरक्षित पाइप व्यवस्था, फिटिंग, अग्नि शामक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लीक डिटेक्टर आदि जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं, अत: इनका कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, उपनगरीय स्टेशनों पर किसी प्रकार की कुकिंग की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

बम्बई उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन

1107. **श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बम्बई उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य-वार उच्च न्यायालयों के नामों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) 'बम्बई उच्च न्यायालय' को 'मुम्बई उच्च न्यायालय' के रूप में, 'कलकत्ता उच्च न्यायालय' को 'कोलकाता उच्च न्यायालय' के रूप में, 'मद्रास उच्च न्यायालय' को 'चेन्नई उच्च न्यायालय' के रूप में और 'गौहाटी उच्च न्यायालय' को 'गुवाहाटी उच्च न्यायालय' के रूप में नामों को परिवर्तित करने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

रेल सेवाओं हेतु माल सूची

1108. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने मालभाड़ा और माल दोनों श्रेणियों के लिए रेल सेवाओं की सूची की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं पर सेवा कर लगाए जाने के संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने कतिपय आधारभूत विवरण मांगा है। भारतीय रेल का कुल टर्नओवर, ढोए गए माल यातायात की कीमत, सेवाकर से छूट प्राप्त माल यातायात की कीमत, वातानुकूलित श्रेणियों, प्रथम श्रेणी और अन्य श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल की गई सकल राशि, भारतीय रेल पर कोर सेवाएं मुहैया कराए जाने से प्राप्त कर योग्य सेवाओं की कीमत, इन कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर की राशि, कोर सेवाएं मुहैया कराने के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का मूल्य, उन वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की राशि और कर योग्य इनपुट की कीमत, रेलवे द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की राशि पर अनुमानित कर भार के संबंध में सूचना मांग की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

रेल संरक्षा हेतु प्रौद्योगिकी

1109. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए टक्कररोधी उपकरण आदि जैसी नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी अपनाई गई है तथा इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूरे देश में ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा रेल यात्रा को दुर्घटना रहित बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। रेलें टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी), गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), ट्रेन कोलिसन एवांइडेन्स सिस्टम (टीसीएएस), सर्तकता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) और फॉग सेफ डिवाइस आदि जैसी विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विचार कर रही हैं।

(ख) हो (घ) **टक्कररोधी उपकरण (एसीडी):** टक्कररोधी उपकरण इंजन में स्थित एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित उपकरण है जो समीप स्थित अन्य इंजनों को स्थिति की जानकारी निरंतर भेजता है और क्षेत्र में किसी अन्य इंजन से टक्कर होने जैसी स्थिति में ब्रेक लगा देता है। एसीडी की व्यवस्था पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर

1736 मार्ग किलोमीटर पर और 548 इंजनों में जुलाई, 2006 से एक पायलट परियोजना के रूप में की गई है जिसका 2006 से सेवा परीक्षण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अनुभव के आधार पर, विशिष्टियों और डिजाइन कंफिग्रेशन में संशोधन किए गए और इस प्रकार विकसित प्रणाली का परीक्षण 2010-11 में दक्षिण रेलवे के विद्युतीकृत मल्टिपल लाइनों, स्वचालित सिगनल प्रणाली वाले खंडों पर किया गया था। दक्षिण रेलवे में परीक्षण के दौरान अनेक परिचालनिक और तकनीकी समस्याएं पायी गईं जिसकी जांच की जा रही है। कोंकण रेल निगम लि. द्वारा उपलब्ध कराए गए और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में परीक्षण किए जा रहे टक्कररोधी उपकरण में भी परिचालनिक और तकनीकी समस्याएं आ रही हैं जिनका अभी समाधान किया जाना है। इन मामलों का व्यापक रूप से समाधान कर दिये जाने के उपरांत ही अन्य रेलों के जटिल और उच्च घनत्व वाले मार्गों (एचडीएन) पर इस प्रणाली का विस्तार करना संभव होगा।

गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस): खतरे पर सिगनल पास करने और अधिक गति जैसे मानवीय चूकों द्वारा हुई दुर्घटनाओं को समाप्त करता है। मई, 2008 में दक्षिण रेलवे के उपनगरीय खंड (50 मार्ग किमी.) पर गाड़ी सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना को चालू किया गया है और यह परिचालन में है। उत्तर मध्य रेलवे पर दिल्ली-आगरा खंड (200 मर्ग किमी.) पर पायलट परियोजना की कॉमर्शियल ट्रायल चालू है। प्राप्त अनुभव के आधार पर 8 क्षेत्रीय रेलों अर्थात् मध्य, पूर्व, उत्तर, दक्षिण मध्य, उत्तर मध्य, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और पश्चिम के 3397 मार्ग किलोमीटर को शामिल करते हुए उच्च घनत्व वाले नेटवर्क/आटोमैटिक सिगनल वाले खंडों पर तैनाती के लिए निम्न लागत वाले टीपीडब्ल्यूएस संस्करण को स्वीकृत किया गया है।

गाड़ी टक्कररोधी प्रणाली (टीडीएएस): एसीडी और टीपीडब्ल्यूएस प्रणालियों में प्राप्त अनुभव के आधार पर, भारतीय रेल ने अब टीसीएएस का विकास करने का कार्य शुरू किया है। टीसीएएस, टीपीडब्ल्यूएस और एसीडी के कार्य प्रणालियों का मिश्रण होगा और खतरे के निशान पर सिगनल पार करने और टक्कर होने से रोकेगा। यह एक स्वदेशी शोध और विकास का प्रयास है, इस पर कार्य प्रगति पर है।

सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी): संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता नियंत्रण उपकरणों को बिजली के साथ-साथ डीजल इंजनों पर भी मुहैया कराया जा रहा है। वीसीडी एक उपकरण है जोकि प्रत्येक 60 सैकेंड पर सतर्कता को जांचने के लिए हार्न को बजाना, मास्टर कंट्रोलर को चलाना, ब्रेकों को लगाना और बटनों को दबाना जैसे ड्राइवर के पॉजीटिव एक्शनों द्वारा समय-समय पर इनपुट लेता है और हरकत नहीं पाए जाने पर गाड़ी को रोककर संरक्षा सुनिश्चित करता है। सभी डीजल इंजनों और 76% प्रतिशत बिजली इंजनों में वीसीडी मुहैया की गई हैं। 2012-13 के दौरान शेष बिजली इंजनों में वीसीडी की व्यवस्था किए जाने के लिए बजट 2012-13 में 5.8 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं और यह कार्य प्रगति पर है।

फॉग सेफ डिवाइस (एफएसडी): एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपकरण है। भारतीय रेलों पर उच्च घनत्व, अधिक कुहरा संभावित खंडों पर चल रहे इंजनों पर परीक्षण के आधार पर लगाए गए। यह उपकरण कम दृश्यता की स्थिति में भी आने वाले सिगनलों और अन्य महत्वपूर्ण चिह्नों के नाम डिसप्ले करता है। बहरहाल, यह सिगनल की स्थिति का संकेत नहीं देता है। इसके विस्तारित परीक्षण प्रगति पर हैं। इनके परिणामों का विश्लेषण यह तय करने के लिए किया जा रहा है। कि क्या यह उपकरण विश्वसनीय ढंग से कार्य करता है इसके अलावा, इस उपकरण जिसका अभी भी विकास किया जा रहा है, के पर्याप्त संख्या में अच्छे वेंडर भी उपलब्ध नहीं हैं। अत: फॉग सेफ डिवाइस का उपयोग बढ़ाने के लिए इसकी विश्वसनीयता, कर्मीदल के अनुकूल होने और उपकरणों की मजबूती सिद्ध करने के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि यह उपकरण कोई संरक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि लोको पायलट के गाड़ियों को चालने के दौरान, विशेषकर कुहरे वाले मौसम में, तनाव कम करने वाला एक उपकरण है।

फॉग सेफ उपकरण डिवाइस को राजस्व व्यय के अंतर्गत मुहैया कराया जा रहा है और अलग से कोई धन नहीं मुहैया कराया जा रहा है।

(ङ) भारतीय रेल सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने संरक्षा उपकरणों/प्रणालियों का निरंतर आधुनिकीकरण कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं:-

(i) रेलपथ का कोई वाहन होने का पता लगाने के लिए सिगनल प्रणाली में पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था।

(ii) मानवीय विफलताओं को दूर करने और पुराने अप्रचलित यांत्रिक प्रणालियों को बदलने के लिए केन्द्रीकृत परिचालन बिन्दुओं वाला इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिगनल सिस्टम।

(iii) ब्लॉक खंड में कोई वाहन (वाहनों) का पता लगाने में सक्षम होने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे कोई असुरक्षित स्थिति उत्पन्न न हो, ब्लॉक खंड के ऑटोमेटिक क्लीयरेंस के लिए एक्सल काउन्टर।

(iv) लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टरों, नियंत्रकों और रेलपथ पर कार्य करने वाले अनुरक्षण दलों के बीच सुरक्षित संवाद के लिए मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्यूनिकेशन (एमटीआरएस) का प्रावधान।

(v) किसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कोचों को एक दूसरे पर चढ़ने से रोकने के लिए स्क्रू कपलिंग के बदले उत्तरोत्तर टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर्स (सीबीसी) लगाना।

(vi) एचएचबी डिजाइन वाले बेहतर क्रैसवर्दी कोचों का उत्पादन बढ़ाना।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब कोई गाड़ी रेलपथ पर गुजराती है तो रेलपथ को कोई क्षति तो नहीं हुई है रेलपथ पर भार के प्रभाव की निगरानी रखने के लिए व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर (डब्ल्यूआईएलडी) का परीक्षण।

(viii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, कोचों में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग।

(ix) कोचों में आग और धुआं का पता लगाने की प्रणाली का परीक्षण।

(x) माल गाड़ियों में वैक्यूम ब्रेक सिस्टम के स्थान पर उत्कृष्ट एयर ब्रेक सिस्टम का प्रावधान जो गाड़ियों के बेहतर नियंत्रण को सुविधाजनक बनाता है।

(xi) वेल्डिंग की विफलताओं को कम करने के लिए पटरियों का थर्मिट वेल्डिंग की जगह बेहतर फ्लैश बट वेल्डिंग तकनीक का क्रमिक उपयोग।

(xii) बेहतर रेलपथ क्षमता के लिए 52 किग्रा. पटरियों के बदले 60 किग्रा. की पटरियां लगाना और प्वाइंट और क्रासिंगओं में मोटे वेब स्विचों का विकसित उपयोग करना।

(xiii) अनुरक्षण की योजना बनाने और यांत्रिकीकृत रेलपथ अनुरक्षण हेतु रेलपथ ज्यूमेट्री की विफलताओं के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों और पोर्टेबल ओसिलेशन मॉनिटरिंग प्रणालियों का उपयोग।

(xiv) पटरियों में नंगी आंखों से दिखाई न पड़ने वाले धुंधले दोषों/मेटालर्जिकल खामियों का पता लगाने के लिए बेहतर अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर (यूएसएफडी) उपस्करों का उपयोग।

(xv) रात के समय चालकों की दृश्यता को सुधारने के लिए ट्विन बीम हैडलाइट

(xvi) फ्लेशर लाइटें जोकि गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण विभाजन या किसी और मामले में अपने-आप जल जाती है।

(xvii) ब्रेकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता को बेहतर करने के लिए एयर ड्रायर्स।

(xviii) डिजीटल मेमोरी वाली एनर्जी-कम-स्पीड मॉनीटरिंग प्रणाली (ईएसएमओएन)

[हिन्दी]

आईएवाई के अंतर्गत लाभार्थी

1110. **श्री नारनभाई कछाड़िया :**
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान बीपीएल सूची में से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की कुल संख्या कितनी है और इस संबंध में जिला-वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(ख) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत शेष परिवारों को कब तक कवर किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) चूंकि वर्तमान बीपीएल सूची वर्ष 2002 की है, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में वर्ष 2002-03 से 2012-13 तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटित केंद्रीय निधियां, रिलीज की गई निधियां और कुल निर्मित मकानों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में क्रमशः कुल निर्मित 9.17 लाख और 7.56 लाख मकानों के अलावा क्रमशः 0.68 लाख और 0.62 लाख मकान निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, वर्ष 2010-11 के दौरान सामान्य आईएवाई मकानों के अलावा मध्य प्रदेश को आईएवाई के वास स्थल घटक के अंतर्गत 1.05 लाख मकान दिए गए थे।

(ख) निधियों की उपलब्धता के आधार पर आईएवाई के अंतर्गत वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत जितना शीघ्र संभव हो सके आईएवाई के अंतर्गत सभी इच्छुक लाभार्थियों को कवर करने के प्रयास किए गए हैं।

विवरण-I

2002-03 से 2012-13 तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में जिलावार केन्द्रीय आवंटन, केंद्रीय रिलीज तथा बनाए गए मकानों की संख्या

क्र.सं.	जिला	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06			2006-07			2007-08		
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अहमदाबाद	87.16	107.06	680	100.18	100.18	782	131.78	155.65	760	230.62	230.62	1293	238.40	238.40	1397	331.12	331.12	1146
2.	अमरेली	94.38	47.19	514	106.07	106.07	901	139.53	144.95	1022	453.19	391.73	1646	468.48	629.78	2637	650.68	650.68	3988
3.	आंणद	125.77	287.31	1015	143.39	143.39	1156	188.63	195.96	1217	473.57	492.32	2735	489.54	489.54	2398	679.94	679.94	3153
4.	बनासकांठा	123.30	221.47	987	139.46	111.57	1133	183.46	190.59	1320	676.29	676.29	4116	699.10	692.05	3582	971.00	1054.61	7513
5.	भरूच	167.21	145.80	1386	190.53	190.53	1524	250.64	279.13	1485	425.22	425.22	2630	439.56	439.56	2616	610.52	610.52	3601
6.	भावनगर	56.57	45.26	435	62.85	62.85	520	100.41	90.37	646	612.02	630.77	3382	632.66	632.66	3491	878.72	871.00	2540
7.	डांग	28.95	17.83	188	33.39	33.39	281	43.93	37.24	281	119.56	117.98	1411	123.60	112.74	1129	171.67	116.58	326
8.	दहोद	279.54	496.07	2427	316.24	316.24	2554	416.00	450.92	3149	591.54	735.81	4125	611.49	611.50	4078	849.32	849.32	4599
9.	गांधीनगर	79.76	104.32	639	90.36	90.36	685	118.86	118.86	704	139.08	157.83	890	143.78	143.78	694	199.70	199.70	1341
10.	जामनगर	67.05	305.44	494	74.64	68.74	530	98.19	84.50	552	362.29	376.48	853	374.51	370.08	1738	520.17	520.15	1605
11.	जूनागढ़	123.63	152.68	995	139.46	139.46	1104	183.46	207.63	1300	623.20	498.56	2003	644.22	588.21	1629	894.78	894.78	302
12.	खेड़ा	176.99	275.93	1426	200.35	200.35	1680	320.04	276.00	1689	424.16	442.91	2619	438.47	438.48	2698	609.00	609.00	3513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	कच्छ	204.56	241.35	254	231.78	104.30	1288	76.23	124.70	943	75.21	37.61	629	429.29	429.30	1642	596.26	401.78	2411
14.	मेहसाणा	87.66	111.46	749	100.17	99.78	801	131.78	133.42	771	291.59	256.34	1482	301.42	301.42	1367	418.66	454.71	4494
15.	नर्मदा	133.56	131.95	1291	151.25	149.42	1356	198.96	224.85	1502	305.72	305.72	2093	316.03	297.29	1988	438.94	476.73	2765
16.	नवसारी	114.40	91.63	920	129.64	126.67	1035	170.54	195.92	1108	498.42	498.43	2967	515.23	515.24	3002	715.63	715.63	4039
17.	पंचमहल	241.20	553.75	2170	273.03	273.03	2380	436.12	433.34	2610	664.74	664.74	3742	687.16	687.16	4172	954.42	1036.60	16209
18.	पाटन	70.97	42.09	396	80.54	80.38	683	105.94	127.82	609	183.24	183.24	1085	189.42	189.42	939	263.10	263.10	1451
19.	पोरबंदर	38.69	347.51	171	43.22	29.76	292	56.85	55.56	189	74.25	37.34	488	76.74	103.16	390	106.58	115.76	1130
20.	राजकोट	137.06	410.33	1114	155.17	155.17	1251	204.13	212.06	1344	588.88	607.63	3385	608.74	608.74	1895	845.50	845.50	10.79
21.	साबरकांठा	243.12	435.08	2029	274.99	274.99	2008	439.26	458.01	1880	516.61	516.61	2406	534.03	534.04	2091	741.74	805.61	4934
22.	सूरत	292.46	299.41	3130	329.98	329.98	2802	434.09	452.84	3704	1330.80	1330.80	7779	1375.68	1375.68	7898	1910.72	1910.72	18512
23.	सुरेन्द्र नगर	134.38	127.76	269	151.25	147.50	1154	198.96	195.70	1145	369.56	352.83	1357	382.03	291.42	1425	530.62	376.88	3466
24.	तापी																		
25.	वडोदरा	214.26	445.01	2204	243.56	243.56	1949	320.40	331.61	2118	1140.44	1140.44	5998	1178.89	1178.90	5469	1637.40	1637.40	10417
26.	वलसाड	146.22	74.32	1170	166.96	166.96	1340	219.63	238.38	1606	795.83	851.08	4488	822.67	822.68	4830	1142.63	1241.01	6374
	कुल	3468.85	5518.01	27053	3928.46	3744.63	31189	5167.82	5416.01	33654	11966.03	11959.33	65602	12721.14	12721.23	65195	17668.82	17668.82	110908

(लाख रुपए)

(मकान संख्या)

क्र.सं.	जिला	2008-09			2009-10			2010-11		
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अहमदाबाद	463.53	625.70	1941	733.34	1344.42	3335	0.00	0.00	280
2.	अमरेली	910.88	1706.80	0	1441.07	890.41	5273	752.28	1350.93	4640
3.	आंणद	951.84	907.78	4558	1505.87	2303.96	7989	5333.50	4704.82	17405
4.	बनासकांठा	1359.29	2225.39	8732	2150.48	2528.48	10656	3136.05	4852.16	14468
5.	भरूच	854.66	1257.59	3826	1352.13	1692.86	7378	897.41	2143.27	4655
6.	भावनगर	1230.11	615.06	2135	577.50	379.97	1682	0.00	0.00	1244
7.	डांग	240.32	330.10	1832	380.21	380.47	2025	670.27	880.89	2731
8.	दहोद	1188.95	2158.04	5555	1881.00	2500.35	11379	3481.64	3921.57	9894
9.	गांधीनगर	279.55	390.23	1225	442.27	575.19	2341	46.57	115.58	561
10.	जामनगर	728.19	919.60	3866	1152.04	1027.11	3012	0.00	52.99	3207
11.	जूनागढ़	1252.58	1585.81	3731	1442.44	1103.31	3455	0.00	0.00	3967
12.	खेड़ा	852.53	1323.78	3729	1348.76	1959.69	5226	4436.42	5590.45	16440
13.	कच्छ	834.70	1136.37	3180	1320.54	1297.08	3615	0.00	26.33	649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	मेहसाणा	586.07	1098.17	5049	927.21	528.03	1963	359.77	1116.93	5108
15.	नर्मदा	614.47	1151.38	2856	972.13	732.56	5202	4329.45	4835.45	13638
16.	नवसारी	1001.80	1474.12	4167	1584.90	1584.90	8323	0.00	0.00	527
17.	पंचमहल	1336.08	1965.99	11471	2113.77	1739.28	10624	582.52	585.33	2669
18.	पाटन	368.31	690.13	1579	582.69	954.42	2897	1990.56	2291.19	3838
19.	पोरबंदर	149.19	198.76	1187	236.03	258.48	1232	0.00	0.00	802
20.	राजकोट	1183.61	1474.52	6638	1872.55	2360.18	6674	451.23	807.97	5245
21.	साबरकांठा	1038.35	1527.89	5574	1642.73	1728.83	8182	1786.38	2024.95	5620
22.	सूरत	2674.80	3935.88	11691	4231.70	5809.51	10787	1520.10	2709.87	8853
23.	सुरेन्द्र नगर	742.80	922.59	3005	1175.17	1304.06	5317	1021.95	1330.41	4897
24.	तापी				0.00	352.28	10046	2373.96	3091 90	8747
25.	बड़ोदरा	2292.18	3218.64	18255	3626.35	3894.63	15974	5569.75	4965.09	15952
26.	वलसाड	1599.56	2997.24	6630	2530.60	2344.52	12173	3815.43	4536.91	11276
	कुल	24734.35	35837.56	122412	37223.48	41574.98	166760	42555.24	51934.99	167313

(लाख रुपए)

(मकान संख्या)

क्र.सं.	जिला	2011-12			2012-13 (*)				कुल 2002-03 से 2012-13			
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	निर्माणाधीन मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	निर्माणाधीन मकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अहमदाबाद	573.63	373.80	530	863.16	431.58	478	1987	3752.92	3938.53	12622	1987
2.	अमरेली	304.26	152.13	1962	1696.18	0.00	105	537	7017.00	6070.67	22688	537
3.	आंणद	597.37	623.84	3217	1772.45	886.23	0	192	12261.87	11715.09	44843	192
4.	बनासकांठा	2955.30	3086.23	7912	2531.17	1265.59	673	6356	14924.90	16904.42	61092	6356
5.	भरूच	2031.33	1015.67	5731	1591.50	795.75	754	2752	8810.71	8995.89	35586	2752
6.	भावनगर	229.06	0.00	347	2290.63	0.00	98	1481	6670.53	3327.94	16520	1481
7.	डांग	1556.22	1134.88	3394	447.51	223.76	502	3343	3815.63	3385.85	14100	3343
8.	दहोद	11618.24	12132.96	23841	2213.98	1106.99	4739	14553	23447.94	25279.77	76340	14553
9.	गांधीनगर	62.78	31.39	466	520.57	0.00	100	100	2123.28	1927.24	9646	100
10.	जामनगर	75.94	0.00	802	1355.98	0.00	108	692	4809.00	3725.09	16767	692
11.	जूनागढ़	691.99	346.00	963	2332.48	0.00	97	1665	8328.24	5516.44	19546	1665
12.	खेड़ा	374.18	390.76	2165	1587.53	793.77	13	217	10768.43	12301.11	41198	217
13.	कच्छ	101.25	0.00	571	1554.32	0.00	43	383	5424.14	3798.81	15225	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	मेहसाणा	393.98	196.99	2053	1091.35	545.68	654	2049	4689.66	4842.93	24491	2049
15.	नर्मदा	2713.14	2713.14	7806	1144.22	572.11	625	4788	11317.87	11590.61	41122	4788
16.	नवसारी	233.21	116.61	643	1865.48	0.00	48	48	6829.25	5319.15	26779	48
17.	पंचमहल	5748.39	5608.40	10020	2487.96	1243.98	3790	4093	15525.39	14791.60	69857	4093
18.	पाटन	577.54	603.13	6178	685.84	342.92	297	3105	5098.15	5767.84	19952	3105
19.	पोरबंदर	77.59	81.02	343	277.80	138.90	55	275	1136.94	1366.25	6279	275
20.	राजकोट	401.61	0.00	1681	2204.03	0.00	125	762	8652.51	7482.10	30431	762
21.	साबरकांठा	3581.72	3046.70	9489	1933.54	966.77	774	0	12732.47	12319.48	44987	0
22.	सूरत	602.78	301.39	2290	2411.46	000	68	555	17114.57	18456.08	77514	555
23.	सुरेन्द्र नगर	716.19	747.92	2720	1383.20	691.60	227	2529	6806.11	6488.67	24982	2529
24.	तापी	67.50	70.49	1751	2569.35	1284.68	5	505	5010.81	4799.35	20549	505
25.	वडोदरा	4875.65	5091.66	9804	4268.34	2134.17	911	15218	25367.22	24281.11	89051	15218
26.	वलसाड	408.38	204.19	5320	2978.59	000	87	0	14626.50	13477.30	55294	0
	कुल	41569.23	38069.29	111999	46058.62	13424.45	15376	68185	247062	237869.3	917461	68185

*जून, 2012 तक निर्मित मकान।

विवरण-II

2002-03 से 2012-13 तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में जिलावार केन्द्रीय आवंटन, केंद्रीय रिलीज तथा बनाए गए मकानों की संख्या

क्र.सं.	जिला	2002-03			2003-04			2004-05		
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अलिराजपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	अनूपपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अशोक नगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	बालाघाट	166.57	189.28	1259	375.37	394.12	3243	493.39	493.39	3474
5.	बरवनी	109.80	102.91	555	267.84	264.29	1105	351.81	316.82	1107
6.	बेतूल	245.30	251.13	2287	215.84	215.84	1846	283.46	283.4	2305
7.	भिन्ड	75.35	77.14	754	116.56	116.56	670	153.16	149.8	1466
8.	भोपाल	185.87	190.29	1696	49.78	49.78	510	65.44	65.44	540
9.	बुरहानपुर									
10.	छत्तरपुर	80.29	42.10	1250	118.35	118.35	1031	155.43	155.43	1071
11.	छिंदवाड़ा	298.14	305.23	1793	291.18	291.18	1985	38245	397.32	2329
12.	दामोह	112.45	104.41	542	176.55	176.55	1742	231.98	231	1646
13.	दतिया	34.54	31.40	339	41.23	40.74	335	54.12	54.12	436
14.	देवास	439.59	450.04	3441	117.41	117.41	1422	154.19	160.18	1223
15.	धार	251.71	257.69	2051	391.39	391.39	2739	514.1	514.1	3867
16.	डिंडोरी	70.14	71.81	530	35.26	33.83	766	46.28	46.28	489
17.	पूर्वी निमाड़	596.35	610.53	5578	668.94	668.94	4060	879.49	851.97	6825

2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152.13	194.17	698	160.65	160.66	1195	223.13	248.159	1159	312.36	456.7	916
82.18	107.42	425	86.78	86.78	588	120.54	120.54	777	168.74	244.47	559
236.96	236.97	1916	250.21	250.22	1765	347.53	347.53	1861	486.5	1440.94	2127
168.18	273.53	3769	177.59	177.6	2895	246.66	246.66	1280	345.29	504.85	1572
211.11	302.44	1271	222.92	222.92	1708	309.62	309.62	1848	433.44	627.95	1801
91.07	125.88	624	96.16	96.16	633	133.56	148.542	690	186.97	270.88	602
32.46	37.58	198	34.28	53.03	185	47.61	46.907	172	66.65	115.31	261
179.34	179.34	535	189.37	189.38	1451	263.02	292.523	1533	368.2	538.35	2446
87.39	143.07	542	92.28	92.28	1168	128.17	132.136	611	179.43	259.95	1926
192.68	301.07	387	203.46	203.46	2052	282.59	282.59	1382	395.59	578.39	2054
217.66	230.03	1297	229.83	229.84	1160	319.22	324.95	2744	446.87	647.4	2620
23.69	46.27	152	25.01	25.02	261	34.74	34.74	158	48.64	70.46	211
81.68	137.52	753	86.25	86.26	602	119.79	127.618	690	167.7	253.02	134
230.19	375.42	2926	243.07	243.08	2233	337.61	338.1725	2248	472.62	691.02	6293
395.46	391.22	2143	417.59	417.6	2400	580.01	580.01	3450	811.94	1150.64	3470
414.9	414.91	2133	438.11	438.12	2005	608.5	547.417	1907	851.84	1253.09	3035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	गुना	268.37	274.75	2953	178.26	178.26	1918	234.18	234.18	1718
19.	ग्वालियर	80.82	82.74	699	88.3	88.3	724	116	116	946
20.	हरदा	27.16	24.18	218	103.64	100.66	752	150.02	150.02	1036
21.	होशंगाबाद	344.48	352.67	2473	81.5	77.24	3127	106.99	106.29	925
22.	इंदौर	235.85	241.46	1861	134.96	134.96	725	177.35	177.35	1790
23.	जबलपुर	93.46	79.60	661	118.42	118.42	926	155.47	155.47	1152
24.	झबुआ	300.20	307.34	2861	395.47	395.47	3341	519.33	519.33	3794
25.	कटनी	57.97	36.30	615	154.87	154.27	1255	203.49	203.49	1504
26.	खरगौन	268.95	222.08	2782	495.7	472.05	3260	651.61	642.31	3249
27.	मांडला	197.44	192.09	1331	166.12	166.12	1392	218.16	218.16	1385
28.	मंदसौर	74.08	75.84	632	100.11	100.11	652	131.51	131.51	1009
29.	मुरैना	199.37	204.11	1615	120.88	120.88	1089	158.81	158.81	1156
30.	नरसिंहपुर	111.01	113.65	1794	119.69	119.69	1009	157.27	157.27	1113
31.	नीमच	21.10	21.60	159	63.45	63.45	370	83.38	86.62	605
32.	पन्ना	69.05	61.90	474	101.34	101.34	783	133.12	133.12	1237
33.	रायसेन	172.42	171.32	1482	99.77	99.77	1494	131.01	131.01	1049
34.	राजगढ़	92.39	94.59	665	96.28	94.64	775	126.5	126.5	632
35.	रतलाम	12.76	108.81	1008	339.49	339.49	2361	446.28	446.28	2905
36.	रीवा	105.09	75.09	805	121.14	178.027	653	158.97	215.36	1185
37.	सागर	147.12	146.43	1123	222.38	222.38	1312	292.15	297.11	1085
38.	सतना	101.82	59.34	732	164.45	327.238	1517	215.93	173.01	716
39.	सिहोर	298.82	305.92	2321	141.54	141.54	1117	186	193.23	1729

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
119.26	154.63	901	125.93	125.94	1002	174.92	174.418	1027	244.86	344.16	1284
62.95	89.48	564	66.47	66.48	510	92.32	92.32	514	129.24	187.23	587
63.15	80.58	659	66.68	66.68	404	92.61	92.61	772	129.65	187.83	562
164.86	141.01	1487	174.08	192.55	1071	241.79	241.79	1575	338.47	490.36	895
61.19	98.19	569	64.62	71.48	394	89.75	89.75	525	125.64	182.02	763
80.99	154.79	841	85.52	113.34	745	118.78	118.78	1027	166.27	222.13	356
252.13	430.19	1965	266.24	266.24	1877	369.78	369.78	1924	517.66	756.87	3205
109.21	174.57	806	115.32	115.32	920	160.17	160.17	720	224.22	324.84	818
359.98	452.95	3571	380.12	368.93	2431	527.96	527.96	1949	739.08	1070.75	3078
78.99	168.48	1135	137.13	137.14	1281	190.47	190.454	1162	266.63	386.26	979
116.33	147.43	827	122.84	122.84	716	170.61	170.61	1152	238.84	349.21	1176
121.69	160.77	992	128.5	147.02	971	178.48	191.995	1185	249.85	365.31	933
121.95	175.65	988	128.78	147.53	956	178.86	178.86	1060	250.38	362.75	1484
142.71	142.19	961	150.7	150.7	933	209.31	232.789	787	293.01	424.5	929
193.97	210.53	900	204.81	204.82	1163	284.47	284.47	1216	398.23	601	1218
83.2	130.87	870	87.86	98.31	750	122.03	122.024	785	170.83	247.49	732
364.03	350.18	2486	384.4	384.4	1420	533.9	533.9	2293	747.41	1092.78	1086
301.66	301.66	2828	318.54	318.54	1703	442.43	442.43	1689	61936	897.3	2375
81.67	164.84	923	86.24	86.24	849	119.78	119.78	902	167.68	189.95	1814
109.11	190.18	2384	115.22	109.22	1127	160.04	196.742	1038	224.03	327.56	594
115.86	198.26	1536	122.34	120.9	623	169.93	137.184	623	237.88	510.59	1432
177.95	177.96	1051	187.91	187.92	982	260.99	279.74	923	365.35	552.93	2106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	शिवनी	133.93	82.47	1510	205.78	205.78	1642	270.25	243.4	2339
41.	शहडोल	165.87	169.81	1827	250.99	218.4	1836	329.58	329.58	2490
42.	शाजापुर	143.70	147.12	1971	1069	97.21	1532	140.42	138.37	1262
43.	शिवपुर	31.40	32.15	265	95.96	95.96	741	126.1	126.1	1023
44.	शिवपुरी	165.83	169.77	1559	234.05	234.05	1913	307.57	307.57	2586
45.	सीधी	124.36	127.32	1249	22961	229.61	1825	301.5	218.42	1572
46.	सिंगरौली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47.	टीकमगढ़	49.04	30.20	380	105.8	10.58	773	138.96	133.41	1110
48.	उज्जैन्	131.40	134.52	1466	303.79	322.54	2012	399.39	414.91	2843
49.	उमरिया	43.65	27.30	582	71.08	71.08	547	93.32	86.31	616
50.	विदिशा	167.91	161.59	1543	7982	79.82	941	104.79	104.79	826
	कुल	7202.93	7018.01	63691	8157.24	8333.535	65768	10730.71	10594.54	75365

क्र.सं.	जिला	2009-10			2010-11			2011-12	
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अलिराजपुर	—	—	—	—	—	—	388.83	308 013
2.	अनूपपुर	470.08	472.96	2513	537.41	937.535	940	524.96	948.345
3.	अशोक नगर	253.94	253.94	872	290.31	492.81	904	283.59	486.091
4.	बालाघाट	732.16	1461.79	3056	837.03	1537.5	5824	817.63	1389.111
5.	बरवनी	519.64	513.55	2886	594.07	897.82	1711	580.30	909.761

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104.17	182.18	872	110	110	912	152.79	152.79	820	213.89	312.73	1310
204.42	239.52	880	215.85	215.86	1643	29.98	3334.28	1780	419.68	613.61	1923
74.06	116.2	532	78.21	78.22	805	108.62	108.62	445	152.06	220.3	890
143.75	143.76	985	151.79	151.8	589	210.82	210.82	1536	295.12	427.56	1531
153.74	208.96	1019	162.33	162.34	1053	225.47	250.756	1690	315.63	457.27	1462
136.94	241.55	2353	144.6	14.46	165	200.85	186.99	1526	281.16	407.33	2619
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211.39	206.48	1567	223.22	223.22	1145	310.04	263.386	879	434.02	634.59	2314
80.95	133.04	809	85.47	85.48	1332	118.71	137.46	356	166.19	240.77	736
210.24	167.2	732	222	139.77	1104	308.34	308.34	2701	431.64	631.1	2306
104.56	141.23	658	110.41	110.42	667	153.36	172.11	1131	214.68	313.89	1127
7504.14	9592.35	59420	7977.69	7996.66	54544	11080.48	11201.37	60222	15511.42	23436.39	74651

(लाख रुपए)

(मकान संख्या)

	2012-13 (*)				कुल 2002-03 से 2012-13			
निर्मित मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	निर्माणाधीन मकान	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	निर्मित मकान	निर्माणाधीन मकान
11	12	13	14	15	16	17	18	19
398	430 82	215.41	935	1249	819.65	523.42	1333	1249
1168	581.65	295.625	0	0	2962.37	3714.15	8589	0
846	314.22	157.11	193	548	1600.30	1949.16	5164	548
2299	905.93	460.435	116	0	5649.28	8201.29	26940	0
4159	642.98	321.49	70	151	4004.16	4529.28	21109	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	बेतूल	652.29	652.29	2289	745.73	1201.355	3411	728.45	1109.248
7.	भिन्ड	281.38	281.38	934	321.69	541.065	1411	314.23	547.525
8.	भोपाल	100.3	100.3	434	114.66	334.035	306	112.01	336.355
9.	बुरहानपुर	554.12	554.12	1266	633.49	751.615	2291	618.81	764.355
10.	छतरपुर	270.03	270.03	2698	308.71	477.46	729	301.56	470.31
11.	छिंदवाड़ा	595.34	598.99	3510	680.61	1186.86	2399	664.84	1200.54
12.	दामोह	672.51	672	2119	768.84	1190.715	1924	751.02	1206.165
13.	दतिया	73.19	59.34	278	83.68	168.055	247	81.74	169.035
14.	देवास	252.38	252.38	1319	288.52	777.895	824	281.84	783.705
15.	धार	711.26	711.26	3085	813.14	1353.14	2648	794.29	1369.48
16.	डिंडोरी	1221.93	1221.93	4801	1396.95	1856.33	2624	1364.58	1855.641
17.	पूर्वी निमाड़	1281.97	1281.97	2195	1465.6	1968.108	7303	1431.65	1993.517
18.	गुना	368.5	36.85	1852	421.28	792.53	1325	411.52	801
19.	ग्वालियर	194.5	194.5	606	222.36	475.485	636	217.21	479.94
20.	हरदा	195.11	195.11	1049	223.06	397.823	296	217.88	446.915
21.	होशंगाबाद	509.38	509.38	2386	582.34	919.84	1318	568.85	931.55
22.	इंदौर	189.07	189.07	733	216.15	3680.25	822	211.15	372.365
23.	जबलपुर	250.23	250.23	1170	286.07	691.07	203	279.45	696.83
24.	झबुआ	779.04	783.82	3324	890.62	1464.37	1660	481.15	1054.831
25.	कटनी	337.44	337.44	1569	385.77	669.693	1143	376.84	697.291
26.	खरगौन	1112.27	1119.09	4272	1271.59	1777.84	3862	1242.12	1803.4
27.	मांडला	401.26	401.26	1600	458.73	967.98	533	448.10	762.163
28.	मंदसौर	359.43	359.43	2352	410.92	748.42	1239	401.40	756.69
29.	मुरैना	376.01	376.01	1306	429.86	598.61	1825	419.91	607.26

11	12	13	14	15	16	17	18	19
4356	807.12	403.56	1402	0	4855.28	5579.75	24524	0
1352	348.17	174.085	339	2086	2118.30	2529.02	9475	2086
433	124.10	62.05	0	0	933.16	1391.08	4735	0
1187	685.64	342.82	1395	341	3491.99	3612.50	12104	341
1006	334.12	167.06	0	0	2055.76	2328.18	12032	0
3857	736.64	368.32	1823	2682	4723.52	571395	23571	2682
1232	832.13	416.065	0	4043	4759.06	5429.13	17026	4043
427	9057	45.285	0	305	591.15	744.47	2844	305
1640	312.28	156.14	1028	2016	2301.63	3302.17	13076	2016
2280	880.08	440.05	204	573	5639.46	6684.80	30574	573
459	1511.96	76845	4700	2421	7852.10	8393.74	25832	2421
4069	1586.25	793.125	560	468	10223.60	10821.70	39670	468
2188	455.96	227.98	0	0	3003.04	3676.35	16168	0
1798	240.67	120.335	0	0	1510.84	1992.81	7584	0
1496	241.42	120.71	483	829	1510.38	1863.12	7727	829
3644	630.28	31514	1385	2474	3743.02	4277.82	20286	2474
1271	233.95	116.975	137	249	1739.68	2041.65	9590	249
1855	309.62	154.81	0	0	1944.28	2755.47	8936	0
726	533.11	266.555	1426	5006	5304.73	6614.80	26103	5006
790	417.53	208.765	148	1164	2542.83	3082.15	10288	1164
7094	1376.27	688.135	632	251	8425.65	9145.50	36180	251
662	496.49	2523.45	2592	2143	3059.52	3842.45	14052	2143
2493	444.75	222.37	0	0	2570.82	3184.46	12248	0
1455	465.26	232.63	0	0	2848.62	3163.41	12527	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	नरसिंहपुर	376.81	379.12	1583	430.78	785.155	748	420.80	793.815
31.	नीमच	440.96	440.96	2508	504.12	892.245	1470	492.44	902.38
32.	पन्ना	599.31	602.99	2729	685.15	1191.4	1328	669.28	1109.573
33.	रायसेन	257.08	257.08	1126	293.91	732.66	687	287.10	715.977
34.	राजगढ़	1124.78	1131.68	5877	1285.9	1758.4	2824	1256.11	1721.697
35.	रतलाम	932.09	921.09	4413	1065.6	1554.975	3534	1040.90	1576.395
36.	रीवा	252.34	252.34	1348	288.49	712.752	544	281.80	732.9
37.	सागर	337.15	337.15	1664	385.44	976.065	1289	376.52	1026.825
38.	सतना	357.99	357.99	1533	409.27	572.909	976	399.78	754.99
39.	सिहोर	549.83	549.83	1670	628.59	1130.001	2843	614.02	1147.47
40.	शिवनी	321.88	321.88	244	367.99	822.678	1700	359.46	830.077
41.	शहडोल	631.59	631.59	4547	722.06	949.988	2295	705.33	1009.403
42.	शाजापुर	228.84	228.84	1122	261.62	464.12	656	255.55	451.844
43.	शिवपुर	444.14	436.59	1523	507.76	912.76	2009	495.99	922.96
44.	शिवपुरी	475.01	475.01	1495	543.04	964.838	1073	530.46	301.564
45.	सीधी	423.13	423.13	840	483.73	914.419	554	231.18	768.845
46.	सिंगरौली							241.34	194.67
47.	टीकमगढ़	653.16	657.17	2100	746.72	999.845	1030	729.43	1014.875
48.	उज्जैन	250.1	263.13	1050	285.92	518.85	568	279.29	561.631
49.	उमरिया	649.58	653.57	1596	742.63	1015.443	1132	725.43	994.262
50.	विदिशा	323.08	323.08	1435	369.36	809.985	1479	360.80	798.655
	कुल	23343.61	24086.29	96877	26687.27	44223.47	79097	26068.92	43588.24

*जनवरी, 2015 तक निर्मित मकान

11	12	13	14	15	16	17	18	19
1413	466.24	233.12	292	948	2762.57	3446.61	12440	948
3641	545.62	272.81	421	521	2946.80	3630.24	12784	521
2038	741.56	370.78	0	4998	4080.29	4871.92	13086	4998
1287	318.10	159.04	849	648	2023.31	2865.55	11111	648
3410	1391.77	695.885	840	3588	7403.47	7984.65	22308	3588
3678	1153.32	576.66	1243	2301	6772.43	7483.63	27737	2301
839	312.24	156.12	453	6870	1975.44	2883.40	10315	6870
979	417.17	208.585	949	167	2786.33	4038.25	13544	167
672	442.96	221.48	979	1653	2738.21	3433.89	11339	1653
1678	680.33	340.165	0	0	4091.33	5006.71	16420	0
5050	398.29	202.415	36	702	2638.43	3466.40	16435	702
1656	781.50	397.19	10	0	4726.67	5108.38	20887	0
879	283.15	141.58	132	17	1833.13	2192.42	10226	17
1046	549.56	274.78	669	2741	3052.39	3735.24	11917	2741
883	587.75	293.875	248	2841	3700.88	3826.00	14981	2841
875	256.15	130.185	0	0	2813.21	3792.40	13578	0
500	267.41	133.705	0	0	508.75	328.38	500	0
4884	808.21	404.1	760	3044	4409.99	4673.08	16942	3044
986	309.47	154.74	140	1239	2410.68	2967.07	12298	1239
1113	803.77	408.515	0	0	4301.68	4522.89	12429	0
4300	399.77	199.885	296	411	2388.54	3215.46	14403	411
98447	28884.31	14489.45	27885	61688	173148.72	204560.30	755967	61688

[अनुवाद]

ट्रेनों का विस्तार

1111. **श्री लक्ष्मण टुडु :**
श्री मानिक टैगोर :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को आबू रोड मेमू ट्रेन का फालना (राजस्थान) तक विस्तार करने, वैजाई एक्सप्रेस को तनकाशी जंक्शन से आरंभ करने और भुवनेश्वर सुपर कास्ट एक्सप्रेस को ओडिशा में बांगरीपोस से पुरी तक चलाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन ट्रेनों का विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) फिलहाल, आबू रोड से कोई भी मेमू गाड़ी नहीं चलती/समाप्त होती है।

आबू रोड जाने वाली गाड़ियों का फलना तक और 12891/12892 बांगरीपोसी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस का पुरी तक विस्तार करने के लिए रेल मंत्रालय में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। दोनों प्रस्तावों की जांच की गई है परंतु परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

जहां तक कि तेनकासी पर 12635/12636 चेन्नै एगमोर-मदुरै बैगई एक्सप्रेस के प्रारंभ/समाप्त करने का संबंध है, इसकी भी जांच की गई थी परंतु परिचालनिक और संसाधनों की तांगी के कारण फिलहाल इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संदर्शी योजना

1112. **श्रीमती रमा देवी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) राष्ट्रीय संदर्शी योजना (एनपीपी) के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति मत्स्यन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण के लाभों के अतिरिक्त भूजल से सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना पर अब तक कितना कार्य हुआ है और उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धारोधी गतिविधियां

1113. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**
श्री जोस के. मणि :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विभिन्न सीमेंट विनिर्माता कंपनियों द्वारा कार्टेल बनाए जाने की जांच की है अथवा जांच कर रही है;

(ख) उन विनिर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सीसीआई ने अर्थ दंड या अन्य शास्तियां लगाई हैं;

(ग) क्या अर्थदंड/शास्तियों की वसूली की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीमेंट निर्माता कंपनियों के विरुद्ध दो मामलों तथा कंपनी अधिनियम की धारा 19 के तहत आयोग के समक्ष दायर मामला संख्या 29/2010 और धारा 66 के तहत तत्कालीन एमआरटीपी आयोग से अंतरित मामला संख्या आरटीपीई 52/2006, की जांच की है। आयोग ने मामला संख्या 29/2010 में दिनांक 20.06.2012 के आदेश द्वारा 11 सीमेंट निर्माताओं नामत: एसीसी, अंबुजा सीमेंट लि., अल्ट्राटेक सीमेंट्स, सेन्चुरी सीमेंट्स, (अब अल्ट्राटेक सीमेंट्स में विलय), जे.के. सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स, मद्रास सीमेंट्स, सेन्चुरी सीमेंट्स, बिनानी सीमेंट्स, लाफार्ज इंडिया और जे.पी. सीमेंट्स, पर 6307.362 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई है। मामला संख्या आरटीपीई 52/2006 में आयोग ने दिनांक 30.07.2012 के आदेश द्वारा श्री सीमेंट लि. पर 397.51 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई है।

(ग) से (ङ) आयोग के निदेशों का अनुपालन आदेशों की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर किया जाना है।

गांवों में जैव-शौचालय

1114. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :**
श्री जोस के. मणि :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री यशवीर सिंह :
श्री नीरज शेखर :
श्री अनंतकुमार हेगड़े :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का रक्षख अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के सहयोग से गांवों में जैव-शौचालय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच योजना की वित्तपोषण पद्धति क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पूरे देश में शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इस पर कितना अनुमानित व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण भारत की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में राष्ट्रपिता की दरदर्शिता को श्रद्धांजलि के स्वरूप इन शौचालयों का नाम ''बापू'' जैव-शौचालय रखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली एनजीओ और स्वयं सहायता समूहों, के लिए उनको मिलने वाले अनुदान के एक भाग को ग्रामीण क्षेत्रों में "बापू" जैव-शौचालय बनाने पर व्यय किया जाना अनिवार्य बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गये बायो-डिजस्टर आधारित शौचालयों के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ समझौता ज्ञापन संपन्न किया। समझौता ज्ञापन में डीआरडीओ के लिए प्रावधान है कि वे चरणबद्ध तरीके से गांवों में उपयोग के लिए उपर्युक्त प्रौद्योगिकी अपनाएं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

एमजीएनआरईजीएस संबंधी सर्वेक्षण

1115. **श्री नीरज शेखर :**
श्री राकेश सिंह :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "एमजीएनआरईजीएस समीक्षा" नामक एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना के अंतर्गत श्रम दिवसों, मजदूरी, कवरेज और खामियों से संबंधित तथ्यों को उक्त रिपोर्ट में उजागर किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाही की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) से अनुरोध किया है कि वे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के कार्यान्वयन का सर्वेक्षण करें। एनएसएसओ ने सर्वेक्षण पूरा करके प्रारंभिक रिपोर्टें मंत्रालय को दे दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि मनरेगा के आरंभ से लगभग 1,10,000 करोड़ रु. इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को मजदूरी के भुगतान के लिए खर्च किए गए हैं और 1200 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसे साक्ष्य हैं कि महात्मा गांधी नरेगा और ग्रामीण मजदूरी में थोड़ी वृद्धि हुई है, परंपरागत रूप से बहुत अधिक प्रवास वाले क्षेत्रों में अभाव के कारण होने वाले प्रवास में कमी आई है, खेतीबाड़ी के लिए बंजर भूमि का इस्तेमाल बढ़ा है, कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण होने से उनमें पहचान की नई भावना और मोलभाव की शक्ति बढ़ी है। मनरेगा समीक्षा इस अधिनियम के विषय में किए गए उन सभी प्रमुख अनुसंधान अध्ययनों का विश्लेषणात्मक संकलन है, जिन्हें अकादमिक पत्रिकाओं में या एकल रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित किया गया था, ताकि ये अध्ययन और अथक क्षेत्रीय अनुसंधानों को प्रेरित करने के लिए उपयोग संदर्भ एवं स्रोत प्रकाशन की भूमि निभा सकें।

जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले रेल समपार

1116. श्रीमती दर्शना जरदोश :
श्री हरिन पाठक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास परियोजनाओं को विभिन्न प्रयोजनों के संबंध में रेल समपारों हेतु अनुमति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या रेल प्राधिकारियों के पास विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए रेल समपारों की अनुमति हेतु अनेक प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) रेलवे को विभिन्न प्रयोजनों के लिए रेलवे लाइनों को पार करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों/व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त होते हैं, ऐसे प्रस्तावों की जांच की जाती है और प्रस्ताव पूरा, व्यावहारिक होने, गाड़ियों की संख्या प्रभावित न होने पर और पार्टी द्वारा अपेक्षित फीस जमा कराए जाने पर और कार्यविधि संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरा करने पर स्वीकृति दी जाती है, चूंकि प्रायोजक पार्टियां कार्यविधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में समय लेती हैं, इसलिए रेलवे द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) फिलहाल, विभिन्न पानी आपूर्ति परियोजनाओं के लिए रेलवे क्रासिंगों की अनुमति हेतु क्षेत्रीय रेलों के पास लगभग 413 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, रेलवे द्वारा राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलवे-वार प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्रीय रेलवे-वार प्रस्ताव

रेलवे	प्रस्तावों की संख्या
1	2
मध्य	2

1	2
पूर्व	5
पूर्व मध्य	2
पूर्व तट	11
उत्तर	15
उत्तर मध्य	0
उत्तर पूर्व	3
पूर्वोत्तर सीमा	8
उत्तर पश्चिम	52
दक्षिण	75
दक्षिण मध्य	10
दक्षिण पूर्व	7
दक्षिण पूर्व मध्य	20
दक्षिण पश्चिम	52
पश्चिम	141
पश्चिम मध्य	10
कुल	413

एमएसडीपी के अंतर्गत प्रदान की गई निधियां

1117. **श्री अब्दुल रहमान :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अनेक राज्य सरकारों ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत निधियों का एक बड़ा भाग व्यय नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गति धीमी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के धीमे कार्यान्वियन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 31.03.2011 तक उनको निर्गत की गई राशि का 75.3% भाग उपयोग कर लिया है। 2011-12 और 2012-13 के दौरान निर्गत की गई राशियों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र क्रमशः 2012-13 और 2013-14 के वर्षों में देय हैं। आबंटन, निर्मुक्तियों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजनाओं के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने, भूमि की अनुपलब्धता और स्थान संबंधी समस्याओं, जिलों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधि के अंतरण में अत्यधिक विलम्ब, राज्य के हिस्से की अपेक्षित धनराशि निर्मुक्त न होने और अवसंरचना परियोजनाओं की जेस्टेशन अवधि लम्बी होने के कारण धीमी रही है। उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(च) राज्य सरकारों को सुग्राही बनाने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और सचिव, अल्पसंख्यक कार्य द्वारा संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ यह मामला उठाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वियन में आने वाली अड़चनों का समाधान खोजने के लिए जून, 2012 में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षाओं के अलावा स्थानीय तौर पर कार्यक्रम के कार्यान्वियन की गति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा रहा है।

विवरण

30.6.2012 को समाप्त अवधि की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	11वीं पंचवर्षीय योजना (2008-09 से 2011-12) के दौरान आबंटन	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की कुल लागत	अनुमोदन के लिए उपलब्ध शेष	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त राशि		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा संसूचित कुल व्यय	निर्मुक्त की गई धनराशि जिसके लिए उपयोग प्रामण-पत्र देय है, के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
					निर्मुक्त की गई कुल राशि	राज्यों को 31.03.2011 तक की गई निर्मुक्त राशि, जिनके के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र देय* हैं		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उत्तर प्रदेश	101570.00	100427.85	1142.15	79971.90	62984.72	45597.28	72.39
2.	पश्चिम बंगाल	68610.00	68579.68	30.32	62502.76	50972.27	44160.83	89.77
3.	असम	70350.00	69275.35	1074.65	46889.54	29030.44	13850.6	47.71
4.	बिहार	52320.00	52280.58	39.42	40818.20	24429.28	21040.80	86.13
5.	मणिपुर	13910.00	13912.58	2.58	12043.01	9387.28	9165.32	97.64
6.	हरियाणा	4920.00	4919.90	0.10	4187.89	3047.85	2735.94	80.77
7.	झारखंड	18140.00	17997.54	142.46	13944.70	9963.28	8699.65	87.32
8.	उत्तराखंड	5950.00	5805.10	144.90	3235.84	3041.47	609.3	20.03
9.	महाराष्ट्र	6000.00	5993.93	6.07	5671.69	5180.70	2752.22	53.12
10.	कर्नाटक	3990.00	3914.40	75.60	3793.15	2709.58	2344.36	86.52
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1500.00	1242.85	257.15	68.25	16.98	0	0.00
12.	ओडिशा	3130.00	3129.92	0.08	2562.21	2558.48	2311.58	90.35
13.	मेघालय	3050.00	3047.65	2.35	3047.65	2606.65	1519.84	58.31
14.	केरल	1500.00	1500.00	0.00	1462.92	718.13	707.74	98.55
15.	मिजोरम	4590.00	4527.31	62.69	2724.93	1859.82	1199.31	64.49
16.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	1500	0.00	1349.61	599.58	593.79	99.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	दिल्ली	2210.00	2191.15	18.85	1099.73	203.75	42.75	20.98
18.	मध्य प्रदेश	1500.00	1493.30	6.70	1398.30	1398.30	909.35	65.03
19.	सिक्किम	1500.00	1268.59	231.41	1100.02	568.87	295.24	51.90
20.	अरुणाचल प्रदेश	11800.0	11711.70	88.30	9110.80	4319.49	4289.13	99.30
	योग	378040.00	374719.38	3320.62	296983.10	216202.70	162825.03	75.30

*2011-12 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाण-पत्र, जो 2012-13 में देय हैं।

भूजल संबंधी अध्ययन

1118. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आज की तिथि के अनुसार पूरे देश में निकाले गए भूतल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी जल एजेंसियों को भूजल निकालने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो निजी एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनिवार्य प्रावधान और भुगतान किए जाने वाले उपकर का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी जल एजेंसियों द्वारा निकाले जाने वाले भूजल की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए कोई सरकारी तंत्र मौजूद है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) देश भर में विविध उपयोगों हेतु आहरण किए जाने वाले जल की मात्रा समेत पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधनों का केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूमि जल संगठन संयुक्त रूप से आवधिक आकलन करते हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित 15653 प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क के जरिए क्षेत्रीय स्तर पर भूमि जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रतिवर्ष अप्रैल/मई महीने में भूमि जल के नमूने लिए जाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषणों के दौरान भी भूमि जल नमूने एकत्र किए जाते हैं।

(ख) हाल ही में भूमि जल संसाधनों के किए गए आकलन के अनुसार 2009 की स्थिति तक पूरे देश में आहरित वार्षिक भूमि जल अनुमानत: 243 बीसीएम है जिसमें सिंचाई हेतु 22 बीसीएम तथा घरेलू व औद्योगिक उपयोगों हेतु 22 बीसीएम जल शामिल है। भूमि जल संसाधनों की उपलब्धता और आहरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और भूमि जल गुणवत्ता निगरानी से प्राप्त भूमि जल गुणवत्ता निगरानी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में भूमि जल में लवणता, फ्लोराईड, लौह, आर्सेनिक, नाईट्रेट और शीशा, क्रोमियम, कैडमियम जैसी भारी धातुओं का संदूषण पाया गया है। भूमि जल संदूषण से प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) प्राइवेट अभिकरणों को औद्योगिक/अवसंरचना विकास के प्रयोजनार्थ भूमि जल के आहरण की अनुमति उन्हें केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दी जाती है। प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों पर आधारित प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। तथापि, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करता है।

(घ) औद्योगिक/अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा भूमि जल के आहरण हेतु पूर्वापेक्षाओं के रूप में निम्नलिखित अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया जाता है:—

- पानी के मीटर लगाना और भूमि जल आहरण की निगरानी।
- भूमि जल गुणवत्ता की मॉनसून पूर्व और मॉनसूनोत्तर अवधि के दौरान वर्ष में दो बार निगरानी।

- भूमि जल संसाधनों के संवर्धन हेतु भूमि जल पुनर्भरण उपायों का कार्यान्वयन।
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास भूमि जल स्तर की निगरानी।
- पर्याप्त परिशोधन के बाद अपशिष्ट जल का समुचित पुनर्चक्रण और पुनर्प्रयोग।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा कोई उप-कर नहीं लगाया जाता है। तथापि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उप-कर अधिनियम, 1978 के अनुसार उद्योगों पर उप-कर यदि कोई होता है, संबंधित राज्य सरकारें लगाती हैं।

(ङ) और (च) सीजीडब्ल्यूबी के पास प्राइवेट अभिकरणों द्वारा आहरित भूमि जल की गुणवत्ता की निगरानी हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है।

विवरण-I

राज्य-वार भूमि जल संसाधनों की उपलब्धता, उपयोग और विकास की अवस्था (आकलन वर्ष 2009)

बीसीएम/वर्ष

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन	गैर-मॉनसून मौसम के दौरान प्राकृतिक निस्सारण	निवल वार्षिक भूमि जल उपलब्धता	वार्षिक भूमि जल ड्राफ्ट			भूमि जल विकास की अवस्था (%)
					सिंचाई	घरेलू और औद्योगिक उपयोग	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	33.83	3.07	30.76	12.61	1.54	14.15	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.45	0.45	4.01	0.002	0.001	0.003	0.07
3.	असम	30.35	2.537	27.81	5.333	0.69	6.026	22
4.	बिहार	28.63	2.42	26.21	9.79	1.56	11.36	43
5.	छत्तीसगढ़	12.22	0.64	11.58	3.08	0.52	3.60	31
6.	दिल्ली	0.31	0.02	0.29	0.14	0.26	0.40	138
7.	गोवा	0.221	0.088	0.133	0.014	0.030	0.044	33
8.	गुजरात	18.43	1.08	17.35	11.93	1.05	12.99	75
9.	हरियाणा	10.48	0.68	9.80	11.71	0.72	12.43	127
10.	हिमाचल प्रदेश	0.59	0.06	0.53	0.23	0.08	0.31	58
11.	जम्मू और कश्मीर	3.70	0.37	3.33	0.15	0.58	0.73	22
12.	झारखंड	5.96	0.55	5.41	1.17	0.44	1.61	30
13.	कर्नाटक	16.81	2.00	14.81	9.01	1.00	10.01	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	केरल	6.62	0.59	6.03	1.30	1.50	2.81	47
15.	मध्य प्रदेश	33.95	1.70	32.25	16.66	1.33	17.99	56
16.	महाराष्ट्र	35.73	1.93	33.81	15.91	1.04	16.95	50
17.	मणिपुर	0.44	0.04	0.40	0.0033	0.0007	0.0040	1
18.	मेघालय	1.2343	0.1234	1.1109	0.0015	0.0002	0.0017	0.15
19.	मिजोरम	0.044	0.004	0.039	0.000	0.0004	0.0004	1
20.	नागालैंड	0.42	0.04	0.38	.	0.008	0.008	2.14
21.	ओडिशा	17.78	1.09	16.69	3.47	0.89	4.36	26
22.	पंजाब	22.56	2.21	20.35	33.97	0.69	34.66	170
23.	राजस्थान	11.86	1.07	10.79	12.86	1.65	14.52	135
24.	सिक्किम	.	.	0.046	0.003	0.007	0.010	21
25.	तमिलनाडु	22.94	2.29	20.65	14.71	1.85	16.56	80
26.	त्रिपुरा	2.97	0.23	2.74	0.09	0.07	0.16	6
27.	उत्तर प्रदेश	75.25	6.68	68.57	46.00	3.49	49.48	72
28.	उत्तराखंड	2.17	0.10	2.07	1.01	0.03	1.05	51
29.	पश्चिम बंगाल	30.50	2.92	27.58	10.11	0.79	10.91	40
	कुल राज्य	430.45	34.99	395.52	221.29	21.83	243.14	61
	संघ क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.310	0.012	0.298	0.0006	0.010	0.011	4
2.	चंडीगढ़	0.022	0.002	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	दादरा और नगर हवेली	0.059	0.003	0.056	0.001	0.007	0.009	15
4.	दमन और दीव	0.012	0.001	0.011	0.008	0.003	0.011	99
5.	लक्षद्वीप	0.0105	0.0070	0.0035	0.0000	0.0026	0.0026	74
6.	पुदुचेरी	0.171	0.017	0.154	0.121	0.029	0.150	98
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.59	0.04	0.54	0.13	0.05	0.18	34
	सकल योग	431.03	35.03	396.06	221.42	21.89	243.32	61

विवरण-II

लवणता, फ्लोराइड, नाईट्रेट, आर्सेनिक, लौह और भारी धातु के कारण भूमि जल संदूषण का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	लवणता (3000μ एस/सेमी से ईसी अधिक)	फ्लोराइड (1.5 मि.ग्रा./लि. से अधिक)	नाइट्रेट (4.5 मि.ग्रा./लि. से अधिक)	आर्सेनिक (0.01 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	लोहा (1.0 मि.ग्रा./ली. से अधिक)	भारी धातुएं शीशा (0.05 मी.ग्रा./मी. से अधिक) मैग्नीज (0.01 मि.ग्रा./ली. से अधिक) क्रेमियम (0.01 मि.ग्रा./ली. से अधिक)
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					अंडमान	
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, कुरनुल, कडप्पा, नेल्लोर, प्रकाशम, गुंटुर, महबूबनगर, नलगोंडा, कृष्णा, खम्माम, वारंगल, मेडक, पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, गुंटूर, हैदराबाद, कडप्पा, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर मेडक, नलगोंडा, नेल्लौर, प्रकाशम, रंगारेड्डी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी	अदिलाबाद, चित्तूर कडप्पा, गूंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, रंगारेड्डी, विशाखापट्टनम	अदिलाबाद, चित्तूर कडप्पा, गूंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लौर, निजामाबाद, रंगारेड्डी, विशाखापट्टनम	शीशी : रंगारेड्डी, नलगौंडा
3.	असम		गोलपारा, कामरूप, करबीआंगलोंग, नौगांव, गोलाघाट, करीमगंज		धेमाजी, जोरहाट, कामरूप	काचर, दारंग, धेमाजी, धुबरी, गोलपारा, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट,	

1	2	3	4	5	6	6	7
						कामरूप, करबी आंगलोंग, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, मोरीगांव, नौगांव, नलवाड़ी, शिवसागर, सोनिपुर	
4.	बिहार		औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, बक्सर, गया जमुई, कैमूर (भबुआ), मुंगेर, नवादा, रोहतास, सुपौल	औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर (भबुआ), पटना, रोहतास, सारन, सीवान	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारन, वैशाली	औरंगाबाद, बेगुसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगाड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल, पश्चिमी चंपारण	
5.	छत्तीसगढ़		बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतारी, जंजगीर-चंपा, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा	बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, धमतारी, जशपुर, कांकेर, कावरधा, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव	राजनंदगांव	बस्तर, दांतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया	
6.	दिल्ली	उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी	पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली	पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली			शीशी: उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में नजफगढ़ नाले के साथ कैडमियम: दक्षिण-पश्चिमी क्रोमियम: उत्तर पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली, पूर्व

1	2	3	4	5	6	6	7
7.	गोवा					उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा	
8.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भरूच, भावनगर, बनासकांठा, दाहोद, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेडा, मेहसाना, नवसारी, पाटन, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सुरेन्द्रनगर, सूरत, बडोदरा	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, जूनागढ़, कच्छ, महेसाना, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दाहोद, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा, महेसाना, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा		अहमदाबाद, बनासकांठा, भावनगर, कच्छ, महेसाना, नर्मदा	
9.	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहनगर, गुड़गांव, हिस्सार, झज्जर, कैथल, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिस्सार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिस्सार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर		अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिस्सार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर	शीशा : हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश	मंडी		उना			
11.	जम्मू और कश्मीर		रजौरी, उधमपुर	जम्मू, कठुआ, अनंतनाग, कुपवाड़ा		बारामूला, बडगांव, कठुआ, कूपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर	शीश : जम्मू (गंगयाल), बारी ब्रह्मा
12.	झारखंड		बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू, रामगढ़, रांची	चतरा, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, लोहरदग्गा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम,		चतरा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रांची, पश्चिमी सिंहभूम	

1	2	3	4	5	6	6	7
				पूर्वी सिंहभूम, रांची, साहिबगंज			
13.	कर्नाटक	बीजापुर, बागलकोट, बेलगांव, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, देवनगिरी, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हसन, हवेरी, मांड्य, रायचुर, उडूपी	बगलकोट, बंगलूरु, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चमाराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गड्ग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोलार, कोप्पल, मांड्या, मैसूर, रायचुर, तुमकुर	बगलकोट, बंगलूरु, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चामराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड, गड्ग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागू, कोलार, कोप्पल, कुर्द, मांड्या, मैसूर, रायचूर, सिमोगा, तुमकुर, उडूपी, उत्तर कन्नडा		बगलकोट, बंगलोर, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, देवनगीर, धारवाड़, गड्ग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, कोडागू, कोलार, कोप्पल, मैसूर, रायचूर, सिमोगा, तुमकुर, उडूपी, उत्तर-कन्नड,	
14.	केरल	पालक्काड	पालक्काड, अलप्पुवा	आलप्पुवा, इदुक्की, कोल्लम, कोट्टयम, कोषिक्कोड, मलप्पुरम, पालक्काड, पत्तनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, तृरशूर, वयनाड		आलप्पुवा, एरनाकुलम, इदुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टयम, कोषिकोड, मलप्पुरम, पालक्काड, पत्तनमथिट्टा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, तृरशूर, वयनाड	
15.	मध्य प्रदेश	भींड, इंदौर, झाबुआ, शिवपुर, उज्जैन	अलिराजपुर, बालाघाट, बरवानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, दिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, झबुआ, खरगौन,	अलिराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बरवानी, बेतुल, भिंड, भोपाल, बुराहनपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी,		बालाघाट, बरवानी, बेतूल, भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झबुआ,	शीशी : बालाघाट, बरवानी, दामोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, सतना, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, विदिशा

1	2	3	4	5	6	6	7
			मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, सिधि सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा	गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इन्दौरा, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोना, कटनी, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुर, शिवपुरी, सिधि, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमारिया, विदिशा		खांडवा, कटनी, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधि, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, पूर्वी निमार	
16.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बीड, बुलधाना, चंद्रपुर, धुले, जालना, जलगांव, नागपुर, नासिक, परभनी, रायगढ़, सतारा, सोलापुर, वर्धा	अमरावती, बीद, चंद्रपुर, भंडारा, धुले, गडचिरौली, गोंडिया, जालना, नागपुर, नांदेड़, रत्नागिरी, सिंधदुर्ग, यवतमाल	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नन्दुरबार, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, सांगली, सतारा, शोलापुर, वर्धा, वासिम, यवतमाल		अहमदनगर, अमरावती, बीड, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नन्दुरबार, नासिक, ओस्मानाबाद, परभनी, रत्नागिरी, सतारा, थाणे, वर्धा, वासिम, यवतमाल	शीशा : अहमद नगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, बुल्दाना, धुले, गढ़चिरोली, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, ओस्मानाबाद, परभनी, पुणे, सांगली, वर्धा, वाशिम, यवतमाल
17.	मणिपुर					विष्णुपुर, थोबल	
						पूर्वी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, जैनीतिया हिल्स	

1	2	3	4	5	6	6	7
18.	ओडिशा	जगतसिंहपुर	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बांध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, जाजपुर, क्योंझर, खुर्दा, मयूभंज, नयागढ़, नवपाड़ा, सोनपुर	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बांध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जे. सिंहपुर, जाजपुर, झारसगुडा, कालाहांडी, केन्द्रपाडा, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मल्कागिरी, मयूरभंज, नवपाड़ास, नयागढ़, फूलबनी, पुरी, संबलपुर, सुन्दरगढ़, सोनपुर		बालासोर, बारगढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, जे. सिंहपुर, जाजपुर, झारसगुडा, कालाहांडी, कंदमहल, क्योंझर, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, कोरापुर, मयूरभंज, नयागढ़, पुरी, रायागड, संबलपुर, सुरेन्द्रगढ़, सोनपुर	हेक्सावैलेंड क्रोमियम जाजपुर जिले के सुखिडा ब्लॉक में सुखिडा घाटी
19.	पंजाब	भटिंडा, फिरोपुर, फरीदकोट, गुरूदासपुर, मांसा, मुक्तसर, पटियाला, संगरूर	अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पाटियाला, रोपड़, संगरूर, तरन-तारण	अमृतसर, बरनाला, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़साहिब, फिरोपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, मुक्तसर, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, रूपनगर, संगरूर, तरन-तारण		भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, मानसा, रूपनगर, संगरूर	शीशा: अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मुक्तसर
20.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, चुरू, चित्तौरगढ़, धोलपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुंनु, जोधपुर, करौली, नागपुर,	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाडमेर, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर,	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौरगढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,		अजमेर, अलवर, बंसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरु, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,	शीशी : झुन्झुनु जिला (खेतड़ी तांबा भंडार) पाली, जयपुर (सांभर झील, सांगमेर)

1	2	3	4	5	6	6	7
		नीमच, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर,	जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर	झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर		झालाबाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सवाई, माधोपुर, सिरोही, टौंक, उदयपुर	
21.	तमिलनाडु	कोयंबटूर, चेन्नई, कुड्डालोर, डिंडीगुल, धर्मपुरी, इरोड, पुडुक्कोटाई, रामनाथनपुरम, सलेम, करूर, नमक्कल, पेरांलूर, तिरुवन्नामलाई, तिरुचिरापल्ली, थंजावुर, टूथकुडी, तिरुनेलवेली, थेनी, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरूधुनगर	कोयंबटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, करूर, कृष्णागिरी, नामक्कल, पेरम्बलोर, पुद्दकोटाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तेनी, तिरुवन्नामलाई, तिरुचिरापल्ली, तिरुनवेल्ली, वेल्लौर, विरूधुनगर	चेन्नई, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, धर्मपुरी, डिडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करुर, मदुरई, नामक्कल, नीलगिरी, पेरम्बलोर, पुद्दुकोटाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगई, तेनी, तिरुवन्नामलाई, तंजावुर, तिरुनेवल्ली, तिरुवल्लूर, त्रिची, तूतीकोरीन, वेल्लौर, विल्लूपुरम, विरुधुनगर		नामाक्कल, सेलम	शीशा : डिंडीगुल, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम मैंग्नीज : तिरुवल्लुर, कांचीपुरम कैडमियम : तिरुवल्लुर
22.	त्रिपुरा					धलाई, उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा	
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, हमीरपुर, हाथरस, ज्योतिबाफुलेनगर, मथुरा	आगरा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, एटा, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, कन्नौज, ललितपुर, महामाया नगर, मैनपुरी, मथुरा,	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, औरया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर,	अम्बेडकर नगर, बदायूं, बागपत, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, खेरी, गोरखपुर,	आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर, ललितपुर, मऊ सिद्धार्थ नगर, उन्नव	शीशा: मुजफ्फरनगर, मथुरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, भद्रोही, गाजियाबाद, जौनपुर, कानपुर, रायबेरली, सोनभद्र

1	2	3	4	5	6	6	7
			मऊ, संत रविदास नगर, वाराणसी	चित्रकूट, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जीबी नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, लखीमपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मऊ, मुदराबाद, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, रायबरेली, रामपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, उन्नाव	लखीमपुर खेरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, संत रविदास नगर, उन्नाव (राज्य सरकार के साथ-साथ सीजीडब्ल्यूबी से प्राप्त (सूचनानुसार)		कैडमियम : वाराणसी नगर क्रोमियम : काशी विद्यापीठ, वाराणसी मैगनीज: बहराईच
24.	उत्तराखंड			देहरादून, हरिद्वार, उद्यमसिंहनगर			
25.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, हावड़ा, मेदिनीपुर, उत्तरी-24 परगना, दक्षिणी-24 परगना	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिणदिनाजपुर, मालदा, नादिया पुरुलिया, उत्तरदिनाजपुर, दक्षिणी 24 पगराना	बांकुरा, बर्द्धमान	बर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी-24 परगना, दक्षिणी-24 परगना	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिणदिनाजपुर, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तरी 24 परगना, नाडिया, दक्षिणी 24 परगना, उत्तरदिनाजपुर, पश्चिमी मिदनापुर	मैग्नीज: उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नाडिया तथा मालदा के अलग-अलग क्षेत्र।

पोषक तत्व आधारित राजसहायता योजना

1119. **श्री सी. शिवासामी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पोषक तत्व आधारित राजसहायता को अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि देश में संतुलित पोषक तत्व उपभोग के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यूरिया में पोषक तत्व आधारित राजसहायता होना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सरकार पहले ही फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1.4.2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता का कार्यान्वयन कर रही है। इस नीति के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों की सभी ग्रेडों पर एक नियमित राजसहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता है। पीएण्डके उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की कमी

1120. **श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उर्वरकों की कमी के बारे में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में कोई बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) उसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग, रेल मंत्रालय और पोत विभाग, द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की जा रही है तथा राज्य सरकारों द्वारा दर्शाए गए अनुसार उर्वरकों का प्रेषण करने के लिए उपचारी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान वर्ष 2012-13 (अप्रैल'12 से जुलाई'12 तक) के दौरान देश में प्रमुख उर्वरकों नामतः, यूरिया, एमओपी और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी+एनपीके) की राज्य-वार आवश्यकता और उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है वर्तमान वर्ष 2012-13 (अप्रैल'12 से जुलाई'12 तक) के दौरान यूरिया की उपलब्धता संतोषजनक थी। कम वर्षा के कारण मौसम के शुरू में कम उठान के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा आदि में यूरिया की स्थानीय कमी के कुछ मामले सामने आए हैं। तथापि, यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्तियों में अब तेजी आई है। फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों (डीएपी और एनपीके) तथा पूर्व में रखे स्टॉक की उपलब्धता भी पर्याप्त थी।

इसके अलावा, किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय/कार्यान्वयन स्थिति निम्न प्रकार है:—

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी तक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली *(www.urvarak.co.in)* द्वारा देश भर में की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है;

(ii) राज्य सरकारों को आपूर्तियों को कारगर बनाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य संस्थागत अभिकरणों को अनुदेश देने की सलाह दी गई है;

(iii) उर्वरक विभाग (डीओएफ) कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) रेल मंत्रालय तथा पोत विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक

वीडियो कांफ्रेंस की जा रही है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों के प्रेषण में उपचारी कार्रवाई की जा रही है;

(iv) उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर स्पष्ट रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करना आवश्यक है। मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक और बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है;

(v) राज्य सरकारों को प्रवर्तन एजेंसियों के रूप में अनियमितताओं को रोकने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान यूरिया, एमओपी और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की संचयी मांग और आपूर्ति

2012-13 मात्रा ('000) मी.टन

8.8.12	यूरिया		एमओपी		डीएपी	
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता*	आवश्यकता	उपलब्धता*	आवश्यकता	पूर्व स्टॉक के साथ उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	850.00	783.15	155.00	103.19	1255.00	1300.17
कर्नाटक	450.00	419.57	155.00	135.44	883.00	908.19
केरल	72.00	53.31	65.00	37.21	112.00	104.79
तमिलनाडु	275.00	233.93	127.00	61.72	292.60	401.64
गुजरात	750.00	695.31	68.00	23.45	563.00	557.71
मध्य प्रदेश	390.47	543.61	79.56	62.04	489.99	748.20
छत्तीसगढ़	305.00	357.58	56.00	41.44	233.00	281.51
महाराष्ट्र	1040.00	950.48	210.00	165.67	1292.00	1407.83
राजस्थान	375.00	400.87	19.50	3.73	253.80	271.83
हरियाणा	620.00	630.99	25.00	9.29	235.00	277.84
पंजाब	1125.00	1127.94	36.00	14.30	310.00	295.79
हिमाचल प्रदेश	32.50	30.60	0.30	0.00	7.50	6.94

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू और कश्मीर	54.50	85.43	9.00	3.75	35.00	22.83
उत्तर प्रदेश	1750.00	2012.98	60.00	46.87	815.00	1210.54
उत्तराखंड	105.00	117.20	5.00	0.00	41.50	31.20
बिहार	565.00	485.14	50.00	17.95	320.00	261.10
झारखंड	94.00	72.12	15.00	2.27	86.70	43.02
ओडिशा	201.70	163.86	62.81	48.30	243.42	205.87
पश्चिम बंगाल	308.80	441.79	97.05	79.97	436.45	431.06
असम	95.70	91.30	39.60	11.30	21.45	15.20
अखिल भारत	9536.71	9697.15	1352.26	867.89	7945.98	8783.28

*आपूर्ति में फरवरी' 12 और मार्च' 12 के दौरान का पूर्व स्टॉक शामिल है।

'दुबई टूर पैकेज'

1121. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) 'दुबई टूर पैकेज' प्रदान कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने दुबई टूर पैकेज शुरू किया है जो भोपाल और मुंबई से क्रमश: 21.8.2012 और 27.9.2012 से आरंभ होगा।

(ख) इसके अंतर्गत भोपाल के प्रति व्यक्ति 44270 रु. और मुंबई से 36479 रु. की लागत पर 3 रात/4 दिन का पैकेज मुहैया कराया जाता है। भोपाल से 19.6.2012 से शुरू किया जाने वाला पैकेज पूर्णतया बुक है। 3.8.2012 से मुंबई से शुरू किया गया पैकेज अभी खुला है।

पीएसयू का आधुनिकीकरण

1122. श्री रामसिंह राठवा : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कार्यकरण में सुधार करने और उनकी लाभकारिता में वृद्धि करने और विशेष रूप से उन्हें आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुए परिणामों का पीएसयू-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) समझौता ज्ञापन, जो कि भारत सरकार और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन के बीच आपसी विचार-विमर्श से किया गया एक समझौता है, के माध्यम से लोक उद्यम विभाग वित्तीय और गैर-वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करता है। समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण और कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन शामिल होता है। एक दस्तावेज के रूप में समझौता ज्ञापन (i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लक्ष्यों और उद्देश्यों में अस्पष्टता

को समाप्त करता है (ii) उद्देशीय मानकों के माध्यम से कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है और (iii) कार्य-निष्पादन में सुधार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार की एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अधिक शक्तियां प्रदान करने से उनके कार्य-निष्पादन में सुधार होता है और इससे प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होता हैं महारत्न/नवरत्न श्रेणी प्रदान करना जो कि समझौता ज्ञापन के कार्य-निष्पादन से संबंधित होता है और यह केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने को सुकर बनाता है। लाभ में वृद्धि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों आदि की सामान्य आर्थिक परिस्थितियों और कार्य-निष्पादन पर निर्भर होती है। लक्ष्यों की प्राप्ति, विषयक व्यापारिक वातावरण और केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करती है, जिसकी समीक्षा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर की जाती है।

(ख) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वास्तविक कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन वर्ष के आरंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है और उनके कार्य-निष्पादन के अनुसार उन्हें उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और खराब श्रेणी दी जाती है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राप्त श्रेणियां और उनका कार्य-निष्पादन निम्नवत् है:—

वर्ष	2009-10	2010-11
उत्कृष्ट	73	67
बहुत अच्छा	31	44
अच्छा	20	24
सामान्य	20	24
खराब	01	02
योग	145	161

तेल उत्पादन हेतु लक्ष्य

1123. **श्री पी.सी. मोहन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तेल के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12 तक) के दौरान तेल उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक तेल उत्पादन के ब्यौरे निम्नवत् है:—

मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी)

	तेल उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी)	140.06	124.11
ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)	18.99	17.57
निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां (प्रा./जेवीज)	47.71	35.22

11वीं योजना अवधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के कारण नीचे दिए गए हैं:—

(i) विभिन्न पुराने और परिपक्व क्षेत्रों में उत्पादन में गिरवट।

(ii) रिग्स की कमी, पूर्वी तट में प्रतिकूल मौसम और पूर्वोत्तर में दीर्घकालिक वर्षा ऋतु।

(iii) वर्द्धित तेल निकासी (ईओआर) योजनाओं से प्रत्याशित उत्पादन से कम उत्पादन।

(iv) नए और सीमांत अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन का स्थगन।

खरीद नीति

1124. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अपनी आवश्यकताओं की 20 प्रतिशत खरीद सूक्ष्म और लघु उद्यमों में किया जाना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी विभागों और पीएसयू की कुल औसत वार्षिक खरीद कितनी है;

(घ) क्या उन विभागों और उपक्रमों के लिए कोई शास्ति खंड है जो कि तद्नुसार खरीद नहीं करते; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, हां।

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत भारत सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2012 से लगू है। इस नीति के तहत प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में एमएसई से खरीद के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना अपेक्षित है, जिसका उद्देश्य एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों/दी गई सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद पर न्यूनतम 20 प्रतिशत खरीद करना है। तीन वर्षों की अवधि के बाद अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू के लिए कुल 20 प्रतिशत खरीद करना अनिवार्य होगा। इस नीति के तहत इस 20 प्रतिशत की खरीद में से 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से करने का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) सरकारी विभागों/पीएसयू ने अपनी खरीद का ब्यौरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को हाल ही में देना आरंभ किया है, अतः कुल वार्षिक खरीद का सही-सही आंकड़ा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) अब सरकारी विभागों/पीएसयू के लिए खरीद की वार्षिक क्रय योजना बनाना और उसे अपने कार्यालय की वेबसाइट पर देना अपेक्षित है। इसके अलावा उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्टों की खरीद के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और इस दिशा में उपलब्धि के बारे में भी सूचना देना है। इस नीति के तहत सार्वजनिक खरीद नीति की मॉनीटरिंग और समीक्षा के लिए सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित की गई है। इस नीति के तहत सरकारी खरीद में एमएसई की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना करने का भी प्रावधान है।

[हिन्दी]

समवर्ती सूची में जल

1125. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने जल विषय को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जी, हां।

श्री अशोक चावला की अध्यक्षता वाली समिति ने 31.05.2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जल संबंधी समिति की प्रमुख सिफारिशें (विवरण में संलग्न) कथित मंत्रियों के समूह के समक्ष रखी गई थीं, जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ जल संबंधी सभी सिफारिशों को स्वीकार करने की अनुशंसा की थी।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक मंत्रालय को समयबद्ध तरीके से मंत्रियों के समूह द्वारा सहमत सभी सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए कहा जाएगा।

विवरण

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) की जल के संबंध में प्रमुख सिफारिशें

(i) समिति, जल के संबंध में एक समग्र राष्ट्रीय विधान बनाए जाने की अविलंब आवश्यकता महसूस करती है। यह या तो जल को समवर्ती सूची में लाकर और उसके बाद उचित विधान बनाकर; या अधिकतर राज्यों से सहमति लेकर किया जा सकता है कि ऐसा "ढांचागत कानून" आवश्यक

है और एक संघीय अधिनियमन के रूप में वांछनीय है। इस संदर्भ में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा कानूनी विकल्पों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विधान में कई मुद्दों के संबंध में एक सामान्य स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए जैसे सभी जल संसाधन को एक संयुक्त, एकीकृत इकाई के रूप में; जल को एक साझा संपति संसाधन मानने की आवश्यकता; आवंटन एवं मूल्यन के सिद्धांत आदि। ढांचागत विधान में यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जल के संयुक्त उपयोग में से विभिन्न उपयोगों में जल प्रदूषित होता है, जो संसाधन को अन्य प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त बना देता है।

(ii) इसी बीच समिति नदी बोर्ड अधिनियम (आरबीए) को जल संसाधन के प्रबंधन की भूमिका देते हुए नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 में संशोधन करने और भूजल को इसकी परिधि में शामिल करने की सिफारिश करती है। अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों के बीच राजनैतिक सहमति बनाने की प्रक्रिया केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सक्रिय रूप से शुरू की जानी चाहिए।

(iii) समिति भूजल प्रबंधन की समस्याओं का अविलंब समाधान करने के लिए विभिन्न स्थितियों में शुरू किए जाने वाले जल भूवैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रायोगिक परियोजनाओं के साथ-साथ जलभृत स्तर के मानचित्रण की सिफारिश करती है। इनमें से प्रत्येक प्रायोगिक परियोजना 5000 से 10000 हेक्टेयर का क्षेत्र अथवा एक जलभृत की सीमा, जो भी कम हो, में लागू होगी। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के संबंध में इन अध्ययनों के आधार पर जलभृत प्रबंधन के व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए इन प्रायोगिक परियोजनाओं की अभिकल्पना इस प्रकार की जानी चाहिए कि वे चालू स्कीमों जैसे एनआरईजीए, आईएमडब्ल्यूपी और चालू पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के साथ एक रूप होकर मिल जाएं। प्रायोगिक परियोजनाओं में सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता, भूजल का स्व-विनियमन, फसल पद्धति में परिवर्तन सहित जल बचाने की पद्धतियों के क्षेत्र को बढ़ाने आदि पर विचार किया जाना चाहिए।

(iv) अंत में समिति यह सुझाव देती है कि कमान क्षेत्र प्रबंधन पर पुन:ध्यान दिया जाना चाहिए और इस संदर्भ में कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम को एआईबीपी स्कीमों के साथ मिलाने पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

नाइपर परियोजनाओं हेतु स्वीकृत/वितरित सरकारी वित्त पोषण

1126. **श्री उदय सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइपर) को स्वीकृत/संवितरित निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और परियोजना के क्या लक्ष्य हैं;

(ख) क्या सरकार इन परियोजनाओं की व्यवहारिकता की सततता के संबंध में परियोजना-वार आवधिक आकलन करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जल आयोग

1127. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सिंचाई विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय सिंचाई विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल आयोग का गठन

करने के संबंध में वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दक्षिण पूर्व-मध्य रेलवे के तहत परियोजनाएं

1128. **श्री के.डी. देशमुख : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व-मध्य रेलवे (एस.ई.सी.) के क्षेत्रांतर्गत लंबित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली विभिन्न चालू/स्वीकृत नई रेल परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। इन परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन उनकी सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की गई है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं लंबाई	स्वीकृत होने का वर्ष	मार्च, 2012 तक व्यय (करोड़ रु.)	2012-13 के बजट में प्रस्तावित परिव्यय	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
			नई लाइनें		
1.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 किमी.)	1995.-96	54.04	1	चरण-I (दल्लीराजहरा-रौघाट 95 किमी.) और चरण-II (रौघाट-जगदलपुर 23 किमी.) के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के कारण कार्य बन्द कर दिया गया है। कार्य स्थल पर सुरक्षा मुहैया करने के लिए राज्य सरकार एवं गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।
2.	वाडसा-गधीरोली (49.5 किमी.)	2011-12	0.005	1	प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू पर दिए गए है।
			आमान परिवर्तन		
3.	छिंदवाड़ा-मांडला फोर्ट (182.25 किमी.)	2010-11	737.72	4.72 25	नैनपुर-मांडला फोर्ट और मांडला फोर्ट-नैनपुर खंडों के लिए कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।
4.	छिंदवाड़ा-नागपुर (149.52 किमी.)	2005-06	585.93	202.95 40	वन का संपूर्ण 128 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है और कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5		6
5.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया (285 किमी.)	1996-97	1038	598.36	30	बालाघाट-कटंगी (46.80 किमी.) और गोंदिया-बालाघाट (42 किमी.) खंडों को पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। बालाघाट-नागपुर खंड (75.41 किमी.) पर भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। नैनपुर-जबलपुर (113 किमी.) पर वन विभाग से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है।
			दोहरीकरण			
6.	बिलासपुर-उकुरा (110 किमी.)	1997-98	350	314.82	0	बिलासपुर-भटपाड़ा (45 किमी.) भटपाड़ा-हाथबंध खंड (17 किमी.), टिल्डा-हाथबंध-बैकुण्ठ (17.5 किमी.) बैकुण्ठ-सिल्यारी खंड पूरा हो गया हैं। भटपाड़ा-उरकुरा खंड का कार्य शुरू कर दिया गया है।
7.	चंपा-बाईपास लाइन (14 किमी.)	2007-08	37.64	27.52	6	2012-13 में पूरा करने का लक्ष्य है।
8.	चंपा-झारसुगुडा 3री लाइन (165 किमी.)	2008-09	1013-61	17.44	40	पुल संबंधी, मिट्टी संबंधी कार्य के लिए ठेका दे दिया गया है।
9.	दुर्ग-राजनंदगांव 3री लाइन (31 किमी.)	2010-11	152.99	11.05	40	इस परियोजना का विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है और कार्य आरंभ कर दिया गया है।
10.	कलुमना-नागपुर (6.16 किमी.)	2007-08	27.69	11.93	10	इस कार्य की समग्र वास्तविक प्रगति 51% हुई है। कार्य प्रगति पर है।
11.	बिलासपुर में फ्लाईओवर सहित खोद्री अन्नुपुर (61.6 किमी.)	2006-07	385.54	102.18	25	इस परियोजना का विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है। खोद्री-सरबहरा और पेन्द्रा-हरि सेक्शन में आरक्षित वन क्षेत्र है जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना रद्द किये जाने की प्रतीक्षा है।
12.	सल्का रोड-खोंगसारा-अन्नुपुर (60 किमी.)	2006-07	143.87	22.05	0	इस परियोजना का अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परियोजनाओं का विकास संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हो रहा है।

गोंडा-बरौनी लाइन पर विद्युतीकरण कार्य

1129. **श्रीमती ऊषा वर्मा :**
श्री महेश्वर हजारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोंडा-बरौनी खंड पर विद्युतीकरण कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) उक्त कार्य को पूर्ण करने में बिलंब, यदि कोई हो तो, के क्या कारण है;

(ग) इस हेतु अब तक आबंटित/व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) गोंडा-बरौनी खंड, सिवान-थावे विद्युतीकरण परियोजना सहित बाराबंकी-गोंडा-बरौनी का भाग है। बाराबंकी-गोंडा और सिवान-छपरा-बरौनी खंडों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) काम शुरू करने वाले ठेकेदारों का कार्य-निष्पादन मानदंडों के अनुरूप नहीं रहने के कारण गोरखपुर-छपरा का ठेका रद्द कर दिया गया था और नया ठेका दे दिया गया है। इसके कारण विलंब हुआ है।

(ग) मार्च, 2012 तक इस कार्य पर कुल 532.58 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और 2012-13 के दौरान, 76.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(घ) पूरे खंड को मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

यूरिया की उपलब्धता

1130. **श्री के. सुगुमार :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूखा प्रभावित राज्यों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सूखे जैसी स्थिति के मद्देनज़र यूरिया के मूल्य में कमी करने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष 2012-13 (अप्रैल'12 से जुलाई'12 तक) के दौरान देश में यूरिया की राज्य-वार आवश्यकता और उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है। जैसाकि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है, वर्तमान वर्ष 2012-13 (अप्रैल'12 से जुलाई'12) के दौरान यूरिया की उपलब्धता संतोषजनक थी। मौसम के शुरू में कम वर्षा होने के कारण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा आदि द्वारा कम यूरिया उठाए जाने की वजह से यूरिया उठाए जाने की वजह से यूरिया की स्थानीय कमी के कुछ मामले सामने आए थे। तथापि, यूरिया की आपूर्ति में अब तेजी आ गई है।

(ग) और (घ) उर्वरक विभाग को इस संबंध में किसी राज्य से ऐसा कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से जुलाई) के दौरान यूरिया की संचयी मांग और आपूर्ति

2012-13 मात्रा ('000) मी.टन

8.8.12	यूरिया	
राज्य	मांग (आवश्यकता)	(आपूर्ति) उपलब्धता*
1	2	3
आंध्र प्रदेश	850.00	783.15

1	2	3
कर्नाटक	450.00	419.57
केरल	72.00	53.31
तमिलनाडु	275.00	233.93
गुजरात	750.00	695.31
मध्य प्रदेश	390.47	543.61
छत्तीसगढ़	305.00	357.58
महाराष्ट्र	1040.00	950.48
राजस्थान	375.00	400.87
हरियाणा	620.00	630.99
पंजाब	1125.00	1127.94
हिमाचल प्रदेश	32.50	30.60
जम्मू और कश्मीर	54.50	85.43
उत्तर प्रदेश	1750.00	2012.98
उत्तराखंड	105.00	117.20
बिहार	565.00	485.14
झारखंड	94.00	72.12
ओडिशा	201.70	163.86
पश्चिम बंगाल	308.80	441.79
असम	95.70	91.30
अखिल भारत	9536.71	9697.15

*आपूर्ति में फरवरी' 12 और मार्च' 12 के दौरान पहले से निर्धारित स्टॉक भी शामिल है।

[हिन्दी]

करवापा और चान्ना परियोजनाएं

1131. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के जनजातीय बहुल गढ़चिरौली जिला के क्रमशः धनौरा और मूलचेरा तालुकों में स्थित करवापा और चान्ना लघु सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के कारण क्या हैं; और

(घ) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी तेल कम्पनियों को राजसहायता

1132. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियां भी उसी प्रकार की राजसहायता की मांग कर रही है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और उर्वरक कंपनियों को मुहैया करवाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे पेट्रोलियम मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने की भी मांग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजसहायता के अभाव में तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर नियंत्रण न हटाने से इन कम्पनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से

(घ) जी, हां। वर्तमान में, एस्सार ऑयल लिमिटेड ने निजी तेल विपणन कंपनियों को राजसहायता उपलबध कराने की नीति का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्सार ऑयल लिमिटेड और शेल इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार तथा विपणन व्यवहारों, विपणन में उत्पादक संघ और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का आरोप लगाते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के समक्ष शिकायत दाखिल की थी और तेल पीएसयूज को परिवहन ईंधनों की प्रीडेटरी मूल्य निर्धारण में शामिल नहीं होने और प्रकाशित सरकारी नीति अर्थात् दिनांक 28 मार्च, 2002 के संकल्प के अनुसार पेट्रोल और डीजल के लिए बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण को अनुमति देने का पालन करने के लिए निर्देश देने हेतु पीएनजीआरबी के निर्देशन की मांग की है। दिनांक 2 जुलाई, 2012 के अपने आदेश में, पीएनजीआरबी ने लागतों के लिए प्रतिवादी को 100,000 रुपये का भुगतान करने संबंधी निर्देश के साथ शिकायत को खारिज कर दिया है।

नेल्प के अंतर्गत एफडीआई

1133. श्री निलेश नारायण राणे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) के अंतर्गत महाराष्ट्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक कार्यान्वित किय गया है;

(ग) क्या सरकार ने एफडीआई के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कार्य करने के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ ठेके की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे ठेकों का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत, अभी तक दो अन्वेषण ब्लॉक नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के बोली दौरों के तहत महाराष्ट्र राज्य में विदेशी कम्पनियों को प्रदान किए गए हैं। ये दोनों ब्लॉक इस समय अन्वेषण की अवस्था में हैं।

(ग) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत, अन्वेषण ब्लॉक निजी/विदेशी और राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एनओसीज) के लिए एक समान निबंधनों और शर्तों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के जरिए प्रदान किए जाते हैं। एनईएलपी (एनईएलपी-IX) के नौवें दौर में दी गई शर्तों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान, एनईएलपी-VIII और एनईएलपी-IX बोली दौरों के तहत, 12 अन्वेषण ब्लॉकों में 7 (सात) विदेशी कम्पनियों द्वारा पीएससीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	विदेशी कम्पनी का नाम		हस्ताक्षरित पीएससीज की संख्या
	प्रचालक	गैर-प्रचालक	
1	2	3	4
1.	कैर्न एनर्जी इंडिया लि.	—	2
2.	बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि.	—	1
3.	बीएचपी बिल्लीटन	—	3
4.	बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल इंक	—	1
5.	दीप एनर्जी एलएलसी	—	3

1	2	3	4
6.	–	ईस्ट वेस्ट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन	1
7.	–	बिर्क बेक इंवेस्टमेंट्स लि.	
		हस्ताक्षरित कुल ब्लॉक	12

विवरण

एनईएलपी-IX के तहत दी गई शर्तों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं:–

– जमीनी और उथले समुद्री ब्लॉकों के लिए 7 वर्षों का केवल एक अन्वेषण चरण होगा और 8 वर्ष गहरे समुद्री ब्लॉकों और सीमान्त क्षेत्र के ब्लॉकों के लिए होंगे। प्रारंभिक अन्वेषण अवधि (जब अनिवार्य और प्रतिबद्ध कार्यक्रम पूरे किए जाने हों) के बाद कोई अनिवार्य परित्याग नहीं होगा और प्रचालकों के लिए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूरा करने के बाद, समस्त क्षेत्र का परित्याग करने या जमीनी और उथले समुद्री ब्लॉकों के मामले में एक लूप प्रति वर्ष या गहरे समुद्री ब्लॉकों के मामले में एक कूप तीन वर्ष में गहरे समुद्री ब्लॉकों के मामले में एक लूप तीन वर्ष में वेधित करने की प्रतिबद्धता देकर ब्लॉक को रखने का विकल्प होगा। जो भी हो, समस्त क्षेत्र (खोज क्षेत्र और विकास क्षेत्र को छोड़कर) अन्वेषण के 7 या 8 वर्षों के अंत में जैसी भी स्थिति हो, परित्याग करने की आवश्यकता होगी।

– विदेशी कम्पनियों द्वारा 100% भागीदारी के साथ।

– हस्ताक्षर, खोज या उत्पादन बोनस नहीं।

– राज्य की भागीदारी की कोई अनिवार्यता नहीं।

– राष्ट्रीय तेल कम्पनियों (एनओसीज) द्वारा कोई कैरीड इन्टरेस्ट नहीं।

– पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आवश्यक आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।

– "खनिज तेल" के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ से सात वर्षों के लिए आय कर अवकाश।

– बोली लगाने योग्य लागत वसूली सीमा : 100% तक।

– प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण और वेधन व्यय चुकाने का विकल्प।

– संविदाकार द्वारा प्राप्त बोली लगाने योग्य कर पूर्व निवेश गुणक के आधार पर भारत सरकार के साथ लाभ पेट्रोलियम बांटना।

– जमीनी क्षेत्रों के लिए रॉयल्टी कच्चे तेल के लिए 12.5% की दर पर और प्राकृतिक गैस के लिए 10% दर पर देय है। उथले समुद्री अपतट क्षेत्रों के लिए, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए रॉयल्टी 10% की दर पर देय है जबकि गहरे समुद्री अपतट क्षेत्रों के लिए (400 मीटर से अधिक आइसोबाथ) रॉयल्टी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथमसात वर्षों के लिए 5% देय है और उसके बाद 10% की दर से।

– संविदा में राजकोषीय स्थिरता का प्रावधान।

– संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) मॉडल पर आधारित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 लागू।

– निवेशकों की सुविधा के लिए 1999 में संकलित पेट्रोलियम कर निर्देशिका (पीटीजी) उपलब्ध कराई गई है।

– अधूरे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट पूर्वविधारित परिनिर्धारित नुकसानी।

– कुल प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के लिए न्यूनतम दर पर एक बारगी बैंक गारंटी (बीजी)।

– गंभीर बोलीदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विनिर्दिष्ट दर पर नाममात्र बोली बांड।

[हिन्दी]

नई विज्ञान नीति

1134. **श्री अर्जुन राम मेघवाल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नई विज्ञान नीति में राष्ट्र के समक्ष आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए किन-किन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग नई विज्ञान नीति के लिए निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों नामत: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान; आण्विक ऊर्जा; जैव-प्रौद्योगिकी; इलैक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा; रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन; भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन; योजना आयोग; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के साथ समन्वय करने का विचार रखता है। इनके अलावा, सामाजिक-आर्थिक मंत्रालयों/विभागों, जोकि विज्ञान का परिनियोजन करेंगे, के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा। मसौदा नीति को वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक परामर्श की योजना बनाई गई है। कुल छ: बैठकों के माध्यम से स्टेकधारकों (विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र आदि) के साथ पहले ही विचार-विमर्श किया गया है। भारत सरकार के सभी संगत मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श की योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली आधारित रेलवे स्टेशन पर बैग स्कैनर

1135. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ने सभी तीन व्यस्त रेलवे स्टेशनों में प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त संख्या में बैग स्कैनर नहीं हैं तथा यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है जिससे उन्हें काफी असुविधा और समस्या का सामना करना पड़ता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने अधिक संख्या में बैग स्कैनर की खरीद करने हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि प्रवेश काउंटरों पर घंटों तक फंसे हुए यात्रियों को राहत प्रदान की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) दिल्ली क्षेत्र के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में बैगेज स्कैनर मुहैया कराए गए हैं, बहरहाल, भीड़ के समय तथा त्यौहार/छुट्टियों के सीजन के दोरान प्रवेश स्थानों पर लाइनें होती हैं। जिसके लिए यात्रियों की असुविधा तथा कठिनाइयों को कम करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों की तैनाती की जाती है।

(ग) से (ङ) दिल्ली क्षेत्र में 10 स्टेशनों पर संघटित सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं।

द्वीप विकास कार्यक्रम

1136. **श्री अशोक तंवर : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के द्वीप विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा द्वीपों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) अपने स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के माध्यम से लक्षद्वीप में विवरणीकरण संयंत्र स्थापित करने का कार्यक्रम संचालित कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों के तटीय समुद्रों की स्वच्छता की मॉनीटरिंग के लिए तटीय समुद्र मॉनीटरिंग तथा पूर्वानुमान प्रणाली (कोमेप्स) तथा मेरीकल्चर प्रौद्योगिकियों के विकास के संबंध में द्वीपसमूहों के लिए समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर कार्यक्रम चला रहा है।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) द्वारा निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए लक्षद्वीप के कावारत्ती, मिनीकॉय तथा अगाती में प्रतिदिन 1 लाख लीटर शुद्ध जल (एमएलडी) उत्पादन करने की क्षमता वाले तीन विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना की गई है। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में अमानी, कडमठ, चेतलाट, किल्तन, कल्पेनी तथा एन्ड्रॉय द्वीपों में 1 एमएलडी की क्षमता के छः अन्य संयंत्रों की स्थापना का अनुमोदन दे दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वीपों के लिए समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के समुदायों के हित के लिए मेरीकल्चर प्रौद्योगिकियों, फिन मछलियों के लिए खुला समुद्र पिंजरा प्रौद्योगिकी तथा मछली एकत्रीकरण उपकरणों का विकास किया गया है। कोमेप्स कार्यक्रम के तहत निकटवर्ती समुद्रों में प्रदूषण की समय-समय पर जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, द्वीपों की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण अध्ययन किए जाते हैं। द्वीपों के लिए मत्स्य संभावित क्षेत्र परामर्शी सूचनाएं, समुद्र स्थिति पूर्वानुमान तथा सुनामी चेतावनी परामर्शी सूचनाएं भी जारी की जाती हैं।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान द्वीपों के लिए समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कोमेप्स के लिए 24,2218 करोड़ रुपए का व्यय किया गय है। द्वीपों पर रहने वाले समुदायों के विकास के लिए चालू वर्ष 2012-13 के लिए प्रौद्योगिकी पर कार्यक्रम के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। छह नए विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना के लिए 99 करोड रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

जापानी अधिकारियों का दौरा

1137. श्री पी. बलराम नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जापानी अधिकारियों ने जल परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये आंध्र प्रदेश का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई तथा कौन-से निर्णय लिए गए?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां। जल परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए जेआईसीए टीम ने 17 से 19 जनवरी, 2012 तक तथा 25 जुलाई, 2012 को भी आंध्र प्रदेश का दौरा किया था।

(ख) जेआईसीए टीम ने जेआईसीए से सहायता प्राप्त आंध्र प्रदेश सिंचाई और जीविकोपार्जन सुधार परियोजना (एपीआईएलआईपी) की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 17 से 19 जनवरी, 2012 तक दौरा किया था। इस टीम में नई दिल्ली से जेआईसीए कार्यालय से सुश्री यू. सासाकी, शीशा विकास विशेषज्ञ और श्री अनुराग सिन्हा, वरिष्ठ विकास विशेषज्ञ शामिल थे। इस टीम ने परियोजना को पूरा कराने के निहित प्रयोजन से दौरा किया था।

इसके अतिरिक्त, जन संपर्क विभाग के जेआईसीए अधिकारियों ने सृजित भौतिक संरचनाओं को देखने तथा इन परियोजनाओं के अनुभवों/सफलताओं को समझने के लिए 25 जुलाई, 2012 को के. सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना के परियोजना क्षेत्र (कुर्नुल) का दौरा किया था।

(ग) आंध्र प्रदेश सिंचाई और जीविकोपार्जन सुधार परियोजना (एपीआईएलआईपी) के संबंध में भूमि अधिग्रहण स्थिति, लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति और क्षमा निर्माण एवं प्रशिक्षण गतिविधियों सें जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

जल निकायों का पुनर्विकास

1138. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक रूस से निर्मित अथवा मानव द्वारा निर्मित जल निकायों का पुनर्विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुनर्विकास किये जाने हेतु ऐसे कुल कितने जल निकायों का सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने XIवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) की दो घटकों (i) बाहरी सहायता से 1500 करोड़ रुपये परिव्यय वाली और (ii) घरेलू सहायता से 1250 करोड़ रुपये परिव्यय वाली एक राज्य क्षेत्र स्कीम अनुमोदित की थी। बाहरी सहायता वाली स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार 25% तक की सहायता देती है तथा आवश्यक निधि, विश्व बैंक से ऋण के तौर पर लेती है। राज्य का 75% हिस्स, संबंधित राज्यों द्वारा विश्व बैंक से उधार लिया जाना होता है। घरेलू सहायता वाली स्कीम के अंतर्गत, विशेष श्रेणी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखंड तथा ओडिशा के अविभाजित कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी (केबीके) जिलों व अन्य राज्यों के सूखा संभावित/जनजातीय क्षेत्र/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण 90:10 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में होती है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के सामान्य क्षेत्र में आने वाले जल निकायों का भी 25:75 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में वित्तपोषण किया जाता है।

(ग) से (च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

नदियों के जल स्तर में गिरावट

1139. श्री बलीराम जाधव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदियों के जल स्तर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नदियों का जल स्तर बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) विभिन्न नदियों के भंडारणों के अनुप्रवाह, जहां जल को पीने और सिंचाई प्रयोजनों के लिए डायवर्ट किया जा रहा है, के प्रवाह में कुछ कमी पाई गयी है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विश्लेषित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1985 से पहले तथा वर्ष 1985 के पश्चात वृहत नदियों की औसत जल उपलब्धता के प्रेक्षित आंकड़ों में नदी बेसिन में औसत जल उपलब्धता में कमी आने से संबंधित कोई रूझान प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जल उपयोग में दक्षता

1140. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाहरवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में जल के उपयोग में 20% दक्षता प्राप्त करने के लिये एक समूह की स्थापना की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हरियाणा सहित प्रत्येक राज्य में अब तक आरंभ किये गये कार्य तथा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 'जल संरक्षण, जल के व्यर्थ बहने में कमी लाने और एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बीच और राज्यों में जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने' के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय जल मिशन का एक लक्ष्य 'जल आयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है। जल उपयोग दक्षता में 20% तक की वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में सलाह देने हेतु सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक अंतर्क्षेत्रीय सलाहकार समूह का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त उद्योगों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से कार्य करने हेतु अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में उद्योग संघों और सरकार के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया गया है।

अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

सिरोही स्टेशन पर प्लेटफार्म

1141. श्री देवजी एम. पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट के अभाव में सिरोही रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 का निर्माण लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए अब तक आवंटित/उस पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा समय-सीमा के भीतर उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) सिरोही रोड स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 2 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य को केशवगंज-स्वरूपगंज (26.48 किमी.) कहीं-कहीं दोहरीकरण परियोजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है, और बजट एवं व्यय का ब्यौरा समग्र परियोजना के भाग के रूप में रखा जाता है। दोहरीकरण परियोजना की अद्यतन प्रत्याशित लागत 118.57 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान इस परियोजना के लिए 35.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। अभी तक इस परियोजना पर 24.03 करोड़ रु. खर्च कर दिए गए हैं।

(ग) सिरोही रोड स्टेशन पर प्लेटफार्म सं. 2 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके जून, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

यूरिया को नियंत्रणमुक्त किया जाना

1142. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया को नियंत्रणमुक्त किये जाने पर मतभेद थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आंध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य का क्या दृष्टिकोण है; और

(ग) इस संबंध में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे मतभेदलों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-III के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नीति बनाने की प्रक्रिया अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

कृषि भूमि का अवैध परिवर्तन

1143. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि भूमि का अवैध परिवर्तन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) ऐसे परिवर्तनों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार अब तक दायर किये गये मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) : (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि तथा इसका प्रबंधन केवल राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। गैर-कृषि कार्यकलापों हेतु कृषि भूमि के अधिग्रहण संबंधी आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भूमि संसाधन विभाग ने एक संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 तैयार की है जिसे 31 अक्तूबर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और इसे कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों

तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचालित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुर्नस्थापन नीति, 2007 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व, उपयुक्त सरकार अन्य बातों के साथ ऐसे विकल्पों पर भी विचार करेगी, जिनसेपरियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों का न्यूनतम विस्थापन हो, परियोजना हेतु अधिग्रहण किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल न्यूनतम हो और परियोजना में गैर-कृषि प्रयोग हेतु कृषि भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम हो। इसके अलावा, रूपांतरण को रोकने के लिए राज्य-वार दायर किए गए मामलों के संबंध में आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जा रहे हैं।

तालाबों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार

1144. **श्री ए.के.एस. विजयन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेषरूप से तमिलनाडु राज्य में मरम्मत और पुनरुद्धार हेतु चिन्हित तालाबों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य-वार आरंभ किये गये कार्यक्रमों/योजनाओं का विशेषरूप से तमिलनाडु राज्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कार्यक्रमों/योजनाओं को गति देने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सैंट एच. पाला) : (क) राज्य सरकारों की सहायता से लघु सिंचाई गणना (2005) के दौरान 5.56 लाख जल निकायों का पता लगाया गया है। जो जल निकाय उपयोग में नहीं हैं उनकी कुल संख्या 85807 है। 5.56 लाख जल निकायों में से 2.39 लाख सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकाय हैं। इनमें 25107 जल निकाय तमिलनाडु में हैं। सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सरकार ने जनवरी, 2005 में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की राष्ट्रीय परियोजना अनुमोदित की थी जो सीधे कृषि से जुड़ी थी, जिसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए थी, और जिसे केंद्र तथा राज्य द्वारा 3:1 के अनुपात में हिस्सेदारी से Xवीं योजना अवधि में कार्यान्वित किया जाना था। स्कीम का उद्देश्य, जल निकायों की भंडारण क्षमता की पुर्नप्राप्त और संवर्धन करना तथा संभावित सीमा तक खोई हुई सिंचाई क्षमता की प्रतिपूर्ति भी करना था। यह स्कीम 15 राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के 26 जिलों में 299.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1098 जल निकायों के लिए अनुमोदित की गई थी। इनमें तमिलनाडु के शिवगंगई और बिल्लूपुरम जिलों के क्रमशः 8 और 38 जल निकाय शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत राज्यों को कुल 197.50 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अनुदान जारी किया गया था। इन परियोजनाओं में कुल 1.72 लाख हैक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र कमान क्षेत्र समेत 1098 जल निकायों को शामिल किया जाना था। 15 राज्यों के 1985 जल निकायों के पुनरुद्धार के वास्तविक कार्य पूरे हो चुके हैं। तमिलनाडु समेत जल निकायों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

तदोपरांत, सरकार ने जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार हेतु दो घटकों (i) बाह्य सहायता से 1500 करोड़ रुपए परिव्यय वाली और (ii) घरेलू सहायता से 1250 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली, XIवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए एक राज्य क्षेत्र स्कीम अनुमोदित की थी। घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार स्कीम के तहत 12 राज्यों के 3341 जल निकायों का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस स्कीम में तमिलनाडु का कोई जल निकाय शामिल नहीं है। 3341 में से 1462 जल निकायों का कार्य पूरा हो चुका है। विभिन्न राज्यों में कार्य प्रारंभ किए गए जल निकायों, इन जल निकायों के लिए जारी केन्द्रीय हिस्सा, कार्य पूरे किए गए जल निकायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। बाह्य सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की स्कीम के अंतर्गत चार राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश (3000 जल निकाय), तमिलनाडु (5763 जल निकाय) कर्नाटक (900 जल निकाय) तथा ओडिशा (900 जल निकाय) के 10887 जल निकायों का कार्य प्रारंभ किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि परियोजनाओं की प्रत्येक चरण में निगरानी करें। निगरानी में अनुरक्षण, वास्तविक व वित्तीय दोनों प्रकार की प्रगति और परिणाम शामिल हैं।

निगरानी, पंचायत की स्थायी समिति के सहयोग से समुचित स्तर पर की जाएगी।

विवरण-I

सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकायों का राज्य-वार ब्यौरा (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संदर्भ वर्ष 2000-01 के लिए कराई गई तीसरी लघु सिंचाई गणना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल निकायों की संख्या (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संदर्भ वर्ष 2000-01 के लिए कराई गई तीसरी लघु सिंचाई गणना के अनुसार
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	67236
2.	अरुणाचल प्रदेश	186
3.	असम	170
4.	बिहार	12345
5.	छत्तीसगढ़	32486
6.	गोवा	137
7.	गुजरात	2742
8.	हरियाणा	12
9.	हिमाचल प्रदेश	361
10.	जम्मू और कश्मीर	312
11.	झारखंड	16552
12.	कर्नाटक	22582
13.	केरल	2977
14.	मध्य प्रदेश	7947
15.	महाराष्ट्र	16429
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	87
18.	मिजोरम	0
19.	नागालैंड	0
20.	ओडिशा	18250
21.	पंजाब	7
22.	राजस्थान	1844
23.	सिक्किम	423
24.	तमिलनाडु	25107
25.	त्रिपुरा	122
26.	उत्तर प्रदेश	70
27.	उत्तराखंड	5188
28.	पश्चिम बंगाल	5350
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	12
32.	दिल्ली	0
33.	पुदुचेरी	198
	कुल	239138

विवरण-II

प्रायोगिक स्कीम के तहत जल निकायों और जारी निधि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	शामिल की गई जल निकायों की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	जारी केन्द्रीय हिस्सा (करोड़ रु.)				
					2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर	226	32.84	2.44	2.70	19.12		24.26
		अंनतपुर	52	12.26		7.66	1.33		8.99
2.	छत्तीसगढ़	कबीर धाम	10	2.24		1.11	0.57		1.68
3.	गुजरात	साबरकांठा	17	6.55		2.65		2.15	4.80
		बनासकांठा	25.	7.67		3.10		1.25	4.35
4.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	13	1.04		0.31	0.47		0.78
5.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	22	3.06	-	1.28	1.02		2.30
6.	झारखंड	सरायकेला	22	2.80	0.33	0.65	1.12		2.10
		पलामू	38	8.59	1.17	0.53	4.75		6.45
7.	कर्नाटक	गुलबर्ग	116	35.54	4.42	10.13	12.00		26.55
		बेंगलूरु ग्रामीण	182	38.07	1.00	6.95	20.60		28.55
8.	केरल	पलाकाड	10	1.37		0.60	0.19	0.23	1.02
		पाथनमथिटा	13	1.38		0.53	0.19	0.32	1.04
9.	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	5	3.92		0.70	0.70	0.99	2.39
		शिवपुरी	65	41.28		15.00		10.63	25.63
10.	महाराष्ट्र	बीड	32	36.88		13.83			13.83
11.	ओडिशा	गंजाम	68	12.82	1.14	6.81	1.67		9.62
		गजापति	59	6.01	0.55	3.19	0.77		4.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	राजस्थान	अजमेर	4	4.49		2.25	1.12		3.37
		पाली	1	2.45		1.50	0.34		1.84
13.	तमिलनाडु	शिवगंगई	8	1.22		0.46	0.46		0.92
		विल्लूपुरम	38	9.37		3.51	3.51		7.02
14.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	15	4.92	0.74	0.57		2.00	3.31
		दक्षिण-24 परागना	51	18.55	0.21	1.20	1.20	8.00	10.61
15.	बिहार	नालंदा	1	1.18			0.27		0.27
		जमुई	5	3.42			0.23	0.90	1.13
कुल	15	26	1098	299.92	12.00	87.21	71.62	26.47	197.30

विवरण-III

घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कार्य प्रारंभ किए गए जल निकायों, जारी केन्द्रीय हिस्सा और कार्य पूरे किए जल निकायों का ब्यौरा

राज्य का नाम	जल निकायों की संख्या	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु.)	प्रतिबद्ध केन्द्रीय हिस्सा	2009-10 के दौरान जारी निधि	2010-11 के दौरान जारी निधि	2011-12 के दौरान जारी निधि	कार्य पूरे किए गए जल निकायों की संख्या	कार्य चल रहे जल निकायों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ओडिशा	1321	254.33	228.89	72.12	75.00	70.33	414	907
कर्नाटक	427	232.77	209.49	74.04	47.47	77.51	208	219
आंध्र प्रदेश	1029	339.69	305.72		189.00		लागू नहीं	1029
बिहार	15	64.45	55.30		25.00		लागू नहीं	15
उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड)	28	46.15	41.53		29.08		लागू नहीं	28
मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड)	78	41.89	10.47		7.33	2.62	72	6
मेघालय उमियम झील	1	44.57 (सिंचाई से संबंधित 2.38)	2.54		1.78	0.64	लागू नहीं	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	131	122.91	110.61			34.68	लागू नहीं	131
गुजरात	34	17.47	15.72			10.61	लागू नहीं	34
हरियाणा	3	40.24	10.06			7.04	लागू नहीं	3
महाराष्ट्र	258	135.08	119.34			80.53	लागू नहीं	258
राजस्थान	16	11.35	7.45			7.07	लागू नहीं	16
कुल	3341	1350.9	1117.12	146.16	374.66	291.03	694	2647

जल प्रबंधन निकाय की स्थापना

1145. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की हाल की रिपोर्ट ने भारतीय जल अर्थव्यवस्था के अत्यंत अंधकारमय भविष्य की भविष्यवाणी की है जिसके परिणामस्रूप सरकार को एक जल प्रबंधन निकाय की स्थापना करने का विचार करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार महाराष्ट्र जल संसाधन विनियामक अधिनियम से अनुकरणीय खंडों को अंगीकार कर रही है साथ ही महाराष्ट्र में हाल ही में में गठित जल प्रबंधन तंत्र से भी जानकारियां ले रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा जल प्रबंधन हेतु संस्वीकृत ऋण का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण संस्वीकृत किया गया था?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल प्रबंधन निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चालू जल प्रबंधन योजनाओं हेतु विश्व बैंक से ली गई ऋण सहायता राशि और परियोजनाओं के नाम, समझौते की तारीख/संवितरण समाप्ति की तारीख और संचयी आहरण (31 जुलाई, 2012 तक) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू जल प्रबंधन परियोजना हेतु विश्व बैंक से ली गई ऋण सहायता

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	समझौते की तारीख/संवितरण समाप्ति की तारीख	सहायता-राशि (आईबीआरडी/आईडीए) (यूएस डॉलर मिलियन)	31 जुलाई, 2012 तक संचयी आहरण (यूएस डॉलर मिलियन)
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना 4750-आईएन	30.11.2004/ 30.06.2015	387.40 (आईबीआरडी)	197.41

1	2	3	4	5	6
2.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना 3603-आईएन	15.3.2002/ 31.3.2013	93.45 (आईडीए) एक्सडीआर	77.54
		राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना 4709-आईएन के लिए अतिरिक्त वित्त	21.5.2010/ 31.03.2013	12.40 (आईडीए) एक्सडीआर	2.75
3.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना 4796-आईएन	19.08.2005/ 28.03.2014	325.00 (आईबीआरडी)	246.58
4.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 48752-आईएन	2.11.2007/ 31.01.2012	22.29 (आईबीआरडी)	22.29
		कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 3635-1-आईएन	02.11.2007/ 31.01.2012	11.00 (आईडीए) एक्सडीआर	11.00
		कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 3635-आईएन	04.06.2002/ 31.01.2012	50.08 (आईडीए) एक्सडीआर	50.08
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 4857-आईएन	08.06.2007/ 31.12.2012	94.50 (आईबीआरडी)	40.37
		आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना 4291-आईएन	08.06.2007/ 31.12.2012	63.00 (आईडीए) एक्सडीआर	25.95
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना परियोजना 7897-आईएम	14.08.2010/ 31.07.2016	450.60 (आईबीआरडी)	61.63
7.	ओडिशा	ओडिशा समुदाय टैंक प्रबंधन परियोजना 7576-आईएम	27.01.2009/ 31.12.2014	38.47 (आईबीआरडी)	4.25
		ओडिशा समुदाय टैंक प्रबंधन परियोजना 4499-आईएम	27.01.2009/ 31.08.2014	23.46 (आईडीए) एक्सडीआर	2.66
8.	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकर.ा एवं जल निकाय पुनरुद्धार एवं प्रबंधन परियोजना 4846-आईएन (आईबीआरडी)	12.2.2007/ 31.3.2013	335.00 (आईबीआरडी)	76.34
		तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकर.ा एवं जल निकाय पुनरुद्धार एवं प्रबंधन परियोजना 4255-आईएन (आईडीए)	12.2.2007/ 31.3.2013	99.80 (आईडीए) एक्सडीआर	99.80

1	2	3	4	5	6
9.	बहु-राज्यीय*	जल विज्ञान परियोजना (चरण-II) 4749-आईएन	19.1.2006/ 31.5.2014	104.98 (आईबीआरडी)	53.28
10.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल त्वरित लघु सिंचाई विकास परियोजना 5414-आईएन और 8090-आईएन	21.12.2011/ 31.12.2017	78.20 (आईडीए) एक्सडीआर	0.37
				125.00 (आईबीआरडी)	0.31
11.	बहु-राज्य	बांध पुनर्स्थापना एवं परियोजना सुधार 4787-आईएन और 7943-आईएन	21.12.2011/ 30.06.2018	115.90 (आईडीए) एक्सडीआर	3.30
				175.00 (आईबीआरडी)	0.44

*आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, पुदुचेरी और हिमाचल प्रदेश।

#केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु।

अपवाहिकाओं की मरम्मत

1146. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों की अपवाहिकाओं की मरम्मत हेतु निधियां प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय नालों की मरम्मत के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध नहीं करा रहा है। तथापि, मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत गंभीर प्रकृति के "नाला विकास" के तहत "नालों के निर्माण" के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत खेत नालों के निर्माण के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों और एफएमपी के तहत प्रारंभ की जाने वाली बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत खेत नालों के निर्माण के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता (सीए)		
		2009-10	2010-11	2011-12*
1.	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.510	5.730	10.690
3.	असम			
4.	बिहार	32.060	14.260	180.000
5.	छत्तीसगढ़			
6.	गोवा			

1	2	3	4	5
7.	गुजरात	0.000	0.000	265.000
8.	हरियाणा	0.000	0.000	53.740
9.	हिमाचल प्रदेश			
10.	जम्मू और कश्मीर	159.620	153.240	170.550
11.	झारखंड			
12.	कर्नाटक	567.650	528.185	868.100
13.	केरल	3.137	14.270	97.040
14.	मध्य प्रदेश			
15.	महाराष्ट्र	56.270	44.940	143.000
16.	मणिपुर	137.940	117.500	76.550
17.	मेघालय	0.000	1.890	0.000
18.	मिजोरम			
19.	नागालैंड			
20.	ओडिशा	168.720	145.700	252.620
21.	पंजाब			
22.	राजस्थान	0.000	0.000	21.000
23.	सिक्किम			
24.	तमिलनाडु	16.400	22.996	54.380
25.	त्रिपुरा			
26.	उत्तर प्रदेश	59.390	5.805	200.680
27.	उत्तराखंड			
28.	पश्चिम बंगाल			

*केन्द्रीय सहायता से प्राप्त भौतिक प्रगति के साथ समाशोधन किया जाना है।

टिप्पणी: रिक्त स्थान शून्य है।

विवरण-II

बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत निधियों (सीडब्ल्यूसी द्वारा राज्यों के लिए समन्वित)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/स्कीमों की संख्या	एफएमपी के तहत अनुमानित लागत	पात्र कुल केन्द्रीय अंशदान	एफएमपी-XI योजना के तहत अनुमोदित ईसी	XI योजना के लिए एफएमपी के तहत अनुमोदित सीएस	जारी किया गया केन्द्रीय अंश		
						2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
क.	छत्तीसगढ़ (3)	3247.00	2435.25	3113.00	2334.75	0.00	0.00	1557.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ख.	गोवा (2)	2273.00	1704.75	2273.00	1704.75	240.75	575.75	0.00
ग.	गुजरात (2)	1979.31	1484.48	1979.31	1484.48	0.00	200.00	0.00
घ.	हरियाणा (1)	17375.00	13031.25	17375.00	13031.25	4691.00	0.00	0.00
ङ.	हिमाचल प्रदेश (2)	19065.00	17158.50	19065.00	17158.50	2700.00	7425.00	4786.00
च.	जम्मू और कश्मीर (28)	58079.42	52271.48	40822.42	36740.18	4118.39	5809.11	10745.08
छ.	कर्नाटक (3)	9564.00	7173.00	5946.00	4459.50	0.00	0.00	2000.00
ज.	केरल (4)	77105.30	57828.98	31974.30	23980.73	0.00	2242.50	4125.00
झ.	ओडिशा (72)	21995.86	16496.90	21995.86	16496.90	2586.61	2297.85	90.00
ञ.	पंजाब (5)	15340.00	11505.00	15340.00	11505.00	1308.00	0.00	584.05
ट	तमिलनाडु (5)	63554.00	47665.50	63554.00	47665.50	111.00	5871.00	0.00
ठ	उत्तर प्रदेश (2)	5663.30	4247.48	5663.30	4247.48	1605.00	572.86	1448.83
	उप-कुल (राज्य) = 129	295241.19	233002.56	229101.19	180809.01	17360.75	24994.07	25335.96
	संघ राज्य क्षेत्र							
ड.	पुदुचेरी (1)	13967.00	10475.25	13967.00	10475.25	0.00	750.00	0.00
	उप-कुल (सघ राज्य क्षेत्र) = 1	13967.00	10475.25	13967.00	10475.25	0.00	750.00	0.00
	कुल स्कीम (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र) = 130	309208.19	243477.81	243068.19	191284.26	17360.75	25744.07	25335.96

नागार्जुन सागर में गाद

1147. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर के किसान पिछले चार दशकों से जमे गाद को सिंचाई अधिकारियों के द्वारा हटाए जाने के प्रति उदासीन रवैये के चलते समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के नाते सिंचाई परियोजनाओं को आयोजना, निष्पादन, निधियन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनकी अपनी

प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। जलाशयों में गाद जमना एक प्राकृतिक घटना है और इससे धीरे-धीरे भंडारण क्षमता में कमी आती है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2001 में नागार्जुन सागर के कराए गए सर्वेक्षण सख्या 2243 एमसीएम सकल भंडारण की क्षति का पता चलता है जबकि जलाशयों की मूल भंडारण क्षमता 11553 एमसीएम थी अर्थात् 19.41% सकल भंडारण की क्षति हुई।

(ग) जलाशयों के व्यापक पैमाने पर अवसादन को तकनीकी और आर्थिक रूप में व्यवहार्य नहीं माना गया है, क्योंकि इसका संबंधी खुदाई की गई मिट्टी के निस्तारण तथा बार-बार अवसादन की उच्च लागत की समस्या से है। तथापि, यह उल्लेख है कि सीडब्ल्यूसी द्वारा पुरी की गई नागार्जुन सागर की क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट, गाद को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकरणों को भेजी गई थी। इन उपायों में जलाशय के आवाह क्षेत्र उपचार/मृदा संरक्षण हेतु मृदा प्रबंधन, कृषि उपाय, यांत्रिक विधियां और ढाल में कमी करना आदि शामिल हैं। जिससे कि गाद जमने की दर में कमी हो सके।

उर्वरकों का उत्पादन

1148. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान देश में सभी उर्वरक इकाइयों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन इकाइयों को उपलब्ध कराई गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राजसहायता राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(घ) क्या सरकार उर्वरकों पर अधिक राजसहायता उपलब्ध कराने के लिये एक वैकल्पिक परिकलन पद्धति पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में कुछ उर्वरक इकाइयां (i) प्राकृतिक गैस की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता, (ii) पुराने संयंत्रों के कारण अप्रत्याशित बंदी, और फास्फोरिक एसिड की कच्ची सामग्री की कमी आदि के कारण अपने लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही हैं।

(ग) वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरक तथा यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उपलब्ध कराई गई राजसहायता और पिछले वर्ष में इसमें हुई वृद्धि के प्रतिशत का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों को वितरित राजसहायता की राशि	यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों को वितरित राजसहायता की राशि	वितरित राजसहायता की कुल राशि	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) का % कमी (-) का %
2009-10	1600000	1758025	3358025	-37.72
2010-11	2065000	1508073	3573073	6.40
2011-12	2023749	3680941	5704690	59.66

(घ) और (ङ) जी, नहीं, उर्वरक विभाग पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्ग सभी पीएण्डके उर्वरकों के प्रति मी.टन पर नियमित राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसका निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता है। प्रति मी.टन राजसहायता की राशि एक ग्रेड में अलग-अलग होती है जो इस ग्रेड विशेष निहित पोषक तत्वों पर आधारित होती है।

विभिन्न संयंत्रों द्वारा उत्पादित यूरिया पर राजसहायता की गणना एनबीएस-III के तहत की जाती है जिसके अंतर्गत प्रति मी.टन राजसहायता की राशि संयंत्र दर संयंत्र में अलग-अलग होती है जो संयंत्र के पुरानेपन, प्रौद्योगिकी और फीडस्टॉक पर आधारित होती है।

गंदे नाले के पानी (सीवेज) का उपयोग

1149. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने भूजल को पुनर्भरण करने के लिये पूर्व की दक्षिणा पिनाकिनी नदी में प्रवाहित होनें वाले गंदे नाले के पानी (सीवेज) का उपयोग करने वाली विवादास्पद परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) बेंगलूरु जल आपूर्ति एवं सीवेज बोर्ड, कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके शहर में दक्षिणा पिनाकिनी नदी की ओर प्रवाहित होने वाले सीवेज का इस्तेमाल करके भूमि-जल का पुनर्भरन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान

1150. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विनिर्मित, निर्गत तथा निर्यात में कितना योगदान रहा है; और

(ख) इन उद्यमों ने समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक मदद की है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वायालार रवि) (क) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2008-09 के दौरान जीडीपी और कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म और लघू उद्यमों (एमएसई) का योगदान क्रमशः 8.72 प्रतिशत और 44.86 प्रतिशत आंका गया। निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2007-08 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए देश के कु निर्यातों में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के आकलित योगदान 30.80 प्रतिशत था।

(ख) एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना: 2006-07 और एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना: 2006-07 से बाहर रखे जाए, जैसे थोक/खुदरा व्यापार, कानूनी, शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं, होटल व रेस्तरांओं, परिवहन एवं भंडारण तथा गोदामा में माल रखने (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर), जैसे कार्यकलापों के लिए आर्थिक गणना 2005, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा एकत्रित उद्यम-वार आंकड़े दर्शाते हैं कि 361.76 लाख एमएसएमई में से, अन्य पिछड़े वर्गों के उद्यमियों के पास 151.73 लाख एमएसएमई (41.94 प्रतिशत) का स्वामित्व था जबकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के पास क्रमशः 28.34 लाख (7.83 प्रतिशत) तथा 20.84 लाख (5.76 प्रतिशत) एमएसएमई का स्वामित्व था। समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को कुल मिलाकर 200.91 लाख एमएसएमई (51.54 प्रतिशत) का स्वामित्व प्राप्त था। महिला उद्यमियों के स्वामित्व में भी 30.50 लाख एमएसएमई (10.64 प्रतिशत) थे। उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि एमएसएमई ने समावेशी विाकस का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की है।

अध्यक्ष महोदया : सभा कल 17 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 अगस्त, 2012/ 26 श्रावण, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री बलीराम जाधव	81
2.	श्रीमती सुशीला सरोज श्री महेश्वर हजारी	82
3.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	83
4.	श्री आर. ध्रुवनारायण श्री राजय्या सिरिसिल्ला	84
5.	श्री सर्वे सत्यनारायण श्री असादूद्दीन ओवेसी	85
6.	प्रो. रामशंकर	86
7.	श्री पी.सी. मोहन श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	87
8.	डॉ. अनूप कुमार साहा	88
9.	डॉ. संजय जायसवाल	89
10.	श्री अम्बिका बनर्जी	90
11.	श्री अर्जुन चरण सेठी श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	91
12.	श्री पी. लिंगम श्री जोस के. मणि	92
13.	श्री रमेन डेका श्री अवतार सिंह भडाना	93
14.	श्रीमती ऊषा वर्मा श्री एस.आर. जेयदुरई	94
15.	श्री के.डी. देशमुख श्री के.पी. धनपालन	95
16.	श्री प्रबोध पांडा श्री एल. राजगोपाल	96
17.	श्री पी.आर. नटराजन	97
18.	श्री चंद्रकांत खैरे	98
19.	श्री सी. शिवासामी	99
20.	श्री वरुण गांधी श्री पी.टी. थॉमस	100

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	963, 986, 1144
2.	श्री बसुदेव आचार्य	1007
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1016, 1026, 1060, 1102, 1108
4.	श्री आनंदराव अडसुल	1016, 1026, 1060, 1102, 1108

1	2	3
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1014, 1080
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	930, 1125
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	971
8.	श्री एम. आनंदन	1055
9.	श्री अनंत कुमार	1005
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1114
11.	श्री घनश्याम अनुरागी	1088
12.	श्री कीर्ति आजाद	1104
13.	श्री गजानन ध. बाबर	1016, 1026, 1060, 1102, 1108
14.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1013, 1091
15.	श्री रमेश बैस	968
16.	श्री कामेश्वर बैठा	1096, 1097
17.	डॉ. बलीराम	1072
18.	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	1034
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1114
20.	श्री सुदर्शन भगत	1002, 1003
21.	श्री शिवराज भैया	1092
22.	श्री पी.के. बिजू	1007
23.	श्री हेमानंद बिसवाल	1029
24.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1073
25.	श्री सी. शिवासामी	1119
26.	श्री हरीश चौधरी	949, 1022, 1099
27.	श्री जयंत चौधरी	1077

1	2	3
28.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	999, 11102
29.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1030, 1070, 1114
30.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	964, 1145
31.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	981, 1017, 1075, 1100, 1113
32.	श्री भूदेव चौधरी	1044
33.	श्रीमती श्रुति चौधरी	960, 1140
34.	श्री अधीर चौधरी	1109
35.	श्री खगेन दास	1050
36.	श्री राम सुन्दर दास	1078
37.	श्री के.डी. देशमुख	1128
38.	श्रीमती अश्वमेध देवी	1104
39.	श्रीमती रमा देवी	1010, 1030, 1112
40.	श्री संजय धोत्रे	1007, 1046, 1103
41.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1026, 1149
42.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	969, 1109, 1110, 1114
43.	श्री चार्ल्स डिएस	982
44.	श्री निशिकांत दुबे	1048, 1081
45.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	1107
46.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1007, 1062
47.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	981, 991, 1100, 1113
48.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1079
49.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1017
50.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	945

1	2	3
51.	श्री एल. राजगोपाल	937
52.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	959, 1113, 1117
53.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	1090
54.	श्री महेश्वरी हजारी	1096, 1097, 1129
55.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	936
56.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	927, 1105
57.	श्री बलीराम जाधव	1139
58.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	983, 998, 1112
59.	श्री बद्रीराम जाखड़	1117
60.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1042, 1116
61.	श्री हरिभाऊ जावले	935
62.	श्री नवीन जिन्दल	950
63.	श्री महेश जोशी	1048
64.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1000, 1114
65.	श्री प्रहलाद जोशी	973, 1029
66.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	967
67.	श्री पी. करुणाकरन	1011, 1040
68.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1014
69.	श्री राम सिंह कस्वां	1002
70.	श्री लालचन्द कटारिया	1095
71.	श्री नलिन कुमार कटील	1065, 1077
72.	श्री काट्टी रमेश विश्वनाथ	1035
73.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	1039

1	2	3
74.	श्री चंद्रकांत खैरे	1029, 1148
75.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	956
76.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1025
77.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	940, 1131
78.	श्री विश्व मोहन कुमार	1001
79.	श्री पी. कुमार	1011, 1037
80.	श्री यशवंत लागुरी	952
81.	श्री पकौड़ी लाल	1020
82.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	978
83.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1028
84.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1039
85.	श्री नरहरि महतो	989, 1074
86.	श्री प्रदीप माझी	1026, 1047, 1059
87.	श्री मंगनी लाल मंडल	1001
88.	श्री जोस के. मणि	1026, 1113, 1114
89.	श्री दत्ता मेघे	986, 1021
90.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	947, 1101, 1134
91.	श्री भरत राम मेघवाल	1004
92.	श्री महाबल मिश्रा	1085
93.	श्री सोमेन मित्रा	992, 1100
94.	श्री पी.सी. मोहन	1123
95.	श्री गोपीनाथ मुंडे	925, 1103
96.	श्री विलास मुत्तेमवार	1013

1	2	3
97.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1024
98.	श्री पी. बलराम नायक	955, 1077, 1137
99.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	986, 990, 1098
100.	श्री जफर अली नकवी	1026, 1031
101.	श्री नारनभाई कछाड़िया	969, 1109, 1110, 1114
102.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1051
103.	कुमारी मौसम नूर	1086
104.	श्री ओ.एस. मणियन	938, 1103
105.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1124
106.	श्री पी.आर. नटराजन	1118
107.	श्री जगदम्बिका पाल	1053
108.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1058
109.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1068
110.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	996
111.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	1009
112.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	981, 1100, 1113
113.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	961
114.	श्री देवजी एम. पटेल	924, 1111, 1141
115.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1042
116.	श्री बाल कुमार पटेल	1084
117.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1026, 1047, 1059
118.	श्री हरिन पाठक	1042, 1116
119.	श्री संजय दिना पाटील	986, 990, 1098

1	2	3
120.	श्री ए.टी. नाना पाटील	954
121.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1107
122.	श्री सी.आर. पाटिल	997, 1114
123.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	1104
124.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	981, 1100, 1113
125.	श्री पोन्नम प्रभाकर	926, 1120
126.	श्री नित्यानंद प्रधान	957
127.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	985
128.	श्री पन्ना लाल पुनिया	934, 1002, 1066
129.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	1036
130.	श्री एम.के. राघवन	1082
131.	श्री अब्दुल रहमान	1052, 1117
132.	श्री रमाशंकर राजभर	1006
133.	श्री सी. राजेन्द्रन	943
134.	श्री एम.बी. राजेश	1047
135.	श्री पूर्णमासी राम	1011, 1113, 1114
136.	श्री कादिर राणा	1101
137.	श्री निलेश नारायण राणे	942, 1051, 1099, 1133
138.	श्री रायापति सांबासिवा राव	928, 1121
139.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1094
140.	श्री रामसिंह राठवा	929, 1037, 1083, 1122
141.	श्री अशोक कुमार रावत	980, 1051, 1093
142.	श्री रुद्रमाधव राय	1038

1	2	3
143.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1063
144.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	923
145.	श्री के.जे.एम.पी. रेड्डी	965, 1146
146.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	998, 1084
147.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	989, 1074
148.	श्री महेन्द्र कुमार राय	1007
149.	श्री एस. अलागिरी	1022, 1099
150.	श्री एस. सेम्मलई	948
151.	श्री एस. पक्कीरप्पा	922, 958, 1138
152.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1114
153.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	922, 1135
154.	श्रीमती सुशीला सरोज	1096, 1097
155.	श्री तूफानी सरोज	1087
156.	श्री सर्वे सत्यनारायण	1007, 1013, 1147
157.	श्री हमदुल्लाह सईद	1974, 1051
158.	श्री जगदीश शर्मा	1013
159.	श्री नीरज शेखर	1076, 1113, 1114, 1115
160.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1089
161.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	921, 1143
162.	श्री राजू शेट्टी	933, 1046
163.	श्री एंटो एंटोनी	1067
164.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1030
165.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	975, 1150

1	2	3
166.	डॉ. भोला सिंह	1074
167.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1015
168.	श्री इज्यराज सिंह	949
169.	श्री जगदानंद सिंह	987, 1104
170.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	995
171.	श्री महाबली सिंह	953, 1104
172.	श्री पशुपति नाथ सिंह	1018
173.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	1057
174.	श्री प्रवीण सिंह ऐरन	934
175.	श्री राधा मोहन सिंह	1032, 1109
176.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1061
177.	श्री राकेश सिंह	976, 1115
178.	श्री रतन सिंह	1105
179.	श्री सुशील कुमार सिंह	1075, 1114
180.	श्री उदय सिंह	931, 1126
181.	श्री यशवीर सिंह	1076, 1113, 114, 1115
182.	चौधरी लाल सिंह	970
183.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	991
184.	श्री रेवती रमन सिंह	994
185.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1045
186.	राजकुमारी रत्ना सिंह	998
187.	श्री उदय प्रताप सिंह	984, 1106
188.	श्री विजय बहादुर सिंह	999, 1102
189.	डॉ. संजय सिंह	983, 1010

1	2	3
190.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	989, 1142
191.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1030, 1054, 1113
192.	श्री ई.जी. सुगावनम	932, 1127
193.	श्री के. सुगुमार	939, 1130
194.	श्रीमती सुप्रिया सुले	990, 1098
195.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1052
196.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	979, 1056, 1109
197.	श्री मानिक टैगोर	1023, 1111
198.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1026, 1027
199.	श्री अशोक तंवर	951, 1136
200.	श्री बिभू प्रसाद तराई	1106
201.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1019
202.	श्री मनीष तिवारी	1016, 1043
203.	श्री जगदीश ठाकोर	972
204.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	994
205.	श्री आर. थामराईसेलवन	946
206.	श्री मनोहर तिरकी	977, 1033
207.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	962
208.	श्री जोसेफ टोप्पो	966, 1099
209.	श्री लक्ष्मण टुडु	1111
210.	श्री शिवकुमार उदासी	1007
211.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1096, 1097
212.	श्री हर्ष वर्धन	1000, 1049

1	2	3
213.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	941, 1132
214.	श्री सज्जन वर्मा	985, 1041
215.	श्रीमती ऊषा वर्मा	1096, 1097, 1129
216.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1008
217.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1069
218.	श्री पी. विश्वनाथन	1012
219.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	988
220.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1007, 1046, 1103
221.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	952, 1103
222.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1016, 1026, 1060, 1102, 1108
223.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1045
224.	श्री ओम प्रकाश यादव	944
225.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	993
226.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1071
227.	योगी आदित्यनाथ	996, 1064

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों के मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	82, 95
कॉर्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	90, 96
पृथ्वी विज्ञान	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
अल्पसंख्यक कार्य	:	89
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	81, 87, 98
रेल	:	86, 91, 94
ग्रामीण विकास	:	83, 84, 88, 92, 97
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	85, 93, 99, 150

अतारांकित प्रश्नों के मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	929, 931, 933, 942, 943, 961, 962, 967, 970, 974, 1005, 1012, 1013, 1019, 1038, 1044, 1058, 1062, 1070, 1072, 1074, 1083, 1089, 1090, 1093, 1119, 1120, 1126, 1130, 1142, 1148
कॉर्पोरेट कार्य	:	951, 964, 1017, 1031, 1048, 1094, 1100, 1105, 1113
पेयजल और स्वच्छता	:	936, 991, 1025, 1029, 1050, 1076, 1095, 1114
पृथ्वी विज्ञान	:	1136

भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	946, 959, 966, 986, 1036, 1051, 1087, 1122
विधि और न्याय	:	921, 924, 925, 945, 958, 969, 975, 980, 1014, 1037, 1052, 1073, 1082, 1085, 1107
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	1010, 1097, 1124, 1150
अल्पसंख्यक कार्य	:	922, 923, 937, 982, 1034, 1053, 1068, 1081, 1104, 1117
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	926, 927, 928, 930, 932, 938, 939, 941, 944, 956, 968, 977, 978, 979, 989, 997, 1016, 1022, 1033, 1041, 1043, 1045, 1047, 1055, 1059, 1060, 1065, 1079, 1099, 1123, 1132, 1133
रेल	:	934, 940, 949, 952, 954, 976, 981, 990, 993, 996, 1001, 1007, 1008, 1015, 1023, 1030, 1032, 1040, 1049, 1054, 1061, 1064, 1066, 1069, 1077, 1092, 1101, 1102, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1116, 1121, 1128, 1129, 1135, 1141
ग्रामीण विकास	:	935, 950, 955, 957, 963, 965, 972, 983, 984, 995, 1002, 1009, 1011, 1020, 1021, 1024, 1026, 1027, 1046, 1057, 1063, 1071, 1075, 1080, 1088, 1098, 1110, 1115, 1143
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	948, 953, 1067, 1134
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	1084, 340, 341
जल संसाधन	:	947, 960, 971, 973, 985, 987, 988, 992, 994, 998, 999, 1000, 1003, 1004, 1006, 1018, 1028, 1035, 1039, 1042, 1056, 1078, 1086, 1091, 1096, 1112, 1118, 1125, 1127, 1131, 1137, 1138, 1139, 1140, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/27/5/2012 (एन०)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।